ISSN 0972-5636

भारतीय आधुनिक शिक्षा

वर्ष 41 अंक 3 जनवरी 2021

not to be republished

पत्रिका के बारे में

भारतीय आधुनिक शिक्षा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की त्रैमासिक पत्रिका है, जो यू.जी.सी. की केयर (कंसोर्टियम फ़ॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स— के.ए.आर.ई.) पत्रिकाओं की सूची में सूचीबद्ध है। यह पत्रिका शिक्षाविदों, शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों, शिक्षकों, शोधार्थियों, विद्यार्थी-शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को विद्यालयी शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा पर अपने मौलिक शैक्षिक विचार रखने का एक मंच प्रदान करती है। लेखकों द्वारा भेजे गए सभी लेखों, शोध पत्रों, पुस्तक समीक्षाओं आदि का प्रकाशन से पूर्व समकक्ष विद्वानों द्वारा पूर्ण निष्पक्षतापूर्वक पुनरीक्षण किया जाता है। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा के विभिन्न आयामों में, विशेषकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में, विद्यालयी शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। इस पत्रिका का एक अन्य उद्देश्य मौलिक एवं समीक्षात्मक चिंतन को भी प्रोत्साहित करना है।

लेखकों द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके अपने हैं। अतः ये किसी भी प्रकार से परिषद् की नीतियों या संपादकीय समिति के विचारों को प्रस्तुत नहीं करते हैं।

© 2021. पत्रिका में प्रकाशित लेखों का रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित है, परिषद् की पूर्व अनुमति के बिना, लेखों का पुनर्मुद्रण किसी भी रूप में मान्य नहीं होगा।

सलाहकार समिति

निदेशक, रा.शै.अ.प्र.प. : हृषिकेश सेनापति
अध्यक्ष, अ.शि.वि. : राजरानी
अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : अनूप कुमार राजपूत

संपादकीय समिति

अकादमिक संपादक : जितेन्द्र कुमार पाटीदार
मुख्य संपादक : श्वेता उप्पल

अन्य सदस्य

राजरानी — रंजना अरोड़ा
उषा शर्मा — मधूलिका एस. पटेल
बी.पी. भारद्वाज

प्रकाशन मंडल

मुख्य उत्पादन अधिकारी : अरुण चितकारा
मुख्य व्यापार प्रबंधक (प्रभारी) : विपिन दीवान
उत्पादन सहायक : राजेश पिप्पल

आवरण

अमित श्रीवास्तव

हमारे कार्यालय

प्रकाशन प्रभाग
एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली 110 016 फ़ोन : 011-26562708

108, 100 फ़ीट रोड
होस्केरे हल्ली एक्सटेंशन
बनाशंकरी III स्टेज
बेंगलुरु 560 085 फ़ोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 फ़ोन : 079-27541446

सी. डब्ल्यू. सी. कैंपस
धनकल बस स्टॉप के सामने
पनिहटी
कोलकाता 700 114 फ़ोन : 033-25530454

सी. डब्ल्यू. सी. कॉम्प्लैक्स
मालीगाँव
गुवाहाटी 781 021 फ़ोन : 0361-2674869

मूल्य

एक प्रति : ₹ 50 वार्षिक : ₹ 200

© NCERT not to be republished

विद्यया ऽ मृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

ISSN 0972-5636

भारतीय आधुनिक शिक्षा

वर्ष 41 **अंक 3** **जनवरी 2021**

इस अंक में

संपादकीय		3
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक शिक्षा अपेक्षा, चुनौतियाँ एवं समाधान	महेश नारायण दीक्षित	5
विविध पाठ्य अभ्यास भी शिक्षण-अधिगम सामग्री हैं!	मो. इसरार	17
शिक्षा में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के पुस्तकालय का योगदान	पूजा जैन	26
माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों का निर्माण तथा शिक्षक-अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि पर विश्लेषणात्मक अध्ययन	लालचंद राम	37
स्नातक स्तर के विद्यार्थी-शिक्षकों की हिंदी भाषा कौशल उपलब्धि के आधार पर मिश्रित शिक्षण-अधिगम उपागम की प्रभावशीलता	विजय कुमार यादव पूनम त्यागी एस. के. त्यागी	56
ऑनलाइन शिक्षण विद्यार्थियों के लिए सीखने के अवसरों में बढ़ता अंतर (जनपद बागेश्वर के विशेष संदर्भ में)	केवलानंद काण्डपाल	69
कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन गणित शिक्षण पर शिक्षकों का दृष्टिकोण, बाधाएँ तथा समाधान	अंजुली सुहाने	83
डिजिटल साक्षरता कौशल उपलब्धि परीक्षण का निर्माण एवं मानकीकरण	रविंद्र कुमार ठाकुर एम. टी. वी. नागाराजू	95

© NCERT not to be republished

महात्मा गांधी की शिक्षा दृष्टि और उसकी प्रासंगिकता	गिरीश्वर मिश्र	105
ग्रामीण किशोरियों के लिए किशोरावस्था शिक्षा समस्याएँ एवं समाधान	नेहा जानी लोकेश जैन	115
शिक्षा और गाँव का बदलता परिदृश्य	विजय कुमार यादव ऋषभ कुमार मिश्र	132
देह-व्यापार से जुड़ी महिलाओं के बच्चों की शिक्षा का अध्ययन	श्यामदास गोंड शिरीष पाल सिंह	141

© NCERT not to be republished

संपादकीय

भारतीय आधुनिक शिक्षा की अकादमिक संपादकीय समिति की ओर से सभी पाठकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ! यह नववर्ष 2021 हमारे लिए नई ऊर्जा, उत्साह एवं उमंग लेकर आया है। गत वर्ष समस्त देशवासियों ने कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से बचाव पर सरकार के साथ मिलकर काम किया। इस गंभीर चुनौती को अवसर में बदला तथा भारत को वैश्विक पटल पर सम्मान देते हुए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया है। इस वर्ष की शुरुआत में ही देश ने कोविड-19 (कोरोना) का टीका विकसित कर मानवता के लिए मिसाल प्रस्तुत की।

इस महामारी के चलते सामान्य जीवन अत्यधिक प्रभावित हुआ, शिक्षा पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ा। इस दौरान शिक्षा पूर्णतः ऑनलाइन हो गई। शिक्षकों की कड़ी मेहनत तथा विद्यार्थियों में सीखने की ललक एवं अभिभावकों के सहयोग से ऑनलाइन शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया निरंतर चल रही है। इन कुशल शिक्षकों ने डिजिटल संसाधन सीमित होते हुए भी विद्यार्थियों को शिक्षित किया। इस दौरान ऑनलाइन शिक्षण-अधिगम को प्रत्येक बच्चे के लिए सुगम बनाने के सरल उपायों पर भी व्यापक रूप से चर्चा-परिचर्चा होती रही, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा की पहुँच से बाहर न रहे।

इन्हीं प्रयासों की कड़ी में भावी पीढ़ी की क्षमताओं को विकसित करने तथा परंपरागत शिक्षा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, जिसमें प्रत्येक बच्चे एवं युवा को समान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के अवसर सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। इसके लिए भावी शिक्षकों एवं सेवारत शिक्षकों की शिक्षा भी महत्वपूर्ण है। शिक्षक-शिक्षा के इन्हीं विविध सरोकारों पर आधारित लेख 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक शिक्षा — अपेक्षा, चुनौतियाँ एवं समाधान' दिया गया है।

शिक्षक, विद्यार्थियों को किस प्रकार पढ़ाएँ? और किस प्रकार की शिक्षण-अधिगम सामग्री का प्रयोग करें? यह उसकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। ऐसे ही सीखने में शिक्षण-अधिगम सामग्री के महत्व पर आधारित लेख 'विविध पाठ्य अभ्यास भी शिक्षण-अधिगम सामग्री हैं!' दिया गया है, जिसमें भाषा के पाठों पर निर्मित रोचक शिक्षण गतिविधियाँ शिक्षण-अधिगम सामग्री (टी.एल.एम.) का ही काम करती हैं, के बारे में बताया गया है।

विद्यार्थियों के लिए शिक्षा तभी सार्थक हो सकती है, जब उन्हें पढ़ने के लिए पर्याप्त पुस्तकें मिलें तथा वे अपनी सुविधानुसार शांति से बैठकर पढ़ सकें। इसी विषय पर लेख 'शिक्षा में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के पुस्तकालय का योगदान' दिया गया है, जिसमें रा.शै.अ.प्र.प. पुस्तकालय की विद्यालयी शिक्षा में भूमिका एवं वर्तमान में पुस्तकालय के बदलते स्वरूप पर भी चर्चा की गई है।

विद्यालयी शिक्षा में पढ़ने के लिए पाठ्यपुस्तकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता पर किए गए शोध अध्ययन पर आधारित शोध पत्र 'माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों का निर्माण तथा शिक्षण-अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि पर विश्लेषणात्मक अध्ययन' दिया गया है। इस शोध पत्र में विद्यार्थियों और शिक्षकों की दृष्टि से हिंदी भाषा का अध्ययन-अध्यापन और पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता पर व्यापक सुझाव दिए गए हैं।

© NCERT not to be republished

साथ ही हिंदी भाषा कौशल सीखने में परंपरागत कक्षा-कक्ष प्रत्यक्ष शिक्षण के साथ-साथ ऑनलाइन शिक्षण भी आवश्यक है। अतः आधुनिक शिक्षण उपागमों से हिंदी भाषा कौशल सीखने पर शोध पत्र 'स्नातक स्तर के विद्यार्थी-शिक्षकों की हिंदी भाषा कौशल उपलब्धि के आधार पर मिश्रित शिक्षण-अधिगम उपागम की प्रभावशीलता' दिया गया है।

ऑनलाइन शिक्षण के सरोकारों तथा अनुभवों पर आधारित शोध पत्र 'ऑनलाइन शिक्षण— विद्यार्थियों के लिए सीखने के अवसरों में बढ़ता अंतर (जनपद बागेश्वर के विशेष संदर्भ में)' दिया गया है। इसी प्रकार गणित विषय का ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण एक बड़ी चुनौती है। शिक्षकों का इस प्रकार के शिक्षण पर क्या दृष्टिकोण है और उन्हें किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? इसके साथ ही उसके क्या समाधान होने चाहिए, के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा शोध पत्र 'कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन गणित शिक्षण पर शिक्षकों का दृष्टिकोण, बाधाएँ तथा समाधान' में की गई है।

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों ने भी शिक्षण-अधिगम को सुगम बनाने के लिए अनेक आई.सी.टी. आधारित शैक्षिक योजनाओं की शुरुआत की। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से पहले विद्यार्थियों के डिजिटल उपकरण संबंधित दक्षता अर्थात् डिजिटल साक्षरता की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। इसी पर आधारित शोध पत्र 'डिजिटल साक्षरता कौशल उपलब्धि परीक्षण का निर्माण एवं मानकीकरण' दिया गया है। आज के आधुनिक समय में गांधीजी के विचार एवं उनकी मूल्य आधारित शिक्षा की प्रासंगिकता बनी हुई है, जो भावी समाज का नव-निर्माण करने में बहुत उपयोगी है। गांधीजी के इसी दृष्टिकोण को व्यापक रूप में लेख 'महात्मा गांधी की शिक्षा दृष्टि और उसकी प्रासंगिकता' में दिया गया है।

बच्चों के विकास की अवस्था में किशोरावस्था का विशेष स्थान है, जिसमें उनका मानसिक, भावनात्मक एवं शारीरिक विकास होता है। यह अवस्था किशोरियों के लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी पर आधारित शोध पत्र 'ग्रामीण किशोरियों के लिए किशोरावस्था शिक्षा — समस्याएँ एवं समाधान' दिया गया है, जिसमें किशोरियों की किशोरावस्था की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान दिया गया है।

यह सत्य है कि शिक्षा ने आज शहरी एवं ग्रामीण परिवेश को विकसित करने में सार्थक भूमिका निभाई है। भारतीय गाँवों में हुए बदलावों को व्यापक रूप में प्रस्तुत करता लेख 'शिक्षा और गाँव का बदलता परिदृश्य' दिया गया है, जबकि शोध पत्र 'देह-व्यापार से जुड़ी महिलाओं के बच्चों की शिक्षा का अध्ययन' दिया गया है, जिसमें देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों के भविष्य के प्रति सपनों, उन्हें अच्छा जीवन देने के लिए विद्यालय भेजने आदि पर विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

आप सभी की प्रतिक्रियाओं की हमें सदैव प्रतीक्षा रहती है। आप हमें लिखें यह अंक आपको कैसा लगा, साथ ही हम आशा करते हैं कि आप हमें अपने मौलिक तथा प्रभावी लेख, शोध पत्र, शैक्षिक समीक्षाएँ, श्रेष्ठ अभ्यास, पुस्तक समीक्षाएँ, नवाचार एवं प्रयोग, विद्यालयों के अनुभव आदि प्रकाशन हेतु आगे दिए गए पते पर प्रेषित करेंगे।

अकादमिक संपादकीय समिति

© NCERT not to be republished

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक शिक्षा
अपेक्षा, चुनौतियाँ एवं समाधान

महेश नारायण दीक्षित*

इक्कीसवीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, जो भारत की वर्तमान चुनौतियों, समस्याओं और भविष्य की ज़रूरतों की पूर्ति में सहायक होगा। शिक्षा की प्रक्रिया में कई कारक शामिल होते हैं, जिनमें शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इक्कीसवीं सदी के भारत की शिक्षा नीति के स्वरूप को दर्शाने वाली इस शिक्षा नीति में कुल 27 प्रमुख बिंदुओं की विस्तार से चर्चा की गई है। इन 27 बिंदुओं में से बिंदु संख्या 15 में शिक्षक शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें शामिल हैं। वर्तमान शिक्षा नीति का शुभ परिणाम, इसे अमल में लाने के लिए तैयार की जाने वाली कार्य-योजना की उत्कृष्टता, संबंधित कार्य योजना पर अमल करने की दृढ़ इच्छाशक्ति और शिक्षा प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों की प्रतिबद्धता पर निर्भर होगा। इस लेख में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में शिक्षक शिक्षा से संबंधित समस्याओं, वर्तमान चुनौतियों तथा उनके संभावित समाधान की चर्चा की गई है।

शिक्षा प्रत्येक राष्ट्र की एक अनिवार्य आवश्यकता है। मानव की उपलब्धियों में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए प्रत्येक देश अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में समयानुसार सुधारात्मक परिवर्तन करता है। यह बात भारत पर भी लागू होती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 1948 में विश्वविद्यालय आयोग, लक्ष्मी शंकर मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा पर माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952) और सन् 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में पहले राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना, इस संबंध में शिक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को व्यक्त करती है।

सन् 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राममूर्ति की अध्यक्षता में समीक्षा समिति (1992) की सिफ़ारिशों ने भारतीय शिक्षा की दशा और दिशा को सुधारने और आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा प्रणाली के लिए एक ऐतिहासिक घटना है। इक्कीसवीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई यह शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जो भारत की वर्तमान चुनौतियों, समस्याओं और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होगा। वास्तव में, वर्तमान शिक्षा

**एसोसिएट प्रोफ़ेसर,* शिक्षा विभाग, शिक्षा संकाय, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद 380014

© NCERT not to be republished

नीति कितनी प्रभावी होगी, यह तैयार की जाने वाली कार्ययोजना, संबंधित कानून और शिक्षा प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों की प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगा। शिक्षा की प्रक्रिया में कई कारक शामिल होते हैं, जिनमें शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इक्कीसवीं सदी के भारत की शिक्षा नीति के स्वरूप को दर्शाने वाली, इस शिक्षा नीति में कुल 27 प्रमुख बिंदुओं की विस्तार से चर्चा की गई है। जिसमें बिंदु क्रमांक 15 में शिक्षक शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें शामिल हैं। इसके साथ ही इस शिक्षा नीति के विद्यालयी शिक्षा से संबंधित बिंदुओं पर अनुसंधान में भी शिक्षक और शिक्षक शिक्षा से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई है। इस लेख में शिक्षक शिक्षा के सम्प्रत्यय एवं आवश्यकता पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव एवं अमल के दौरान आने वाली चुनौतियों तथा उसके संभावित समाधानों पर भी चर्चा की गई है।

शिक्षक शिक्षा—शिक्षक शिक्षा, दो शब्दों, शिक्षक एवं शिक्षा का समेकित रूप है, जिसमें शिक्षक शब्द का अर्थ सीखने एवं सिखाने वाले के रूप में तथा शिक्षा शब्द का अर्थ अध्यापन एवं ज्ञानाभिग्रहण के रूप में किया गया है। यहाँ दोनों ही शब्दों की उत्पत्ति संस्कृत के 'शिक्ष्' धातु से हुई है, जिसका शब्दकोशीय अर्थ है, सीखना, अध्ययन करना तथा ज्ञानार्जन करना (आप्टे, 1999, पृष्ठ संख्या 1015)। इस प्रकार शिक्षक शिक्षा का सामान्य अर्थ उस व्यक्ति की शिक्षा से है, जो सीखने एवं सिखाने का कार्य करता है। शिक्षक का समानार्थी शब्द गुरु है, जो प्राचीन और वर्तमान भारत में अध्यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए उपयोग किया जाता है। प्राचीन भारत में शिक्षकों का प्रशिक्षण गुरुकुलों में स्वाभाविक रूप से अध्ययन-अध्यापन के दीर्घकालिक अनुभव के आधार पर होता था, जिसमें प्रज्ञा के साथ ही साथ उत्तम चरित्र का होना अनिवार्य शर्त थी। समयांतर में समाज में औपचारिक शिक्षा की बढ़ती माँग ने पेशेवर शिक्षकों के विकास की अवधारणा को बल दिया और शिक्षक शिक्षा की औपचारिक शुरुआत के लिए शिक्षक संस्थानों की स्थापना हुई।

शिक्षक शिक्षा, शिक्षाशास्त्रीय प्रक्रम में उन युवाओं हेतु एक व्यावसायिक तैयारी है, जो शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करना चाहते हैं। यह व्यावसायिक तैयारी अनेक प्रकार की हो सकती है, परंपरागत अथवा वस्तुनिष्ठता से युक्त एवं आबद्ध, जिसका लक्ष्य है— विद्वता एवं खुलेपन के लिए समर्पित प्रगतिशील शिक्षक वर्ग की उपलब्धि, जो विद्यार्थियों की व्यक्तिपरकता अथवा आत्मनिष्ठा के प्रति अभिमुख हो (शर्मा एवं शर्मा, 2015, पृष्ठ संख्या 4)।

शिक्षक शिक्षा की व्यापक परिभाषा देते हुए कुमार (2016, पृष्ठ संख्या 1) लिखते हैं कि, "अध्यापक शिक्षा एक शैक्षिक आयोजन है, जिसमें विभिन्न स्तरीय एवं वर्गीय अध्यापकों को इस तरह से शिक्षित करने का प्रयत्न किया जाता है कि वे आने वाली पीढ़ी को ज्ञान एवं विकासात्मक दायित्वों को ग्रहण तथा वहन करने में सक्षम हो सकें। उनमें तकनीकी कुशलता, वैज्ञानिक चेतना, संसाधन सम्पन्नता तथा नवाचारिता के साथ सांस्कृतिक उद्दीपन एवं मानवता बोध का समन्वयात्मक विकास करना संभव हो सके।"

© NCERT not to be republished

शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता

प्राचीन काल से ही शिक्षक का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है, जो उसके समाज के प्रति निर्वहन किए जाने वाले महत्वपूर्ण कर्तव्यों के संदर्भ में देखा जाता है। प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक के कर्तव्य को इंगित करते हुए अलतेकर (2014, पृष्ठ संख्या 41) लिखते हैं कि, "अध्यापन के अतिरिक्त आचार्य के और भी कर्तव्य होते हैं। उसे शिष्य का मानस पिता माना गया था। अतः नैतिक दृष्टि से शिष्य के समस्त दोषों का उत्तरदायित्व उस पर था। शिष्य के चरित्र का सर्वदा ध्यान रखना उसका कर्तव्य था" *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986* में शिक्षक को समाज की स्थिति का मानदंड मानते हुए स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि समाज में शिक्षक की स्थिति समाज की सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों की परिचायक है, क्योंकि कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने शिक्षक से अधिक विकसित नहीं हो सकता है। (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 1998, पृष्ठ संख्या 31) इसलिए ज़रूरी है कि शिक्षक शिक्षा के प्रति ध्यान दिया जाए तथा ज्ञानी, कुशल, दक्ष, संवेदनशील एवं चरित्रवान शिक्षकों का विकास किया जाए।

सीखना एवं सिखाना यद्यपि एक-दूसरे के निकट है, किंतु दोनों में प्रक्रियागत एक महत्वपूर्ण भेद है, जहाँ सीखने की प्रक्रिया भूल-सुधार एवं सतत अभ्यास के सिद्धांत का अनुगम करती है, वहीं सिखाने की प्रक्रिया में भूल एवं सुधार के सिद्धांत को लागू करना एक गंभीर परिणाम को जन्म दे सकता है। इसलिए इसमें गहन शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक की आवश्यकता है। शिक्षार्थी की शिक्षा की गुणवत्ता और उसकी शैक्षिक उपलब्धि का स्तर शिक्षक की दक्षता, संवेदनशीलता और प्रेरणा से निर्धारित होता है। साथ ही यह सर्वमान्य धारणा है कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षक को पढ़ाए जाने वाले विषय की समझ एवं व्यावसायिक क्षमता, सीखने के आवश्यक वातावरण का निर्माण करती है (नेशनल काउंसिल फ़ॉर टीचर एजुकेशन, 2009, पृष्ठ संख्या 1)। इसलिए शिक्षक शिक्षा को आवश्यक माना जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को राष्ट्र निर्माता के रूप में स्वीकार करते हुए कहा गया है कि, 'शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं, इसलिए वे हमारे राष्ट्र के भविष्य के निर्माता हैं। इस महान योगदान के कारण शिक्षक भारतीय समाज के सबसे सम्मानित सदस्यों में से एक थे और केवल सर्वश्रेष्ठ विद्वान ही शिक्षक बनते थे (शिक्षा मंत्रालय, 2020, पृष्ठ संख्या 30)। वर्तमान शिक्षा नीति जहाँ शिक्षकों में प्राचीन भारतीय मूल्यों एवं सांस्कृतिक गौरव को जीवंत रखना चाहती है, वहीं इस नीति में शिक्षक को आधुनिक शैक्षिक तकनीकी एवं संसाधनों के उपयोग में भी दक्ष बनाने की बात पर बल दिया गया है। वास्तव में कोई भी शैक्षिक उद्देश्य तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता, जब तक कि इन उद्देश्यों को प्राप्त कराने वाला प्रेरक स्वयं दक्ष न हो। इसलिए यह ज़रूरी है कि शिक्षकत्व के पूर्ण विकास के लिए एक सुनियोजित शिक्षा की योजना निर्धारित हो। शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता को सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में तेज़ी से आ रहे परिवर्तन के साथ कदम-ताल मिलाने, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति, कौशलयुक्त मार्गदर्शन, तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति एवं आंतरिक अभिप्रेरणा के विकास के संदर्भ में देख सकते हैं (कुमार, 2016, पृष्ठ संख्या 3)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक की परिकल्पना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक की एक आदर्श अवधारणा प्रस्तुत की गई है, जो प्राचीन भारतीय शिक्षकों की तरह विद्वता, नैतिक आचरण, कर्तव्य परायणता और विश्व के कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील शिक्षक की कार्यप्रणाली की याद दिलाती है। इसके साथ ही यह नीति मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, सूचना-संचार की तकनीकों और अत्याधुनिक उपकरणों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में समर्थ तथा आधुनिक नवाचारों एवं ज्ञान-विज्ञान में दक्ष शिक्षकों की अवधारणा प्रस्तुत करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिंदु क्रमांक 15.1 में कहा गया है कि, "अगली पीढ़ी को आकार देने वाले शिक्षकों की एक टीम के निर्माण में अध्यापक शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को तैयार करना एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण और ज्ञान की आवश्यकता के साथ बेहतरीन मेंटरों के निर्देशन में मान्यताओं और मूल्यों के निर्माण तथा उनके अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अध्यापक शिक्षा और शिक्षण प्रक्रियाओं से संबंधित अद्यतित प्रगति के साथ भारतीय मूल्यों, भाषाओं, ज्ञान, लोकाचार और परंपराओं (जनजातीय परंपराओं सहित) के प्रति भी जागरूक रहें।" इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इक्कीसवीं सदी की शिक्षक शिक्षा से अपेक्षा की गई है कि ये शिक्षक शिक्षा संस्थान ऐसे शिक्षकों को विकसित करें, जिनमें निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूर्ण करने की दक्षता हो—

1. शिक्षक को अपने विषय की विशेषज्ञता के साथ-साथ अन्य विषयों का सामान्य ज्ञान होना चाहिए ताकि वह समग्र शिक्षण की अवधारणा को मूर्तरूप दे सकें।
2. शिक्षक को अध्ययन-अध्यापन की प्रक्रिया की समझ होनी चाहिए।
3. शिक्षक, आजीवन सीखने वाले की भूमिका में होना चाहिए ताकि वह लगातार स्वयं को विकसित कर सके।
4. अध्ययन-अध्यापन की प्रक्रिया के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और रुचि होनी चाहिए।
5. भारतीय संस्कृति और विरासत को समझें और इसके प्रति गौरव की भावना रखें।
6. आधुनिक सूचना-संचार प्रौद्योगिकी और शैक्षिक नवाचारों के साथ-साथ इन्हें उपयोग करने की क्षमता की भी समझ होनी चाहिए।
7. अध्ययन, शिक्षण, अनुभव और अनुसंधान के माध्यम से स्वयं को प्रासंगिक बनाए रखने एवं कौशलात्मक सुधार के लिए उत्सुक होना चाहिए।
8. कम से कम तीन भाषाओं में दक्ष होना चाहिए ताकि वे विश्वासपूर्वक और लगन से त्रिभाषा नीति के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें।
9. संवैधानिक एवं नैतिक मूल्यों के पालन को जीवन का अंग बनाने वाला होना चाहिए।
10. अध्ययन-अध्यापन के क्षेत्र में नवाचारों की खोज एवं तदनुरूप स्व-अध्ययन शैली में परिवर्तन के प्रति तत्पर होना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शिक्षक शिक्षा के संबंध में दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव

इक्कीसवीं सदी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार इस शिक्षा नीति में शिक्षक शिक्षा में सुधार

© NCERT not to be republished

लाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, जिनके अनुपालन से न केवल शिक्षक शिक्षा में गुणात्मक बदलाव लाया जा सकता है, बल्कि इसके साथ ही विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार को गति दी जा सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा से संबंधित प्रत्येक पहलू पर विचार किया गया है। इसमें शिक्षक-प्रशिक्षण की चर्चा भी शामिल है। शिक्षक शिक्षा पर न्यायमूर्ति वर्मा आयोग (2012) की चिंताओं एवं शिक्षक-प्रशिक्षण के क्षेत्र की समस्याओं तथा उपरोक्त शिक्षक शिक्षा संबंधी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं—

1. शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम केवल बहु-विषयक शैक्षिक संस्थानों में ही आयोजित किए जाएँ।
2. वर्ष 2030 तक केवल शैक्षिक रूप से सुदृढ़, बहु-विषयक और एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ही कार्यान्वित हों।
3. वर्ष 2030 से एकीकृत बी.एड. का अध्ययन केवल बहु-विषयक, गुणवत्तायुक्त एवं निर्धारित मानकों के आधार पर संचालित संस्थानों में ही किया जा सकता है।
4. एकल विषय आधारित शैक्षणिक संस्थानों का वर्ष 2030 तक बहु-विषयक संस्थानों के रूप में उन्नयन करना, जो संस्थान ऐसा करने में असफल होंगे उन्हें बंद कर दिया जाए।
5. चार वर्षीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम, दो वर्षीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम और एकवर्षीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को स्वीकृति, लेकिन केवल उन्हीं बहु-विषयी संस्थान को दो वर्षीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम और एक वर्षीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति मिले, जो सफलतापूर्वक चार साल के शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रम को चला रहे हों।
6. जिनके पास स्नातक की डिग्री है, उनके लिए दो वर्षीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम एवं जिनके पास विशिष्ट विषय के साथ चार वर्षीय स्नातक की डिग्री है, उनके लिए एकवर्षीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा सकता है।
7. समाज की आवश्यकताओं को साकार करने वाली नई माँग आधारित शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए।
8. प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए विद्यार्थीवृत्ति की व्यवस्था के साथ ही साथ ज़रूरतमंद प्रशिक्षुओं की मदद करना।
9. गुणवत्ता की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय परीक्षण संस्थान द्वारा आयोजित विषय और शिक्षक योग्यता परीक्षा के आधार पर शिक्षक शिक्षा संस्थानों में प्रवेश।
10. पी.एच.डी. कार्यक्रम में नए नामांकित विद्यार्थियों को अपने शोध (शिक्षाशास्त्र या अध्ययन अथवा पाठ्यक्रम विकास) के लिए प्रासंगिक विषय में क्रेडिट आधारित अध्ययन करना होगा।
11. शिक्षकों के रूप में काम करने वाले सभी शिक्षकों को अपने व्यावसायिक विकास को जारी रखने के लिए प्रेरणा और सुविधाएँ दी जाएँ।
12. स्वयं और दीक्षा जैसे प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों से जुड़कर आत्म-विकास के अवसर पैदा करना।

सुझावों के कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियाँ और समाधान

किसी भी नीति की सफलता इसके कुशल और व्यावहारिक कार्यान्वयन में निहित है। नीति या योजना कितनी व्यावहारिक और फलदायी होती

© NCERT not to be republished

है, यह कार्यान्वयन की योजना और निष्पादक के साथ-साथ कार्यकर्ता पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक शिक्षा के स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन की तैयारी की गई है, परंतु यह नीति प्रस्तावित सुधारों के कार्यान्वयन की स्पष्ट योजना या कानूनी प्रावधानों को स्पष्ट रूप से दिशा-निर्देशित नहीं करती है।

नीति, केवल इस बात पर चर्चा करती है कि क्या किया जाएगा या क्या होने की उम्मीद है, लेकिन इस नीति को अमल में कैसे लाया जाएगा, का कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित शिक्षक शिक्षा से संबंधित सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ और इसके समाधान निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझे जा सकते हैं—

1. ***संरचनात्मक अस्थिरता संबंधित चुनौती*** शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में की गई सिफ़ारिशों में संरचनात्मक परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण है। इस सिफ़ारिश को लागू करने से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पिछले 10 वर्षों में, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में इतने प्रयोग हुए हैं, जितने पूरी शिक्षा प्रणाली में नहीं हुए। एकवर्षीय बी.एड. कार्यक्रम को परिवर्तित कर दो वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम बना दिया गया। बदलाव इतनी जल्दबाजी में किए गए कि कोई भी शोधार्थी या संस्थान इस संरचनात्मक परिवर्तन की सफलता या विफलता को माप नहीं पाया। अभी यह परिवर्तन सही से क्रियान्वित भी नहीं हुआ था कि सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप फिर से आनन-फानन में नए पाठ्यक्रमों की संरचना की गई। अभी इस योजना पर अमल हो ही रहा था कि अब इस नीति के माध्यम से चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा की बात लागू कर दी गई है। इस क्षेत्र में इन लगातार बदलावों का पूरी शिक्षक शिक्षा पर गहरा नकारात्मक असर पड़ा है। ये परिवर्तन अपने-आप में एक चुनौती है। यदि शिक्षक शिक्षा को गुणवत्तायुक्त बनाना है तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किए गए ये परिवर्तन स्थायी होने चाहिए और कम से कम 10 साल तक चलते रहना नितांत आवश्यक है, अन्यथा इस परिवर्तन का भी शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में कोई खास योगदान नहीं होगा। मात्र सत्ता के परिवर्तन अथवा सरकार के मनस्वी विचार के आधार पर नहीं, बल्कि होने वाला कोई भी परिवर्तन शोध आधारित होना चाहिए।

2. ***स्वरूपगत परिवर्तन से संबंधित चुनौती*** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, चार वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम पर बल देती है, लेकिन इसके साथ ही दो वर्षीय और एकवर्षीय बी.एड. कार्यक्रम को फिर से स्थापित करने की पहल की गई है। अंतर यह है कि ये सभी कार्यक्रम अब केवल बहु-विषयक स्वायत्त कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में चलाए जा सकते हैं। वर्तमान स्थिति में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में एकल पाठ्यक्रम आधारित कॉलेजों की संख्या बहुत बड़ी है। इसमें भी निजी संस्थानों की संख्या बहुत अधिक है। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी संख्या में बहु-विषयक संस्थानों की आवश्यकता होगी। ऐसे में नवीन संस्थानों की स्थापना एवं अपग्रेडेशन का कार्य कैसे होगा? आवश्यक पूँजी कहाँ से आएगी जैसे प्रश्न

© NCERT not to be republished

अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। वित्तीय, भौतिक और मानवीय सुविधाओं के अभाव में एकल सरकारी या निजी संस्थान के लिए खुद को बहु-विषयक संस्थान में बदलना एक बड़ी समस्या होगी। यदि आज के निजी संस्थान स्वयं को बहु-विषयक संस्थानों में विकसित नहीं कर पाएँगे तो, शायद यह संस्थान बंद हो जाएँगे।

इन चुनौतियों को पूरा करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार समय-समय पर समाज की ज़रूरतों की जाँच करे और आनुपातिक रूप से नए संस्थान खोलने की पहल करने के साथ ही अच्छी तरह से कार्य कर रहे निजी संस्थानों को भी अनुदान प्रदान कर उन्हें बहु-विषयक संस्थान के रूप में विकसित करने में मदद करें। यदि निजी क्षेत्र के संस्थान इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो उन्हें इस शर्त के साथ अनुमति दी जानी चाहिए कि वे, इस कार्य से मुनाफ़ा कमाने की न सोचें और शिक्षक शिक्षा से संबंधित नीतियों का सख्ती से पालन करें। साथ ही स्वरूपगत परिवर्तनों से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए स्पष्ट नीति बने। सरकार वित्तीय एवं संसाधनों की उपलब्धता के प्रति अपनी जवाबदेही को निभाए तथा निजी क्षेत्र के संस्थान इसे सेवा कार्य मानते हुए आर्थिक उपार्जन की क्षुद्र भावना से ऊपर उठते हुए नीति-नियमों का पालन कर शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखें।

3. *संसाधनों की कमी*

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सुझाई गई गुणवत्ता की प्राप्ति के लिए आवश्यक भौतिक संसाधनों की भारी कमी दिखाई देती है। प्रत्येक संगठन को सुविधाओं के मामले में एक आदर्श संगठन के रूप में विकसित किया जाना है। शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता शिक्षण प्रक्रिया को आसान, सुविधाजनक और प्रभावी बनाती है। बच्चों के चहुँमुखी, समन्वित और पूर्ण विकास के लिए व्यक्तित्व के हर पहलू का विकास आवश्यक है। भावी शिक्षक के मानसिक विकास के लिए कक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, गतिविधि कक्ष एवं समिति कक्ष के साथ-साथ शारीरिक विकास के लिए एक खेल का मैदान और व्यायामशाला की आवश्यकता होगी। वर्तमान परिदृश्य में, अधिकांश सरकारी और निजी संस्थानों में इन सुविधाओं का अभाव है। अगर सभी सुविधाओं की पूर्ति करनी है तो अधिकांश निजी संस्थानों को ट्यूशन फ़ीस बढ़ानी होगी, जिससे पहले से ही महँगी निजी शिक्षा और अधिक महँगी हो जाएगी। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार शिक्षक शिक्षा को एक आवश्यक सेवा माने तथा प्रत्येक शिक्षक शिक्षा संस्थान को इन सभी सुविधाओं को निःशुल्क स्थापित करने में मदद करे।

शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग चार प्रतिशत खर्च करके इन सुविधाओं को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में मज़बूत इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए, सरकार को अगले तीन वर्षों में शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत बढ़ाकर छह प्रतिशत करना होगा और इसे 2035 में अमल में लाने के बजाय आज से ही क्रियान्वित करना चाहिए। सभी शिक्षक शिक्षा की संस्थाओं, चाहे वे सरकारी हों या निजी, दोनों के लिए समान नीति नियम लागू हों। इसके साथ ही भौतिक और मानव

© NCERT not to be republished

संसाधन संबंधी खर्चों को सरकार स्वयं वहन करें।

4. ***शिक्षक-प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में अस्पष्टता***

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों को तैयार करने के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि ऐसे शिक्षकों को तैयार करने वाले शिक्षक-प्रशिक्षक कैसे प्रशिक्षित होंगे। नीति में एम.एड. (शिक्षक-प्रशिक्षक तैयार करने वाले पाठ्यक्रम) के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। शिक्षक-प्रशिक्षकों की दक्षता पर भविष्य के शिक्षकों के प्रशिक्षण का दायित्व होता है जो शिक्षक की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। शिक्षक-प्रशिक्षण, वस्तुतः एक समग्र और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक एवं उन्हें प्रशिक्षित करने वाले शिक्षक-प्रशिक्षक एक बढ़ते क्रम में योजनाबद्ध रूप से आपस में जुड़े होते हैं। शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता स्थापित करने के लिए पहली आवश्यकता प्रशिक्षकों (जो एम.एड. में पढ़ा सकते हैं।) की तैयारी है, जो शिक्षक-प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक, केवल प्रशिक्षक की क्षमता और ज्ञान के अनुसार तैयार किए जा सकते हैं। इन शिक्षक-प्रशिक्षकों की दक्षता भविष्य के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की क्षमता को प्रभावित करेगी, जो अंततोगत्वा विद्यार्थियों के समग्र विकास को प्रभावित करेगी।

क्या और कैसे सिखाना है? की तैयारी के लिए विद्यार्थी से लेकर शिक्षक-प्रशिक्षक स्तर के सभी संबंधित व्यक्तियों को विचार करना होगा। शिक्षक-प्रशिक्षक की तैयारी के लिए सुविधाएँ, पाठ्यक्रम और योजनाएँ तत्काल तैयार की जानी चाहिए। इसी तरह वर्तमान में प्रशिक्षण कार्य में लगे व्यक्तियों को भी सेवाकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। इस चुनौती के निस्तारण के लिए तत्काल शिक्षक-प्रशिक्षक पाठ्यक्रम का निर्माण एवं कार्यान्वयन इस योजना की ज़रूरत है।

5. ***शिक्षाशास्त्र में अप्रशिक्षित व्यक्ति से गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण संबंधी अपेक्षा*** — राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सभी एकल शिक्षक शिक्षा संस्थानों को बहु-विषयक संस्थानों के रूप में विकसित करना है। इसके लिए उन विषय-विशेषज्ञों को भी नियुक्त करने की सिफारिश की गई है, जिन्होंने शिक्षक-प्रशिक्षकों के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। जबकि शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम एक विशेषीकृत कार्यक्रम है, जिसमें बाल-व्यवहार एवं मनोविज्ञान, अध्ययन-अध्यापन की तकनीक एवं शिक्षणशास्त्र, आकलन अथवा मूल्यांकन तथा मार्गदर्शन एवं निर्देशन जैसे अनेक विषयों से संबंधित विशेषज्ञीय सेवा की आवश्यकता होती है।

शिक्षाशास्त्र मात्र विषयों को ही पढ़ाने का नाम नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि ये अप्रशिक्षित एवं मात्र अपने विषय (गणित, अंग्रेज़ी, दर्शनशास्त्र, कला इत्यादि) में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति भावी शिक्षकों को कैसे प्रशिक्षण दे सकते हैं, क्योंकि शिक्षक-प्रशिक्षण का कार्य, क्या सीखना है, से ज़्यादा कैसे सिखाना है, पर ज़ोर देता है। वर्तमान

© NCERT not to be republished

स्थिति में ऐसे शिक्षक केवल विषय ज्ञान प्रदान कर पाएँगे, जो सूचना क्रांति के समय में इंटरनेट से भी आसानी से खोजा जा सकता है। वास्तव में, आदर्श स्थिति यह है कि जो कोई भी इस क्षेत्र से जुड़े, उसे विषय के साथ ही अध्ययन-अध्यापन से संबंधित तीनों शिक्षणशास्त्रों (पेडागॉजी अर्थात् बाल-शिक्षणशास्त्र, एंड्रागॉजी अर्थात् प्रौढ़-शिक्षणशास्त्र एवं हेट्रागॉजी अर्थात् स्व-निर्देशित शिक्षणशास्त्र) की समझ एवं प्रशिक्षण अपरिहार्य है, जहाँ विषय-विशेषज्ञों को प्रशिक्षण के बिना शिक्षक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य कराने की अनुमति दी गई है, वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पीएच.डी. करने वाले शोधार्थियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने विषय से संबंधित शिक्षणशास्त्र से संबंधित कोर्स भी करें, जिससे आगे चलकर उन्हें पढ़ाने में कठिनाई न हो, जो एक अच्छी पहल है। अगर पीएच.डी. करने वाले शोधार्धी से यह अपेक्षा रखी जाती है, तो शिक्षक शिक्षा जैसे विशेषीकृत कार्यक्रम में मात्र अपने विषय का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति भविष्य के शिक्षक कैसे तैयार करेंगे, यह एक व्यावहारिक समस्या है। इसलिए शिक्षक शिक्षा संस्थान में शामिल होने वाले व्यक्ति के लिए शिक्षाशास्त्र में कुशल होना आवश्यक किया जाए और यह महत्वपूर्ण निर्णय, बनाई जाने वाली कार्य योजना में अवश्य शामिल किया जाए।

6. *प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आकर्षित करने की चुनौती*

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपेक्षा की गई है कि प्रतिभाशाली या उच्च श्रेणी प्राप्त करने वाले विद्यार्थी-शिक्षक बनने के प्रति आकर्षित हों। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए विद्यार्थीवृत्ति की व्यवस्था की गई है (अंक संख्या 15.5, पृष्ठ संख्या 70)। यद्यपि विद्यार्थीवृत्ति का सुझाव प्रशंसनीय कदम है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। वास्तव में, प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों को किसी भी व्यवसाय में आकर्षित करने के लिए उस क्षेत्र में शामिल होने के समान अवसर, सम्मानजनक वेतनमान, समाज में प्रतिष्ठा और उस व्यवसाय में काम करने के तरीके के साथ-साथ आगे बढ़ने के अवसर की अनुकूलता आवश्यक है।

वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो किसी व्यक्ति को (केवल सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में मिलने वाले वेतनमान को छोड़कर) शिक्षक बनने के लिए प्रेरित करता हो। सरकारी विद्यालयों में अध्यापन के साथ-साथ शिक्षक से जिस तरह का काम लिया जाता है, वह व्यवसाय की गरिमा और समाज में इसकी प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से नुकसान तो पहुँचाता ही है, इसके साथ ही साथ उसके विद्यालयी कार्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। शिक्षकों का शैक्षणिक कार्यों से इतर कार्य करने के कारण सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति प्रभावित होती है। वहीं निजी संस्थाओं में शिक्षकों का वेतनमान इतना कम है कि इस तरह कोई भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी मात्र मजबूरी में ही शिक्षक बनने की सोच सकता है। दूसरी बात माँग एवं आपूर्ति के नियमों की अवहेलना कर जिस तरह से पिछले दशक में बी.एड. एवं डी.एल.एड. की निजी संस्थाओं को खोला गया,

© NCERT not to be republished

वह एक गंभीर चिंता का विषय है। कम गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण (केवल कागज़ पर) प्रदान करो या वितरण के कारण दोयम दर्जे के शिक्षकों की फौज खड़ी हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप डिग्री होने के बावजूद काम करने का अवसर न मिलने तथा मनरेगा की तुलना से भी कम (यहाँ तक कि 2500 से 4000 प्रतिमाह) वेतन पर शिक्षक बनने के लिए कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति आकर्षित नहीं होगा।

अतः अगर हम वास्तव में इस क्षेत्र में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आकर्षित करना चाहते हैं, तो हमें इस क्षेत्र में शामिल होने के लिए समान अवसर, सम्मानजनक वेतनमान, समाज में क्षेत्र की प्रतिष्ठा और उस व्यवसाय में काम करने के तरीके के साथ-साथ आगे बढ़ने के अवसर को भी सुनिश्चित करना होगा। अनावश्यक गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कर शिक्षकों को शिक्षण का सम्मानजनक वातावरण प्रदान करना होगा।

7. *नए पाठ्यक्रम को डिज़ाइन करने की चुनौती*

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यालय की शिक्षा संरचना को 5 + 3 + 3 + 4 (तीन से 18 साल के विद्यार्थियों के लिए) में बदल दिया गया है। मनोविज्ञान के अनुसार, मानव विकास के सात मुख्य चरण हैं— (शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था) इन चरणों में युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के चरण का संबंध जीवन के लगभग 82 वर्ष (18 वर्ष से 100 वर्ष) से है, जिसमें वैचारिक और शारीरिक परिपक्वता को छोड़कर कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता है, जबकि जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक मानव व्यक्तित्व में एक तेज़ और बहुआयामी परिवर्तन होता है, जो बच्चे की शारीरिक वृद्धि तथा मानसिक, सांवेगिक एवं सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। इस काल को ही सीखने का सर्वोत्तम काल माना जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा की संरचना मनोविज्ञान के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर की गई है, लेकिन पाठ्यक्रम के प्रारूप के संबंध में कोई विशेष दिशा निर्देश नहीं है। बाल्यावस्था में बच्चे के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर (3 से 8 वर्ष), उत्तर बाल्यावस्था (9 से 12) और किशोरावस्था (13 से 18) में होने वाले शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तनों के मद्देनज़र पाठ्यक्रम संरचना के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन का अभाव अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तुरंत लागू करने के लिए आवश्यक है कि नए पाठ्यक्रम का निर्माण तुरंत किया जाए।

शिक्षक की भूमिका में एक बड़ी तब्दीली आई है, उसे अब तक ज्ञान के स्रोत के केंद्र रूप में स्थान मिलता रहा है और वही समूची सीखने-सिखाने की प्रक्रिया का संरक्षक एवं प्रबंधक रहा है। अब उसकी भूमिका ज्ञान के स्रोत के बदले एक सहायक की होगी, जो सूचना को ज्ञान अथवा बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों से शिक्षार्थियों को उनके शैक्षणिक लक्ष्यों की पूर्ति में मदद करे (*एन.सी.एफ़. 2005,* पृष्ठ संख्या 122)। इस

© NCERT not to be republished

चुनौती से निपटने के लिए रचनात्मक अधिगम पर आधारित शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की आवश्यकता होगी, जिसके लिए विशेषज्ञों की टीम गठित की जानी चाहिए तथा सी.बी.एस.ई., एन.सी.ई.आर.टी. एवं एस.सी.ई.आर.टी. आदि संस्थानों का सहयोग लेकर पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया को अभियान की तरह निश्चित समय सीमा में पूर्ण किया जाना चाहिए, जिसमें नीति के साथ ही साथ विद्यार्थियों के विकास एवं वृद्धि के विभिन्न चरणों में होने वाले परिवर्तन, उनकी अभिक्षमता, रुचि एवं उनके हितों के साथ-साथ समाज की ज़रूरतों और सांस्कृतिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को निर्मित किया जाए।

8. *शिक्षक शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता को बनाए रखने की चुनौती*

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार माध्यमिक स्तर तक ड्रॉप आउट दर को शून्य प्रतिशत पर ला देना, उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों का नामांकन 50 प्रतिशत तक बढ़ाना तथा प्रत्येक एकल शिक्षक शिक्षा की संस्थाओं को बहु-विषयी संस्था के रूप में विकसित करना है। वर्ष 2030 तक सभी एकल संस्थाओं को बहु-विषयी संस्था के रूप में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2030 के बाद मात्र बहु-अनुशासनात्मक संस्थानों में ही शिक्षक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम चलाए जा सकते हैं। वर्तमान में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए यह लक्ष्य अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। स्वाभाविक रूप से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, बड़ी संख्या में माध्यमिक विद्यालयों के साथ-साथ उच्च शिक्षा संस्थानों को खोलना होगा, जिसमें प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होगी। इसमें शिक्षकों के साथ-साथ भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता होगी, जिसकी पूर्ति के लिए अधिक धन की आवश्यकता होगी।

केंद्र सरकार आज सकल घरेलू उत्पाद का लगभग चार प्रतिशत ही खर्च कर रही है, जो उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत कम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस समस्या को समाप्त करने के लिए बजट का छह प्रतिशत खर्च करने का सुझाव दिया गया है, जिस पर अमल करने की समय सीमा 2035 रखी गई है। साथ ही निजी क्षेत्र से धन के प्रबंधन के साथ-साथ संसाधनों के प्रबंधन की बात भी की गई है। वास्तव में केवल छह प्रतिशत के साथ उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है।

अगर निजी क्षेत्र को आज की तरह ही शैक्षिक संस्थाओं के संचालन की अनुमति दी जाती है, तो गुणवत्ता पर प्रश्न-चिह्न लग जाएगा। शिक्षक शिक्षा की वर्तमान स्थिति के पीछे विभिन्न कारणों में अधिकांश निजी संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार और मुनाफ़ाखोरी सबसे अधिक ज़िम्मेदार है। बेशक, कुछ निजी शैक्षणिक संस्थान अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे में निजी क्षेत्र से पूँजी की प्राप्ति, बड़ी मात्रा में वित्तीय प्रबंधन, गुणवत्ता का सुनिश्चितीकरण और निजी संस्थाओं पर नियंत्रण एक बड़ी चुनौती है।

© NCERT not to be republished

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए तैयार की जाने वाली योजना को उपरोक्त चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी नियामक संस्थाएँ निडर होकर काम करती हैं, तो इस चुनौती को पार करने में कोई विशेष बाधा नहीं होगी। मज़बूत इच्छाशक्ति, स्पष्ट कार्य योजना और पर्याप्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार, शिक्षक, प्रबंधन समिति एवं समाज सबकी निश्चित भूमिकाओं के निर्वाह की ज़रूरत है।

निष्कर्ष

शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षक सभी का एक-दूसरे के साथ बहुत गहरा संबंध है, जहाँ शिक्षा, विकास की एक प्रक्रिया है, सीखने वाला उस विकास का लाभार्थी है तो शिक्षक इस पूरी प्रक्रिया का समन्वयक, निर्माता और प्रशासक है। इसीलिए शिक्षा की प्रक्रिया को गुणात्मक और प्रभावी बनाने के लिए इक्कीसवीं सदी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार की गई है, जिसने शिक्षक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। शिक्षक शिक्षा को एक नई दिशा देने के लिए जो सिफ़ारिशें और अपेक्षाएँ की गई हैं, उन्हें पूरा करने में कई चुनौतियाँ होंगी, जिनकी ऊपर चर्चा की जा चुकी है। यदि शिक्षा प्रक्रिया में शामिल सभी लोग पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तो उपरोक्त चुनौतियों का हल ढूँढकर भारतीय शिक्षा प्रणाली को फिर से विश्वस्तरीय बनाया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ़ सरकार, समाज, शिक्षक, प्रबंध समिति एवं विद्यार्थियों के प्रयासों की ज़रूरत है।

संदर्भ

अलतेकर, ए. एस. 2014. *प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति*. अनुराग प्रकाशन, वाराणसी.

आप्टे, वी. एस. 1999. *संस्कृत-हिंदी कोश*. भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली.

कुमार, एन. 2016. *अध्यापक शिक्षा*. अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली.

नेशनल काउंसिल फ़ॉर टीचर एजुकेशन. 2009. *नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फ़ॉर टीचर* एजुकेशन. एन.सी.टी.ई., नयी दिल्ली.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986*. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

_____. 1998. *नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (ऐज मोडिफ़ाईड 1992)*. 12 दिसंबर, 2020 को https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/NPE86-mod92.pdf से प्राप्त किया गया.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

_____. 2010. *पर्सपेक्टिव ऑन नई तालीम*. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

शर्मा, वी.पी और आर. शर्मा. 2015. *अध्यापक प्रशिक्षण तकनीक*. अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली.

शिक्षा मंत्रालय. 2020. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. भारत सरकार, नयी दिल्ली. 12 दिसंबर, 2020 को https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf से प्राप्त किया गया.

© NCERT not to be republished

विविध पाठ्य अभ्यास भी शिक्षण-अधिगम सामग्री हैं!

मो. इसरार*

सीखने-सिखाने में शिक्षण-अधिगम सामग्री बहुत उपयोगी मानी जाती है। इसे टीचिंग लर्निंग मैटेरियल (टी.एल.एम.) के नाम से भी जाना जाता है। किसी अवधारणा को स्पष्ट करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कक्षा-कक्ष में पठन-पाठन में उपयोग में लाई जाने वाली किसी पाठ्यपुस्तक के पाठों पर यदि इस प्रकार की गतिविधियाँ निर्मित की जाएँ कि शिक्षार्थियों को उन्हें करने में आनंद आए और विभिन्न अवधारणाएँ भी स्पष्ट हो जाएँ तो आपको अलग से किसी भी प्रकार के टी.एल.एम. अर्थात् टीचिंग लर्निंग मैटेरियल की आवश्यकता नहीं होगी। नवाचारी तरीके से काम करते हुए यदि शिक्षण को रोचक बनाया जाए तो भी टी.एल.एम. की आवश्यकता शायद ही पड़े। भाषा शिक्षण के विभिन्न कौशलों, जैसे— सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि को विकसित करने में भी पाठों पर निर्मित की गई गतिविधियाँ रोचक टी.एल.एम. का ही काम करती हैं, लेकिन इसके लिए आपको कक्षा में जाने से पूर्व प्रतिदिन कम से कम दो पाठ योजनाएँ अवश्य बनानी होंगी, एक यदि लिखित में हो तो दूसरी मन में सोची हुई अवश्य होनी चाहिए।

इन बातों को लेखक ने एक चुनौतीपूर्ण कक्षा में ज़िम्मेदारी से काम करते हुए समझा है। इसी अनुभव के आधार पर लेखक ने पाया कि विभिन्न तरह का पाठ्य अभ्यास और पाठों पर निर्मित की गई गतिविधियाँ बेहतर टी.एल.एम. का काम करती हैं, जो बच्चों में पढ़ने-लिखने की रुचि जाग्रत करती हैं।

ये अनुभव 'अज़ीम प्रेमजी स्कूल, दिनेशपुर' में अप्रैल 2017 से अक्तूबर 2019 तक, बंगाली समुदाय के ऐसे बच्चों के साथ काम करने के आधार पर लिखे गए हैं, जो बांगलादेश से माइग्रेट होकर आए हैं। घर-परिवार, समुदाय और स्कूल में वे अधिकांशत: संप्रेषण के लिए बांगला भाषा का ही प्रयोग करते हैं। 'अज़ीम प्रेमजी स्कूल' एक प्रयोगिक विद्यालय है, जो संवैधानिक मूल्यों में गहरी आस्था रखते हुए धर्म, जाति, जेंडर, क्षेत्र, भाषा के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करता है और सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करता है। शिक्षण के लिए टी.एल.एम. काफ़ी महत्वपूर्ण समझा जाता है। आरंभिक कक्षाओं के लिए, विविध दृष्टिकोणों से इसकी उपयोगिता अपरिहार्य मानी जाती रही है। कक्षा में बच्चों को जोड़ने और बेहतर ढंग से सीखने के रूप में भी इसे एक अच्छे संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। किसी विशेष विषय से संबंधित अवधारणा को स्पष्ट करने और बच्चों की विकासात्मक ज़रूरतों से जोड़कर भी इसे देखा जा सकता है, लेकिन बेहतर टी.एल.एम. वही हो सकता

**असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, अज़ीम प्रेमजी विद्यालय, वार्ड संख्या 03, दिनेशपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड 263160

© NCERT not to be republished

है, जो बच्चों के सीखने में एक सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग हो, मात्र कक्षा की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं। इसलिए किसी कक्षा के लिए बेहतर और उपयोगी टी.एल.एम. वही हो सकता है, जिसे बच्चों के साथ मिलकर बनाया जाए और फिर कक्षा में उसका उपयोग किया जाए।

यहाँ पर एक प्रश्न मन में अवश्य उभर सकता है कि आखिर टी.एल.एम. होता क्या है? टी.एल.एम. अर्थात् टीचिंग लीर्निंग मैटेरियल वह सामग्री होती है, जो कक्षा-कक्ष में किसी अवधारणा को स्पष्ट करने में प्रयोग की जाती है। इसी को शिक्षण-अधिगम सामग्री के नाम से भी जाना जाता है। यह बच्चों को केवल जानकारी उपलब्ध न कराकर उनका ज्ञान बढ़ाने के प्रयास में उनकी मदद करने का संसाधन होती है। इसको बच्चे छू सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं और उससे विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ भी आयोजित कर सकते हैं।

ऊपर लिखी गई इन बातों के विपरीत लेखक के कुछ अनुभव ऐसे रहे हैं कि यदि (विशेषत: भाषा शिक्षण के संदर्भ में) आपके पास बेहतर शिक्षण योजना, विविध प्रकार की पाठ्यसामग्री और उनके ऊपर निर्मित की गई अच्छी गतिविधियाँ हैं तो आपको कक्षा में किसी भी प्रकार के टी.एल.एम. की शायद आवश्यकता न हो। तल्लीनता और नवाचारी तरीके से काम करते हुए यदि शिक्षण को रोचक बनाया जाए तो भी टी.एल.एम. की आवश्यकता न पड़े। इन तथ्यों को लेखक ने लगभग दो वर्ष एक चुनौतीपूर्ण कक्षा के साथ किए गए शिक्षण-अधिगम प्रकिया के आधार पर समझा। लेखक विश्वासपूर्वक यह तो नहीं कह सकता कि उसके द्वारा किए गए प्रयासों से बच्चे पढ़ना-लिखना कितना बेहतर ढंग से सीख पाए? लेकिन लेखक के साथ सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में उन्हें खूब आनंद आया।

कक्षा व बच्चों के बारे में

एक लोकतांत्रिक विद्यालय में जब लेखक ने हिंदी शिक्षक के रूप में कार्य आरंभ किया तो उन्हें कई कक्षाओं के साथ ही कक्षा 7 को भी हिंदी पढ़ाने का कार्य सौंपा गया। कक्षा में कुल 32 बच्चे थे। विभिन्न सहयोगी शिक्षकों के अनुभवों के अनुसार विद्यालय में वह कक्षा सबसे चुनौतीपूर्ण मानी जाती थी। बच्चों को मारने-पीटने या किसी भी प्रकार के भय दिखाने पर पूर्णत: प्रतिबंध होने के कारण उस कक्षा में शिक्षण कार्य करना और भी चुनौतीपूर्ण था। कक्षा में दो-तीन महीने काम करने के बाद ही मुझे भी अनेक प्रकार की व्यावहारिक और अकादमिक चुनौतियाँ दिखाई दीं, जैसे– बच्चों द्वारा ठीक से कक्षा संचालित नहीं होने देना, शिक्षकों को जानबूझकर परेशान करना। शिक्षण के बीच में ही आपस में लड़ने-झगड़ने लगना, सहपाठियों पर भद्दे कटाक्ष व झूठी शिकायतें करना, बात-बात पर गाली देना, कुछ चिह्नित बच्चों का चार-पाँच मिनट से अधिक अपनी सीट पर न बैठ पाना, किसी केंद्रित विषय-वस्तु पर दो-तीन मिनट से अधिक बात न कर पाना या की जा रही बातचीत में विषय-वस्तु से इतर प्रश्न पूछकर शिक्षक का ध्यान भटका देना। शिक्षक द्वारा स्वतंत्र रूप से पढ़ने-लिखने का कार्य दिए जाने पर कक्षा व गृह कार्य न करना आदि काम से बचने के लिए अलग-अलग बहाने तलाशना।

इन सबके अतिरिक्त कक्षा में विद्यार्थियों के किशोरावस्था की समस्याओं से जुड़े मुद्दे भी बहुत अधिक थे। इस मामले में लड़के-लड़कियाँ एक-दूसरे से किसी भी प्रकार से कम नहीं थे। कक्षा

© NCERT not to be republished

में भद्दे कटाक्ष करना आम बात थी। इस मामले में किसी लड़के-लड़की के द्वारा किसी की शिकायत करने पर उसे विद्यालय से बाहर पीटने तक के किस्से भी हो चुके थे। बच्चों द्वारा शिक्षकों की बात न मानना या उनकी आज्ञा की अवहेलना करना एक शगल-सा था।

कक्षा के लगभग सभी बच्चे बांग्ला भाषी समुदाय से थे। उनके हिंदी बोलने और लिखने में संज्ञा-सर्वनाम के सही क्रिया प्रयोग, शब्दों का मानक रूप में उच्चारण व लेखन, वाक्यों को व्याकरणिक नियम के अनुसार सही संरचना में न लिख पाना, लिखे गए विचारों में तारतम्यता का अभाव जैसी अनेक भाषायी त्रुटियाँ रहती थीं। इसलिए ऐसे बच्चों को मानक रूप में हिंदी पढ़ना-लिखना सिखाना काफ़ी मुश्किल था। कक्षा में एक-दो को छोड़कर लगभग सभी बच्चे स्वतंत्र रूप से अपने विचार लिख तो सकते थे, लेकिन उनमें वर्तनी संबंधी त्रुटियाँ काफ़ी रहती थीं। हिंदी की कक्षा या अन्य जगह पर वे जब भी आपस में बातचीत किया करते थे तो बांग्ला भाषा का ही प्रयोग किया करते थे। इसका सीधा प्रभाव उनके लेखन पर भी दिखाई देता था, जैसे— हमारा को 'हमार या आमार' लिखना, हम चाय खाते हैं। सीता जाता है। आदि स्त्रीलिंग शब्दों के साथ पुल्लिंग क्रिया का प्रयोग करना, एक ही शब्द को दो-तीन प्रारूपों—इशारा, इसारा, इसरा के रूप में लिखना। उ, ऊ, इ, ई की मात्राओं के सही प्रयोग को न पहचान पाना। मात्राओं को कभी दायीं तो कभी बायीं ओर लगाना। शब्दों को उनके मानक रूप में न लिखना। अपने विचारों को संक्षिप्त रूप में लिखना। लिखे गए में विचारों की तारतम्यता का अभाव आदि और भी कई समस्याएँ थीं।

इस प्रकार की चुनौतीपूर्ण कक्षा में पढ़ाते हुए मन का खिन्न होना स्वाभाविक था। इसलिए अब मेरे सामने दो विकल्प बचे थे, पहला—विद्यालय छोड़कर कहीं और चले जाना और दूसरा—ऐसी चुनौतियों का सामना करते हुए कुछ बेहतर करने का प्रयास करना। कुछ दोस्तों से इस विषय में बातचीत करने पर लगभग सभी ने दूसरे विकल्प को चुनने की सलाह दी। एक दोस्त ने तो यहाँ तक हिदायत दी कि 'जीवन में कहाँ तक और कब तक भागोगे? मुसीबतों से पाला पड़ा है तो सामना भी करो।' इसलिए सोचा, ऐसी विषम परिस्थितियों के बीच रहकर कुछ बेहतर करना ही उचित होगा। इसके बाद मैंने दृढ़ निश्चय और कुछ नवाचारी तरीकों से शिक्षण कार्य करने की योजना बनानी आरंभ की तथा धीरे-धीरे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने लगा।

काम की शुरुआत

काफ़ी मंथन के बाद मैंने (लेखक) उक्त कक्षा की खामियों और खूबियों को तलाशना आरंभ किया। कक्षा की कुछ खामियाँ तो ऊपर व्यक्त हो चुकी हैं। अब कक्षा की उन खूबियों पर दृष्टिपात करना चाहूँगा, जिन्हें संसाधन के रूप में अपनाकर मैंने अपना काम या शिक्षण कार्य आरंभ किया।

सर्वप्रथम कक्षा के सभी बच्चों के साथ भावनात्मक जुड़ाव अर्थात् एक प्रकार से अच्छी दोस्ती बनाने का प्रयास करने लगा। इसके लिए यथा समय और अवसर अलग-अलग बच्चे से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करना आरंभ किया, जो बच्चा कक्षा में शरारत या शैतानियाँ करता, मैं उसके साथ व्यक्तिगत रूप से अवश्य बात करता। ऐसे बच्चों की कमज़ोरियों और खूबियों, दोनों पर बातचीत होती थी, क्योंकि मैंने अनुभव कर लिया था कि बच्चों

© NCERT not to be republished

से सामूहिक रूप से बातचीत करने पर मेरी बात का प्रभाव बहुत कम होता था। व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग बच्चे से बातचीत करने पर उसका प्रभाव अधिक गहराई से होता था। बच्चे तीखे स्वर में बात करने, डाँटने या मेरे गुस्सा होने पर तुरंत प्रतिक्रिया भी किया करते थे। कई बार तो सोची-समझी रणनीति के तहत, वे, शिक्षकों को गुस्सा दिलाने की कोशिशें भी किया करते थे, लेकिन प्यार से या एक दोस्त की तरह बात करने पर सामूहिक रूप से भी बच्चे कुछ समय तक किसी शिक्षक की बात सुन लिया करते थे। जब इस रीति को मैं कक्षा में अपनाने लगा तो बच्चे कई शर्तें मेरे सामने रखने लगे, जैसे— सप्ताह में एक या दो दिन पूरी कक्षा मेरे कालांश में कक्षा या ग्राउंड में पढ़ने के स्थान पर खेल खेलेगी। किसी दिन वे इस बात पर अड़ जाते कि आज पढ़ेंगे नहीं केवल बातचीत करेंगे। परिस्थितियों को देखकर मुझे अकसर उनसे समझौता भी करना पड़ता था।

मुझे इस कक्षा का सबसे सबल पक्ष जो दिखाई दिया, वह उसका पढ़ने-लिखने का स्तर था। कक्षा के तीन-चार बच्चों को छोड़कर अधिकांश को पढ़ना-लिखना आता था। यहाँ पर पढ़ने-लिखने से मेरा तात्पर्य उनकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक और कुछ अन्य उसी स्तर की सामग्री से है। विषय-वस्तु को पढ़कर वे उसके बारे में बता दिया करते थे कि वह किस बारे में है और उसमें क्या-क्या बातें हैं। तीन-चार बच्चे कक्षा स्तर से काफ़ी नीचे भी थे, जिनमें से एक को तो ठीक प्रकार से वर्ण और मात्राओं तक की भी पहचान नहीं थी। उन सबके लिए प्रतिदिन अलग तरह का कार्य सोचना पड़ता था। इस विविध स्तर वाली कक्षा को एक साथ पढ़ाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था। लेखन में बच्चों की मात्रा तथा वर्तनी संबंधी काफ़ी त्रुटियाँ रहती थीं, लेकिन वे अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से (कुछ विस्तारित तो कुछ संक्षिप्त रूप में) लिख अवश्य लेते थे।

कक्षा के लिए जब मैंने योजना बनानी आरंभ की तो प्रतिदिन कम से कम दो पाठ योजनाएँ अवश्य बनाईं। एक यदि लिखित में होती थी तो दूसरी मन में सोची हुई। कई बार एक ही समय काम में लाए जाने वाली दो पाठ योजनाएँ भी लिखित रूप में बनाई जाती थीं। अकसर परिस्थितियों के अनुसार भी यथासमय योजना बनाई जाती या बदलनी पड़ती थी।

नई रणनीति के अनुसार जब मैंने शिक्षण कार्य आरंभ किया तो सर्वप्रथम भाषा के मुख्य कौशलों विशेषत: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना को लेकर बच्चों से बात करना आरंभ किया। हम कोई भाषा क्यों पढ़ते हैं? भाषा पढ़ने से क्या-क्या लाभ हैं? (हिंदी) भाषा को अच्छे से पढ़ना-लिखना सीख लेने से दूसरे विषयों (सामाजिक विज्ञान, विज्ञान आदि) को बेहतर ढंग से सीखने में कैसे मदद मिल सकती है? जैसे सवालों पर अकसर चर्चा की जाती थी। लगभग प्रतिदिन या बीच-बीच में शिक्षण कार्य आरंभ करने से पहले मैं, योजित किए गए किसी एक कौशल पर भी अवश्य बात किया करता था, जैसे— 'सुनने' को लेकर बच्चों को हमेशा यही समझाने का प्रयास किया कि यह एक कौशल है। कोई भी कौशल स्वयं नहीं आ जाता, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। (साइकिल चलाने और मैकेनिक बनने के उदाहरण इसके साथ जोड़े जाते।) हम किसी की बात को कितनी देर तक सुन पाते हैं, यह एक

© NCERT not to be republished

अच्छी आदत है। यदि हम किसी की बात नहीं सुनेंगे तो दूसरा भी हमारी बात नहीं सुनेगा। किसी की बात ध्यान से सुनने पर हमारे बोलने में भी निखार आता है, जैसे बिंदुओं को लेकर बच्चों से निरंतर संवाद करता रहा। दो बार शिक्षाविद् कृष्ण कुमार के आलेख 'सुनने का कौशल' पर भी कक्षा में चर्चा की। कई बार मैं (लेखक) बच्चों से आग्रह कर लिया करता था कि 5–10 मिनट आप मेरी बात सुनना, उसके बाद आप लोग अपनी मर्ज़ी के अनुसार बातचीत या कोई अन्य पढ़ने-लिखने का काम करना चाहो तो कर सकते हो। इस मामले में मुझे कुछ सफलता अवश्य मिली थी, लेकिन कक्षा में बच्चों का ध्यानपूर्वक और तल्लीनता से किसी बात को सुनना हमेशा मेरे लिए एक चुनौती बना रहा।

'बोलने' के बारे में बच्चों को हमेशा यही समझाने का प्रयास किया कि ऐसे ही बोलना और सार्थक रूप से बोलने में अंतर होता है। कुछ गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को यह आभास दिलाने का भी प्रयास किया कि आप लोग बोलते तो बहुत हैं, लेकिन किसी केंद्रित विषय-वस्तु पर बोलने की बारी आती है तो 5–10 वाक्यों से अधिक नहीं बोल पाते हैं। कई बार पर्चियों पर अलग-अलग वस्तुओं के नाम लिखकर उन्हें उस पर 5 मिनट बोलने का टास्क दिया। अपने बारे में लगातार 5–10 मिनट बोलने या 25–30 वाक्य बोलने का अभ्यास कराया। कार्यशालाओं और कुछ आलेखों से बोलने के बारे में मुझे जो भी गतिविधियाँ सूझी थीं, उनका अभ्यास बच्चों से कराने की कोशिशें यथासमय करता रहा। बोलने और सुनने का कितना निकटस्थ संबंध है, यह कृष्ण कुमार के उपरोक्त आलेख के संदर्भ में बच्चों को समझाने का प्रयास किया।

पढ़ने को लेकर काफ़ी बातचीत और गतिविधियाँ बच्चों से कराई गईं। उन्हें बार-बार यह एहसास दिलाने का प्रयास किया कि पढ़ने का मतलब समझना होता है। यदि अपनी कक्षा स्तर की कोई विषय-वस्तु हमें पढ़कर समझ नहीं आई तो वह ठीक प्रकार से पढ़ना नहीं है। यदि पढ़े हुए के बारे में हम किसी को बता न पाएँ, उसके बारे में सवाल न पूछ पाएँ तो वह भी पढ़ना नहीं। पढ़ना हमेशा सार्थक रूप में होना चाहिए। पढ़ने के बारे में जितनी सैद्धांतिक बातें मैं जानता-समझता था, वे सभी बच्चों के साथ साझा करने की कोशिश की। इसलिए मैं बच्चों से जब भी कोई विषय-वस्तु पढ़वाता, तो उनसे कभी व्यक्तिगत रूप से या पूरी कक्षा से एक साथ अवश्य पूछता कि पढ़े हुए में से क्या-क्या बातें समझ में आई हैं। साथ ही पढ़ने की कई गतिविधियाँ भी कक्षा के साथ आरंभ की गईं, जैसे— राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान की पुस्तक के आधार पर, एक मिनट में कोई कितने शब्द पढ़ सकता है? दो-दो के समूह में पूरी कक्षा के शिक्षार्थी इस अभ्यास को करते थे। पहले एक मिनट समूह का एक बच्चा पढ़ता था और दूसरा उसका ध्यान रखता था कि वह शब्द या वाक्य छोड़कर तो नहीं पढ़ रहा। फिर दूसरा बच्चा पढ़ता था और पहले वाला उसकी जाँच करता था। बाद में दोनों के शब्दों को गिना जाता था और देखा जाता था कि किसने अधिक शब्द पढ़े।

यहाँ पर सवाल उठ सकता है कि क्या इसे सार्थक पढ़ना कहेंगे? या पढ़ने को लेकर दो बच्चों के बीच तुलना अथवा प्रतिस्पर्धा कहाँ तक उचित है? लेकिन यह समाज की उस गलाकाट प्रतियोगिता अथवा प्रतिस्पर्धा जैसी नहीं थी, जिसमें बच्चों को बुद्धिमान-कमज़ोर, छोटा-बड़ा करके

© NCERT not to be republished

देखा जाता है। उस समय परिस्थितियों को देखते हुए मुझे जो उचित लगा मैंने किया, क्योंकि मेरा प्रथम उद्देश्य बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि जाग्रत करना था।

दूसरी गतिविधि के रूप में श्यामपट्ट पर स्तर के अनुसार कॉलम बना दिए जाते थे, जैसे— पहले नंबर पर 7, दूसरे पर 6, तीसरे पर 5 आदि। ये कॉलम किसी कक्षा को दर्शाने वाले होते थे। फिर बच्चों से कहा जाता था कि वे बारी-बारी से पाठ्यपुस्तक के पाठ या अन्य चुने हुए टेक्स्ट को पढ़ें। जो बच्चा जिस गति, लय, प्रवाह से या जैसे भी पढ़ता था उसके बारे में पूरी कक्षा से विचार-विमर्श किया जाता था कि उसका स्थान किस स्तर पर आएगा। पूरी कक्षा चर्चा करके उस बच्चे का स्थान तय कर देती थी कि उसका स्थान 7, 6, 5... आदि में से किस स्थान पर आएगा। इसका निर्णय करने में कई बार कक्षा में तीखी बहसें भी होने लगती थीं। बड़ी मुश्किल से मामले को शांत करना पड़ता था।

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ऐसे तरीके ठीक तो नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इनसे बच्चों के बीच वर्गीकरण एवं विभेद होने लगता है तथा बच्चे स्वयं भी अपने-अपने समूह बनाने लगते हैं। कम या नीचे के स्तर पर रहने वाले बच्चे के आहत होने की भी पूरी संभावना रहती है और निचले स्तर पर रहने वाले बच्चों को कक्षा के अन्य बच्चे चिढ़ाने भी लगते हैं कि उन्हें पढ़ना नहीं आता या फिर उक्त काम ठीक से करना नहीं आता। ऐसा मैंने कई बार कक्षा में होते भी देखा था, लेकिन मेरे सामने उस समय बच्चों को जोड़े रखना और पढ़ने के प्रति उनमें रुचि जाग्रत करना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। मुझे संतोष तब मिलता था, जब बच्चे कालांश के तुरंत बाद या कुछ समय पश्चात् इस प्रकार के अभ्यास या गतिविधि के बारे में मुझसे चर्चा करते थे। यह बात मैं अच्छी तरह समझता था कि किसी बच्चे के पढ़ने के स्तर में एक या दो दिन में सुधार नहीं हो जाता। मुझे संतोष केवल पढ़ने के प्रति उनके उत्साह को देखकर होता था।

अन्य अभ्यास के रूप में कक्षा का कोई एक बच्चा चुने हुए टेक्स्ट का एक पैराग्राफ़ या कुछ भाग पढ़ता था, उसके बाद कोई अन्य शिक्षार्थी स्वैच्छिक रूप से या फिर चयनित किया हुआ, उसका भाव व अर्थ पूरी कक्षा को समझाता था। एक शिक्षक के तौर पर जब मुझे लगता था कि शिक्षार्थी द्वारा बताए गए भाव अथवा अर्थ में कुछ छूट गया है तो मैं, उसमें अपने दृष्टिकोण से कुछ जोड़ भी देता था। कई बार कक्षा के अन्य बच्चे भी उस अर्थ में कई नई बातें जोड़कर बताया करते थे। इस अभ्यास में सबसे अधिक तल्लीनता या जागरूकता तब बनती थी जब किसी बच्चे द्वारा पढ़ी गई विषय-वस्तु का भाव या अर्थ शिक्षक द्वारा स्वतंत्र रूप से चुनी गई कक्षा के किसी भी बच्चे को बताना होता था। इसीलिए पढ़ी जा रही विषय-वस्तु से अधिकांश बच्चे जुड़े रहते थे।

इन अभ्यासों के अलावा मुझे बी.एड. या डी.एल.एड. की विभिन्न पुस्तकों में पढ़ने के जो परंपरागत तरीके — सस्वर पठन, मौन वाचन, मुखर वाचन आदि या फिर नवाचारी तरीके मिले उनका मैंने अपने शिक्षण में खूब प्रयोग किया।

हिंदी के प्रति बच्चों का अधिक जुड़ाव न होने के कारण लिखने को लेकर अधिक जागरूकता के साथ काम करने की आवश्यकता होती थी। इसलिए सबसे पहला कार्य यह किया कि पूरी कक्षा को गृह

© NCERT not to be republished

कार्य देना बंद कर दिया। सब बच्चों के लिए नियम व निर्देश था कि दिया जाने वाला लिखने का कार्य कक्षा में ही पूरा करना होगा। यदि किसी कारणवश या कालांश समाप्त होने पर कार्य अधूरा छूट भी जाता है तो उसे वहीं छोड़ दिया जाए। यदि आवश्यक लगे तो घर जाकर पूरा कर सकते हैं अन्यथा नहीं, लेकिन कक्षा में कराया जाने वाला काम उसी समय करना सबके लिए अनिवार्य था। इस मामले में मैं भले ही कितना भी दृढ़ हुआ, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे कि जब तक उनके पास या कहूँ कि उन पर ध्यान देता था तो वे अपना काम करते थे और थोड़ा-सा ध्यान हटते ही काम करना बंद कर देते थे। ऐसे बच्चों से गृह कार्य कराना तो बहुत दूर की बात थी। इस नियम का सबसे बड़ा लाभ मुझे यह मिला कि बच्चे धीरे-धीरे लिखने का काम करने लगे, जबकि वे लिखने से बहुत बचते थे। साथ ही जब बच्चे लेखन अभ्यास कार्य किया करते थे तो मैं उनके लेखन पर उसी समय एक-एक के पास जाकर उन्हें व्यक्तिगत रूप से फ़ीडबैक दिया करता था। सही मात्रा प्रयोग, विभिन्न शब्दों के मानक रूप, सही वाक्य संरचना आदि पर बच्चों से कभी व्यक्तिगत रूप में तो कभी सामूहिक रूप में लगातार बातचीत होती रही। इसी बीच मौका मिलने पर किसी बच्चे के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करते हुए मैं थोड़ी हँसी-मज़ाक भी कर लिया करता था।

कुछ अन्य लेखन अभ्यास कार्य जो कक्षा में किए गए, वे इस प्रकार थे—पढ़े हुए में से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्द चुनकर उन पर वाक्य बनाना। इन सब की परिभाषा या अवधारणा पर पढ़ाते समय मैं पूर्व में ही बातचीत कर लिया करता था। कोई परिभाषा लिखाने या श्यामपट्ट पर समझाने की आवश्यकता होती थी तो वह भी करता। टेक्स्ट से बहुवचन शब्द चुनकर लिखना, एकवचन शब्द चुनकर उनके बहुवचन बनाना। पढ़ी गई विषय-वस्तु से चुने हुए शब्दों, वाक्यों या पैराग्राफ़ के खाली स्थान पूरे करना। कक्षा में जाने से पूर्व ही इस प्रकार का अभ्यास तैयार करना होता था। शिक्षक द्वारा स्वनिर्मित किए गए विविध प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पढ़े गए टेक्स्ट से समझकर लिखना। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि शब्दों से तीन-तीन, चार-चार या इससे अधिक प्रश्नों का निर्माण करना। पढ़ाए गए पाठ का सारांश लिखना। पाठ से चुने गए शब्दों के अर्थ लिखकर उन पर वाक्य बनाना। पाठ से विभिन्न वर्णों ह, त, द, न, म ... आदि से बने शब्दों को चुनना। पाठ में आए पात्रों की चारित्रिक विशेषताएँ लिखना। पाठांत प्रश्नों को ओपन टेस्ट के रूप में हल करवाना। जिन वाक्यों के अंत में—है, हूँ, था, थी आदि शब्द आए हैं, उन्हें चुनकर लिखना आदि।

एक अन्य अभ्यास जिसे करना बच्चे काफ़ी पसंद किया करते थे—समस्त कक्षा के बच्चों को दो-तीन या अधिक समूहों में बाँटकर समूह का एक-एक लीडर बनाया जाता। क्रमानुसार समूहों में से एक-एक बच्चे का चुनाव करके शिक्षक द्वारा दिए गए किसी एक वर्ण यथा न, झ, व, श...आदि से एक-दो मिनट में श्यामपट्ट या कॉपी पर उससे बनने वाले शब्दों को लिखना होता। शब्द लिखते समय समूह के अन्य बच्चे अपने प्रतिनिधि साथी की शब्द ढूँढने, लिखने, शब्द का सही रूप बताने आदि में मदद कर सकते थे। बाद में मानक रूप में न लिखे गए शब्दों को नकारते हुए यह देखा जाता था कि किस

© NCERT not to be republished

समूह का बच्चा निश्चित समय में कितने अधिक शब्द लिख पाया है। इस अभ्यास को मैं मिलते-जुलते शब्द, जैसे— जाता, लाता, खाता, माता। राम, दाम, नाम, काम तथा शब्द से वाक्य बनाने के रूप में और कठिन बनाता जाता था। इस अभ्यास को कई अन्य रूपों में भी बदल कर किया जाता था।

किसी एक तरीके से कक्षा में काम करते हुए जब एक-दो सप्ताह बीत जाते और मुझे कोई नया अभ्यास नहीं सूझता, तो सलाह के रूप में मैं पूरी कक्षा से पूछता था कि पढ़ने-लिखने के और क्या-क्या अभ्यास हम कर सकते हैं? कई बार बच्चे कारण सहित बहुत अच्छे सुझाव देते थे। जैसे एक बार पूछने पर उन्होंने कहा कि सप्ताह में एक दिन हमें इमला बोलिए, एक दिन हम दो-तीन पृष्ठ लेखन करेंगे। इससे हमारी मात्रा अथवा वर्तनी संबंधी गलतियाँ ठीक होंगी। इमला से हमें शब्दों को सही रूप में सुनने का अभ्यास होगा। मुझे ये सुझाव काफ़ी अच्छे लगे। और इन्हें मैंने अभ्यास के रूप में कक्षा में यथा समय किया भी। इमला बोलने के बाद मैं बच्चों को बता दिया करता कि किस विषय-वस्तु से इमला बोली गई है। इसके बाद वे स्वयं ही उससे मिलान करते हुए अपनी वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करते। कभी-कभी जोड़े बनाकर एक-दूसरे की कॉपी की जाँच किया करते। किसी विषय-वस्तु के ऊपर प्रश्न निर्माण को लेकर बच्चों ने बताया था कि इससे उन्हें सोचने का काफ़ी मौका मिलता है।

किसी विधा को पढ़ाने से पहले मैं उसके स्वभाव-स्वरूप के बारे में भी बच्चों से अवश्य बात करता था। इससे बच्चों को कहानी, निबंध, संस्मरण, कविता आदि के स्वरूप में अंतर की भी कुछ-कुछ समझ होने लगी थी। विभिन्न अवसरों पर इनके स्वतंत्र लेखन का भी बच्चों ने अभ्यास किया। समान स्वरूप वाले, यथा— कहानी-ललित निबंध, संस्मरण-रेखाचित्र, डायरी-आत्मकथा अंश आदि के स्वभाव-स्वरूप में अंतर खोजकर वे लिखने लगे थे, लेकिन ऐसा कक्षा के कुछ ही बच्चे कर पाते थे।

मैं हमेशा अपनी पाठ योजना में विविधता लाते हुए उसे लगातार दो-तीन या अधिक सप्ताह के बाद बदलने की कोशिशें भी किया करता था, क्योंकि एक ढर्रे पर या एक प्रकार की योजना के साथ काम करते हुए बच्चे ऊबने लगते थे। मुखर प्रवृत्ति के होने के कारण कई बार तो वे बोल भी दिया करते थे कि सर अब पढ़ने-लिखने में मज़ा नहीं आ रहा है।

इसी बीच मैंने अनुभव कर लिया था कि बच्चे किसी बड़े (लंबे) टेक्स्ट में अधिक समय तक जुड़े नहीं रहते हैं या फिर उसे आधे-अधूरे मन से ही पूरा करते हैं। इसलिए मैंने हमेशा इस प्रकार का टेक्स्ट चुना जो एक कालांश में काम करने के लिए पर्याप्त हो। वैसे मैं बच्चों की पाठ्यपुस्तक ही काम में लिया करता था। क्योंकि वह सबके पास उपलब्ध थी। इसलिए उसके जिस पाठ की कविता, कहानी, निबंध, संस्मरण आदि का मैं चुनाव करता तो उसे दो, तीन, चार या उससे अधिक भागों में विभक्त कर लेता। एक कालांश के लिए पाठ के चुने गए एक हिस्से पर ही पाठ योजना बनाता। एक पाठ योजना के भी दो भाग होते थे, जैसे कि एक कालांश के आधे समय में बच्चों का विषय-वस्तु को पढ़ना-समझना। वह स्वतंत्र रूप से हो या शिक्षक की सहायता से अथवा ऊपर इंगित पढ़ने की किसी भी गतिविधि के माध्यम से। कालांश के दूसरे आधे समय में लेखन अभ्यास

© NCERT not to be republished

कार्य। किसी टेक्स्ट के जितने हिस्से को बच्चे पढ़कर समझते थे, उतने से ही उन्हें लेखन कार्य दिया जाता था। दिए जाने वाले कार्य में हमेशा विविधता लाने का प्रयास किया जाता, जिससे कि पढ़ने-लिखने में रोचकता बनी रहे।

निष्कर्ष

शिक्षण के लिए बिना किसी प्रकार का टी.एल.एम. बनाए, मैं अपनी सीख-समझ और सामर्थ्य के अनुसार लगन के साथ कक्षा में काम करता रहा। समय के साथ-साथ वह कक्षा 7 से कक्षा 8 के रूप में तब्दील हो गई। ज्ञात नहीं किस कारण से एक दिन अचानक कक्षा के बच्चों ने पढ़ने से मना कर दिया और मैदान में जाकर खेलने की ज़िद करने लगे, तभी कक्षा का सबसे उद्दंड बच्चा पूरी कक्षा से भिड़ गया और बोला, नहीं सर हम खेलेंगे नहीं, पढ़ेंगे; आप पढ़ाइए। आप जैसे काम करा रहे हैं उससे पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। उसी का प्रतिरूप उसका एक दोस्त भी उसके पक्ष में खड़ा हो गया और अन्य बच्चों से पढ़ने का आग्रह सा करने लगा। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि दोनों लड़के बहुत आग्रह या प्यार से बात करने पर ही पढ़ने-लिखने का थोड़ा बहुत काम कर लिया करते थे। अन्यथा अधिकांश समय वे कक्षा शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न करते रहते थे। उनके साथ सामंजस्य बना पाना काफ़ी कठिन होता था। उस दिन आभास हुआ कि शायद मुझे अपने काम में कुछ सफलता मिली है। इस घटना के कुछ समय बाद उसी कक्षा की एक लड़की से यूँ ही बातचीत करते हुए मैंने पूछ लिया कि, 'तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा किस विषय को पढ़ने में आता है? उसने हिंदी और गणित का नाम लिया। मेरा उससे तुरंत दूसरा सवाल था कि हिंदी पढ़ने में क्यों मज़ा आता है? उसने बताया कि आप कक्षा में जो अलग-अलग तरह के अभ्यास कराते हो, उन्हें करने में बहुत मज़ा आता है।

इस तथ्य को जानने-समझने के लिए मैंने कक्षा के कई अन्य शिक्षार्थियों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की तो कमोबेश ऐसा ही उत्तर सबकी ओर से मिला। तब मुझे एहसास हुआ कि विभिन्न तरह का पाठ्य अभ्यास भी बेहतर टी.एल.एम. का ही काम करता है। कक्षा में बिना टी.एल.एम. का प्रयोग किए भी मैंने बच्चों की पढ़ने-लिखने के प्रति रुचि जाग्रत होते देखी थी। उस कक्षा को पढ़ाना मेरे लिए भले ही काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मैंने उसके लिए कभी कोई टी.एल.एम. नहीं बनाया था, परंतु विविध तरह के पाठ्य अभ्यासों का निर्माण अवश्य किया था।

संदर्भ

दीवान, हृदय कांत. 2008. टी.एल.एम. बनाम टीचिंग ऐड. *बुनियादी शिक्षा— एक नई कोशिश*. अंक 18. पृष्ठ संख्या 9–13.

नवानी, दिशा और कमलेश चन्द्र जोशी. 2012. टी.एल.एम.— ज़रूरत या विशेषता. *शैक्षिक संदर्भ*. अंक 82. जुलाई-अक्तूबर 2012. पृष्ठ संख्या 59–73. एकलव्य फ़ाउंडेशन भोपाल की पत्रिका.

© NCERT not to be republished

शिक्षा में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के पुस्तकालय का योगदान

पूजा जैन*

पुस्तकालय प्रत्येक शैक्षिक संस्थान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में स्कूली शिक्षा के शीर्ष (अपेक्स) संस्थान के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.) की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह एक ऐसा संस्थान है, जो भारत में विद्यालयी शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए तथा विद्यार्थियों, शिक्षकों (सेवा-पूर्व एवं सेवारत) एवं अन्य हितधारकों के लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण, पाठ्यपुस्तकें एवं अन्य शिक्षण-अधिगम सामग्रियों के विकास तथा विस्तार की सेवाएँ प्रदान करता है। इस लेख में रा.शै.अ.प्र.प. पुस्तकालय के सभी सक्रिय अनुभागों, प्रमुख संसाधनों एवं सेवाओं के बारे में बताया गया है। साथ ही, इस पुस्तकालय की विद्यालयी शिक्षा में भूमिका एवं वर्तमान में पुस्तकालय के बदलते स्वरूप पर भी चर्चा की गई है। इस लेख में यह भी बताया गया है कि किस प्रकार पुस्तकालय आधुनिक युग में ऑनलाइन उपलब्धता बेहतर बनाते हुए डिजिटल पुस्तकालय के माध्यम से अपने संसाधनों एवं सेवाओं को प्रासंगिक करते हुए अपना दायित्व पूरा कर रहा है।

पुस्तकालय का शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण स्थान है चाहे वह स्कूली स्तर पर हो या उच्च शिक्षा स्तर पर। पुस्तकालय का उपयोग शिक्षा को नया रूप देने एवं सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने में किया जाता है। पुस्तकें, मनुष्य की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं और मनुष्य को विषम परिस्थितियों में सहायता प्रदान करती हैं। पुस्तकों को पढ़ने एवं समझने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। कुछ लोगों को पुस्तक पढ़ने में आनंद आता है तथा उन्हें पुस्तकों का संग्रह करना भी अच्छा लगता है।

एक शांत कक्ष, अनेक किताबें, कई लोग, फिर भी चुप। ऐसे किताबों से भरे कक्ष को पुस्तकालय या लाइब्रेरी कहते हैं। अपने स्कूल या कॉलेज के दौरान हम सभी कई बार पुस्तकालय गए होंगे। पुस्तकालय का अर्थ पुस्तकों का स्थान है। पुस्तकालय में कई प्रकार की किताबों का संग्रह होता है। यहाँ पर प्रत्येक उम्र के व्यक्ति के लिए उसकी रुचि के अनुसार किताबें उपलब्ध रहती हैं।

सभी व्यक्तियों द्वारा, सभी विषयों की पुस्तकें खरीदना आसान नहीं है। प्रत्येक विद्यार्थी, व्यक्ति एवं आर्थिक रूप से अक्षम लोग महँगी-महँगी पुस्तकें नहीं खरीद सकते। उनके लिए पुस्तकालय, पुस्तके पढ़ने का बहुत ही सुगम एवं आसान माध्यम है। पुस्तकालय में एक बार किताब आ गई, तो वह

**सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष*, पुस्तकालय एवं प्रलेखन प्रभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली 110016

© NCERT not to be republished

कई लोगों द्वारा पढ़ी जाती है। लोग उसे पढ़कर पुस्तकालय को लौटा देते हैं, जो फिर किसी अन्य व्यक्ति के पढ़ने के काम आती है। इसके अलावा, पुस्तकालय में व्यक्ति निःशुल्क या न्यूनतम मासिक शुल्क देकर कई पुस्तकें पढ़ सकता है एवं अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकता है।

पुस्तकालय का वातावरण बहुत शांत होता है। वहाँ पाठकों को बात न करने की सूचना दी जाती है। पुस्तकालय में अलग-अलग जगहों पर कृपया शोर न करें, शांति बनाए रखें जैसे वाक्य लिखे होते हैं। पुस्तकालय में बैठकर पढ़ने के लिए मेज़-कुर्सियों की सुविधा दी जाती है। यहाँ बैठकर व्यक्ति शांतिपूर्वक एवं एकाग्रचित्त होकर अपना पूरा ध्यान किताब पढ़ने में लगा सकता है। यहाँ पढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिलता है, जिससे विद्यार्थी अपनी परीक्षा एवं प्रतियोगिता की तैयारी आराम से कर सकते हैं।

प्रत्येक व्यक्ति की अलग-अलग विषयों की किताबें पढ़ने में रुचि होती है। बच्चे, बूढ़े, जवान किसी भी उम्र का व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार पुस्तकों को पढ़कर अपना ज्ञानवर्धन कर सकता है। साथ ही, अलग-अलग विषयों पर पुस्तकें पढ़ने से व्यक्ति में हर क्षेत्र का ज्ञान बढ़ता है, जैसे— कॉमिक्स, किस्से कहानी, उपन्यास, नाटक, वैज्ञानिक शोध, शोध सर्वेक्षण, शब्दकोश, संदर्भ पुस्तकें, नीतिगत दस्तावेज़, पत्र-पत्रिकाएँ आदि पढ़ने से व्यक्ति में ज्ञान का विकास होने के साथ-साथ काल्पनिकता, जागरूकता तथा बौद्धिक सृजनात्मकता का विकास होता है। पढ़ाई से संबंधित किताब पढ़ने से व्यक्ति शिक्षित होकर अपने जीवन में आगे बढ़ता है। पुस्तकालय में कई ऐतिहासिक किताबें भी उपलब्ध रहती हैं, जिसे पढ़कर व्यक्ति देश और दुनिया के रोचक इतिहास एवं ज्ञान को समझ सकता है।

प्रत्येक पुस्तकालय अपने मूल संगठन के उद्देश्यों को पूर्ण करने में अहम भूमिका निभाता है। उसी प्रकार स्कूली पुस्तकालय के उद्देश्य भी स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों में मददगार साबित होते हैं, जैसे कि विद्यार्थियों और शिक्षकों के उपयोग के लिए अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाना, पढ़ने की रुचि विकसित करना और बढ़ावा देना, विभिन्न प्रकार के स्रोतों के बारे में प्रशिक्षित कर उनके उपयोग को प्रोत्साहित करना, जो भविष्य में स्कूली या उच्च शिक्षा में अनुसंधान एवं अध्ययन में मददगार साबित होता है। स्कूल में पुस्तकालय की सुविधा बच्चों के मन में पुस्तकालय का स्थान बनाने के साथ-साथ पढ़ने की आदत को भी विकसित करती है।

पुस्तकालय को अनिवार्य घटक बताते हुए *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* में स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर पुस्तकालय का उपलब्ध होना एवं साथ ही उनके कार्यात्मक (फ़ंक्शनल) होने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें शिक्षकों एवं बच्चों को पुस्तकालय में उपलब्ध संसाधनों के बारे में जानकारी एवं उसका उपयोग करने के लिए प्रेरित एवं प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। छुट्टियों में स्कूली पुस्तकालय को खुला रखने का सुझाव भी दिया गया है, जिससे कि बच्चों में पढ़ने की रुचि, एकाग्रता एवं आनंद में वृद्धि हो सके। इसके अंतर्गत स्कूली पुस्तकालय में नई सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए शिक्षकों एवं बच्चों को दुनिया भर से जोड़ने के बारे में भी उल्लेख किया गया है। इस बात पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया है कि पुस्तकालयों को अन्य रूपों

© NCERT not to be republished

में भी जैसे कि चर्चा के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रदर्शन (शिल्पकार), कहानी सुनने व सुनाने के लिए, के उद्देश्य से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ में यह भी उल्लेख किया है कि सप्ताह में कक्षा के एक पीरियड की अवधि बच्चों में पढ़ने की आदत और अन्य उद्देश्यों को पूरा करने में शायद ही सक्षम होगी।

भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा (2018–19 से) के अंतर्गत 'पढ़े भारत बढ़े भारत' की गतिविधियों के पूरक के रूप में तथा सभी उम्र के विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत को पोषित करने के लिए विद्यालयों के पुस्तकालयों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए केंद्र प्रायोजित योजना, सरकारी स्कूलों के लिए पुस्तकालय अनुदान के माध्यम से पुस्तकें क्रय करने का प्रावधान है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2017 में ज्ञात हुआ कि किताबें पढ़ने से बच्चों की उपलब्धि में सुधार होता है। भारत सरकार द्वारा पहली बार प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक के स्कूलों के लिए अलग से वार्षिक पुस्तकालय अनुदान का प्रावधान किया गया है, जो 5,000 से 20,000 तक है। इससे विद्यार्थियों में समझ के साथ पढ़ने की प्रक्रिया सुविधाजनक होगी, जिसमें पुस्तकालय संसाधनों का सहजता से उपयोग किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी समुदाय एवं शिक्षण संसाधनों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए पुस्तकों तक पहुँच और उपलब्धता बेहतर करने की आवश्यकता पर बल दिया है। इस नीति में यह अपेक्षा की गई है कि सभी समुदाय एवं शिक्षण संस्थान, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, ऐसी पुस्तकों की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे जो कि सभी शिक्षार्थियों, जिसमें नि:शक्तजन एवं विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थी, सामाजिक तथा आर्थिक रूप से वंचित लोगों के साथ-साथ ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों में रहने वालों की आवश्यकताओं और रुचि को पूरा करते हों। इस हेतु पुस्तकों की ऑनलाइन उपलब्धता बेहतर बनाने एवं डिजिटल पुस्तकालय को अधिक व्यापक बनाने हेतु कदम उठाने की अनुशंसा की गई है। साथ ही विद्यालयों के पुस्तकालयों को समृद्ध करना, वंचित क्षेत्रों में ग्रामीण पुस्तकालयों एवं पठन कक्षों की स्थापना करना, भारतीय भाषाओं में पठन सामग्री उपलब्ध कराना, बाल-पुस्तकालय एवं चल-पुस्तकालय खोलना, पूरे भारत में और विषयों पर सामाजिक पुस्तक क्लबों की स्थापना व शिक्षण संस्थानों और पुस्तकालयों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है

भारत में स्कूली शिक्षा के शीर्ष (अपेक्स) संस्थान के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.) की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो वैश्विक स्तर पर स्कूली शिक्षा में अपने योगदान के लिए विख्यात है। जैसा कि शिक्षा ही विकसित राष्ट्रों के विकास का आधार मानी जाती है, उसी प्रकार पुस्तकालय, शिक्षा के चार स्तंभों में से एक है। इंटरनेशनल फ़ेडरेशन ऑफ़ लाइब्रेरी एसोसिएशन्स एंड इंस्टीट्यूशंस (ईफला) के स्कूल लाइब्रेरी मेनिफ़ेस्टो के अनुसार पुस्तकालय ज़िंदगी भर सीखने के कौशल को विकसित करने के साथ विद्यार्थियों को ज़िम्मेदार नागरिक बनाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा मानव को सक्रिय और चलायमान बनाती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् एक स्वायत्तशासी

© NCERT not to be republished

संगठन है, जोकि शिक्षा पाठ्यक्रम, शिक्षण सहायक सामग्री, पाठ्यक्रमों के दिशा-निर्देश, पाठ्यपुस्तकों के विकास, शिक्षक-प्रशिक्षण एवं शिक्षा के अंतःविषय से संबंधित क्षेत्रों में निरंतर अनुसंधान कर रहा है। पुस्तकालय के संदर्भ विभाग में नवीनतम विश्वकोश, गजट, शब्दकोश और संदर्भ साहित्य का अच्छा संग्रह है।

सभी अकादमिक पुस्तकालयों में स्कूली पुस्तकालय एक ऐसा आधार है, जो किसी भी विषय में नई जानकारी से लेकर उसकी उत्पत्ति, संबंधित साहित्य एवं जीवन में समय-समय पर आने वाली चुनौतियों को भी पढ़ने के माध्यम से सुलझाता है एवं पाठकों को मानवीय सामाजिक एवं पेशेवर स्तर पर सभी परिस्थितियों का सामना करने हेतु तैयार करता है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् का पुस्तकालय

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के पुस्तकालय को एन.आई.ई लाइब्रेरी (नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ एजुकेशन लाइब्रेरी) भी कहा जाता है, जबकि पुस्तकालय का अधिकृत नाम पुस्तकालय एवं प्रलेखन प्रभाग है। यह पुस्तकालय सन् 1967 में रा.शै.अ.प्र.प. के विभिन्न स्वतंत्र विभागीय पुस्तकालयों के एकीकरण करने के फलस्वरूप अस्तित्व में आया। यह पुस्तकालय रा.शै.अ.प्र.प. के प्रांगण के बीचों-बीच स्थित है। रा.शै.अ.प्र.प. के पुस्तकालय के बाहर हिंदी वर्णमाला के स्वर्णाक्षरों से सुसज्जित मानव निर्मित एक ऐसा मनोहारी वृक्ष है, जो प्रत्येक आगंतुक को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह पुस्तकालय गोविंद बल्लभ पंत खंड, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली के तीनों तलो; भूतल, प्रथम व द्वितीय मंज़िल पर स्थापित है। यह पुस्तकालय शिक्षा और संबंधित क्षेत्रों में (सामान्य, पाठ्य और संदर्भ) पुस्तकों, शब्दकोशों, पत्रिकाओं और अन्य संबंधित सामग्रियों का एक समृद्ध संग्रह है। यह शिक्षा और इसके अंत:विषयों के क्षेत्र में देश

पुस्तकालय एवं प्रलेखन प्रभाग (रा.शै.अ.प्र.प. पुस्तकालय), नयी दिल्ली

© NCERT not to be republished

में सबसे अधिक संसाधनों वाला सूचना केंद्र है, जहाँ पर ज्ञान के स्रोत का विपुल भंडार है।

पुस्तकालय के भूतल पर नई पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएँ, अखबार, अधिग्रहण अनुभाग, परिचालन अनुभाग और संदर्भ अनुभाग एवं कार्यालय कक्ष है। यही नहीं पाठकों की सुविधा के लिए फ़ोटोकॉपी भी भूतल पर उपलब्ध है। प्रथम तल पूर्ण रूप से पुस्तकों को समर्पित है, जहाँ बहुपयोगी बहुविषयक पुस्तकें हिंदी, उर्दू, संस्कृत एवं अंग्रेज़ी में उपलब्ध हैं। इसी के साथ-साथ रा.शै.अ.प्र.प. पाठ्यपुस्तक आर-काइव (पुरालेख) भी बनाया गया है, जो अकादमिक सदस्यों एवं शोधार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसी तल पर एक सेमिनार कक्ष भी है। इसके अतिरिक्त द्वितीय तल पर सभी जिल्द (बाउंड) वाले जर्नल्स रखे गए हैं, ताकि शोधार्थी एवं पाठक उन्हें पढ़ सकें।

पुस्तकालय एवं प्रलेखन प्रभाग के प्रमुख कार्य

- स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा पर प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक संसाधनों आदि को प्राप्त कर, व्यवस्थित और उपलब्ध करना व प्रसारित करना।
- पारंपरिक संदर्भों, रेफरल सेवाओं और दस्तावेज़ वितरण सेवाओं के माध्यम से शिक्षाविदों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों का सहयोग करना।
- पुस्तकालय मैनुअल का विकास एवं उपयोग करने हेतु राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य संगठनों के पुस्तकालय कर्मियों की सेवा में सुविधा प्रदान करना।
- ग्रंथ सूची (बिबलियोग्राफ़ी), पुस्तकों की समीक्षा (बुक-रिव्यू), पत्रिकाओं की वर्तमान सामग्री (करंट कंटेंट), अखबारों की चयनित महत्वपूर्ण खबरें (न्यूज़क्लिप सिरीज़), नई पुस्तकों के आगमन (न्यू अराइवल) के बारे में सूचना देना एवं प्रसार करना।
- डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, डेलनेट (DELNET) के माध्यम से संसाधन साझा कर पाठकों को सुविधा प्रदान करना।
- पाठकों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना।

रा.शै.अ.प्र.प. पुस्तकालय की विद्यालयी शिक्षा में भूमिका

यह पुस्तकालय शिक्षा एवं उससे संबंधित विषयों पर संसाधनों का ऐसा भंडार है, जो कि विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहा है, जैसे–

- **विश्व स्तर पर**— पुस्तकालय एवं प्रलेखन प्रभाग विश्व के सभी पाठकों के लिए, जिन्हें पुस्तकालय में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने की आवश्यकता है, के लिए बिना किसी राशि के आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध करने तथा सभी अध्ययन सामग्री को पढ़ने एवं फ़ोटोकॉपी की सुविधा प्रदान करता है। यहाँ देशभर एवं विश्व के अन्य देशों, जैसे— कनाडा, यू.एस.ए., जापान आदि से अंतरराष्ट्रीय पाठक आते हैं जिससे पुस्तकालय के योगदान को विशेष महत्व मिलता है। इसके साथ पुस्तकालय की पूर्ण रूप से विकसित इंटरेक्टिव वेबसाइट एवं कंप्यूटरीकृत पुस्तकालय सेवाएँ बहुत ही सराहनीय हैं। वेब ओपेक और डेलनेट की सदस्यता लेने से सभी पाठकों को पुस्तकालय के 6,500 से अधिक संसाधन उपलब्ध हो

© NCERT not to be republished

जाते हैं। पुस्तकालय की वेबसाइट पर यूज़फूल लिंक्स एवं ईमेल द्वारा पाठकों की आवश्यकता के अनुसार उनके आग्रह पर सूचना भी प्रदान की जाती है।

- **राष्ट्रीय स्तर पर**—किसी भी पुस्तकालय का उद्देश्य उसके मूल संस्थान के उद्देश्य को पूरा करना होता है। रा.शै.अ.प्र.प. का पाठ्यपुस्तकों को विकसित करने के अलावा प्राथमिक उद्देश्य सभी राज्यों की विशिष्ट ज़रूरतों के अनुसार पाठ्य एवं प्रशिक्षण सामग्री विकसित करना व उनका प्रशिक्षण देना है। परिषद् के इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अभी तक कई मैनुअल्स तैयार किए गए हैं एवं उनका प्रसार भी किया जा रहा है, जैसे— प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए कक्षा पुस्तकालय के प्रबंध एवं गतिविधि से संबंधित मैनुअल, स्कूली पुस्तकालय के कंप्यूटरीकृत एवं आधुनिकीकरण से संबंधित मैनुअल। परिषद् के पुस्तकालय एवं उसके क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों (आर.आई.ई.) के पुस्तकालयों द्वारा विभिन्न राज्यों के एस.सी.ई.आर.टी. अथवा एस.आई.ई. एवं डायट (डी.आई.ई.टी.) के पुस्तकालयाध्यक्षों एवं पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए निरंतर ओरिएंटेशन एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, इस कार्यक्रम में पुस्तकालय से जुड़े कौशल अद्यतन करते हुए नई तकनीकी एवं प्रशासनिक जानकारी साझा की जाती है। इस तरह के कार्यक्रम पुस्तकालय पेशेवरों के लिए बहुत ही मददगार होते हैं। पुस्तकालय एवं प्रलेखन प्रभाग एवं आर.आई.ई. द्वारा राष्ट्रीय सेमिनार एवं सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं।

पुस्तकालय एवं प्रलेखन प्रभाग के कार्य के अनुसार अनुभाग

इस अनुभाग में पुस्तकालय प्रबंधन के ज़्यादातर आंतरिक कार्य होते हैं, जो पाठक को आभास ही नहीं होता है कि एक पुस्तक के चयन से लेकर पुस्तक की पाठक तक पहुँच बनाना एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम होता है। पुस्तकालय एवं प्रलेखन प्रभाग को प्रमुख कार्य के आधार पर पाँच अनुभागों में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार हैं—

1. **अधिग्रहण अनुभाग (एक्वीज़िशन सेक्शन)**— पुस्तकालय का अधिग्रहण अनुभाग पुस्तकों, संदर्भ पुस्तकों और बहु-खंड पुस्तकों की खरीद के लिए एक प्रक्रिया को अपनाता है, जिसके अंतर्गत परिषद् के अकादमिक अथवा नॉन-अकादमिक सदस्यों द्वारा अनुशंसित पुस्तकों की सूची जो कि विभागाध्यक्ष के द्वारा पुस्तकालयाध्यक्ष को भेजी जाती है, अनुभाग में कार्यरत कर्मियों द्वारा चेक की जाती है। इसके पश्चात् यदि पुस्तक लाइब्रेरी में उपलब्ध न हो तो आदेश पत्र (आर्डर प्लेस) जारी किया जाता है। जैसे ही पुस्तक बिल के साथ प्राप्त की जाती है, पुस्तक को सभी तरीकों से जाँचकर (शीर्षक, लेखक, प्रकाशन, प्रकाशन वर्ष, संस्करण इत्यादि) एक्सेशन रजिस्टर में चढ़ाया जाता है और एक नंबर दिया जाता है जो कि एक यूनिक नंबर होता है, जिसे एक्सेशन नंबर कहते हैं। यह एक्सेशन रजिस्टर प्रत्येक पुस्तक का बेसिक रिकॉर्ड होता है, जिसमें पुस्तक से संबंधित पूर्ण जानकारी होती है, जो भविष्य में भी काम आती है। इसके बाद पुस्तकों में स्टैंपिंग एवं अन्य प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए पुस्तकों को तकनीकी प्रक्रमण

© NCERT not to be republished

अनुभाग (टेक्निकल सेक्शन) में भेज दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष एन.आई.ई. के सभी विभागों को उनकी आवश्यकता एवं पिछले वर्ष में पुस्तकों पर व्यय राशि के अनुसार बजट आवंटित किया जाता है। आज के आई.सी.टी. युग में भी इस अनुभाग की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता है।

2. **तकनीकी प्रक्रमण अनुभाग (टेक्निकल सेक्शन)**— क्या आपने कभी सोचा है कि पुस्तकालय में उपलब्ध हज़ारों पुस्तकों में से पुस्तकालय कर्मचारी कैसे मिनटों में आपकी आवश्यकता के अनुसार पुस्तक निकाल कर देता है। यह तकनीकी प्रक्रमण के कार्य से संभव हो पाता है। तकनीकी सेवाएँ, दृश्य के पीछे की गतिविधियाँ हैं, जो पाठकों को प्रभावी पुस्तकालय सेवाएँ प्रदान करने के लिए सक्षम बनाती हैं। इन सेवाओं में वर्गीकरण (क्लासिफ़िकेशन), कैटलॉगिंग, सब्जेक्ट हेडिंग, डेटा एंट्री, चेकिंग और फ़िज़िकल प्रोसेसिंग (बुककार्ड, बुकपॉकेट, पुस्तक लौटाने की तारीख पर्ची, बारकोड लेबल का निर्माण और चिपकाना) जैसी प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं। अंत में पुस्तकों को उचित सत्यापन के बाद संबंधित अलमारी में रख दिया जाता है। पुस्तकालय में वर्गीकरण के लिए डी.डी.सी. (डीवे डेसीमल क्लासिफ़िकेशन) वर्गीकरण योजना, कैटलॉगिंग के लिए लाइब्रेरी सॉफ़्टवेयर में कंप्यूटरीकृत एंट्री की जाती है, जो ओपेक के रूप में सभी उपयोगकर्ताओं के द्वारा उपयोग किया जाता है।

3. **परिचालन अनुभाग (सर्कुलेशन सेक्शन)** — यह अनुभाग पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं (यूज़र) को पुस्तकों को जारी करने एवं वापसी करने की सेवाएँ प्रदान करता है। इस अनुभाग के सभी कार्य कंप्यूटरीकृत हैं और पुस्तकों का लेन-देन बारकोड तकनीकी पर आधारित है। सभी पंजीकृत पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं को बार-कोडेड पुस्तकालय सदस्यता कार्ड प्रदान किए जाते हैं, जो कंप्यूटरीकृत व्यवस्था में पुस्तकों को आरक्षित (रिज़र्व) करने की सुविधा भी प्रदान करता है।

4. **पत्र-पत्रिका अनुभाग (जर्नल्स सेक्शन)** — यह अनुभाग शोधार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनुभाग है। इस अनुभाग में कार्यरत कर्मचारी अग्रिम पत्रिकाओं की प्राप्ति, नवीनीकरण, आदेश, भुगतान, बजट खातों को तैयार करना, पत्रिकाओं की देरी से आपूर्ति पर स्मरण-पत्र एवं प्रत्येक तीसरे वर्ष सभी पत्रिकाओं का अकादमिक सदस्यों द्वारा समीक्षा का कार्य देखते हैं। वर्तमान में पुस्तकालय में 110 विदेशी पत्रिकाएँ अथवा जर्नल्स, दो ऑनलाइन डेटाबेस (जे स्टोर, डेलनेट), 44 ऑनलाइन जर्नल्स (जो कि प्रकाशित पत्रिकाओं के साथ ऑनलाइन फ्री में उपलब्ध हैं), 63 भारतीय पत्रिकाएँ, 18 समाचार-पत्र और रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा प्रकाशित सभी पत्रिकाएँ भी शामिल हैं।

5. **अनुरक्षण अनुभाग**— यह एक ऐसा क्रियाशील अनुभाग है, जो पुस्तकों की जिल्दसाजी से लेकर, उनके रख-रखाव की पूर्ण ज़िम्मेदारी लेता है, जैसे कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव इत्यादि, जिससे पुस्तकों की सुरक्षा की जा सके। स्टॉक सत्यापन अथवा वेरिफ़िकेशन एंड वीडिंग-आउट भी इसी अनुभाग की प्रक्रिया का हिस्सा है।

© NCERT not to be republished

पुस्तकालय एवं प्रलेखन प्रभाग (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, पुस्तकालय) का संकलन

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के पुस्तकालय की महत्ता इसमें संकलित विविध अध्ययन सामग्री से ही आँकी जा सकती है, क्योंकि यह शिक्षा और इसके अंतःविषयों के क्षेत्र में देश में सबसे अधिक संसाधन वाले सूचना केंद्रों में से एक है। पुस्तकालय के संदर्भ विभाग में नवीनतम विश्वकोश, शब्दकोश, गजट और संदर्भ साहित्य का अच्छा संग्रह है। पुस्तकालय में बच्चों के लिए बाल साहित्य एवं पत्रिकाएँ, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षण तकनीक, मनोविज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले समूहों की शिक्षा (इंक्लूसिव एजुकेशन), इतिहास शिक्षा, भाषा शिक्षा, नैतिक मूल्य शिक्षा, किशोरावस्था शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, सामाजिक विज्ञान शिक्षा, गणित शिक्षा आदि विषयों के लिए पुस्तकों का सबसे बड़ा संग्रह है। इसके अतिरिक्त स्कूली पाठ्यक्रम से संबंधित पाठ्य और पूरक पठन सामग्री के साथ-साथ विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट, शैक्षिक सर्वेक्षण एवं शोध सर्वेक्षण और नीति दस्तावेज़ भी पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। पुस्तकालय में हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेज़ी चार भाषाओं में पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएँ उपलब्ध हैं, जिसमें करीब 1,75,000 से अधिक पुस्तकें, पाठ्यपुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, सामान्य पुस्तकें, मैनुअल्स सर्वेक्षण रिपोर्ट्स इत्यादि शामिल हैं।

पुस्तकालय एवं प्रलेखन प्रभाग की सेवाएँ

1. **ओपेक अर्थात् ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग**—यह सार्वजनिक पहुँच के लिए लाइब्रेरी होल्डिंग्स की एक ऑनलाइन सूची है, जो कंप्यूटर एवं लाइब्रेरी सॉफ़्टवेयर की मदद से बड़े पैमाने पर पुस्तकों को खोजने (सर्च) की सुविधा प्रदान करती है। यह बूलियन ऑपरेटर (और या नहीं) का उपयोग करते हुए शब्द आधारित पुस्तकों को खोजने (सर्च) की सुविधा प्रदान करती है। यह सर्च शीर्षक, लेखक, वर्गीकृण, शीर्षक में शब्द, संयोजक के द्वारा भी किया जा सकता है। ओपेक उपयोगकर्ता को लाइब्रेरी होल्डिंग्स में अपनी पसंद के दस्तावेज़ खोजने की सुविधा देता है। इससे पत्रिकाओं की जानकारी, वर्तमान में प्राप्त नई पुस्तकों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। यह सुविधा हमेशा (24×7) वेबसाइट पर उपलब्ध है, अर्थात् पाठक वेब ओपेक की मदद से कहीं से भी पुस्तक की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
2. **परिचालन अथवा सर्कुलेशन सेवाएँ**—यह सेवा उपयोगकर्ता अथवा पाठक को सबसे ज़्यादा दिखाई देने एवं उपयोग की जाने वाली सेवा है। इस सुविधा में अकादमिक एवं प्रशासनिक सदस्यों को पुस्तकों को जारी करने की संख्या पुस्तकालय नियम पुस्तिका के अनुसार दी जाती है, जो कि दिए गए इस लिंक द्वारा पढ़ी एवं समझी जा सकती है। रा.शै.अ.प्र.प. पुस्तकालय चार अन्य प्रकार की सदस्यता सुविधा प्रदान करता है, जो निम्नलिखित हैं—

- आकस्मिक सदस्यता (यह सदस्यता उन सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है, जो पुस्तकालय में किसी उद्देश्य से सिर्फ़ संदर्भ पुस्तकों एवं फ़ोटोकॉपी की सुविधा से लाभान्वित होने आते हैं।)

© NCERT not to be republished

- विशेष सदस्यता (यह सदस्यता सेवानिवृत्त स्टॉफ़ के लिए है, जिसमें दो पुस्तकें जारी व वापसी करने की सुविधा प्रदान की जाती है।)
- बाहरी सदस्यता (यह सदस्यता बाहर के पाठकों के लिए ₹2000 की सुरक्षा राशि जमा करने पर उपलब्ध है, जिसमें दो पुस्तकें जारी व वापसी करने की सुविधा प्रदान की जाती है।)
- संस्थागत सदस्यता (यह सदस्यता शैक्षिक संस्थाओं के लिए ₹5000 की सुरक्षा राशि जमा करने पर उपलब्ध है, जिसमें तीन पुस्तकें जारी व वापसी करने की सुविधा प्रदान की जाती है।)

3. **फ़ोटोकॉपी सेवाएँ**—यह सुविधा पाठकों को किसी संदर्भ पुस्तक में से कुछ पृष्ठों की या पुस्तकों में से किसी पाठ की फ़ोटोकॉपी करने हेतु प्रदान की जाती है। यह सेवा जो पाठक दिल्ली के बाहर से या जो शिक्षक समय निकालकर पुस्तकालय आते हैं, उनके लिए विशेष महत्व रखती है।
4. **पठन सेवाएँ**—पुस्तकालय एवं प्रलेखन प्रभाग के भूतल, प्रथम एवं द्वितीय तल पर बैठने की व्यवस्था उपलब्ध है।
5. **संदर्भ सेवाएँ**—इस सेवा के अंतर्गत एक कर्मचारी पूर्ण रूप से पाठक की व्यक्तिगत सहायता के लिए कार्य करता है, वहीं पुस्तकालय का प्रत्येक कर्मचारी पाठक की मदद के लिए सदैव तत्पर रहता है।
6. **संसाधन सहभागिता**—यह डेलनेट (डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क) की संस्थागत सदस्यता के माध्यम से 6500 से अधिक पुस्तकालयों के कलेक्शन का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई पुस्तक रा.शै.अ.प्र.प., पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं है और डेलनेट डेटाबेस में दिल्ली के किसी अन्य पुस्तकालय में उपलब्ध है, तो सदस्य के आवेदन करने पर अपेक्षित पुस्तक दो से तीन दिन में उपलब्ध कराई जाती है।
7. **इंटरनेट अथवा वाई-फ़ाई सेवाएँ**—पुस्तकालय में इंटरनेट का उपयोग करने की सुविधा उपलब्ध है, जिसके माध्यम से पाठक पुस्तकालय में उपलब्ध ऑनलाइन सामग्री का अध्ययन कर सकते हैं।
8. **पुस्तकालय उन्मुखीकरण**—यह गतिविधि विद्यार्थियों एवं अन्य शैक्षिक समूहों को उनके रा.शै.अ.प्र.प. में शैक्षिक भ्रमण के दौरान की जाती है। उन्हें पुस्तकालय के सभी अनुभागों, संसाधन एवं सेवाओं के बारे में बताया और दिखाया जाता है।

इस पुस्तकालय की एक विशेषता यह है कि राजपत्रित अवकाशों के अलावा यह पूरे वर्ष खुला रहता है एवं अपने नाम में जुड़े प्रलेखन शब्द को सार्थक करते हुए ऐसे सूचना उत्पाद हर महीने तैयार करता है, जो पुस्तकालय के पाठक वर्ग को लाभान्वित करते हुए उनके ज्ञान कोश में वृद्धि करते हैं। यह सभी उत्पाद जैसे कि ग्रंथ सूची (बिब्लियोग्राफ़ी), किताबों की समीक्षा (बुक रिव्यू), पत्रिकाओं की वर्तमान सामग्री (करंट कन्टेंट), अखबारों की चयनित महत्वपूर्ण खबरें (न्यूज़क्लिप सिरीज़), नई पुस्तकों के आगमन (न्यू अराईवल) इत्यादि। इसके अतिरिक्त

© NCERT not to be republished

यह सभी सामग्री पुस्तकालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाती है।

पुस्तकालय एवं प्रलेखन प्रभाग का आधुनिकीकरण

वर्तमान में पुस्तकालय के संसाधनों एवं सेवाओं का प्रारूप बदल गया है, लेकिन पुस्तकालय एवं पाठक दोनों का उद्देश्य वही है। सूचना संसाधनों को पाठक अथवा यूज़र के पास पहुँचाना है। पुस्तकालय एवं प्रलेखन प्रभाग एक आधुनिक पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय का प्रत्येक अनुभाग पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत हो चुका है एवं पुस्तकालय की इंटरेक्टिव वेबसाइट भी है, जो निरंतर अद्यतित की जाती है। आज के आई.सी.टी. युग में वेबसाइट एक संस्थान की छवि होती है। अतः पुस्तकालय एवं प्रलेखन प्रभाग की पूर्ण रूप से विकसित वेबसाइट है, जो उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुस्तकालय की वेबसाइट को इंटरेक्टिव कहने से तात्पर्य यह है कि यूज़र की आसानी के लिए सभी महत्वपूर्ण आइकॉन होमपेज पर उपलब्ध हैं, जैसे— वेब ओपेक, डेलनेट, सभी सदस्यताओं हेतु फ़ॉर्म डाउनलोड एवं प्रिंट की सुविधा, पुस्तकों को रिज़र्व करने की सुविधा, सभी प्रलेखन उत्पादों का फुलटेक्स्ट वेबसाइट पर उपलब्ध होना, रा.शै.अ.प्र.प. की पाठ्यपुस्तकों की सभी भाषाओं में सूची उपलब्ध होना इत्यादि। उपरोक्त सेवाओं के अलावा जे स्टोर डेटाबेस की सुविधा भी पाठकों के लिए उपलब्ध है, जो हज़ारों जर्नल्स, पुस्तकों एवं अन्य संसाधनों को उपलब्ध कराता है।

वेबसाइट विज़िटर की संख्या से अनुमान लगाया जा सकता है कि पुस्तकालय की वेबसाइट को कितना ज़्यादा देखा या उपयोग किया जाता है। आज के इंटरनेट युग में वेबसाइट विज़िटर को भी पुस्तकालय यूज़र कहा जा सकता है। इसके साथ-साथ पुस्तकालय में पासवर्ड के आधार पर सभी पाठकों को वाई-फ़ाई इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाती है।

पुस्तकालय का बदलता स्वरूप

पुस्तकालय का उद्देश्य पाठकों को सही सूचना, सही समय पर उपलब्ध कराना है, परंतु अब पुस्तकालय का स्वरूप-प्रारूप बदल गया है। पहले भौतिक रूप से पुस्तकालय जाकर संसाधन एवं सेवाओं की उपलब्धता होती थी, जो अब इंटरनेट एवं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की मदद से हर समय (24×7) प्राप्त की जा सकती है। सबसे बड़ा बदलाव संसाधनों के प्रारूप में हुआ है, अब ज़्यादातर संसाधन इलेक्ट्रॉनिक फ़ॉर्मेट में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

पुस्तकालय एवं प्रलेखन प्रभाग की भावी योजना

पुस्तकालय में रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा प्रकाशित पुरातन सामग्री को डिजिटलाइज़ करने का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1975, 1988, 2000 एवं 2005 के आधार पर प्रकाशित पुस्तकों की विषय-वस्तु उपलब्ध कराई जाएगी। देश के सभी विद्यालयी पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है, जिसे तकनीक का उपयोग कर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाएगा।

निष्कर्ष

अत: यह कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पुस्तकालय का राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाओं (1975, 1988, 2000

एवं 2005) के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही विद्यालय स्तर की सभी कक्षाओं (पूर्व-प्राथमिक से बारहवीं तक) के लिए सभी विषयों हेतु पाठ्यपुस्तकों का लिखना, उनका नया संस्करण तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण सामग्री (मैनुअल्स) बनाना आदि जैसे लेखन तथा प्रसार में योगदान देना है। पुस्तकालय समय-समय पर मंत्रालय के अनुदेशों के पालन हेतु विभिन्न कार्यों को प्रभावी रूप से पूरा करने में हमेशा से ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है, जिस प्रकार शिक्षक, विद्यार्थियों की प्रतिभा को जान-पहचान कर तथा उनमें पूर्ण विश्वास जाग्रत कर उस प्रतिभा को सबके सामने दर्शनीय बनाता है, उसी प्रकार पुस्तकालय पढ़ने-लिखने की प्रक्रिया में पतवार की तरह मदद कर विद्यार्थियों के जीवन को उपलब्धि पूर्ण बनाकर गौरवान्वित जीवनयापन करने के लिए तैयार करता है।

इस पुस्तकालय की 50 वर्ष से अधिक की यात्रा सराहनीय एवं पूरे विश्व में 'शिक्षा' विषय में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। इस पुस्तकालय की भव्यता इसके प्राचीन एवं विशाल संसाधनों का संकलन एवं समय के साथ आधुनिक सॉफ़्टवेयर्स की मदद से नवीनीकरण की प्रक्रिया है। भविष्य में यह पुस्तकालय अपने संसाधनों के लिए एक लेखागार के रूप में होगा, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के द्वारा विकसित सामग्री को संरक्षित किया जा रहा है, जो भविष्य में पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी।

संदर्भ

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. *वार्षिक रिपोर्ट*. 19 दिसंबर, 2020 को https://ncert.nic.in/annual-report.php. से प्राप्त किया गया.

———. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली. 25 दिसंबर, 2021 को https://itpd:ncert-gov.in/course/view.php?id=931&section=8. से प्राप्त किया गया.

शिक्षा मंत्रालय. 2020. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

© NCERT not to be republished

माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों का निर्माण तथा शिक्षण-अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि पर विश्लेषणात्मक अध्ययन

लालचंद राम*

यह सर्वविदित है कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिंदी विषय पढ़ाया जा रहा है। पाठ्यक्रम भी निर्धारित है अर्थात् विद्यालयी शिक्षा में हिंदी अध्ययन-अध्यापन हेतु पाठ्यपुस्तकें भी निर्धारित की गई हैं। पढ़ने-पढ़ाने के लिए पाठ्यपुस्तकें एक प्रमुख साधन अथवा स्रोत होती हैं। इसलिए हिंदी पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता क्या है? और उसके शिक्षण-अधिगम को गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाया जाए, इस संदर्भ में एक शोध कार्य किया गया। इस शोध का प्रमुख कारण यह था कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में विगत कई वर्षों से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर की बोर्ड परीक्षाओं में अधिकतर विद्यार्थी हिंदी विषय की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो रहे थे। यह राष्ट्रीय चिंता का विषय रहा। अतः यह शोध कार्य उसी चिंता का समाधान खोजने के लिए किया गया। यह शोध पत्र भी इसी शोध परियोजना पर आधारित है।

इस शोध कार्य में विद्वान विषय-विशेषज्ञ, विषय के शिक्षक तथा विद्यार्थियों के सुझाव लिए गए। ये सुझाव मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के शिक्षकों तथा कक्षा 10 व 12 के 1,034 विद्यार्थियों से प्राप्त किए गए। शिक्षक तथा विद्यार्थी जो इस शोध में शामिल थे, उनमें 12 केंद्रीय विद्यालय, दोनों राज्यों के 24 सरकारी विद्यालय (बालक और बालिका), 12 अर्द्धसरकारी अथवा वित्तपोषित विद्यालय तथा 12 निजी विद्यालय शामिल थे। इस शोध परियोजना में शामिल न्यादर्श से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक निर्माण तथा हिंदी शिक्षण-अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि संबंधी प्रश्नावली, साक्षात्कार एवं प्रत्यक्ष चर्चा कर प्राप्त जानकारी एवं सुझावों का गुणात्मक विश्लेषण किया गया। इसी गुणात्मक विश्लेषण के आधार पर पाठ्यपुस्तक में भाषायी दक्षता या कौशल संबंधी सुझाव, हिंदी अध्ययन-अध्यापन संबंधी सुझाव, पाठ्यपुस्तक में दिए जाने वाले प्रश्न-अभ्यास संबंधी सुझाव, हिंदी भाषा साहित्य के मूल्यांकन संबंधी सुझाव, हिंदी अध्ययन-अध्यापन के समय सूचना एवं संचार तकनीक (आई.सी.टी.) के उपयोग संबंधी सुझाव तथा पाठ्यपुस्तक की गुणवत्ता संबंधी व्यापक सुझाव दिए गए हैं।

*प्रोफ़ेसर, भाषा शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली 110016

© NCERT not to be republished

किसी भी कक्षा के लिए कोई भी पाठ्यपुस्तक आदर्श नहीं हो सकती है। यह शिक्षक का दायित्व है कि वह सीखने वाले और अध्ययन सामग्री के बीच संतुलन बनाए रखे तथा उसमें अध्ययन सामग्री के निर्माण से लेकर अध्ययन सामग्री की उपलब्धता तक बच्चों के स्तर के अनुरूप ढालने की क्षमता हो। पाठ्यपुस्तकों के पक्ष में शिक्षाविदों एवं भाषाविदों का कहना है कि यह एक तरह की संगति एवं क्रमिकता लिए होती है तथा विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों के लिए एक निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्य प्राप्त करने की अध्ययन सामग्री प्रस्तुत करती है, जबकि कई शोधार्थियों का मानना है कि सभी विद्यार्थियों की ज़रूरतें एक ही तरह की नहीं होती हैं, अतः पाठ्यपुस्तकें इन विविधताओं को नज़रअंदाज़ कर एकसमान पाठ्यक्रम को जबरन लादती हैं और शिक्षकों को अपनी तरफ़ से किसी भी तरह का निर्णय लेने के अधिकार को छीनती हैं (ऑलराइट, 1981; लिटिलजॉन, 1992; हचिंसन और टोरेस, 1994)।

प्राथमिक स्तर और उससे पूर्व भाषा की पाठ्यपुस्तकें अधिक गंभीरता व संवेदना से लिखने की आवश्यकता है। इन्हें संदर्भपरक स्तर पर समृद्ध और सीखने वाले की रचनात्मकता को उचित चुनौती देने वाला होना चाहिए। इनमें केवल कविताएँ व कहानियाँ नहीं, बल्कि विधाओं एवं विषयों के एक बड़े फलक को होना चाहिए। साथ ही ऐसे अभ्यास प्रश्न भी होने चाहिए, जिनमें अत्यंत सूक्ष्म अवलोकन व विश्लेषण की आवश्यकता पड़े और जो अंततः मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति के सौंदर्यपरक संश्लेषण की ओर अग्रसर करे। उदाहरण के लिए, नक्शे व डिज़ाइन पाठ्यपुस्तकों के अभिन्न अंग होते हैं। पाठ्यपुस्तक लेखकों, नक्शे अथवा खाका बनाने वाले पेशेवरों और चित्र प्रस्तुत करने वालों को शुरू से ही एक साथ काम करना चाहिए और इस समूह के एक छोटे से दल को पाठ्यपुस्तक उत्पादन के साथ जुड़ जाना चाहिए। वस्तुतः भाषा, सोच और संस्कृति के बीच के संबंध को उद्घाटित करती है। सभी प्रकार के तकनीकी प्रयासों के बावजूद भी हम जानते हैं कि वस्तुतः साधारण बच्चे के लिए सीखने के स्रोत के रूप में पाठ्यपुस्तक ही प्रमुख स्रोत बनी रहेंगी। इसलिए यह ज़रूरी है कि इसे बहुत ही ध्यान से बनाया जाए। पाठ्यपुस्तक निर्माण की प्रक्रिया में विद्यार्थी और शिक्षकों के साथ लगातार चर्चा होती रहनी चाहिए। प्रतिपुष्टि की व्यवस्था विकसित कर हम पाठ्यपुस्तकों में लगातार सुधार ला सकते हैं (*भारतीय भाषाओं का शिक्षण,* राष्ट्रीय फ़ोकस समूह का आधार पत्र, पृष्ठ संख्या 24)।

शोध परियोजना का औचित्य

इस शोध परियोजना का आधार भारतीय भाषाओं का शिक्षण, राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र तथा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दोनों राज्यों में विगत वर्षों में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर की बोर्ड परीक्षाओं में अधिकतर विद्यार्थियों का हिंदी विषय में कमज़ोर निष्पादन होना था और अतः यह शोध कार्य उसी चिंता का समाधान खोजने के लिए किया गया, जिसमें शोधार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर की हिंदी भाषा साहित्य के शिक्षण की यथास्थिति का पता लगाने, पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता की जाँच करने तथा हिंदी अध्ययन-अध्यापन की स्थिति को

विद्यार्थियों, शिक्षकों की दृष्टि से परखने तथा हिंदी विषय के प्रति अध्यापकों अथवा विद्यार्थियों की धारणा या सोच को जानने, समझने, परखने तथा उसका आकलन करने की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण शोध परियोजना ली गई थी। यह परियोजना दो वर्ष छह माह (वर्ष 2017 से 2019) तक चली। इस शोध परियोजना में दो प्रदेशों (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश) के छह ज़िलों तथा उनके कुल 60 विद्यालयों (प्रत्येक ज़िले के 10 विद्यालय) को शामिल किया गया था। जिसमें शोध अध्ययन के लिए प्रत्येक ज़िले से यादृच्छिक रूप से दो केंद्रीय विद्यालय, चार सरकारी विद्यालय, जिसमें जी.आई.सी. (शासकीय इंटर कॉलेज), जी.जी.आई.सी. (शासकीय बालिका इंटर कॉलेज) अनिवार्य रूप से शामिल थे तथा दो निजी विद्यालय और दो सरकार द्वारा वित्तपोषित विद्यालय चयनित किए गए थे। चयनित ज़िले फ़ैज़ाबाद, बरेली और झाँसी (उत्तर प्रदेश) तथा ग्वालियर, होशंगाबाद और उज्जैन (मध्य प्रदेश) थे। प्रत्येक विद्यालय के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्यापन कर रहे शिक्षकों की राय ली गई। सभी विद्यालयों से यादृच्छिक रूप से 10 माध्यमिक स्तर, 10 उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की राय भी ली गई। जिसमें शिक्षक किस तरह की पाठ्यपुस्तक पढ़ा रहे हैं? वे किस तरह की पाठ्यपुस्तक पढ़ाना चाहते हैं? उनकी पाठ्यपुस्तक संबंधी क्या ज़रूरतें हैं? विद्यार्थियों की पाठ्यपुस्तक संबंधी क्या-क्या ज़रूरतें हैं? विद्यार्थियों और शिक्षकों की दृष्टि से हिंदी अध्ययन-अध्यापन कैसा हो रहा है और कैसा होना चाहिए? के बारे में राय ली गई।

शोध परियोजना के उद्देश्य

वस्तुत: पाठ्यपुस्तक के निर्माण में शोध का बहुत बड़ा योगदान होता है। यह शोध अध्ययन उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में पढ़ या पढ़ा रहे हिंदी के विद्यार्थियों, शिक्षकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश दोनों हिंदी प्रदेश हैं। दोनों में खान-पान, रहन-सहन, वेष-भूषा, पर्व, त्यौहार रीति-रिवाज, भाषा-बोली अर्थात् सांस्कृतिक एकता है। चूँकि दोनों प्रदेशों में मातृभाषा हिंदी है और हिंदी अध्ययन-अध्यापन की समृद्ध परंपरा रही है।

भूमंडलीकरण, सार्वभौमीकरण तथा उत्तर आधुनिक युग के बदलते समय एवं परिवेश में दोनों प्रदेशों में हिंदी अध्ययन-अध्यापन की स्थिति क्या है? माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा का अध्ययन-अध्यापन किस प्रकार हो रहा है? शिक्षक एवं विद्यार्थियों की हिंदी के प्रति क्या धारणा है? हिंदी के बारे में वे क्या सोचते हैं? हिंदी अध्ययन-अध्यापन को लेकर उनकी अपेक्षाएँ क्या हैं? साथ ही हिंदी भाषा को लेकर उनकी ज़रूरतें क्या हैं? चुनौतियाँ क्या हैं? उन चुनौतियों को दूर करने के उपाय क्या हैं? विद्यार्थी हिंदी भाषा के परिवेश में पैदा होता है। पढ़ता-लिखता है। उसकी मातृभाषा भी हिंदी है, उसके बावजूद माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिंदी अध्ययन-अध्यापन की स्थिति बहुत सराहनीय नहीं है। इसके क्या कारण हैं? जो पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थी पढ़ रहा है, क्या वह उससे संतुष्ट है? या वह उसमें परिवर्तन चाहता है? पाठ्यपुस्तक के बारे में उनकी क्या राय है? वह अध्यापक, जो वर्षों से हिंदी अध्ययन-अध्यापन से जुड़े हुए हैं, हिंदी की पाठ्यपुस्तकें पढ़ा रहे हैं,

© NCERT not to be republished

पाठ्यपुस्तकों के बारे में उनकी क्या राय है? वे किस प्रकार की हिंदी की पाठ्यपुस्तकें पढ़ाना चाहते हैं? शिक्षक-प्रशिक्षक जो हिंदी शिक्षकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, हिंदी भाषा के बारे में उनकी क्या राय है? हिंदी की पाठ्यपुस्तकों के बारे में उनकी क्या राय है? वे क्या सोचते हैं? शिक्षक-प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में शिक्षकों की क्या राय है? हिंदी भाषा के अध्ययन-अध्यापन के माध्यम से रचा जाने वाला संसार कैसा है और कैसा होना चाहिए? हिंदी भाषा के अध्ययन-अध्यापन की स्थितियाँ जीवंत और सराहनीय नहीं हैं तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं? इत्यादि के बारे में पता लगाना इस अध्ययन के उद्देश्य थे।

हिंदी पढ़ या पढ़ा रहे शिक्षकों को प्रशिक्षण कैसे दिया जा रहा है? उसकी गुणवत्ता क्या है? उसमें परिवर्तन की गुंजाइश है या नहीं? या वही पुराना ढर्रा अपनाया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान कौन-सी शिक्षाशास्त्रीय प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, कौन-सी प्रविधि काम कर रही है? बदलते हुए समय, परिस्थितियों के अनुसार शिक्षाशास्त्रीय प्रविधि अपनाई जा रही है या नहीं? वह शिक्षाशास्त्रीय प्रक्रिया हिंदी अध्ययन-अध्यापन के प्रति सकारात्मक माहौल पैदा करने के लिए सक्षम है या नहीं? क्या प्रशिक्षण के दौरान अध्ययन-अध्यापन की कोई नई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है अथवा नहीं? या उस तकनीक से हिंदी भाषा के अध्ययन-अध्यापन को प्रोत्साहन मिल रहा है या नहीं?

समय-समय पर नई पाठ्यपुस्तकों के कक्षा में प्रयोग किए जाने के तरीके बदलते रहे हैं, पढ़ने-पढ़ाने का ढंग भी बदलता रहा है। वह बदलाव हिंदी भाषा शिक्षण को बढ़ावा दे रहा है या उदासीनता का माहौल तैयार कर रहा है? अपेक्षित परिवर्तन कक्षा तक पहुँच रहा है कि नहीं? विद्यार्थी उसका लाभ ले रहा है या नहीं? आई.सी.टी. का प्रयोग या फिर विषय-वस्तु आधारित दृश्य-श्रव्य सामग्री के बारे में विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा शिक्षक-प्रशिक्षकों की क्या राय है? आदि अनेक मुद्दे इस शोध के केंद्र में हैं। शोध के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं—

- हिंदी के संदर्भ में भाषा शिक्षण संबंधी शिक्षा नीति के बारे में शिक्षकों एवं शिक्षक-प्रशिक्षकों की क्या धारणा या राय अथवा सोच है?
- माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई जा रही हिंदी पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता के प्रति विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षक-प्रशिक्षक की क्या धारणा या राय अथवा सोच है?
- हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक प्रक्रिया के नियोजन हेतु माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की क्षमता और माँग क्या है?
- हिंदी भाषा शिक्षण में आई.सी.टी. के प्रयोग को समेकित करने के लिए माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक अध्यापकों की क्षमताओं का विकास कैसे करें?
- हिंदी शिक्षण-प्रशिक्षण के क्षमता निर्माण कार्यक्रम में शिक्षक किस प्रविधि, पद्धति और प्रारूप को वरीयता अथवा प्राथमिकता देते हैं?
- हिंदी के विद्यार्थियों की शैक्षिक सम्प्राप्ति और शिक्षाशास्त्रीय तकनीक की मूल्यांकन रणनीति के लिए माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक अध्यापकों की अपेक्षाओं की विश्लेषणात्मक क्षमता क्या है?
- हिंदी अध्यापकों और उनकी शिक्षा रणनीति के प्रति माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर

© NCERT not to be republished

के विद्यार्थियों की क्या धारणा या राय अथवा सोच है?

- व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और उच्च शिक्षा में हिंदी भाषा के प्रति माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की क्या धारणा या राय अथवा सोच है?
- विभिन्न संस्थाओं और संगठनों द्वारा आयोजित हिंदी क्षमता विकास कार्यक्रम के प्रति शिक्षकों की क्या धारणा या राय अथवा सोच है?
- माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भाषा की कक्षा में शिक्षाशास्त्रीय प्रक्रिया के कार्यान्वयन में शिक्षक किस प्रकार की समस्याओं एवं चुनौतियों का सामना करते हैं?
- पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए? उसकी पाठ्यवस्तु कैसी होनी चाहिए? उसकी विषय-वस्तु कैसी होनी चाहिए? उसका स्तर कैसा होना चाहिए? यह शोध से ही पता चलता है। इस उद्देश्य से यह शोध कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

शोध परियोजना के आधार पर सुझाव

इस शोध परियोजना में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में पढ़ या पढ़ा रहे हिंदी के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक निर्माण तथा हिंदी शिक्षण-अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि संबंधी प्रश्नावली, साक्षात्कार एवं प्रत्यक्ष चर्चा कर प्राप्त जानकारी एवं सुझावों का गुणात्मक विश्लेषण किया गया। इसी गुणात्मक विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित बिंदुओं पर व्यापक सुझाव दिए गए हैं—

- पाठ्यपुस्तक में भाषायी दक्षता अथवा कौशल संबंधी सुझाव।
- हिंदी अध्ययन-अध्यापन संबंधी सुझाव।
- पाठ्यपुस्तक में दिए जाने वाले प्रश्न-अभ्यास संबंधी सुझाव।
- हिंदी भाषा साहित्य के मूल्यांकन संबंधी सुझाव।
- हिंदी अध्ययन-अध्यापन के समय सूचना एवं संचार तकनीक (आई.सी.टी.) के उपयोग संबंधी सुझाव।
- पाठ्यपुस्तक की गुणवत्ता संबंधी सुझाव।

शिक्षकों की राय और सुझाव के साथ ही जो लक्षित समूह हैं या जो पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों के लिए तैयार की जाती है, उसे प्रयोगकर्ता अर्थात् माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों से पाठ्यपुस्तक निर्माण संबंधी एवं हिंदी कक्षा अध्ययन-अध्यापन संबंधी सुझाव भी लिए गए थे।

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक निर्माण तथा हिंदी शिक्षण-अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि संबंधी शिक्षकों के सुझाव

पाठ्यपुस्तक में भाषायी दक्षता कौशल अथवा संबंधी सुझाव

भाषा-साहित्य की पाठ्यपुस्तक में भाषा के सभी कौशलों (सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एवं चिंतन) का विकास संदर्भित होना चाहिए। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षा स्तर ऐसा स्तर है, जहाँ से विषयों का चुनाव प्रारंभ होता है। कौन-सा विद्यार्थी किस धारा की ओर जाएगा (गणित-विज्ञान

© NCERT not to be republished

या सामाजिक विषय की ओर) वह यहीं से तय होता है। भाषायी पृष्ठभूमि में कमज़ोर विद्यार्थी विषय में भी कमज़ोर होगा, इसलिए इस स्तर पर भाषा-साहित्य की पुस्तकों का दायित्व है कि उसमें भाषा-कौशलों के विकास का भरपूर अवसर हो। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मनोवांछित विषय पर अपने विचार सुस्पष्टता के साथ रख सके, भाषा के सभी कौशलों (सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एवं चिंतन) का विकास सुनिश्चित कर सके। समझ के साथ सभी कौशलों की अभिव्यक्ति क्षमता का विकास कर सके, चिंतन कर सके आदि।

यह तभी संभव है जब पाठ्यपुस्तक में यह सब करने का स्रोत और अवसर उपलब्ध हो। भाषा की पाठ्यपुस्तक में भाषायी दक्षता संबंधी अभ्यास और गतिविधियाँ होने से ही विद्यार्थी को वह सब करने और करके सीखने का अवसर मिलेगा। शिक्षक पाठ संबंधी प्रदत्तकार्य एवं गतिविधियाँ स्वयं सुझा सकते हैं, इसलिए भाषा-साहित्य की पाठ्यपुस्तक को स्रोत के रूप में विकसित करने के लिए पाठ्यपुस्तक निर्माताओं को भाषा के कौशलों को सीखने-सिखाने संबंधी अभ्यास, गतिविधि, योग्यता-विस्तार आदि का प्रावधान करना ज़रूरी है। शिक्षकों की पाठ्यपुस्तकों में भाषायी दक्षता अथवा कौशल संबंधी विचार इस प्रकार हैं—

- हिंदी की बोलियों की रचनाओं को भी शामिल करना चाहिए, पर ये रचनाएँ सुगम और बोधगम्य हों।
- अन्य भारतीय भाषाओं के अच्छे अनुवादक रखें जाएँ तथा बहुभाषाविज्ञ रचनाकारों को बढ़ावा दिया जाए।
- प्रश्न-अभ्यास या योग्यता-विस्तार के अंतर्गत ऐसी गतिविधियाँ रखी जानी चाहिए, जिनके माध्यम से विद्यार्थी श्रवण, वाचन, लेखन एवं पढ़ने के कौशलों का विकास कर सके।
- भाषायी कौशल को ध्यान में रखते हुए ऐसे पाठों का चयन किया जाना चाहिए, जिनमें आँचलिकता का समावेश हो।
- पाठ्यपुस्तक में हिंदी के साथ-साथ अन्य विषयों पर आधारित एकीकृत पाठ हों।
- पाठ्यपुस्तक में दिव्यांग विद्यार्थियों, जाति, धर्म, जेंडर आदि की समानता स्थापित करने वाले पाठ हों।
- पाठ्यपुस्तकों में ऐसे पाठ शामिल हों, जिनमें भाषायी कौशल—सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना व चिंतन करना का क्रमबद्ध विकास हो सके।
- हिंदी व्याकरण को पाठ्यसामग्री में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए, जैसे— संधि, समास, अलंकार, क्रियाभेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रतिवेदन, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्ण-विन्यास आदि पाठ एवं प्रश्न होने चाहिए। नए शब्दों की खोज, उनके अर्थ के लिए समानार्थी, पर्यायवाची, विलोम आदि शब्द दिए जाने चाहिए।
- अन्य भारतीय भाषाओं तथा विदेशी भाषाओं के भी एक-दो पाठ पाठ्यक्रम में शामिल करने चाहिए ताकि विद्यार्थियों का शब्द भण्डार और अधिक समृद्ध हो।
- पाठ्यपुस्तक में भाषा की बात, कॉलम में व्यावहारिक व्याकरण से संबंधित प्रश्न तथा व्याकरण की सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न अवश्य होने चाहिए।

© NCERT not to be republished

- प्रश्न निर्माण, शब्द निर्माण, नए शब्दों की खोज आदि से संबंधित प्रश्न भी होने चाहिए।
- पढ़ना-लिखना, सुनना एवं बोलना, भाषा के चारों कौशलों के विकास हेतु वर्ण विचार, उच्चारण स्थान, सही मात्रा, व्याकरणिक ज्ञान आदि होना आवश्यक है। अत: पाठ के अंत में इस पर भी प्रश्न दिए जाने चाहिए ताकि चिंतन कौशल विकसित हो सके।
- आलेख तथा फ़ीचर प्रत्येक पाठ से संबंधित हो।
- पाठ्यपुस्तक में पत्र एवं निबंध लेखन को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- पाठ्यपुस्तक में भाषा सारगर्भित, बोधगम्य एवं सरल होनी चाहिए।
- पाठ्यपुस्तक में विषय-वस्तु के अनुसार सार्थक ऑडियो-वीडियो का लिंक या क्यू आर कोड देना चाहिए। साथ ही, आवश्यक ऑनलाइन स्रोतों की भी जानकारी देनी चाहिए।
- पाठ्यपुस्तक की भाषा दैनिक जीवन तथा परिवेश से जुड़ी तथा बोधगम्य होनी चाहिए।
- थोड़ा बहुत सभी भाषाओं के शब्द होने चाहिए।
- हिंदी प्रश्नोत्तरी विशेषकर व्याकरण संबंधी प्रश्नोत्तर के लिए वर्ग पहेली का निर्माण करना चाहिए।
- संवाद, वाद-विवाद, तात्कालिक आशु भाषण, प्रश्नोत्तरी निर्माण आदि विधाओं से संबंधित रचनाओं को शामिल करना चाहिए।
- कठिन शब्दों को बोल्ड करके उनका अर्थ उसी पृष्ठ पर दिया जाए, जिस पृष्ठ पर वह शब्द आए हों।
- सृजनात्मक गतिविधियों का समावेश होना चाहिए।
- आधुनिक विषयों और शब्दों को पाठ्यपुस्तक में जगह देनी चाहिए।

हिंदी अध्ययन-अध्यापन संबंधी सुझाव

पाठ्यपुस्तक चाहे जितनी बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण हो जब तक उसका अध्ययन-अध्यापन ठीक से नहीं होगा तब तक उसका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। अच्छी पाठ्यपुस्तक की खूबी यह होती है कि विद्यार्थी स्वत: उसे पढ़कर समझ सकें। यदि कुछ कठिनाई आती है तो वह अपने बड़ों, वरिष्ठों तथा शिक्षकों की मदद से समाधान खोज सकते हैं। पाठ्यपुस्तक बेशक बहुत गुणवत्तापूर्ण हो, अगर शिक्षक, प्रशिक्षित नहीं हैं, पुस्तक को कक्षा में पढ़ाने की रुचि नहीं है या फिर उसकी बेहतर तैयारी या समझ नहीं है तो उसका अध्ययन-अध्यापन दु:खद, ऊबाऊ और कठिन होगा। अध्ययन-अध्यापन के तौर-तरीकों में बहुत बदलाव आया है, अब सूचना एवं संचार तकनीक (आई.सी.टी.) का उपयोग होने लगा है। ऑडियो, वीडियो, कंप्यूटर तथा मोबाइल एवं टीवी का प्रयोग हिंदी-शिक्षण में होने लगा है। अतः शिक्षक को उनका कक्षा में प्रयोग किस स्तर तक हो रहा है, कैसे हो रहा है—उसके प्रति सजग रहना होगा।

शिक्षक-विद्यार्थी सही सूचना को कैसे संग्रह करें? और सूचनाओं के ढेर से ज्ञान का संचय कैसे करें? उसे व्यवहार में कैसे उतारें? यह चुनौती तो आ रही है, इसलिए शिक्षक की ज़िम्मेदारी है कि विद्यार्थियों को आई.सी.टी. का प्रयोग करते-कराते समय उसके लाभ-हानि तथा सदुपयोग-दुरुपयोग के बारे में बताएँ। इस बात का ध्यान रखें कि कहीं इन प्रयोगों की अधिकता से चिंतन क्षमता और सोचने-समझने की क्षमता या फिर मौलिकता का अभाव तो नहीं हो रहा है? आखिर मातृभाषा हिंदी

© NCERT not to be republished

पढ़ने वाला विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण क्यों हो रहा है? विद्यार्थी, हिंदी शिक्षण के प्रति उदासीन क्यों हो रहा है? यह चिंता का विषय है। सूचना क्रांति के बाद भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण के लाभ कुछ लोगों को हुए होंगे, किंतु कुछ चीज़ें नष्ट भी हुई हैं। भाषा, समाज और संस्कृति के क्षेत्र में बिखराव और गिरावट भी बहुत आई है। अंग्रेज़ी के वर्चस्व से भारतीय भाषाओं समेत हिंदी कमज़ोर हुई है। बोलने वालों की संख्या या शैक्षिक स्तर पर पंजीकरण अवश्य बढ़ा है, किंतु उसका आधार कमज़ोर हो रहा है। मातृभाषाओं का अध्ययन-अध्यापन हाशिए पर चला गया है। रोज़ी-रोटी से मातृभाषाएँ जुड़ नहीं पा रही हैं। यह सिर्फ़ अस्मिता और पहचान बनकर रह गई हैं। सवाल है कि जब वे बचेंगी तभी वह विकास करेंगी।

हिंदी अध्ययन-अध्यापन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लोगों में पढ़ने की आदत कम हो गई है। मिलने-जुलने, संवाद करने का अवसर कम हो रहा है, परिवार एकाकी होते जा रहे हैं। सामाजिक स्तर पर भी सामूहिकता सिकुड़ती जा रही है। हिंदी भाषा हिंदी समाज से थी। वह समाज अपने आचार-व्यवहार में बदल रहा है। अपनी दुनिया संकुचित कर रहा है। ऐसी स्थिति में हिंदी अध्ययन-अध्यापन सुचारु कैसे रहेगा? हम तमाम संकीर्णताओं को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। अपना आदर्श बदल रहा है। वह अंग्रेज़ी और विज्ञान, गणित तथा इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि से प्रतिस्पर्धा कर रहा है और हिंदी को न्यूनतम आँक रहा है, किंतु भाषायी दक्षता के बिना विषय की दक्षता हासिल नहीं कर सकते, इसलिए भाषा सीखना-सिखाना प्रभावी कैसे हो, यह देखा जाना अनिवार्य है। शिक्षकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों द्वारा हिंदी अध्ययन-अध्यापन किस प्रकार बेहतर किया जाए, इस संबंध में हिंदी शिक्षकों के हिंदी अध्ययन-अध्यापन संबंधी सुझाव इस प्रकार हैं—

- हिंदी अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण के गुणवत्तापूर्ण शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए।
- अध्यापकों को कक्षाध्यापन हेतु सूचना एवं तकनीकी साधनों के एकीकरण के लिए गहन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- आधुनिक शोधों, जैसे— क्रियात्मक शोध, कक्षा निरीक्षण शोध आदि को भी भाषा तथा साहित्य शिक्षण की प्रविधियों में शामिल किया जाना चाहिए।
- हिंदी भाषा तथा साहित्य शिक्षण में ई-अध्ययन सामग्री (ई-कंटेंट) का उत्पादन एवं उपयोगिता के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए तथा आवश्यक सामग्री का राष्ट्रीय स्तर पर निर्माण कर हिंदी अध्यापकों को उपलब्ध कराना चाहिए।
- समाजशास्त्रीय दृष्टि, आधुनिक शिक्षाशास्त्र एवं शिक्षण-विधि से संबंधित प्रशिक्षण का आयोजन करना चाहिए।
- अध्यापक को योजनाबद्ध ढंग से निश्चित, प्रेरक और रुचिकर तथा संदर्भित वातावरण से संबंधित उपयुक्त उदाहरणों से पढ़ाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों में अभिरुचि पैदा हो एवं हिंदी विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हो।
- सामाजिक घटनाओं और स्थितियों से जोड़कर पाठों की व्याख्या की जानी चाहिए।
- विद्यार्थियों को विषय पर बोलने एवं लिखने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए।

© NCERT not to be republished

- स्कूलों में समय-समय पर विषयों से संबंधित विशेषज्ञों को आमंत्रित करने और संवाद करने की व्यवस्था होनी चाहिए।
- साहित्य आधारित मंचन, गायन या फ़िल्मों के प्रदर्शन भी करने चाहिए, जिसके आधार पर सकारात्मक परिणाम मिल सकें।
- पाठों के चयन में बाल मनोविज्ञान एवं विद्यार्थियों की शैक्षणिक आवश्यकता का ध्यान रखा जाना चाहिए।
- काव्यात्मक शैली का प्रयोग न करके प्रश्नोत्तर और क्रियाकलाप विधि का प्रयोग करना चाहिए।
- अच्छे अर्थ बोध के लिए कठिन शब्दों का अर्थ बताएँ-लिखवाएँ, तत्पश्चात् भावबोध कराएँ।
- कठिन भागों को चित्रपट की मदद से समझाया जा सकता है। व्याकरण पर छोटी-छोटी फ़िल्में बनाकर उन्हें कक्षा में दिखाकर सरल रूप से समझाया जा सकता है। रस, संधि, समास को भी इसी तरह पढ़ाया जा सकता है।
- प्रत्येक अध्यापक का नए पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण अवश्य हो।
- शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा हो।
- वर्तमान जन-जीवन व प्रचलित अवधारणाओं का ज्ञान दिया जाना चाहिए।
- आई.सी.टी. का भी प्रयोग होना चाहिए तथा इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- कविता पढ़ाते समय उचित आरोह-अवरोह के साथ कविता का सस्वर वाचन करना चाहिए। तत्पश्चात् विद्यार्थियों से भी सस्वर वाचन कराएँ। शब्दार्थ एवं भावार्थ बताएँ। बोधगम्य प्रश्न पूछें।
- श्रुत लेखन एवं मौखिक वाचन के द्वारा विद्यार्थियों की कमज़ोरी के स्रोत का पता लगाएँ और उसे यथासंभव दूर करने का प्रयास करें। प्रश्नाभ्यास भी कराएँ।
- पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व पाठ की विषय-वस्तु, लेखक-परिचय आदि के बारे में संक्षिप्त रूप से मौखिक जानकारी देकर पाठ के प्रति रुचि एवं जिज्ञासा जाग्रत करें।
- विद्यार्थियों को भावाभिव्यक्ति के पूर्ण अवसर प्राप्त होने चाहिए।
- कवियों एवं लेखकों के चित्र एवं उनकी रचनाओं के पोस्टरों की प्रदर्शनी होती रहनी चाहिए।
- विषय-वस्तु को वर्तमान सामाजिक परिवेश से जोड़कर पढ़ाना चाहिए।
- एकांकी एवं कहानी का मंचन द्वारा अध्यापन कराना चाहिए।
- व्याकरण समझाने के पश्चात् उसका पर्याप्त अध्यापन होना चाहिए।
- शब्द-भंडार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए।
- भाषा-लेखन शुद्ध एवं व्याकरण सम्मत होना चाहिए।
- हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण के उच्चारण का ज्ञान विद्यार्थियों को कराना आवश्यक है।
- ऑनलाइन सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- तुलनात्मक अध्ययन कराना चाहिए।
- मौन वाचन पर ज़ोर देना चाहिए।
- गद्यांश-पद्यांश को बोधगम्य बनाने की ज़रूरत है।

© NCERT not to be republished

- विषय-वस्तु के विस्तार की अपेक्षा गुणवत्ता पर बल देना चाहिए।
- विद्यार्थियों और अध्यापकों को पाठ के बारे में अपने सुझाव देने हेतु पाठ के अंत में कुछ रिक्त स्थान देना चाहिए।
- खेल विधि को अपनाया जाए।
- व्यावहारिक शिक्षा का अधिक प्रयोग होना चाहिए।
- अधुनातन शोधों एवं प्रविधियों को उचित शिक्षक-प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को अवगत करवाना चाहिए।
- अध्यापकों को अद्यतन साहित्य से परिचित करवाने के लिए 'वर्कशाप' या 'ओरिएंटेशन' कोर्स आदि का समय-समय पर आयोजन किया जाना चाहिए।
- रचनात्मक क्रियाकलापों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।
- विद्यार्थियों को पढ़ाने के बजाय सीखने पर बल देना चाहिए। इसका एकमात्र तरीका है कि विद्यार्थी में साहित्य के प्रति रुझान पैदा किया जाए और उसे संवेदनशील बनाया जाए।
- विद्यार्थी को परिवेश से जोड़ना होगा, भाषा का ज्ञान कराना होगा। शब्द भंडार का विकास कराना होगा।
- शिक्षक को वर्तमान घटनाओं, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य और नवीनतम तकनीक से जुड़ना चाहिए।
- विधाओं के अनुरूप कक्षा में प्रस्तुति हो।
- विविध विषयों पर बाल गोष्ठी, निबंध प्रतियोगिता, मासिक परीक्षा, अंत्याक्षरी, भाषण, वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ आदि होनी चाहिए।
- विद्यार्थियों को पुस्तकालय का भरपूर उपयोग के लिए प्रेरित करें।
- पत्र-पत्रिकाएँ एवं समसामयिक घटनाओं की जानकारी दी जानी चाहिए।
- रचनावादी विधि को बढ़ाना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में रचनात्मक क्षमता का विकास हो।
- मानक भाषा का प्रयोग अध्ययन-अध्यापन में करना चाहिए।
- विद्यालय में हिंदी दिवस मनाना चाहिए।
- कक्षा में भयमुक्त वातावरण उत्पन्न किया जाए, जिसमें विद्यार्थी विषय को अच्छी तरह समझ सकें।
- हिंदी अध्ययन-अध्यापन के लिए कुछ प्रयोगात्मक कार्य, जैसे— नाटक मंचन, कविता सार, पोस्टर बनवाना, अंत्याक्षरी आदि का आयोजन भी सम्मिलित किए जाएँ।
- विद्यार्थियों की विशेष उपलब्धि पर उन्हें प्रोत्साहित अथवा पुरस्कार देना चाहिए।
- शिक्षक एवं विद्यार्थियों के बीच सहयोगात्मक भावना का निर्माण किया जाना चाहिए।
- विद्यालयों में शिक्षण कक्ष होना चाहिए जहाँ हिंदी भाषा के कवियों के चित्र हों, प्रोजेक्टर लगा हो, जिससे वहाँ कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण भी किया जा सके।
- वेब पोर्टल की सामग्री भी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाए।

पाठ्यपुस्तक में दिए जाने वाले प्रश्न-अभ्यास संबंधी सुझाव

प्रत्येक पाठ के साथ प्रश्न-अभ्यास दिए गए हैं। कुछ पाठों में प्रश्नों की संख्या अलग-अलग हो सकती है।

© NCERT not to be republished

प्रश्नों के प्रकार अलग-अलग हो सकते हैं। मूलत: प्रश्न-अभ्यास पाठ को प्रारंभ करने, उसकी समझ का विकास करने तथा भाषा की गुत्थियों को सुलझाने का काम करते हैं। विद्यार्थियों की योग्यता का विस्तार करने, गतिविधियाँ करने तथा प्रोजेक्ट कार्य करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। प्रश्न-अभ्यास पाठ में दिए गए शिक्षण संकेत या विषय-वस्तु की बारीकियों को खोलने का काम करते हैं। स्वयं करके सीखने या पढ़ाए हुए को प्रश्न-अभ्यास के माध्यम से समझने तथा उसका सुदृढ़ीकरण करने और नया कुछ सोचने-जोड़ने और विस्तार करने का अवसर देते हैं। पूर्व ज्ञान और अनुभव के आलोक में उसे जाँचने का अवसर भी देते हैं। शिक्षकों द्वारा पाठ्यपुस्तकों में दिए जाने वाले प्रश्न-अभ्यास संबंधी सुझाव इस प्रकार हैं—

- प्रश्न-अभ्यास रटंत प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाले नहीं होने चाहिए।
- प्रश्न, विद्यार्थियों की तार्किकता एवं चिंतनशीलता को बढ़ाने वाले होने चाहिए।
- प्रश्नों का क्रम हमेशा सरल से कठिन की ओर होना चाहिए।
- हमेशा संभावनापूर्ण उत्तर वाले (अर्थात् जिनके अलग-अलग दृष्टियों में वैकल्पिक उत्तर हो सकें।) प्रश्नों को अधिकतम स्थान दिया जाना चाहिए।
- प्रश्नों को समाजशास्त्रीय सोच के आधार पर बनाया जाना चाहिए।
- प्रश्नों की संख्या सीमित हो तथा भाषा सरल हो।
- प्रश्न, विद्यार्थियों को तर्कशील बनाने वाले हों।
- पाठ में बहुविकल्पीय, लघुउत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होने चाहिए।
- प्रश्न-अभ्यास के अंतर्गत ऐसी गतिविधियाँ भी दी जानी चाहिए, जिनसे विद्यार्थी कक्षा में प्राप्त अनुभवों को बाहर की दुनिया से जोड़ सकें।
- प्रश्न-अभ्यास में ऐसे प्रश्न शामिल करने चाहिए, जिनके उत्तर विद्यार्थी स्वयं सोच-समझकर दे सकें।
- प्रश्न, विषय-वस्तु एवं विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल हों।
- भाषा-अध्ययन में विषय-वस्तु (पाठ) से संबंधित व्याकरणिक प्रश्न होने चाहिए।
- विद्यार्थियों की सृजनात्मक क्षमता, कल्पना एवं चिंतनपरकता पर आधारित प्रश्न भी हों।
- प्रश्न-अभ्यास ऐसे हों, जिससे संपूर्ण पाठ की पुनरावृत्ति हो सके।
- दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए।
- वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या अधिक होनी चाहिए।
- प्रश्नाभ्यास कक्षा में ही कराए जाएँ।
- प्रश्न ऐसे हों जो पाठ की मूल धारणा को स्पष्ट करने में सहायक हों।
- कवि अथवा लेखक परिचय एवं हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न अवश्य होने चाहिए।

हिंदी भाषा साहित्य के मूल्यांकन संबंधी सुझाव

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मूल्यांकन की रणनीति को नए सिरे से परिभाषित करता है। मूल्यांकन सिर्फ़ सत्र के अंत में की जाने वाली परीक्षा या उससे निकलने वाला परिणाम नहीं है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है, जब विद्यार्थी विद्यालय

© NCERT not to be republished

में प्रवेश लेता है और जब वह विद्यालय छोड़ता है, के बीच एक सतत क्रिया-व्यवहार है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी कक्षा में नियमित आ रहा है या नहीं, समय पर आता है या नहीं। पहले से पढ़ा हुआ अथवा अर्जित किया हुआ ज्ञान उसके पास है या सब भूल गया है, कक्षा में शारीरिक-मानसिक रूप से सक्रिय है या नहीं, कक्षा की गतिविधियों अथवा क्रियाकलापों में भाग लेता है या नहीं। जिज्ञासु या जानने का कौतूहल है या नहीं। प्रश्न पूछता है या प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करता है या नहीं। भाषा के सभी कौशलों में उसकी प्रगति है या नहीं। प्रश्नों का जवाब ढूँढते हुए समाज और परिवेश से जोड़ता है या नहीं। दोस्तों द्वारा किए गए कामों पर अपने मत स्पष्ट कर पाता है या नहीं, सही अथवा गलत के अंतर को समझता है या नहीं, निर्णय लेने की क्षमता है या नहीं इत्यादि बिंदु मूल्यांकन के अंतर्गत आ सकते हैं। क्या भाषा साहित्य का मूल्यांकन रचनावादी या सृजन करने की प्रेरणा देता है या नहीं? प्रमुख बात यह है कि मूल्यांकन में रटंत प्रणाली पर लगाम लगाने की कोशिश हुई, किंतु क्या वास्तव में ज़मीनी स्तर पर परिलक्षित हो रहा है या नहीं, इस संबंध में शिक्षकों द्वारा प्रदत्त भाषा साहित्य के मूल्यांकन संबंधी सुझाव इस प्रकार हैं—

- मूल्यांकन रटंत विद्या पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि मूल्यांकन विद्यार्थी के अंदर तार्किकता, समय एवं चिंतनशीलता को विकसित करने वाला होना चाहिए।
- मूल्यांकन के प्रश्न रैखिक उत्तर वाले नहीं होने चाहिए, वरन् संभावनापूर्ण एवं मुक्तांत (ओपन एंडेड) वाले होने चाहिए।
- मूल्यांकन के प्रश्न अधिकतर अंतर विषयवर्ती होने चाहिए, जिनके माध्यम से ज्ञान के रचनात्मक उपागम को विकसित किया जा सके।
- चूँकि साहित्य कलात्मक, सृजनात्मक एवं रुचिकर होना चाहिए, इसलिए मूल्यांकन की एक कसौटी यह भी होनी चाहिए।
- विद्यार्थियों की मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति को समेकित रूप में मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न टूल्स तैयार किए जाने चाहिए।
- मूल्यांकन ऐसा हो जो पक्षपात एवं अन्याय रहित हो, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा लिखित उत्तरों का सही-सही मूल्यांकन हो।
- हिंदी भाषा साहित्य के मूल्यांकन के लिए कविता पाठ, कहानी लेखन, निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिता, शब्द बनाओ, व्याकरण, गीत लेखन आदि पद्धतियों का प्रयोग किया जा सकता है।
- साहित्यिक स्थलों की यात्रा करवाकर यात्रा वृत्तांत या डायरी लेखन भी मूल्यांकन का एक माध्यम हो सकता है।
- विद्यार्थियों की मौलिकता को विशेष महत्व दिया जाए।
- अभिव्यक्ति के आधार पर भी अंक दिए जाएँ।
- बिंदुवार एवं सटीक उत्तरों को प्रमुखता दी जाए।
- श्रवण, ग्रहण, पठन, वाचन, लेखन, वातावरण, जागरूकता, चिंतन, कल्पना, सृजनात्मकता, सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर विषय ज्ञान और उसकी दक्षता का मूल्यांकन किया जाए।
- मूल्यांकन के लिए सभी प्रकार के प्रश्नों, जैसे— (बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घउत्तरीय, आदि) दिए जाएँ।

© NCERT not to be republished

- मूल्यांकन विश्वसनीय होना चाहिए।
- कक्षा में प्रश्न पूछकर, वाद-विवाद कराकर भी परीक्षण अथवा मूल्यांकन किया जा सकता है।
- विद्यार्थियों के आचार-विचार का भी मूल्यांकन हो।
- चरित्र निर्माण एवं नैतिकता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और इसका भी मूल्यांकन करना चाहिए।
- मूल्यांकन के संबंध में अध्यापकों को दिशा-निर्देश भी दिए जाने चाहिए।
- मूल्यांकन विषयगत एवं उपयोगिता के आधार पर किया जाना चाहिए।
- परीक्षकों को मूल्यांकन हेतु कम उत्तर पुस्तिकाएँ दी जाएँ और मूल्यांकन हेतु पर्याप्त समय दिया जाए।
- मूल्यांकन के बाद विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिकाएँ दिखाई जाएँ।
- मूल्यांकन में परियोजना कार्य भी दिया जाए आदि।

हिंदी अध्ययन-अध्यापन के समय सूचना एवं संचार तकनीक (आई.सी.टी.) के उपयोग संबंधी सुझाव

सूचना क्रांति ने पूरी दुनिया को विश्व ग्राम में बदल दिया है, तब से दुनिया को देखने का नज़रिया भी बदल गया है। ज्ञान और सूचनाओं का अंबार लगा हुआ है, किंतु क्या अपने काम का है और क्या नहीं? यह विवेक पैदा करना होगा। अब भाषा शिक्षण मौखिक व्याख्यान या ब्लैक बोर्ड पर ही सिमट कर नहीं रह गया है। सूचना एवं संचार तकनीक ने इसके स्वरूप को भी बदल दिया है। अब भाषा एवं साहित्य शिक्षण को दृश्य-श्रव्य माध्यमों, इंटरनेट, यू-ट्यूब, मोबाइल आदि के माध्यमों ने आसान कर दिया है, इसलिए किसी अवधारणा को समझाने के लिए सिर्फ़ व्याख्या पर्याप्त नहीं है। उस अवधारणा को समझाने के लिए अब दृश्य-श्रव्य सामग्री, ग्राफ़-चार्ट, यू-ट्यूब या इंटरनेट से कोई चित्र, वीडियो इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे अवधारणा विशेष को भली-भाँति समझा जा सकता है। अधिकांश अध्यापकों की समस्या है कि किस प्रकार के उपलब्ध संचार साधनों का कक्षा अध्यापन करते समय निर्दिष्ट पाठ के लिए चयन करें और किस प्रकार से दृश्य-श्रव्य एवं ई-कंटेंट विकसित करें— यह चुनौतीपूर्ण है, हालाँकि उसका समुचित उपयोग करने की विधि में अभी भी कौशल की न्यूनता है।

भाषा-साहित्य में भरपूर संभावनाएँ हैं। लेखकों अथवा कवियों पर वृत्तचित्र (डॉक्यूमेंट्री) तथा कविताओं अथवा कहानियों के ऑडियो पाठ तथा वीडियो कार्यक्रम दिखाए जा सकते हैं। जब से इन बिंदुओं के आलोक में शिक्षा दी जा रही है तब से गुणात्मक शिक्षा में वृद्धि हो रही है।

शोधार्थी द्वारा किए गए शोध का निष्कर्ष है कि कक्षा अध्ययन-अध्यापन में आवश्यकतानुसार एवं पाठ्य विषय-वस्तु के अनुसार सूचना एवं संचार तकनीकों को एकीकृत किया जाए। उपयोग किया गया तो ऐसा पाया गया कि अध्ययनकर्ताओं की उपलब्धि स्तर, कौशलों एवं व्यवहार क्षेत्रों में अधिकाधिक परिवर्तन आया है। इस संबंध में शिक्षकों द्वारा दिए गए हिंदी अध्ययन-अध्यापन के समय सूचना एवं संचार तकनीकी के प्रयोग संबंधी सुझाव इस प्रकार हैं—

- हिंदी भाषा तथा साहित्य शिक्षण के लिए आवश्यक ई-शिक्षण अध्ययन सामग्री का अभाव है। इस कमी को पूरा किया जाना चाहिए।

© NCERT not to be republished

- विद्यालय स्तर पर भाषा प्रयोगशाला की स्थापना की जानी चाहिए ताकि विद्यार्थी के भाषायी कौशलों का विकास किया जा सके।
- विषय विशेषज्ञों के ई-कंटेंट यानी दृश्य-श्रव्य सामग्री आदि बहुत उपयोगी होंगे, उन्हें विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना चाहिए।
- ऐतिहासिक प्रसंगों, प्राकृतिक दृश्यों, सांस्कृतिक धरोहरों, विकास का पर्यावरण पर प्रभाव आदि विषयों को समझाने के लिए तकनीकी का प्रयोग किया जा सकता है।
- सामाजिक विषयों से संबंधित लघु फ़िल्म अथवा वृत्तचित्र भी विद्यार्थियों को समय-समय पर दिखाए जाने चाहिए।
- हिंदी अध्यापन करने वाले अध्यापकों को आधुनिक सूचना एवं संचार तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- अध्यापक को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए।
- पीपीटी या प्रोजेक्टर के द्वारा परियोजना कार्य एवं मूल्यपरक प्रश्नों से संबंधित सामग्री को दिखाया जाना चाहिए।
- आशय, व्याख्यान, भावात्मक कौशल, आगमन-निगमन पद्धतियों के साथ-साथ सूचना एवं संचार तकनीक का प्रयोग भी उपयोगी है।
- अध्यापकों को आई.सी.टी. की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए।
- लेखकों अथवा कवियों के चित्र, उनके जीवन की घटनाओं को आई.सी.टी. के माध्यम से दिखाया जाए।
- आई.सी.टी. का प्रयोग विषय को अधिक सुगम एवं रुचिकर बनाता है।
- विद्यार्थियों को ई-डायरी लेखन हेतु प्रोत्साहित किया जाए।
- वेब पोर्टल पर विषय से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराई जाए आदि।

पाठ्यपुस्तक की गुणवत्ता संबंधी सुझाव

गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तक की बहुत सारी विशेषताएँ होती हैं। यह सर्वविदित है कि पाठ्यपुस्तक कक्षा में पढ़ाया जाने वाला प्रमुख साधन है, इसलिए इसका गुणवत्तापूर्ण होना आवश्यक समझा जाता है। गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तक के लिए पाठों का चयन विद्यार्थियों की कक्षा का स्तर, उसकी रुचि, उम्र और योग्यता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। पाठों के चुनाव के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान दौर किस तरह का है और समाज, राष्ट्र या परिवेश उसमें समाहित है या नहीं। सामाजिक, राष्ट्रीय मुद्दों से उसकी संबद्धता भी आवश्यक है। ऐसा न हो कि सब कुछ आदर्शात्मक हो और वर्तमान या जो भूतकाल में बेहतर था, उसे खारिज कर दिया जाए। भविष्य में क्या बेहतर हो सकता है? उसके लिए क्या आदर्श तय करने हैं? इसका विचार तभी सुनिश्चित हो सकता है जब भूतकाल (अतीत) की बेहतर प्रेरणादायी विकासोन्मुख प्रवृत्तियाँ, विषय, मुद्दे तथा वर्तमान दौर के प्रेरणादायी समाज या राष्ट्र द्वारा स्वीकृत विचार-बिंदु आदि को एक साथ जोड़कर पाठों का निर्धारण किया गया हो। साथ ही शिक्षा को किन नकारात्मक प्रवृत्तियों से बचाना है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा।

उपयुक्त पाठों का चयन, मूल्य और आदर्श समाज की स्थापना का उद्देश्य, निरंतर विकासोन्मुख प्रवृत्तियों से जुड़े मुद्दे भी पाठ्यपुस्तक के पाठों में पिरोने चाहिए। बहुभाषिकता, सांस्कृतिक बहुलता, सामाजिकता तथा विविधता में एकता का संदेश

© NCERT not to be republished

एवं स्वाधीनता संग्राम से प्रेरणादायी तथ्यों को भी पाठ्यपुस्तक में स्थान मिलना चाहिए, इसलिए पाठ्यपुस्तक की गुणवत्ता के लिए इन उपर्युक्त बिंदुओं का होना आवश्यक माना जाता है।

पाठ्यपुस्तक संबंधी अन्य सुझाव

पाठ्यपुस्तक निर्माण करते समय ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे— पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के सदस्यों की विद्यालयी शिक्षा में योग्यता एवं व्यापक अनुभव; लक्षित समूह के विद्यार्थियों से विचार प्राप्त करना; तथा पाठ्यपुस्तक को अंतिम रूप देने से पूर्व पाठ्यपुस्तक का लक्षित समूह के विद्यार्थियों पर परीक्षण इत्यादि विचारणीय हो सकते हैं, जो पाठ्यपुस्तक निर्माण करते समय ध्यान दिए जाने चाहिए।

शिक्षा को समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से तैयार किया जाना अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए शिक्षा को कौशलों से जोड़ने पर बल दिया जा रहा है, व्यावसायिक शिक्षा की माँग बढ़ रही है। भाषा-साहित्य की पाठ्यपुस्तक या शिक्षा समाज और राष्ट्र की जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से ही तैयार की जानी चाहिए। इस संबंध में शिक्षकों अथवा शिक्षक-प्रशिक्षकों द्वारा दिए गए पाठ्यपुस्तकों में गुणवत्ता संबंधी सुझाव इस प्रकार हैं—

- पाठ्यपुस्तक में विभिन्न जीवन-दृष्टियों से जुड़े पाठ होने चाहिए।
- पाठ्यपुस्तक में केवल साहित्यिक जड़ता की दृष्टि सें जुड़े पाठ नहीं होने चाहिए, वरन् इतिहास, पर्यावरण, अर्थतंत्र, विज्ञान आदि के साहित्यिक पाठ भी होने चाहिए।
- पाठ्यपुस्तक में विविध साहित्यिक विधाओं से जुड़े पाठ होने चाहिए तथा उनका अनुपात भी उचित होना चाहिए।
- छोटी और मध्यम आकार की उम्दा रचनाएँ रखी जाएँ।
- रचनाकार के नाम पर नहीं, रचनाओं की गुणवत्ता पर पाठों का चयन हो।
- पाठ्यपुस्तक निर्माण का उद्देश्य पहले से स्पष्ट हो और उन उद्देश्यों के अनुरूप योजनाबद्ध ढंग से शोध कर पाठों का चयन हो।
- अन्य भारतीय भाषाओं की रचनाएँ भी शामिल की जानी चाहिए।
- अतिबौद्धिक रचनाओं के स्थान पर संप्रेषणीय और कलात्मक रचनाओं को वरीयता प्रदान करनी चाहिए।
- पाठ बोल-चाल की भाषा के करीब होना चाहिए।
- पाठ अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाने वाला होना चाहिए।
- पाठ राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक, जेंडर, क्षेत्र आदि के स्तर पर सद्भाव उत्पन्न करने वाले होने चाहिए।
- पाठ विद्यार्थियों के मानसिक दशा के अनुकूल भावात्मक, चारित्रिक व तार्किक विकास करने वाले हों।
- एक ही पाठ बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करता हो।
- सभी पाठों का राष्ट्रीय स्तर पर महत्व हो।
- पाठ्यपुस्तक की सामग्री समयानुकूल होनी चाहिए।
- पाठ्यपुस्तक का मुख पृष्ठ आकर्षक, उद्देश्यपूर्ण, चित्र एवं रंग-योजना से युक्त हो।

© NCERT not to be republished

- पाठ्यपुस्तकें नैतिक, सामाजिक जीवन एवं मानवीय मूल्यों का विकास करने में सहायक हों।
- पाठ्यवस्तु विविध विधाओं से युक्त भाषायी कौशलों का विकास करने में सहायक हो।
- शिक्षाप्रद कहानियाँ अधिक हों ताकि विद्यार्थी महापुरुषों का व्यक्तित्व जीवन में उतार सकें।
- शब्दों का चयन एवं भाषा के गठन पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
- रोज़गार को केंद्र में रखकर पाठ्यपुस्तक तैयार करनी चाहिए।
- पाठ्यपुस्तक जीवन जीने के सही तरीके सिखाती हों।
- पाठ्यपुस्तक में समाहित रचनाएँ विद्यार्थियों में भाषा एवं संस्कृति प्रेम, राष्ट्र प्रेम व विश्व बंधुत्व की भावना उत्पन्न कर सकें।
- पाठ्यपुस्तक में समसामयिक रचनाओं का समावेश करते रहना चाहिए।
- पाठ्यपुस्तक का आकार, कागज़ और छपाई की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए।
- वैज्ञानिकता को बढ़ावा देने वाले पाठ होने चाहिए।
- प्राचीनता एवं आधुनिकता का समग्र चित्र उपस्थित करने वाले पाठ पाठ्यपुस्तक में शामिल किए जाएँ।
- पाठ्यपुस्तकों को अधिकतम आकर्षक और रुचिकर एवं बाल-केंद्रित बनाया जाए।
- भाषा साहित्य को भी वैज्ञानिक विषयों की तरह पढ़ाने का कुछ आग्रह होना आवश्यक है, जिसके तहत भाषा-प्रयोगशाला आदि की स्थापना की जाए।
- हिंदी साहित्य का इतिहास पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।
- पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तक का हर पाँच वर्ष बाद नियमित समीक्षा एवं विश्लेषण हो।
- पूरे भारत का एक पाठ्यक्रम, जिसमें क्षेत्रीय विविधता मौजूद हो और समान रूप से सभी विद्यालयों में लागू हो।
- तकनीकी गतिविधियों को भी पाठ्यपुस्तक में रेखांकित किया जाना चाहिए।
- सृजनात्मक पाठों को वरीयता दी जाए।
- मौलिक गुणों का विकास करने वाले पाठ समाहित किए जाएँ।
- पुस्तक निर्माण समिति में शिक्षकों की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
- पाठ्यपुस्तक में स्थानीय शब्दों और अन्य भारतीय भाषाओं तथा विदेशी भाषा के प्रचलित शब्दों को ही लेना चाहिए।
- हिंदी में आई.सी.टी. का प्रयोग हो तथा प्रत्येक विद्यालय में एक प्रयोगशाला अवश्य होनी चाहिए।
- पाठ्यपुस्तक की सामग्री मानवीय मूल्यों का विकास करने में पूर्णता से सक्षम हो।
- हिंदी शिक्षण, साहित्य एवं ज्ञान के मानकों पर चलकर अन्य विषयों से अंतर्संबंधित हो।
- हिंदी शिक्षण में रचनात्मकता, गतिशीलता, वैज्ञानिकता एवं मानवता को सर्वोच्च स्थान मिले।

© NCERT not to be republished

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक निर्माण तथा हिंदी शिक्षण-अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि संबंधी विद्यार्थियों के सुझाव

उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के 60 विद्यालयों (जिनमें 12 केंद्रीय विद्यालय, 24 राज्य बोर्ड के विद्यालय, 12 वित्तपोषित विद्यालय और 12 निजी विद्यालय शामिल हैं।) के 12वीं कक्षा के मध्य प्रदेश से 263 विद्यार्थी, उत्तर प्रदेश से 191 विद्यार्थी, केंद्रीय विद्यालय से 94 विद्यार्थी तथा मध्य प्रदेश से 10वीं कक्षा के 210 विद्यार्थी, उत्तर प्रदेश से 167 एवं केंद्रीय विद्यालय से 109 (कुल 1034) विद्यार्थियों से पाठ्यपुस्तक निर्माण तथा कक्षा में हिंदी अध्यापन संबंधी सुझाव लिए गए। प्रत्येक विद्यालय के कुल 20 विद्यार्थियों से यादृच्छिक रूप से प्रश्नावली भरवाई गई। प्रश्नावली भरवाते समय 10वीं एवं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक साथ बैठाया गया। उनसे कहा गया कि आप जिस कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं, प्रश्नावली में उसी कक्षा से संबंधित विवरण भरें। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के संयुक्त विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सुझाव स्तरवार इस प्रकार हैं—

विद्यार्थियों के पाठ्यपुस्तक निर्माण संबंधी सुझाव (कक्षा 10)

- पुस्तक का मुख पृष्ठ आकर्षक होना चाहिए। यदि संभव हो तो बच्चों द्वारा निर्मित चित्रों को भी स्थान दिया जाए। पुस्तक की बाइंडिंग मज़बूत होनी चाहिए।
- चित्रों का पर्याप्त एवं विषय-वस्तु के अनुकूल प्रयोग किया जाना चाहिए।
- कविताओं के सार संक्षेप तथा काव्य सौंदर्य को उचित स्थान मिले।
- पाठों के चयन में भारतीय एवं विदेशी साहित्य को उचित स्थान मिले। पाठ प्रेरणादायक एवं मानवीय मूल्यों पर आधारित होने चाहिए।
- पाठों में सांस्कृतिक व धार्मिक क्रियाओं को समुचित स्थान मिलना चाहिए।
- व्याकरण की समझ हेतु पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। प्रश्न बोधगम्य रूप में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- पाठ्यपुस्तक में अभ्यास प्रश्नों के उत्तर भी समुचित स्थान पर दिए जाने चाहिए।
- पाठ्यपुस्तक की शब्दावली व शब्द ज्ञानवर्द्धन में सहायक होने चाहिए।
- डिजिटल बुक बनाई जानी चाहिए, जिससे बच्चों का ज्ञानार्जन सुगम तथा रुचिकर हो आदि।

विद्यार्थियों के लिए कक्षा में हिंदी अध्यापन संबंधी सुझाव (कक्षा 10)

- हिंदी पढ़ाते समय हिंदी के इतिहास से भी परिचय कराया जाना चाहिए।
- पाठों के पढ़ाने में रोचकता लाई जानी चाहिए। इसके लिए कविताओं के सस्वर पाठ, नाटकों का मंचन, उच्चारण शुद्धीकरण, वर्तनी शुद्धीकरण, प्रश्नोत्तर जैसी अध्यापन विधि को महत्व दिया जाना चाहिए।
- व्याकरण पर ध्यान देने के साथ-साथ इसकी प्रस्तुति भी सरल रूप में की जानी चाहिए।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक लाभ के लिए पाठों को एक-दूसरे से जोड़ा जाए, पुनरावृत्ति के पर्याप्त

© NCERT not to be republished

अवसर हों, सप्ताह में एक दिन अभ्यास कराया जाए। संचार साधनों (आई.सी.टी.) का भरपूर प्रयोग किया जाए। पढ़ाई में पिछड़े बच्चों के सहायतार्थ अतिरिक्त कक्षाएँ लगाई जाएँ।

- भाषा शिक्षण के माध्यम से नैतिक एवं राष्ट्रीय मूल्यों के विकास पर बल दिया जाए।
- कभी-कभी विद्यार्थियों को शिक्षक की भूमिका-निर्वाह के अवसर दिए जाएँ आदि।

पाठ्यपुस्तक निर्माण संबंधी विद्यार्थियों के सुझाव (कक्षा 12)

- गद्य, पद्य, कहानी, नाटक आदि का संतुलित प्रयोग होना चाहिए। कठिन की अपेक्षा लोकप्रिय कविताओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। घनानंद, केशवदास और अज्ञेय के विकल्प खोजे जाएँ।
- पाठों के चयन में भाषा की सरलता, दैनिक जीवन में उपयोगिता, संवेदना विकास पर समुचित स्थान दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, मुंशी प्रेमचंद के साहित्य का चयन कर सकते हैं।
- वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रेरणास्पद और सांस्कृतिक मूल्यों से सराबोर पाठ चयनित किए जाने चाहिए।
- आधुनिक कविताओं तथा नई तकनीकी को पाठ्यपुस्तक में उचित स्थान मिलना चाहिए। नए कवियों और लेखकों को भी स्थान मिलना चाहिए।
- यदि संभव हो तो व्याकरण के लिए अलग से पुस्तक होनी चाहिए।
- महत्वपूर्ण प्रश्नों, विशेषत: व्याकरण से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाने चाहिए।
- भारतीय साहित्यकारों और महापुरुषों का समुचित परिचय कराकर उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है आदि।

कक्षा में हिंदी अध्यापन संबंधी विद्यार्थियों के सुझाव (कक्षा 12)

- हिंदी भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए।
- पाठों को पढ़ाते समय सामान्य जीवन से संदर्भ लेकर जीवनोपयोगी ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए।
- कवियों और लेखकों के बारे में पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए।
- कविताओं को पढ़ाते समय, बोधगम्यता और निहितार्थ ग्रहण पर ध्यान देना चाहिए।
- दृश्य-श्रव्य सामग्री और संचार प्रौद्योगिकी (आई. सी. टी.) का समुचित प्रयोग किया जाना चाहिए।
- भाषा सौंदर्य, सराहना एवं नैतिक मूल्यों के विकास पर समुचित बल दिया जाना चाहिए।
- गृहकार्य सीमित तथा भाषिक विकास पर बल देने वाला होना चाहिए।
- अभिव्यक्ति विकास (लिखित एवं मौखिक) दोनों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए आदि।

उपसंहार

इस गुणात्मक शोध परियोजना के विश्लेषण के आधार पर दिए गए व्यापक सुझाव हिंदी पाठ्यपुस्तकों के निर्माण एवं हिंदी अध्ययन-अध्यापन की गुणवत्ता वृद्धि में योगदान देंगे, जो न केवल मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए उपयोगी होंगे। यह सुझाव पाठ्यपुस्तक निर्माण करने वाले संस्थानों एवं इस प्रक्रिया में योगदान देने वाले

© NCERT not to be republished

समस्त पणधारकों को पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में ज़रूर योगदान देंगे। साथ ही, हिंदी अध्ययन-अध्यापन की गुणवत्ता वृद्धि में शिक्षकों एवं शिक्षक-प्रशिक्षकों का भी मार्गदर्शन करेंगे। इन सुझावों से शिक्षा के अंतिम हितधारी विद्यार्थियों को भी हिंदी भाषा सीखने-सिखाने, कौशल प्राप्त करने तथा आवश्यक क्षमताओं का विकास करने में मदद मिलेगी।

संदर्भ

ऑलराइट, एल. आर. 1981. व्हाट डू वी वांट टीचिंग मैटेरियल्स फॉर? *ई. एल. टी. जर्नल.* 36.1 पृष्ठ संख्या 5–18.

राष्ट्रीय शैक्षिक आनुसंधान प्रशिक्षण परिषद्. 2006. *भारतीय भाषाओं का शिक्षण, राष्ट्रीय फ़ोकस समूह का आधार पत्र.* रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

लिटिलजॉन, जी. 1992. *शैटरिंग द साइलेंस, प्रोफ़ेशनल इंवेस्टर.* मई पृष्ठ संख्या 20–22.

हचिंसन, टी. और ई. टोरेस. 1994. द टेक्स्टबुक एज़ एन एजेंट ऑफ़ चेंज. *ई. एल. टी. जर्नल.* 48. पृष्ठ संख्या 315–328.

© NCERT not to be republished

स्नातक स्तर के विद्यार्थी-शिक्षकों की हिंदी भाषा कौशल उपलब्धि के आधार पर मिश्रित शिक्षण-अधिगम उपागम की प्रभावशीलता

विजय कुमार यादव*
पूनम त्यागी**
एस. के. त्यागी***

मिश्रित अधिगम उपागम, परंपरागत कक्षा-कक्ष प्रत्यक्ष शिक्षण (फ़ेस-टू-फ़ेस शिक्षण) के साथ ऑनलाइन शिक्षण का मिश्रण है। भाषा में प्रत्यक्ष संवाद, विचारों का आदान-प्रदान एवं संतुलित व्यवहार का प्रदर्शन एवं भाषायी दक्षता निहित है। एक तरफ भाषा विकास प्रत्यक्ष संवाद और विचारों के आदान-प्रदान पर निर्भर करता है; दूसरी तरफ, मिश्रित अधिगम उपागम प्रत्यक्ष कक्षा-कक्ष शिक्षण के साथ-साथ ऑनलाइन शिक्षा का भी मिश्रण है तो प्रश्न यह उठता है कि क्या हिंदी भाषा कौशल उपलब्धि बढ़ाने के संदर्भ में मिश्रित अधिगम उपागम प्रभावी होगा? यह शोध पत्र, इसी प्रश्न के संदर्भ में स्नातक स्तर के अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम बी.एड. एवं बी.ए.बी. एड. के विद्यार्थी-शिक्षकों पर किए गए शोध अध्ययन पर आधारित है। यह शोध गैर-समतुल्य नियंत्रित समूह आकल्प पर आधारित है, जिसमें गैर-प्रतिदर्श चयन तकनीकी से प्रयोगात्मक और नियंत्रित दो समूह बनाए गए। प्रयोगात्मक समूह को मिश्रित अधिगम उपागम द्वारा तथा नियंत्रित समूह को परंपरागत शिक्षण उपागम द्वारा 45 दिन तक उपचार दिया गया। शिक्षण से पूर्व एवं शिक्षण के उपरांत दोनों समूहों का शोधार्थी द्वारा निर्मित हिंदी भाषा कौशल उपलब्धि परीक्षण लिया गया। परीक्षण से प्राप्त प्रदत्तों का विश्लेषण एकमार्गीय सहप्रसरण (One Way ANCOVA) की अवधारणा संतुष्ट न होने की स्थिति में Quade Rank ANCOVA सांख्यिकी परीक्षण आई.बी.एम., एस.पी.एस.एस. –26 (स्टैटिस्टिकल पैकेज फ़ॉर सोशल साइंस –26) द्वारा किया गया। शोध में पाया गया कि हिंदी भाषा कौशल उपलब्धि बढ़ाने के संदर्भ में मिश्रित अधिगम उपागम, परंपरागत शिक्षण उपागम की तुलना में सार्थक रूप से प्रभावी (प्रभाव आकार = 0.775) है।

भाषा कौशल सही उच्चारण के साथ बोलना, हस्तलिखित और छपे हुए शब्दों को स्पष्ट रूप से पढ़ना, सभी विरामों का सही इस्तेमाल करते हुए इमला लिखना, पाठ के पढ़ने के पश्चात् क्योंकि और चूँकि शब्द का उपयोग करके पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने योग्य होना अर्थात् कौशल सामान्यत: एक कार्य या कार्य समूह का संपादन एक विशेष स्तर की कुशलता पर करना है।

*असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, शिक्षा विभाग, झारखण्ड केंद्रीय विश्वविद्यालय, राँची, झारखण्ड 835205
**असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, श्रीजैन दिवाकर महाविद्यालय, इंदौर, मध्यप्रदेश 452001
***प्रोफ़ेसर और पूर्व संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष, शिक्षा अध्ययनशाला (IASE), देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर, मध्य प्रदेश 452001

© NCERT not to be republished

विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए या हिंदी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति हिंदी भाषिक कौशलों में निपुण हो। हिंदी भाषा में प्रवीणता प्राप्ति के लिए चार महत्वपूर्ण अंग— सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना हैं, जिन्हें भाषा कौशल कहा जाता है। सामान्यत: इन चार कौशलों को ग्रहण एवं अभिव्यक्ति तथा मौखिक एवं लिखित कौशल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ऐसे कौशल जिनसे भाषा को आत्मसात अर्थात् भाषिक भाव को ग्रहण किया जाता है, उन्हें ग्रहण कौशल कहते हैं; जैसे— सुनना और पढ़ना। अभिव्यक्ति कौशल, वे भाषा कौशल हैं, जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करता है; जैसे— बोलना और लिखना। मौखिक कौशल भाषिक संवाद अर्थात् बोल-चाल, वार्तालाप, ऑडियो इत्यादि के माध्यम से संप्रेषण से संबंधित होते हैं; जैसे— सुनना, बोलना, जबकि लिखित कौशल प्रिंट सामग्री तथा छपी हुई ई-सामग्री के पठन द्वारा विचारों एवं सूचनाओं को आत्मसात करने तथा लिखित माध्यम से अपने विचारों और अनुभवों को प्रकट करने, साझा करने से संबंधित होते है; जैसे— पढ़ना और लिखना।

यह शोध अध्ययन केवल पढ़ना और लिखना कौशल तक सीमित किया गया है। अतः पढ़ना और लिखना कौशल का वर्णन इस प्रकार है—

पठन कौशल— पढ़ना एक सृजनात्मक कार्य है, क्योंकि पढ़ने वाला लिखी हुई बातों को हू-ब-हू उच्चारण नहीं करता है, बल्कि अपने अनुभवों से उनका अर्थ भी गढ़ता जाता है। लिखित सामग्री का अर्थ ग्रहण करना इसका महत्वपूर्ण भाग है। पाठक प्रवाह में पढ़ते समय अक्षर, शब्द और वाक्य के पूरे आकार को ध्यान से नहीं देखता, वह छोटे अंश को देखता है और शेष भाग वह अपने अनुभवों और अनुमान के आधार पर ग्रहण कर लेता है। *सीखने के प्रतिफल* (रा.शै.अ.प्र.प्र.) के अनुसार — 'पढ़ना' मात्र किताबी कौशल न होकर एक सम्य और युक्ति है। पढ़ना, पढ़कर समझने और उस पर प्रतिक्रिया करने की एक प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में, हम यह कह सकते हैं कि पढ़ना बुनियादी तौर से एक अर्थवान गतिविधि है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मुद्रित अथवा लिखित सामग्री से कुछ संदर्भों व अनुमान के आधार पर अर्थ पकड़ने की कोशिश 'पढ़ना' है।

पठन कैशल की विशेषताएँ

लिखे हुए अर्थ को ग्रहण करना, लिखित सामग्री से विभिन्न धारणाओं को गढ़ना, विचारों को आपस में जोड़ना, उन्हें स्मृति में रखना पठन कौशल की विशेषताएँ हैं। पढ़कर अर्थ को समझना, अपनी राय बनाना फिर अपनी निजी समझ विकसित करना, लिखे हुए के साथ संवाद करना, अपने अनुभव एवं समझ के साँचे में ढालते हुए उससे अर्थ ग्रहण करना भी इसमें सम्मिलित है। पढ़ना एक समेकित प्रक्रिया है, इसमें अक्षरों की आकृतियाँ, उनसे जुड़ी ध्वनियाँ, वाक्य-विन्यास, शब्दों और वाक्यों के अर्थ तथा अनुमान लगाने का कौशल भी शामिल है। पढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण है, लिखी हुई जानकारियों या संकेतों का अर्थ ग्रहण करना।

अत: पढ़ना अनेक कुशलताओं का एक समूह है, जो लिखी या छपी भाषिक सामग्री को अर्थ से

© NCERT not to be republished

जोड़ने में हमारी मदद करता है अर्थात् पढ़ने का लक्ष्य किसी भी लिखित सामग्री को पढ़कर उसका अर्थ समझने से है।

लेखन कौशल

लेखन कौशल भाषायी कौशल में जटिलतम माना जाता है। भावों और विचारों को लिखित रूप से सुसंबद्ध करना लेखन कौशल के अंतर्गत आता है। लिखित रचना साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मौखिक कौशल की अपेक्षा अधिक सुगठित, सरल व सशक्त होती है। लेखन कौशल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विद्यार्थियों में सृजनात्मक चिंतन व मौलिक विचारों की क्षमता के विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है। लेखन कौशल शिक्षार्थी में भाषायी कौशल की परिपक्वता प्रदान कर साहित्यिक समझ विकसित करता है तथा अभिव्यक्ति के रूप में भी लेखन कौशल एक सशक्त माध्यम है, जो विद्यार्थी के भीतर एक रचनाकार या साहित्यकार बनने की नींव रखता है।

भाषा शिक्षण, भाग 1 (2018) के अनुसार — "लिखना महज एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, जो लिपि-चिह्नों, वर्तनी, वाक्य-विन्यास में सिमटी हो, बल्कि वह मानव संवेगों की परिचायक है, उन संवेगों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, जो बहुत कहना चाहते हैं। लेखन का यांत्रिक-पक्ष (लेखन-कला से संबंद्ध) लिखावट की गुणवत्ता और वर्तनी की मानकता तथा रचनात्मक पक्ष (लिखित अभिव्यक्ति से संबंद्ध) — विचारात्मक और कलात्मक रचना की उत्कृष्टता है। लिपि-चिह्नों के माध्यम से अपने भाव-विचार की स्पष्ट, प्रांचल और प्रभावी अभिव्यक्ति है।"

लेखन कौशल की विशेषताएँ

विद्यार्थी में सृजनात्मकता का गुण विकसित करना, विद्यार्थी में विचारशील होने की क्षमता विकसित करना, अभिव्यक्ति को लिपिबद्ध कर सरल, सुगठित व रचनात्मक रूप देना, साहित्यिक सृजन को आधार देना, विद्यार्थियों का ज्ञान क्षेत्र विस्तृत करना तथा विद्यार्थियों में साहित्यिक दृष्टिकोण विकसित करना इत्यादि लेखन कौशल की प्रमुख विशेषताएँ हैं।

अत: लेखन कौशल के संदर्भ में प्रस्तुत उपरोक्त कथनों एवं विशेषताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लेखन कौशल में सृजनात्मकता का विकास, भाषा को लिपिबद्ध रूप से लिखना, साहित्यिक रूप में लिखने की समझ विकसित करना इत्यादि सम्मिलित हैं, जो कि निबंध, कहानी, काव्य, पत्र तथा स्वतंत्र रचना लेखन के माध्यम से किया जा सकता है।

शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का विकास क्रम शिक्षक केंद्रित से विद्यार्थी-केंद्रित की ओर अग्रसर हो रहा है। सीखना एक स्वाभाविक सामाजिक प्रक्रिया है, जहाँ प्रभावी ढंग से सीखने हेतु अनेक युक्तियाँ क्रियान्वित की जा सकती हैं (स्त्रोब्ल, 2007)। अधिगम प्रक्रिया को अधिक ग्राह्य और सरल बनाने में तकनीकी समर्थित शिक्षा की अहम भूमिका रही है। विद्यार्थियों के सीखने में लाभ के लिए शिक्षणशास्त्रीय सिद्धांतों के साथ तकनीकी को जोड़ा जा सकता है (गैरिसन और कनुका, 2004; होइक-बोजिक और अन्य, 2009)। आज का दौर प्रत्यक्ष शिक्षण के साथ-साथ विभिन्न लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के प्रयोग का है, जिसमें अधिगमकर्ता समय, स्थान और सीखने की गति संबंधित जटिलताओं से मुक्त होकर स्वगति से सीखने में सुविधा

© NCERT not to be republished

महसूस कर रहा है। मिश्रित अधिगम उपागम प्रत्यक्ष कक्षा-कक्ष विधि के साथ कंप्यूटर समर्थित गतिविधियों का मिश्रण है (स्ट्रॉस, 2012)। स्पोदार्क (2004) का मानना है कि प्रारंभिक भाषा स्तर के लिए प्रत्यक्ष कक्षा-कक्ष विधि बेहतर है वहीं स्यकेस (2005) के अनुसार मिश्रित प्रणाली उचित है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर मिश्रित अधिगम उपागम प्रभावी उपागम प्रतीत होता है, परंतु कुछ कथन भाषा कौशल के प्रारंभिक स्तर पर कक्षा-कक्ष शिक्षण की भूमिका को अधिक महत्व देते हैं। इस स्थिति में यह देखना आवश्यक हो जाता है कि हिंदी पठन कौशल एवं लेखन कौशल के संदर्भ में मिश्रित अधिगम उपागम कितना प्रभावी होगा? सीखने के प्रतिफल और लचीलेपन में वृद्धि हेतु तमाम शिक्षाविद्, मनोवैज्ञानिक औपचारिक शिक्षा में मिश्रित अधिगम उपागम प्रयोग करने हेतु सुझाव देते हैं।

परंपरागत कक्षा-कक्ष शिक्षण उपागम, ऑनलाइन शिक्षण उपागम तथा मिश्रित अधिगम उपागम

वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मुख्यतः परंपरागत कक्षा-कक्ष प्रत्यक्ष शिक्षण उपागम, तकनीकी समर्थित शिक्षण-अधिगम उपागम, मिश्रित अधिगम उपागम और ऑनलाइन शिक्षण-अधिगम उपागम प्रयोग किए जा रहे हैं। इन उपागमों में अंतर का मुख्य आधार तकनीकी प्रयोग है। परंपरागत कक्षा-कक्ष प्रत्यक्ष शिक्षण उपागम एक प्राचीन शिक्षण-अधिगम उपागम है, जिसे शिक्षण-अधिगम का आधारभूत उपागम भी कहा जाता है, जिसमें अध्ययनकर्ता एक औपचारिक परिधि में शिक्षक के निर्देश में समयबद्ध सारणी के अनुरूप अध्ययन करता है। यह उपागम विद्यार्थियों की दृष्टि से कम लचीला है अर्थात् उन्हें समय, स्थान, स्वगति तथा विधिचयन संबंधित स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है। इन्हीं जटिलताओं को दूर करने हेतु परंपरागत शिक्षण में तकनीकी प्रयोग अर्थात् आई.सी.टी. का प्रारंभ हुआ। आई.सी.टी. का प्रयोग जिसमें मुख्यतः प्रोजेक्टर के माध्यम से पी.पी.टी. प्रस्तुति, ऑडियो-वीडियो आधारित सामग्री द्वारा विषय-वस्तु प्रस्तुति सम्मिलित है, जिसे कंप्यूटर या तकनीकी समर्थित शिक्षा भी कहा जाता है।

बढ़ते तकनीकी प्रयोग और वैश्विक माँग से ऑनलाइन शिक्षा ने तेज़ी से शैक्षिक पहुँच बनाई, जिसमें मूक्स (मैसिव ओपेन ऑनलाइन कॉर्सेज़), मूडल (मॉड्यूलर आब्जेक्ट ऑरिएंटिड डायनमिक लर्निंग एन्वायरमेंट) और एल.एम.एस. (लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम) इत्यादि के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा दी जाने लगी, परंतु बाद के समय में यह देखा जाने लगा कि ऑनलाइन शिक्षा में कक्षा-कक्ष शिक्षण उपागम की प्रमुख कड़ी शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य प्रत्यक्ष संवाद गौण होने लगा। इस समस्या के समाधान में मिश्रित अधिगम उपागम का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें कक्षा-कक्ष शिक्षण उपागम के साथ ऑनलाइन शिक्षण उपागम को मिश्रित किया गया। इसमें कक्षा-कक्ष शिक्षण को विभिन्न लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एवं एप्लीकेशंस के साथ एकीकृत किया गया अर्थात् मिश्रित अधिगम, परंपरागत कक्षा (जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी परस्पर आमने-सामने अंतःक्रिया करते हैं।) के साथ ऑनलाइन शिक्षा (जिसमें मूक्स, मूडल और विभिन्न लर्निंग मैनेजमेंट

© NCERT not to be republished

सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं।) का मिश्रण है।

शोध की आवश्यकता

वर्तमान शोध की आवश्यकता को संबंधित साहित्य की समीक्षा एवं विभिन्न सर्वेक्षण प्रतिवेदनों के आधार पर प्रदर्शित किया गया है, जो निम्नलिखित हैं—

सबंधित साहित्य के अध्ययन के आधार पर

मैनेजमेंट कार्डिक डिसऑर्डर्स के संदर्भ में मिश्रित अधिगम नर्सिंग विद्यार्थियों का अधिगम प्रतिफल बढ़ाने में प्रभावी पाया गया (कनिका, 2020)। एक विदेशी भाषा शिक्षण के रूप में अंग्रेज़ी शिक्षण के लिए मिश्रित अधिगम उपागम का प्रयोग करना बहुत लाभप्रद है तथा 84 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि पारंपरिक शिक्षण विधियों की तुलना में उनकी भाषा प्रवीणता कौशल में अधिक सुधार हुआ है (अल्खलील, 2019)। अंग्रेज़ी शिक्षण और सीखने में मिश्रित शिक्षा संबंधित समीक्षा में पाया गया कि मिश्रित अधिगम उपागम का उपयोग भाषा कौशल को विकसित करने, सीखने के वातावरण को बढ़ाने तथा विद्यार्थियों में प्रेरणा वृद्धि के लिए किया जा सकता है (अल्सल्ही, 2019)। प्रबंधकीय कार्य साधकता को बढ़ाने में मिश्रित अधिगम उपागम प्रभावी है (महाजन, 2013)।

उपरोक्त संबंधित साहित्य के अध्ययन में मिश्रित अधिगम उपागम का नर्सिंग, प्रबंधन, विदेशी भाषा शिक्षण एवं अंग्रेज़ी भाषा शिक्षण विषयों पर प्रभावशीलता संबंधित शोध कार्य प्राप्त हुए, परंतु हिंदी भाषा कौशल उपलब्धि के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त नहीं हुए। अतः हिंदी भाषा कौशल उपलब्धि पर मिश्रित अधिगम उपागम की प्रभावशीलता का अध्ययन करने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

विभिन्न प्रतिवेदनों के आधार पर

मिश्रित अधिगम उपागम की आवश्यकता क्यों?

भारतीय शिक्षा की स्थिति का आकलन करने के लिए वर्ल्ड बैंक एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुणवत्तापूर्ण बनाने, अधिगम विपन्नता को कम करने तथा वर्तमान परिदृश्य में विद्यार्थियों को सीखने की स्वायत्तता के लिए मिश्रित अधिगम प्रणाली को अपनाने और इस पर अधिक से अधिक शोध कार्य किए जाने की आवश्यकता है, जिसका उल्लेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी किया गया है।

हिंदी भाषा कौशल तथा शिक्षक-प्रशिक्षणार्थी क्यों?

भारत में 55 प्रतिशत 10 वर्ष के बच्चे विषय-वस्तु नहीं पढ़ सकते तथा उच्च प्राथमिक में सफल नहीं हो पाते (यूआईएस और वर्ल्ड बैंक, 2019)। सीखने का परिणाम केवल कम ही नहीं है, बल्कि 2010 से कम भी हो रहा है। 53.7 प्रतिशत बच्चों की तुलना में जो 2010 में पढ़ सकते थे, केवल 46.8 प्रतिशत 2012 में पढ़ने में सक्षम थे (असर, 2013)। कक्षा 8 के 27 प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा 5 का पाठ नहीं पढ़ पाते हैं (असर, 2019)। भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम को स्कूल और उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020)।

उपरोक्त विभिन्न प्रतिवेदनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विद्यालयी स्तर पर विद्यार्थियों

© NCERT not to be republished

की पठन दक्षता संबंधित आँकड़े चिंताजनक हैं। अगर विद्यालयी स्तर पर यह समस्या है तो यह कहीं न कहीं भाषा शिक्षकों की विफलता को प्रदर्शित करता है और यह विफलता भाषा शिक्षक-प्रशिक्षण पर भी सवाल खड़ा करती है। इस विषय की चिंता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से भी स्पष्ट होती है, जिसमें यह उल्लेख मिलता है कि, "कई उपाय करने के पश्चात् भी देश में भाषा सिखाने वाले कुशल शिक्षकों की अत्यधिक कमी रही है। भाषा शिक्षण में भी सुधार किया जाना चाहिए ताकि वह अधिक अनुभव-आधारित बने और उस भाषा में बातचीत और अंतःक्रिया करने की क्षमता पर केंद्रित हो न कि केवल भाषा के साहित्य, शब्द भंडार और व्याकरण पर।"

संक्रियात्मक परिभाषाएँ

1. **मिश्रित अधिगम उपागम**— शोध में प्रयुक्त मिश्रित अधिगम उपागम से तात्पर्य कक्षा-कक्ष प्रत्यक्ष शिक्षण और ऑनलाइन शिक्षण उपागम दोनों के मिश्रण से है।

2. **हिंदी भाषा कौशल उपलब्धि**—शोध में प्रयुक्त हिंदी भाषा कौशल से तात्पर्य, भावों एवं विचारों को पढ़कर ग्रहण करने और लिखकर अभिव्यक्त करने की दक्षता से है। हिंदी भाषा कौशल उपलब्धि से तात्पर्य—पठन और लेखन की दक्षता संबंधी विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति से है।
   (क) पठन (पढ़ना) कौशल— वर्तमान शोध कार्य में पढ़ना कौशल से तात्पर्य शब्दों का सही-सही उच्चारण करना, गद्यांश के मौन पठन तथा काव्यांश के सस्वर पठन से है।
   (ख) लेखन कौशल—वर्तमान शोध कार्य में लेखन कौशल से तात्पर्य विद्यार्थी-शिक्षकों की सृजनात्मकता, चिंतनशीलता, अभिव्यक्ति को लिपिबद्ध कर सरल प्रस्तुति करने, उसे सुगठित व रचनात्मक रूप देने की दक्षता से है।

3. **शोध में प्रयुक्त स्नातक स्तर के विद्यार्थी शिक्षक**—शोध में प्रयुक्त स्नातक स्तर के विद्यार्थी शिक्षकों से तात्पर्य बी.एड. एवं बी.ए. बी.एड. अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के विद्यार्थी शिक्षकों से है।

उद्देश्य

प्रयोगात्मक और नियंत्रित समूह के हिंदी भाषा कौशल उपलब्धि के समायोजित माध्य फलांकों की तुलना करना, जबकि पूर्व हिंदी भाषा कौशल उपलब्धि को सहचर के रूप में लिया गया है।

शून्य परिकल्पना

शोध अध्ययन की शून्य परिकल्पना थी— प्रयोगात्मक और नियंत्रित समूह के हिंदी भाषा कौशल उपलब्धि के समायोजित माध्य फलांकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है, जबकि पूर्व हिंदी भाषा कौशल उपलब्धि को सहचर के रूप में लिया गया है।

परिसीमन

शोध अध्ययन का निम्न प्रकार से परिसीमन किया गया था—

1. यह शोध कार्य स्नातक स्तर के अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम बी.एड. एवं बी.ए. बी.एड. के केवल हिंदी विद्यार्थी-शिक्षकों पर किया गया।
2. शोध में हिंदी के चार भाषा कौशल श्रवण, मौखिक, पठन एवं लेखन में से केवल पठन और लेखन कौशल पर कार्य किया गया है।

© NCERT not to be republished

शोध अभिकल्प

शोध अध्ययन में गैर-समतुल्य नियंत्रित समूह अभिकल्प का प्रयोग किया गया, जिसका निरूपण निम्नानुसार है—

O X O

O O

जहाँ पर—

O — अवलोकन

X — मिश्रित उपागम

--- — समूह की गैर समतुल्यता

प्रतिदर्श

शोध अध्ययन हेतु क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर में अध्ययनरत स्नातक स्तर के 44 विद्यार्थी-शिक्षकों तथा सम्राट शिक्षक-शिक्षा महाविद्यालय से 46 विद्यार्थी-शिक्षकों को प्रतिदर्श के रूप में चयनित किया गया। अत: बी.एड. सत्र 2017–19 तथा बी.ए. बी.एड. सत्र 2016–20 से कुल 90 विद्यार्थी-शिक्षकों को प्रतिदर्श के रूप में चयनित किया गया।

उपचार

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के विद्यार्थी-शिक्षकों को प्रयोगात्मक समूह के रूप में लेकर मिश्रित अधिगम उपागम द्वारा तथा सम्राट महाविद्यालय के विद्यार्थी-शिक्षकों को नियंत्रित समूह के रूप में चयनित करके परंपरागत शिक्षण उपागम द्वारा पढ़ाया गया। उपचार प्रारंभ करने से पूर्व, पूर्व हिंदी भाषा कौशल उपलब्धि परीक्षण एवं उपचार के बाद पश्च हिंदी भाषा कौशल उपलब्धि परीक्षण लिया गया। शिक्षण विषय-वस्तु के रूप में स्नातक स्तर के अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के पाठ्यक्रम से हिंदी शिक्षणशास्त्रीय विषय का चयन किया गया था, जिसमें भाषा की प्रकृति एवं प्रकार, विभिन्न आयोगों एवं हिंदी की संवैधानिक स्थिति तथा पाठ्यक्रम में स्थान, हिंदी की विविध विधाएँ एवं उनका शिक्षण, भाषा शिक्षण विधियाँ एवं उपागम, हिंदी भाषा कौशल एवं उनका शिक्षण-पठन कौशल, लेखन कौशल और त्रिभाषा सूत्र प्रकरण सम्मिलित थे।

मिश्रित अधिगम उपागम आधारित शिक्षण में चयनित प्रकरणों की विषय-वस्तु को कक्षा-कक्ष में शिक्षण के साथ-साथ गूगल क्लासरूम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एच5पी, क्विज़ेज़ ऐप के द्वारा सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस गतिविधियों को एकीकृत किया गया, जैसे— गूगल क्लास द्वारा कक्षा में पढ़ाने से पूर्व एवं पश्चात् विद्यार्थी-शिक्षकों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना, चर्चा के लिए प्रश्न देना, संबंधित वीडियो साझा करना, कार्य देना तथा फ्री ओपन सोर्स के रूप में उपलब्ध वीडियो को एच5पी के माध्यम से परस्पर संवादात्मक वीडियो के रूप में विकसित कर (जिसमें वीडियो के बीच में कई प्रश्न जुड़े होते हैं, जिनका उत्तर वीडियो के मध्य में ही देना होता है।) कक्षा में शिक्षण की विषय-वस्तु संबंधित गतिविधियाँ कराना एवं आकलन करना सम्मिलित था। नियंत्रित समूह को परंपरागत ढंग से पढ़ाया गया, जिसमें कक्षा-कक्ष प्रत्यक्ष संवाद, परिचर्चा, कागज़-कलम क्रियाकलाप तथा आकलन सम्मिलित था।

उपकरण

हिंदी भाषा कौशल उपलब्धि परीक्षण हेतु शोधार्थी द्वारा निर्मित भाषा कौशल उपलब्धि परीक्षण का

© NCERT not to be republished

उपयोग किया गया, जिसमें काव्य पठन, गद्यांश का मौन पठन, शब्द उच्चारण, श्रुतलेख एवं पत्र लेखन संबंधित प्रश्न सम्मिलित किए गए। काव्य पठन के आकलन हेतु 10 प्रभाव पक्ष— लयबद्धता, उचित ठहराव, वाचन गति, भाव के अनुरूप वाचन, अनुतान, बलाघात, उच्चारण स्पष्टता, प्रवाह, भाव भंगिमा तथा समग्र प्रभाव पर पाँच स्तर पर मापन करने वाली मापनी द्वारा मापा गया। लेखन कौशल के आकलन हेतु पाँच प्रभाव पक्ष— प्रारूप, शब्द चयन, वर्तनी, वाक्य तथा भाषा का निर्धारण कर 5 रेटिंग स्केल पर रेट किया गया। उपकरण की विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा विषय-वस्तु वैधता ज्ञात की गई।

प्रदत्तों का सांख्यिकी विश्लेषण

इस शोध अध्ययन हेतु उद्देश्यानुसार पूर्व हिंदी भाषा कौशल उपलब्धि को सहचर लेकर प्रयोगात्मक और नियंत्रित समूह के हिंदी भाषा कौशल उपलब्धि के समायोजित माध्य फलांकों की तुलना हेतु एकमार्गीय सहप्रसरण का प्रयोग किया गया। इसके प्रयोग से पूर्व निम्नलिखित अवधारणाओं की जाँच की गई —

- स्वतंत्र चर के दोनों स्तरों पर आश्रित चर की प्रसामान्यता की अवधारणा
- त्रुटि प्रसरणों की समजातीयता का परीक्षण
- सहचर और उपचार के बीच अंतःक्रिया की अनुपस्थिति
- स्वतंत्र चर के दोनों स्तरों पर सहचर और आश्रित चर में रेखीय सहसंबंध।

एकमार्गीय सहप्रसरण विश्लेषण की उपरोक्त अवधारणाओं की जाँच संबंधी निष्कर्ष—

- स्वतंत्र चर के सभी स्तरों पर आश्रित चर के फलांकों की प्रसामान्यता की अवधारणा संतुष्ट नहीं होती है।
- त्रुटि प्रसरणों में समानता की अवधारणा संतुष्ट नहीं होती है।
- सहचर और उपचार के बीच अंत:क्रिया की अनुपस्थिति की अवधारणा संतुष्ट नहीं होती है।
- स्वतंत्र चर के सभी स्तरों पर सहचर और आश्रित चर के बीच रेखीय सहसंबंध की अवधारणा संतुष्ट होती है।

अत: एकमार्गीय सहप्रसरण विश्लेषण की सभी अवधारणाएँ संतुष्ट नहीं हुईं, इसलिए इसमें एकमार्गीय सहप्रसरण विश्लेषण न लगाकर अप्राचलिक एकमार्गीय सहप्रसरण विश्लेषण (Quade Rank ANCOVA) द्वारा विश्लेषण किया गया। सुन्गुर एवं अन्काराली (2018) के अनुसार, "अप्राचलिक सहप्रसरण विश्लेषण (Non Parametric ANCOVA) मॉडल का प्रयोग तब करते हैं, जब प्राचलिक सहप्रसरण विश्लेषण की अवधारणाएँ संतुष्ट नहीं होती हैं। इसके अंतर्गत अलग-अलग रैंक विधियाँ प्रयोग की जाती हैं। इस विधि में सर्वप्रथम आश्रित चर तथा सहचर को अलग-अलग रैंक प्रदान की जाती है, उसके बाद आश्रित चर की रैंक को आश्रित चर लेकर तथा सहचर की रैंक को स्वतंत्र चर लेकर, रिग्रेशन एनालसिस करते हुए अमानकीकृत अवशिष्ट प्राप्त किया जाता है। प्राप्त अमानकीकृत अवशिष्ट को आश्रित चर लेकर और उपचार को स्वतंत्र चर लेकर एनोवा लगाया जाता है। प्राप्त F का मान ही क्वार्ड की सांख्यिकी है"। Quade Rank ANCOVA

© NCERT not to be republished

तालिका 1— पूर्व हिंदी भाषा कौशल उपलब्धि को सहचर मानकर हिंदी भाषा कौशल उपलब्धि के लिए Quade Rank ANCOVA का परिणाम

विषयों के प्रभावों के मध्य अध्ययन						
आश्रित चर— अमानकीकृत अवशिष्ट						
स्रोत	***टाइप-3 वर्गों का योग***	***डी एफ (df)***	***माध्य वर्ग***	***एफ (F)***	***सार्थकता स्तर***	***आंशिक ई.टी.ए. वर्ग***
संशोधित मॉडल	43768.903[a]	1	43768.903	302.555	.000	.775
	21.614	1	21.614	.149	.700	.002
उपचार	43768.903	1	43768.903	302.555	.000	.775
त्रुटि	12730.441	88	144.664			
योग	56499.344	90				
संशोधित योग	56499.344	89				
a. आर वर्ग = .775 (समायोजित आर वर्ग = .772)						

विश्लेषण एस.पी.एस.एस. के द्वारा किया गया, जिससे प्राप्त परिणामों को तालिका 1 में प्रदर्शित किया गया है —

तालिका 1 से स्पष्ट है कि उपचार के लिए Quade Rank ANCOVA 'F' का मान 302.555 है, जिसके लिए df= 1/89 पर द्वि-पुंच्छीय सार्थकता का मान 0.000 है, जो कि सार्थकता के 0.01 स्तर से कम है। अतः Quade Rank ANCOVA 'F' का मान df= 1/89 के साथ सार्थकता के 0.01 स्तर पर सार्थक है। उपचार के लिए प्रभाव आकार आंशिक ई.टी.ए. वर्ग का मान 0.775 है, जिसका तात्पर्य है कि हिंदी भाषा कौशल उपलब्धि के लिए उपचार 77.5 प्रतिशत तक प्रभावी है। अत: प्रभाव आकार अत्यधिक बड़ा माना जा सकता है। बड़ा प्रभाव होने का मुख्य कारण मिश्रित अधिगम उपागम में सीखने का लचीलापन है, जिसमें विद्यार्थी-शिक्षकों को परंपरागत कक्षा-कक्ष शिक्षण के प्रत्यक्ष संवाद के साथ गूगल क्लास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तथा अन्य ऑनलाइन सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस संचार माध्यम से गतिविधियाँ कराई गईं। जिससे उन्हें विषय-वस्तु को दोहराने, चर्चा करने और गतिविधि द्वारा सीखने के अवसर प्राप्त हुए।

अतः प्रयोगात्मक समूह को दिए गए मिश्रित अधिगम उपागम आधारित उपचार तथा नियंत्रित समूह को दिए गए परंपरागत शिक्षण उपागम उपचार के समायोजित उपलब्धि की रैंक माध्य प्राप्तांकों में सार्थक अंतर है, इसलिए इस स्थिति में उद्देश्य हेतु निर्मित शून्य परिकल्पना; 'प्रयोगात्मक और नियंत्रित समूह के हिंदी भाषा कौशल उपलब्धि के समायोजित माध्य फलांकों में कोई सार्थक अंतर नहीं' निरस्त की जाती है। चूँकि, उपचार का हिंदी भाषा कौशल उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव है। इसलिए ग्राफ़ के माध्यम से उपचार समूह पर उपलब्धि का उच्च तथा निम्न स्तर दर्शाया गया है।

© NCERT not to be republished

आकृति 1 से स्पष्ट होता है कि प्रयोगात्मक समूह के अमानकीकृत अवशिष्ट माध्य, नियंत्रित समूह के अमानकीकृत अवशिष्ट माध्य की तुलना में सार्थक रूप से उच्च है।

निष्कर्ष

इस शोध अध्ययन में पाया गया कि हिंदी भाषा कौशल उपलब्धि बढ़ाने के संदर्भ में मिश्रित अधिगम उपागम, परंपरागत शिक्षण उपागम की तुलना में सार्थक रूप से प्रभावी है, जिसका प्रभाव आकार 0.775 है। यह शोध परिणाम यह प्रदर्शित करता है कि मिश्रित अधिगम उपागम परंपरागत उपागम की तुलना में अधिक लाभदायक है तथा शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की हिंदी पठन और लेखन कौशल उपलब्धि बढ़ाने के संदर्भ में 77.5 प्रतिशत प्रभावी है। नि:संदेह इसका कारण मिश्रित अधिगम उपागम द्वारा विषय-वस्तु की प्रस्तुति है, जो कि विद्यार्थियों को परंपरागत उपागम की तुलना में सीखने की अधिक स्वायत्तता देता है। मिश्रित अधिगम उपागम में विद्यार्थी-शिक्षकों के पास कक्षा-कक्ष अंत:क्रिया के साथ गूगल क्लास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एच5पी द्वारा निर्मित परस्पर संवादात्मक वीडियो आधारित शिक्षण गतिविधियाँ तथा अन्य संचार माध्यम से शिक्षक द्वारा साझा की गई अध्ययन सामग्री एवं श्रव्य-दृश्य सामग्री संसाधन के रूप में उपलब्ध होती हैं, जिन्हें वे कक्षा के बाद अपनी सुविधानुसार दोहरा सकते हैं। इसका दूसरा प्रमुख कारण यह भी है कि मिश्रित अधिगम उपागम एक नवीन उपागम है, जिसके प्रति विद्यार्थी-शिक्षकों का रुझान ज़्यादा देखने को मिला। वे कक्षा-कक्ष की तुलना में एच5पी द्वारा निर्मित परस्पर संवादात्मक वीडियो, मेंटीमीटर और क्विज़ेज़ ऐप द्वारा गतिविधियों से सीखने में ज़्यादा सक्रियता से सहभागिता करते थे तथा खेल-खेल में स्वयं

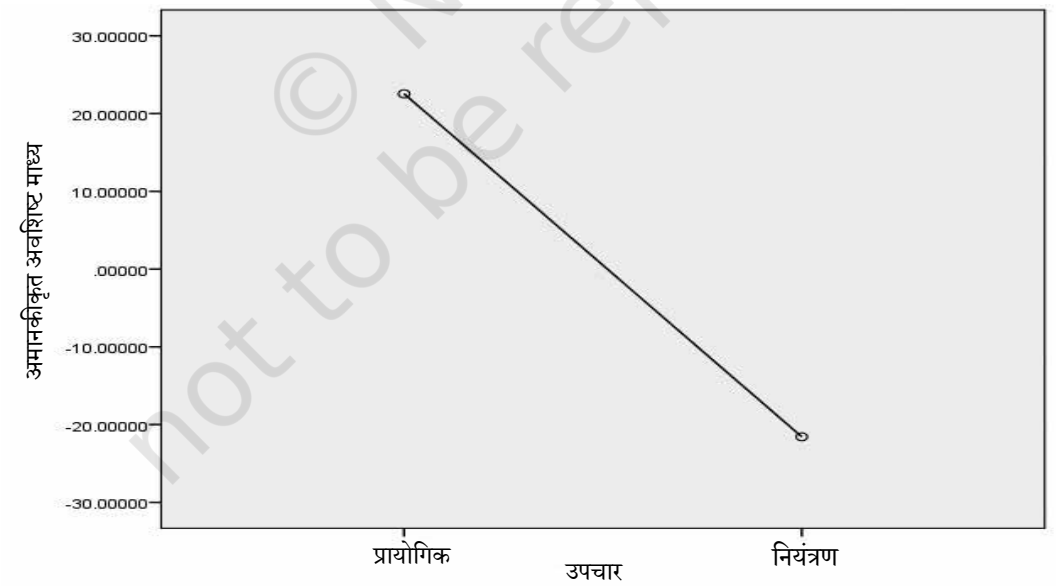

आकृति 1— विभिन्न उपचार समूहों की हिंदी भाषा कौशल उपलब्धि का ग्राफ़ीय निरूपण

© NCERT not to be republished

कक्षा-कक्ष की विषय-वस्तु को दोहरा लेते थे। सीखने की प्रक्रिया में मिश्रित अधिगम उपागम समूह के विद्यार्थी परंपरागत की तुलना में अधिक सक्रिय देखे गए।

मिश्रित अधिगम उपागम की प्रभावशीलता संबंधित शोध साहित्य में भी कनिका (2020), अल्खलील (2019), अल्सल्ही (2019) एवं महाजन (2013) के शोध परिणाम तथा स्यकेस (2005) का कथन भी इस शोध के मिश्रित अधिगम उपागम की प्रभावशीलता संबंधित परिणाम की पुष्टि करता है।

शैक्षिक निहितार्थ

इस शोध अध्ययन के निम्नलिखित शैक्षिक निहितार्थ हो सकते हैं—

अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम निर्माण

अध्यापक शिक्षा की वर्तमान पाठ्यचर्या एन.सी.एफ.टी.ई. 2009 आई.सी.टी. प्रश्न पत्र को सम्मिलित करते हुए तकनीकी दक्षता एवं प्रयोग पर बल देता है, आई.सी.टी. का प्रयोग शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को परंपरागत कक्षा-कक्ष शिक्षण को कंप्यूटर समर्थित बनाकर सीखने में सुविधा तो प्रदान करता है, लेकिन समय, स्थान और विधि संबंधित बाध्यता से स्वतंत्रता नहीं देता। आज अधिगमकर्ता को अधिक से अधिक अधिगम लचीलेपन की आवश्यकता है और इसकी पूर्ति मिश्रित अधिगम उपागम से संभव हो सकती है। अत: अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या में मिश्रित अधिगम उपागम को सम्मिलित करके इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

विद्यार्थी-शिक्षकों हेतु

शोध परिणाम विद्यार्थी-शिक्षकों के स्वाध्याय, शिक्षण अभ्यास एवं सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास के लिए भी प्रभावी हो सकता है, क्योंकि शोध के दौरान देखा गया कि प्रशिक्षु पाठ्यपुस्तक से पढ़ी हुई विषय-वस्तु को जब विभिन्न ऑनलाइन पटलों पर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से प्रस्तुत वीडियो या गेमिंग के रूप में देखते थे तो पढ़ी हुई विषय-वस्तु को आसानी से जोड़ते हुए स्वत: उस पर ऑडियो, वीडियो और गतिविधियाँ बनाकर प्रस्तुत करते थे और उसमें रुचि भी दिखाते थे। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो मिश्रित अधिगम आधारित शिक्षण उन्हें केवल विषय-वस्तु को पढ़ने का ही अवसर नहीं देता है, बल्कि उन्हें अनेक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और एप्लीकेशन से भी रूबरू कराता है, जो कि उनकी शिक्षण दक्षता तथा तकनीकी दक्षता को भी संवर्धित करता है। अतः मिश्रित अधिगम उपागम आधारित शिक्षण-प्रशिक्षण विद्यार्थी-शिक्षकों हेतु अत्यंत लाभदायक हो सकता है।

भाषा शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु

इस शोध परिणाम में पाया गया कि विद्यार्थी-शिक्षकों की भाषा कौशल उपलब्धि बढ़ाने में मिश्रित अधिगम उपागम 77.5 प्रतिशत प्रभावी है जो कि एक बढ़ा प्रभाव है। अतः इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में विभिन्न भाषा शिक्षण एवं शिक्षणशास्त्रीय विषयों के अध्ययन-अध्यापन हेतु यदि मिश्रित अधिगम उपागम को अपनाया जाए तो परिणाम बेहतर प्राप्त हो सकते हैं।

© NCERT not to be republished

संदर्भ

अल्खलील, ए. 2019. द एड्वेंज ऑफ़ यूज़िंग ब्लेंडेड लर्निंग इन स्टडीइंग इंग्लिश एज़ ए फ़ॉरेन लैंग्वेज़ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ़ तबुक. *मॉडर्न जर्नल ऑफ़ लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स*. 9(2), पृष्ठ संख्या 16–20.

अल्सल्ही, एन. आर., एल्ताहिर, एम. इ., और अल-कताव्नेह, एस. एस. 2019. द इफ़ेक्ट ऑफ़ ब्लेंडेड लर्निंग ऑन द अचीवमेंट ऑफ़ नाइन्थ ग्रेड स्टूडेंट्स इन साइंस एंड देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स इट्स यूज़. *हेलियोन*. 5(9), पृष्ठ संख्या 1–11.

असर. 2013. *एनुअल स्टेट्स ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट 2013*. असर सेंटर, नयी दिल्ली.

———. 2019. *एनुअल स्टेट्स ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट 2019*. असर सेंटर, नयी दिल्ली.

कनिका. 2020. *इफ़ेक्टिवनेस ऑफ़ ब्लेंडेड लर्निंग एप्रोच फ़ॉर टीचिंग कार्डियक डिसऑर्डर्स ऑन नर्सिंग स्टूडेंट्स*. डॉक्टोरल थीसिस, चितकारा यूनिवर्सिटी, पंजाब.

गैरिसन, डी. आर. और एच. कनुका. 2004. *ब्लेंडेड लर्निंग— एन्क्वायरिंग इट्स ट्रांस्फ़ोर्मेटिव पोटेंशियल इन हायर एजुकेशन*. *द इंटरनेट एंड हायर एजुकेशन*. 7(2), पृष्ठ संख्या 95–105.

महाजन, तुषार. 2013. *ए स्टडी ऑफ़ द इम्पैक्ट ऑफ़ ब्लेंडेड लर्निंग ऑन मैनेजीरिअल इफ़ेक्टिवनेस*. डॉक्टोरल थीसिस, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर.

यू.आई.एस. और वर्ल्ड बैंक. अक्तूबर. 2019. *इंडिया लर्निंग पावर्टी ब्रीफ, एडू एनालिटिक्स*. 12 नवंबर, 2020, को http://pubdocs.worldbank.org/en/386361571223575213/SAS-SACIN-IND LPBRIEF.pdf से प्राप्त किया गया.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2017. *प्राथमिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल*. पृष्ठ संख्या 19–20. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

———. 2018. *भाषा शिक्षण, हिंदी भाग 1*. पृष्ठ संख्या 193–194. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

वर्ल्ड बैंक. 2019. *द चेंजिंग नेचर ऑफ़ वर्क, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019*. द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, 89. 15 दिसंबर, 2020, को http://documents1.worldbank.org/curated/en/816281518818814423/pdf/2019-WDR-Report.pdf से प्राप्त किया गया.

शिक्षा मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति* 2020. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

सुन्गुर, एम.ए और एच. अंकाराली. 2018. द मेथड्स यूस्ड इन नॉनपैरामीट्रिक कोवैरिएंस एनालिसिस. *दुज्स मेडिकल जर्नल*. 20(1), 1–6.

स्ट्रॉस, वी. 2012. थ्री फ़ियर्स अबाउट ब्लेंडेड लर्निंग. *द वाशिंगटन पोस्ट*. 22 सितंबर, 2012. 6 अक्तूबर, 2020 को https://www.washingtonpost.com/blogs/answer-sheet/post/three-fears-about-blended-learning/2012/09/22/56af57cc-035d-11e2-91e7-2962c74e7738_blog.html से प्राप्त किया गया.

स्त्रोब्ल, जे. 2007. जियोग्राफ़िक लर्निंग. *जिओकनेक्शन इंटरनेशनल मैगज़ीन*. 6(5). पृष्ठ संख्या 46–47.

स्पोदार्क, ई. 2004. फ़्रेंच इन साइबरस्पेस— एन ऑनलाइन फ़्रेंच कोर्स फ़ॉर अंडरग्रेजुएट्स. *कालिको जर्नल*. 22(1), पृष्ठ संख्या 83–101.

© NCERT not to be republished

स्यकेस, जे. 2005. सिंक्रोनस सीएमसी एंड प्रैग्मेटिक डेवलेपमेंट— इफेक्ट्स ऑफ़ ओरल एंड रिटेन चैट. *कालिको जर्नल.* 22(3), पृष्ठ संख्या 399–431.

होइक-बोजिक, एन., मोर्नर, वी. और बोतिच्की, आई. 2009. ए ब्लेंडेड लर्निंग एप्रोच टू कोर्स डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन. *आईइइइ ट्रांज़ेक्शन ऑन एजुकेशन.* 52(1), पृष्ठ संख्या 19–30.

© NCERT not to be republished

ऑनलाइन शिक्षण
विद्यार्थियों के लिए सीखने के अवसरों में बढ़ता अंतर
(जनपद बागेश्वर के विशेष संदर्भ में)

केवलानंद काण्डपाल*

वैश्विक महामारी 'कोविड-19' के कारण विश्व के अधिकांश देशों को अपने विद्यालयों को बंद करने का विवशतापूर्ण निर्णय लेना पड़ा। आर्थिक गतिविधियाँ एक तरह से ठप हो जाने से समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जीवनयापन पर सबसे अधिक दुष्प्रभाव पड़ा और इसका असर इन परिवारों के विद्यार्थियों की शिक्षा पर भी पड़ा। 'ऑनलाइन शिक्षण' के लिए संसाधन जुटाने के लिए आवश्यक आर्थिक सामर्थ्य न होना, नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या, विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों के लिए शिक्षण की यह विधा एक तरह से नई होने के कारण, 'ऑनलाइन शिक्षण' के लिए ज़रूरी तैयारी का अभाव आदि कारणों से विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में अंतर आया है। वस्तुतः विद्यालय में विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में थोड़ा-बहुत अंतर तो रहता ही है, विद्यालय इस अंतर को कम अथवा दूर करने के लिए भरसक प्रयास भी करते हैं। 'ऑनलाइन शिक्षण' के कारण इस अंतर की मात्रा में अभिवृद्धि ही हुई है। 'ऑनलाइन कक्षाएँ' किसी भी रूप में विद्यालय की सामान्य कक्षाओं का विकल्प नहीं हो सकती हैं। वैश्विक महामारी के अस्थायी संक्रमण काल में यह एक अनैच्छिक विवशता है। 'ऑनलाइन शिक्षण' के माध्यम से विद्यार्थियों के सीखने के समान अवसर सृजित करने के लिए समुदाय सहभागिता आधारित विद्यार्थियों के 'मोहल्ला समूह', 'बाखली समूह' बनाकर समूह अधिगम उपागम उपयोगी साबित हो सकता है। इसके साथ समय-समय पर शिक्षकों द्वारा इन समूहों से संपर्क करके, ज़रूरी फ़ीडबैक देकर 'सीखने के समान अवसर' सृजित किए जा सकते हैं। 'ऑनलाइन शिक्षण' में बच्चे अधिकांश समय अपने घरों अथवा मोहल्ले अथवा बाखली में व्यतीत करते हैं, अतः उच्च कक्षाओं के बच्चे समुदाय के जागरूक एवं शिक्षित नागरिक, 'विद्यार्थियों के अधिगम समूहों' के मेंटर की भूमिका निभा सकते हैं। यह प्रयास शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के मध्य भौतिक दूरी के कारण विद्यार्थियों के सीखने की चुनौतियों को कुछ सीमा तक कम कर सकते हैं। इस शोध पत्र में जनपद बागेश्वर में किए गए इन्हीं प्रयासों एवं अध्ययन के आधार पर सीखने के अंतरों को बताया गया है, इसके साथ-साथ अध्ययन अनुभवों के आधार पर कुछ व्यावहारिक सुझाव भी दिए गए हैं।

सीखना-सिखाना एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया (इंटेरेक्टिव प्रोसेस) है, यह अंतःक्रिया विद्यार्थी, पाठ्यचर्या के मध्य चलती है, जिससे बच्चे अर्थपूर्ण अनुभव प्राप्त करते हैं। शिक्षक एक फ़ैसिलिटेटर की भूमिका में वातावरण

*प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यामिक विद्यालय, पुड्कुनी (कपकोट), जनपद-बागेश्वर, उत्तराखण्ड 263642

© NCERT not to be republished

निर्माण और फ़ीडबैक द्वारा इसे संभव बनाते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विद्यार्थी एवं शिक्षक साथ-साथ मौजूद हों और पाठ्यचर्या के अनुभवों से विद्यार्थी गुज़रें। दरअसल विद्यालयों में विद्यार्थियों को प्राप्त होने वाले व्यक्तिगत अनुभवों का कोई विकल्प नहीं है। विद्यालय में बच्चे पाठ्यचर्या से गुज़रते हुए शिक्षक के सानिध्य में इन अनुभवों को सहजता से प्राप्त करते हैं और इसी क्रम में बहुत सारे जीवन कौशलों को विकसित करते हैं, जैसे— सहयोग, संप्रेषण, निर्णय लेना, समय प्रबंधन, समस्या समाधान, नेतृत्व, धैर्य, विविधता को स्वीकारना आदि-आदि। विद्यालय में शिक्षण की इस प्रक्रिया को निम्नांकित रेखाचित्र के माध्यम से निरूपित किया जा सकता है—

फ़ेस टू फ़ेस कक्षाओं में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया

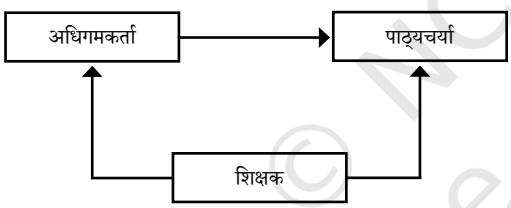

शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसके साथ ही अधिगम एक व्यक्तिगत अनुभव है। हम भारत में परंपरागत कक्षाओं के जिस स्वरूप को देखते आ रहे हैं और इसके लगभग अभ्यस्त भी हो चले हैं, इस ढाँचे की जड़ें औपनिवेशिक शासनकाल से जुड़ी हैं। ये परंपरागत कक्षाएँ तमाम आलोचनाओं के बावजूद हमारे देश की शैक्षिक प्रणाली में अहम स्थान रखती हैं, न्यूनतम मानक स्तर पर होने के बावजूद भी एक भौतिक कक्षा (फ़ेस टू फ़ेस क्लास) एक अध्यापक और कक्षा में मौजूद विद्यार्थियों को एक-दूसरे से अंतःक्रिया करने के अवसरों की संभावनाएँ सृजित करती हैं। इतना ही नहीं, सामान्य दशाओं में विद्यालय आने-जाने के दौरान प्राप्त अनुभव, विद्यालयी पाठ्यचर्या के दौरान कक्षा-कक्षीय और कक्षा-कक्ष के बाहर प्राप्त अनुभव विद्यार्थियों के सीखने के अनुभवों को गहनता और व्यापक विस्तार देते हैं। विद्यालय एक ऐसी स्थूल जगह है, जो प्रत्येक बच्चे को यह विश्वास दिलाने में कमोबेश सफल रहता है कि उन्हें यहाँ सीखने के अवसर मिलेंगे और वे अपनी रुचि, गति और पसंदीदा तरीके से सीख सकेंगे। इस प्रकार विद्यालय में बच्चे के सर्वांगीण विकास के क्रम में अंतर्निहित क्षमताओं के प्रकटीकरण की बेहतर संभावनाएँ रहती हैं। विद्यालय में पाठ्यचर्या के दौरान विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के साथ-साथ सामाजिक भावनात्मक और जीवन कौशल (टीम वर्क, नेतृत्व, संप्रेषण कौशल, सहयोग एवं सहकारिता, समानुभूति, विविधताओं को स्वीकार करना आदि) मूल्यों के बीजारोपण की प्रबल संभावनाएँ मौजूद रहती हैं। विद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रतिदिन जो विविध अनुभव प्राप्त होते हैं, उसका अन्य कोई विश्वसनीय विकल्प नहीं है।

कोविड-19 के कारण विश्व के अनेक देशों में किसी न किसी रूप में विद्यालय एवं उच्च शिक्षा संस्थान बंद रखने पड़े। भारत में जनवरी 2020 में कोरोना ने अपनी दस्तक दी और मार्च 2020 के प्रथम सप्ताह से कोरोना के मामलों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ने लगी। अतः देश के विभिन्न राज्यों में विद्यालय एवं उच्च शिक्षा संस्थान बंद रखने के निर्णय लागू किए गए। उत्तराखंड राज्य में मध्य मार्च 2020 से ही विद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थान बंद करने का निर्णय लिया गया और बाद में इस अवधि को समय-समय पर बढ़ाते हुए माह अक्तूबर तक

© NCERT not to be republished

बढ़ाया जाता रहा। यद्यपि इस बीच में उच्च शिक्षा संस्थानों को परीक्षाओं के दृष्टिगत सीमित रूप से खोला भी गया, परंतु प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से कक्षा 12 तक) तो अक्तूबर 2020 तक बंद ही रहे हैं। 2 नवंबर, 2020 से बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए केवल दसवीं और बारहवीं कक्षाओं को विद्यालय में पढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसमें भी इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को विद्यालय में उपस्थित होने की अनिवार्यता एवं बाध्यता से मुक्त रखा गया। इससे इन कक्षाओं के विद्यार्थियों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई।

यह सत्य है कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण विद्यालयों को लंबे समय तक बंद रखने का निर्णय लेना पड़ा। इससे पहले विद्यालय गर्मियों की लंबी छुट्टियों (लगभग 35 दिन) और जाड़ों में कुछ दिनों (लगभग 10–11 दिन) के लिए ही बंद होते रहे हैं। इस अवधि में भी शिक्षकों के द्वारा यह चिंता व्यक्त की जाती रही है कि छुट्टियों में विद्यार्थियों ने जो कुछ भी पढ़ा-लिखा-सीखा था, भूल गए हैं अर्थात् सीखे हुए की हानि हुई है। अब जबकि विद्यार्थियों को 10 माह से अधिक समय से विद्यालय जाने के अवसर नहीं मिल पाए हैं तो इस हानि की गहनता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। यद्यपि विद्यार्थियों की पढ़ाई-लिखाई का नुकसान न हो इसके लिए वैकल्पिक उपाय के तौर पर 'डिजिटल' 'ऑनलाइन' व 'व्हाट्सएप' कक्षाओं का विचार सामने आया। शुरुआत में इन माध्यमों का उपयोग कोरोना संबंधी जागरूकता, कुछ घरेलू गतिविधियों तक ही सीमित रहा, यह विश्वास था कि इस वैश्विक महामारी से जल्द ही उबर जाएँगे और विद्यालय पहले की तरह सामान्य रूप से संचालित होने लगेंगे। यह आशा पूर्ण न हो सकी, विद्यालय लंबे समय तक बंद ही रहे, सो अपेक्षाकृत बाद में इन डिजिटल माध्यमों से विषयगत पाठ्यचर्या अथवा विषय-वस्तु को विद्यार्थियों तक पहुँचाने के प्रयासों पर ज़ोर दिया जाने लगा। अतः 'ऑनलाइन शिक्षण' का विचार सामने आया और इसके द्वारा पढ़ाई-लिखाई को न केवल जारी रखने, बल्कि पढ़ाई- लिखाई के नुकसान की भरपाई करने का दावा भी शैक्षिक प्रशासकों द्वारा किया गया।

'ऑनलाइन शिक्षण' के दौरान एक नई तरह की कक्षाओं की निर्मिति हुई जो हमारे देश के बहुसंख्यक विद्यार्थियों के लिए एकदम नई है, बहुत हद तक शिक्षकों के लिए भी नई ही है और 'ऑनलाइन कक्षाओं' का यह ढाँचा परंपरागत कक्षाओं के ढाँचे के मुकाबले भिन्न है। विगत एक दशक में, जब से विद्यार्थियों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (वस्तुतः 1 अप्रैल, 2010 से यह भारत में लागू हुआ।) लागू हुआ है, सरकारी विद्यालयों में समाज के अलाभकर वर्ग से विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ा है, इसमें से बहुत बड़ी संख्या उन विद्यार्थियों की है, जो अपने परिवारों से प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों एवं परिवारों के लिए सरकारी स्कूलों का चयन एकमात्र विकल्प और अवसर है।

कोरोना काल में विद्यालय बंदी के कारण ऐसे विद्यार्थियों के सीखने के अवसरों में विषमता बढ़ी है। 'ऑनलाइन कक्षाओं' के लिए ज़रूरी संसाधनों तक पहुँच, आधारभूत संरचना की अपर्याप्तता, नेटवर्क की उपलब्धता सबसे बढ़कर आर्थिक संसाधनों की सीमितताओं ने ऐसे विद्यार्थियों के सीखने के

© NCERT not to be republished

अवसरों की विषमता को अधिक गहन ही किया है। इससे पहले विद्यार्थियों को घरों में उपलब्ध संसाधनों की विषमता ज़रूर थी, परंतु विद्यालय में सीखने के अवसरों में करीब-करीब समानता बरती जाती रही है, 'ऑनलाइन कक्षाओं' ने सीखने के अवसरों में भी अंतर पैदा कर दिया है। इस अध्ययन में 'ऑनलाइन शिक्षण' के कारण विद्यार्थियों के सीखने के अवसरों में उत्पन्न हुए अंतर के कारणों और उसके प्रभावों को जानने-समझने का प्रयास किया गया है। जनपद बागेश्वर की स्कूली शिक्षा के दृष्टिगत इस अध्ययन में 'ऑनलाइन शिक्षण' की चुनौतियों और विद्यार्थियों के सीखने के अवसरों में सृजित अंतर के कारणों का विश्लेषण करने का एक 'गिलहरी प्रयास' (स्किवरल अटेम्पट) है।

जनपद बागेश्वर— 15 सितम्बर, 1997 को अस्तित्व में आया जनपद बागेश्वर का कुल क्षेत्रफल 2,246 वर्ग किमी. है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस जनपद की कुल जनसंख्या 2,59,898 थी, जिसमें 2,29,925 (88.47 प्रतिशत) जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। जनपद में 854 आबाद ग्राम है। इन आबाद 854 गाँवों में 830 (97%) गाँव विद्युतीकृत हैं, दूरभाष संयोजन अथवा कनेक्टिविटी की सुविधा केवल 644 गाँवों (75%) में उपलब्ध है, 186 गाँव इस तरह की सुविधाओं से महरूम हैं। जनपद में लगभग 1,50,000 लोगों के पास मोबाइल फ़ोन हैं, अर्थात कुल जनसंख्या के 42 प्रतिशत के पास यह उपलब्ध नहीं है। जनपद बागेश्वर की 88.47 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, स्पष्ट है कि जनपद के सरकारी स्कूलों में नामांकित विद्यार्थियों की बड़ी संख्या इन्हीं ग्रामीण क्षेत्र (जनपद के कस्बेनुमा शहरी क्षेत्रों में कतिपय निजी स्कूल संचालित हैं, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूल ही संचालित हैं) से आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति का न होना, दूरसंचार अथवा नेटवर्क कनेक्टिविटी का अभाव होना, मोबाइल फ़ोनों की उपलब्धता एवं उस तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की पहुँच, ऐसे घटक हैं जो 'ऑनलाइन शिक्षण' के उपक्रम में ऐसे विद्यार्थियों के समक्ष ऐसी विषम चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं, जिनका समाधान उनके हाथ में नहीं है, परंतु इनसे उनके सीखने के अवसरों में सारभूत अंतर आ जाता है और यह स्वाभाविक भी है।

जनपद बागेश्वर के तीनों विकास खंडों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक कुल 909 सरकारी विद्यालयों में 55,949 विद्यार्थी नामांकित हैं, 3,412 शिक्षक-शिक्षिकाएँ कार्यरत हैं। इसका विकास खंडवार विवरण तालिका 1 में दिया गया है—

तालिका 1— विकास खंडवार सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की स्थिति

क्र. सं.	विकास खंड	सरकारी विद्यालय	नामांकित विद्यार्थी	शिक्षक या शिक्षिकाएँ	विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (पी.टी.आर.)
1.	बागेश्वर	371	24774	1563	15.85
2.	गरुड़	226	15935	925	17.22
3.	कपकोट	312	15240	924	16.49
जनपद बागेश्वर		**909**	**55,949**	**3,412**	**16.40**

स्रोत— यू-डायस (30 सितंबर, 2020), जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा अभियान, जनपद, बागेश्वर।

© NCERT not to be republished

समग्र दृष्टि से विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (पी.टी.आर.) बहुत कम नज़र आता है, परंतु यहाँ पर उल्लेखनीय है कि जनपद के आधे से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में एकल शिक्षक अथवा शिक्षिका कार्यरत हैं। इस प्रकार से एक से अधिक कक्षाएँ, प्रत्येक कक्षा के एक से अधिक विषय और प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों का सीखने के विभिन्न स्तरों पर होना, 'ऑनलाइन शिक्षण' के संदर्भ में, शिक्षक-शिक्षिकाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों का हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। 'ऑनलाइन शिक्षण' के क्रम में विद्यालयों और शिक्षकों से अपेक्षा की गई कि वे डिजिटल माध्यमों से प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। इसके लिए इंटरनेट द्वारा जहाँ पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ डी.टी.एच. माध्यम से इसे पहुँचाएँगे। जनपद के सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध इंटरनेट एवं डी.टी.एच. सुविधा का विवरण तालिका 2 में दिया गया है।

इंटरनेट की उपलब्धता की दृष्टि से सरकारी विद्यालयों की स्थिति अत्यंत असंतोषजनक है। डी.टी.एच. की सुविधा भी बहुत कम सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध है। दोनों ही मामलों में विकास खंड कपकोट की स्थिति चिंताजनक है। बागेश्वर जनपद का यह विका सखंड दुर्गम एवं अति दुर्गम भू-भाग में अवस्थित है। उक्त समंकों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि विद्यालयों में ये सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं तो विद्यालयों के सेवित क्षेत्रों (गाँवों) में इन सुविधाओं की उपलब्धता चिंताजनक है। इन सुविधाओं के अभाव में 'ऑनलाइन शिक्षण' का लाभ सभी विद्यार्थियों तक पहुँचाना एक अलग तरह की चुनौती है और इसकी व्यवहार्यता भी संदेहों से परे नहीं कही जा सकती है। जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास अधिकतर सामान्य फ़ोन होने से 'ऑनलाइन शिक्षण' में असुविधा होती है। शिक्षा विभाग द्वारा 'ऑनलाइन शिक्षण' पर आयोजित एक वर्चुअल मीटिंग में बताया गया कि जनपद में लगभग 30 प्रतिशत विद्यार्थियों की पहुँच स्मार्ट फ़ोन तक थी, उनके पास नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध थी, कपकोट विकास खंड के लिए यह प्रतिशत 26.72 था। अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बेंगलुरु द्वारा आयोजित फ़ील्ड स्टडी में कहा गया है कि 31 प्रतिशत विद्यार्थियों की पहुँच ऑनलाइन शिक्षण हेतु उपयुक्त स्मार्ट फ़ोन तक है।

तालिका 2— विकास खंडवार इंटरनेट एवं डी.टी.एच. सुविधाओं की स्थिति

क्र. सं.	विकास खंड	विद्यालय	इंटरनेट		डी.टी.एच.	
			उपलब्ध है	*उपलब्ध नहीं है*	*उपलब्ध है*	*उपलब्ध नहीं है*
1.	बागेश्वर	371	32 (8.62%)	339 (91.38%)	16 (4.50%)	355 (95.50%)
2.	गरुड़	226	28 (12.38%)	198 (87.62%)	04 (1.77%)	222 (98.23%)
3.	कपकोट	312	19 (6.08%)	293 (93.92%)	11 (3.53%)	301 (96.47%)
जनपद बागेश्वर		**909**	**79 (8.69%)**	**830 (91.31%)**	**31 (3.41%)**	**878 (96.59%)**

स्रोत— यू-डायस (30 सितंबर, 2020), जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा अभियान, जनपद, बागेश्वर।

© NCERT not to be republished

साहित्यावलोकन

कुह्फ़ेल्ड एवं अन्य (2020), मैकिंसे (2021), अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय का क्षेत्र अध्ययन (फ़ील्ड स्टडी), मिथ्स ऑफ़ ऑनलाइन एजुकेशन (सितंबर 2020), गाइडेंस नोट— रिमोट लर्निंग एंड कोविड-19 (अप्रैल 2020), गाइडेंस फ़ॉर डिजिटल एजुकेशन, प्रज्ञाता (2020) के गहन अध्ययन और लॉकडाउन अवधि में ऑनलाइन शिक्षण पर केंद्रित वेबिनार में चर्चा-परिचर्चा एवं विमर्श, जनपद बागेश्वर के माध्यमिक विद्यालयों की विभिन्न कक्षाओं में व्हाट्सएप समूहों के अनुभवों के आलोक में जनपद बागेश्वर के विशेष संदर्भ में अध्ययन की ज़रूरत महसूस की गई। यह लेख इसी अध्ययन की निष्पत्ति है।

प्रविधि

यह अध्ययन वर्णनात्मक, विश्लेष्णात्मक एवं विवरणात्मक प्रकृति का है। कोरोना काल में स्कूल बंदी के दौरान समाचार पत्रों के निरंतर अवलोकन, इसी अवधि में राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय वेबिनार में सहभागिता एवं विमर्श, अनौपचारिक तौर पर शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों से बातचीत से प्राप्त अंतर्दृष्टियों एवं अनुभवों का समावेश इस अध्ययन में सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त फ़रवरी 2020 से नवंबर 2020 तक कपकोट विकास खंड में खंड शिक्षा अधिकारी के दायित्व निर्वहन के दौरान 'ऑनलाइन शिक्षण' हेतु विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के व्हाट्सएप समूहों में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करने का भी अवसर मिला। अवलोकन से कपकोट विकास खंड में 'ऑनलाइन शिक्षण' की प्रत्यक्ष चुनौतियों को जानने-समझने का अवसर मिला। इस लेख में इन अनुभवों की प्रतिध्वनियाँ मुख्य रूप से शामिल हैं। समग्र रूप से जनपद बागेश्वर के संदर्भ में यह अध्ययन गुणात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का ही कहा जा सकता है। इस अध्ययन में प्रथम दृष्टया प्राप्त सूचनाओं तथा अवलोकन तथ्यों के साथ-साथ द्वितीयक समंकों का ही अधिकांशतः प्रयोग किया गया है। एक जनपद के अपेक्षाकृत छोटे सैंपल पर किए गए अध्ययन के आधार पर किसी सामान्यीकृत निष्कर्ष पर पहुँचना उपयुक्त न होगा, तथापि इससे 'ऑनलाइन शिक्षण' के क्रम में आने वाली चुनौतियों और विद्यार्थियों में सीखने के स्तर में आने वाले अंतर के बारे में उपयोगी सुराग निश्चित रूप से मिलते हैं।

परिणाम एवं चर्चा

मैकिंसे (2020) ने अपने शोध में पाया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑनलाइन शिक्षण के कारण विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गिरावट आई है, इतना ही नहीं अधिगम स्तर में इस नुकसान का असर उम्र भर रहेगा। कुह्फ़ेल्ड एवं अन्य (2020) ने संयुक्त राज्य अमेरिका के स्कूल बंदी के कारण सीखने की हानि संबंधी अपने अध्ययन में पाया की विद्यार्थियों में पढ़ने के कौशलों में 63–68 प्रतिशत तथा गणित संबंधी कौशलों में 37–50 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। ब्राउन विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस अध्ययन में पाया गया कि स्कूल बंदी और ऑनलाइन शिक्षण के कारण विद्यार्थियों के पठन कौशल में अधिगम स्तर की गिरावट लगभग एक-तिहाई और गणितीय कौशलों में यह गिरावट लगभग आधी हो गई है। यह नकारात्मक असर

© NCERT not to be republished

समुदाय के अलाभकर वर्ग और आर्थिक दृष्टि से सीमांत पर मौजूद वर्ग के परिवारों के विद्यार्थियों पर अधिक गहन है। ऐसा न मानने का कोई ठोस कारण नज़र नहीं आता कि भारत में भी यह असर इस वर्ग एवं समुदाय के विद्यार्थियों पर नहीं पड़ रहा होगा।

कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने से कमोबेश सभी विद्यार्थियों को सीखने के मौके गँवाने पड़े, परंतु आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों को इसका अधिक नुकसान हुआ, इसमें भी इन परिवारों की बालिकाओं पर इसका सबसे अधिक असर पड़ा। इसे लेकर रोहित धनकर का अवलोकन बहुत सार गर्भित है। धनकर का कहना है, "जब भी कोई मुसीबत आती है, फिर चाहे वह प्राकृतिक हो या फिर मानवजन्य, सबसे ज़्यादा नुकसान कमज़ोर तबके का ही होता है। इस तरह से देखा जाए तो कोरोना के कारण पढ़ाई का नुकसान भी गरीबी के अनुपात में अधिक हुआ है। इससे आगे देखा जाए तो गरीब घरों में भी लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की पढ़ाई ज़्यादा प्रभावित हुई है।"

- 'ऑनलाइन शिक्षण' के लिए कंप्यूटर या स्मार्ट फ़ोन की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही निर्बाध विद्युत आपूर्ति और इंटरनेट कनेक्शन की भी। 'ऑनलाइन शिक्षण' के लिए स्मार्ट फ़ोन के प्रयोग के लिए 3G अथवा 4G मोबाइल डाटा की ज़रूरत होती है, कमज़ोर आर्थिक स्थिति के परिवारों के लिए इसे निरंतर वहन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। यह परिदृश्य तब अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है, जब इन परिवारों में धनोपार्जन करने वाले सदस्यों में से अधिकांशतः अपना छोटा-मोटा रोज़गार भी कोरोना काल में गवाँ चुके हों। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही आर्थिक गतिविधियाँ बहुत सीमित थीं, कोरोना के कारण इन क्षेत्रों में छोटे-छोटे काम-धंधे भी समाप्त हो गए हैं।
- जेंडर समानता के व्यापक विमर्श के बावजूद हमारे समाज में पुरुष सत्तात्मक समाज के अंश गहन रूप से मौजूद हैं। इसका असर भी कोरोना काल में 'ऑनलाइन शिक्षण' के दौरान बालिकाओं की पढ़ाई-लिखाई पर पड़ा है। यदि परिवार में 'ऑनलाइन शिक्षण' के उपयोग हेतु एक ही फ़ोन उपलब्ध है तो यह देखने में आया है कि परिवार में स्कूल जा रहे लड़के को पहले इसका उपयोग करने की अनुमति दी जाती है और बालिकाओं को बाद में इसका उपयोग करने के लिए समझाया जाता है। यह बालिकाओं का एक तरह से भावनात्मक दोहन ही कहा जाएगा। 'ऑनलाइन शिक्षण' के संदर्भ में आयोजित वेबिनारों में बालिकाओं हेतु शिक्षण विषय-वस्तु में रेसिपी, कढ़ाई, सिलाई, साज-सज्जा, चित्रकारी, साफ़-सफाई, घर-सजाना आदि गतिविधियों में व्यस्त रखकर बालिकाओं को तनाव मुक्त रखने की बातें बहुधा सुनने में आईं। यह नज़रिया न केवल बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है, वरन् पुरुषसत्तात्मक समाज में बालिकाओं को किसी खास भूमिका के लिए तैयार करने की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। आश्चर्यजनक तो यह है कि कोरोना काल में भी इसकी प्रबलता नज़र आई, विद्यालय में बालिकाओं को बराबरी के जो मौके मिल सकते थे, कोरोना के कारण उनमें कमी आई और 'ऑनलाइन शिक्षण' के दरमियान भी बालिकाओं के लिए सीखने के समान अवसर

© NCERT not to be republished

कम हुए हैं। जनपद बागेश्वर के ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं की पढ़ाई-लिखाई का एक-दूसरे कारण से भी असर देखने में आया है। सामान्य स्कूली दिनों में बालिकाएँ घरेलू काम-काज के माहौल एवं ज़िम्मेदारियों से 5–6 घंटे दूर रह सकती थीं, इस समय का उपयोग स्वतंत्र रूप से अपनी पढ़ाई-लिखाई में कर सकती थीं, अपने सहपाठियों से चर्चा-परिचर्चा के अवसर निकाल सकती थीं, सीखने की कठिनाइयों पर काम कर सकती थीं। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि स्कूल के बाद के समय में, घर के काम-काज में सहयोग के लिए बालकों की तुलना में बालिकाओं से ही अपेक्षा की जाती है, फिर भी बहुत हद तक सामान्य स्कूली दिनों में बालिकाएँ सीखने के अवसर निकाल ही लेती थीं, स्कूल बंद रहने पर निश्चित रूप से बालिकाओं के लिए अवसरों में कमी आई है। विद्यालय में प्राप्त अनुभव के आलोक में बालिकाएँ घर के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ पाती थीं, स्कूल बंद रहने पर बालिकाओं की दुनिया को जानने-समझने की यह खिड़की बंद हो गई है। घर में बालिकाओं के लिए अलग तरह की रोक-टोक एवं तनाव होते हैं, विद्यालयों में बालिकाएँ अपने सहपाठियों के साथ मुक्त अथवा मुखर एवं सहज महसूस करती हैं।

- विद्यार्थियों के 'सीखने के स्तर' में अंतर की कई परतें साफ़-साफ़ नज़र आती हैं। मसलन कस्बाई अथवा शहरों में रहने वाले एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों के मध्य, आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत सक्षम परिवारों एवं आर्थिक तौर पर चुनौतियों का सामना कर रहे परिवारों से आने वाले विद्यार्थियों के मध्य, बालक एवं बालिकाओं के मध्य, साधन संपन्न निजी विद्यालय एवं सीमित साधन वाले विद्यालयों के विद्यार्थियों के मध्य यह अंतर महसूस किया जा सकता है। इसमें आर्थिक कारण तो प्रमुख है ही, परंतु परंपरागत सोच के कारण भी यह अंतर बढ़े हैं। जनपद के छोटे-छोटे शहरों में एक विशेष प्रवृत्ति देखने में आ रही है, वह यह कि बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के ट्यूशन के संबंध में आर्थिक तंगी के कारण बालिकाएँ वंचित हो रही हैं और बालकों के लिए परिवार किसी भी तरह इसके लिए प्रयासरत हैं।
- विद्यार्थियों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार 2009 के लागू होने से समाज के अलाभकर वर्ग के विद्यार्थियों का सरकारी विद्यालयों में समावेशित होने की प्रक्रिया गति पकड़ रही थी। मध्याह्न भोजन योजना, उत्तराखंड शासन द्वारा निःशुल्क गणवेश, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने के कारण इसे और अधिक मज़बूती मिलती थी। कोरोना काल में स्कूल बंद रहने से मध्याह्न भोजन में मिलने वाला राशन और कुकिंग कास्ट विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई गई। आर्थिक संकट के दौर में इसमें विद्यार्थियों के परिवार की हिस्सेदारी होना स्वाभाविक था। विद्यालय में बच्चे को कम से कम एक बार पौष्टिक भोजन मिल जाता था, बच्चे उससे वंचित हो गए। इसी प्रकार से गणवेश की धनराशि विद्यार्थियों के खाते में जमा कर दी गई, विद्यार्थियों से बातचीत में यह सुनने में आया है कि इस धनराशि को परिवार की अन्य ज़रूरतों पर व्यय किया जा रहा है, निकट भविष्य में विद्यालय खुलने की क्षीण

© NCERT not to be republished

संभावनाओं के कारण बच्चे के लिए विद्यालय गणवेश का मुद्दा गौण हो गया। यहीं पर यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि उत्तराखंड में विद्यार्थियों को निःशुल्क मिलने वाली पाठ्यपुस्तकें अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, जबकि शिक्षा सत्र समाप्त होने वाला है। बिना पाठ्यपुस्तकों के 'ऑनलाइन-शिक्षण' किस तरह से अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेगा? यह विचारणीय प्रश्न है। इतना ही नहीं इन परिस्थितियों में ऐसे विद्यार्थियों के विद्यालय से 'ड्राप-आउट' होने की संभावनाएँ बलवती हो गई हैं, अपने परिवार से पहली पीढ़ी के रूप में शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल हुए थे अथवा हो सकते थे। विगत सामान्य वर्षों में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों द्वारा अपने सेवित क्षेत्र के गाँव अथवा कस्बों में 'स्कूल चलो अभियान', जन-जागरूकता कार्यक्रमों के द्वारा ऐसे विद्यार्थियों का विद्यालय में नामांकन का सफल प्रयास किया जाता था। कोरोना काल में विद्यालय बंद रहने से इस तरह के प्रयास कम ही हुए हैं। आशंका इससे भी आगे है कि भविष्य में स्कूल खुलने पर आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के बच्चे विद्यालय आएँगे कि नहीं। अगर कोरोना काल में ये बच्चे परिवार के लिए रोज़ी-रोटी जुटाने के काम में संलग्न हो गए तो इन विद्यार्थियों की विद्यालय से ड्राप-आउट होने की प्रबल संभावनाएँ हैं।

- सामान्य रूप से विद्यालय संचालित होने पर समय-समय पर विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण होता था, समय-समय पर आयरन की गोलियाँ, पेट के कीड़े मारने की दवा विद्यार्थियों को खिलाई जाती थी। विद्यालय बंद रहने से बच्चे (विशेषकर प्रारंभिक कक्षाओं 1–8 तक के बच्चे) इससे वंचित रहे, इस प्रकार से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पक्ष की उपेक्षा हुई है। यह साधन संपन्न और साधनों की कमी वाले विद्यार्थियों के मध्य गैर ज़रूरी अंतर सृजित करती है।
- 'ऑनलाइन शिक्षण' के क्रम में उत्तराखंड सरकार ने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से 30 प्रतिशत पाठ्यक्रम कम करने का निर्णय लिया है, जिसमें पाठ्यक्रम कम करके उसे पूरा करने का विचार निहित है। परीक्षा के दृष्टिगत पाठ्यक्रम पूरा करने के उपागम की कई खामियाँ हैं, यह उपागम शिक्षा प्रणाली में परीक्षा की केंद्रीयता को पुष्ट करती है और विद्यार्थियों के सीखने के महत्वपूर्ण तत्व की उपेक्षा होती है। इसी अवधि में उत्तराखंड सरकार ने बोर्ड परीक्षा वाली कक्षाओं (10वीं एवं 12वीं) को 2 नवंबर से संचालित करने का निर्णय लिया। आश्चर्यजनक रूप से 9वीं और 11वीं कक्षा को इसमें शामिल नहीं किया गया, इन कक्षाओं के बच्चे भी कमोबेश समान आयु वर्ग के होते हैं। इस निर्णय में विद्यार्थियों के सीखने के बजाय परीक्षा की केंद्रीयता की बात पुष्ट होती है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

इस शोध अध्ययन के निष्कर्षों को निम्नांकित बिंदुओं में निरूपित करते हुए व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं—

- कोरोना काल में 'ऑनलाइन शिक्षण' के अनुभवों से एक तथ्य स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आया है कि सरकारी विद्यालय सूचना एवं प्रौद्योगिकी की दृष्टि से न केवल अवसंरचनात्मक स्तर पर वरन् इसके लिए अध्यापकों में ज़रूरी दक्षताओं

© NCERT not to be republished

की दृष्टि से अपर्याप्त रूप से तैयार हैं। इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएँ भविष्य में नहीं आएँगी, स्पष्ट रूप से दावा नहीं किया जा सकता है। अतः हमारे विद्यालयों और शिक्षकों को इसके लिए सुविधाओं और कौशल स्तर पर सजग एवं तैयार रहने की ज़रूरत है। इसी अवधि में हमारे देश की 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' जारी हुई है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए कहा गया है कि, "संक्रामक रोगों वैश्विक महामारियों में हाल ही में वृद्धि को देखते हुए यह ज़रूरी हो गया है कि जब भी और जहाँ भी शिक्षा के पारंपारिक और विशेष संसाधन संभव न हों वहाँ हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों के साथ तैयार हों। यह निर्धारित करने के लिए कि ऑनलाइन अथवा डिजिटल शिक्षा की हानियों को कम करते हुए हम कैसे इससे लाभ उठा सकते हैं, सावधानीपूर्वक और उपयुक्त रूप से तैयार किया गया अध्ययन करना होगा।"

- 'ऑनलाइन शिक्षण' के लिए महत्वपूर्ण रूप से दो ज़रूरी घटक हैं— प्रथम — 'ऑनलाइन शिक्षण' के लिए विद्यार्थियों की सीखने की ज़रूरतों के अनुसार आवश्यक सामग्री — ऑडियो, वीडियो, पीडीएफ़, पिक्चर्स आदि का सृजन करना। इसके लिए विद्यालय स्तर पर क्षमताओं और कौशलों का विकास करने की ज़रूरत होगी और इसके लिए सबसे पहले शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

  द्वितीय — इस सृजित सामग्री की गुणवत्ता की विद्यार्थियों के लिए उपयोगिता का आकलन करना। वर्तमान में 'ऑनलाइन शिक्षण' के दौरान देखने में आया है कि पूर्व में सृजित कंटेंट (विशेषकर रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा सृजित) को व्हाट्सएप या अन्य माध्यमों से विद्यार्थियों को भेजकर, इसका अध्ययन अथवा अवलोकन करने के लिए कहा गया। विद्यार्थी इस कंटेंट को अपने संदर्भों और सीखने की ज़रूरतों से जोड़ पाने में असफल देखे गए हैं और देखने में यह भी आया है कि इस प्रकार की ढेर सारी सामग्री विद्यार्थियों के पास पहुँचने के कारण उनकी दुश्चिंता बढ़ गई और वे 'ऑनलाइन शिक्षण' प्रक्रिया से विमुख होने लगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस संदर्भ में स्वीकार करती है कि, "प्रभावशाली ऑनलाइन प्रशिक्षक बनने के लिए शिक्षकों को उपयुक्त प्रशिक्षण और विकास चाहिए। पहले से यह माना नहीं जा सकता कि पारंपरिक कक्षा में एक अच्छा शिक्षक स्वचालित रूप से चलने वाली ऑनलाइन कक्षा में भी एक अच्छा शिक्षक सिद्ध होगा। अध्यापन में परिवर्तनों के अलावा ऑनलाइन आकलन के लिए भी एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जब तक ऑनलाइन शिक्षा को अनुभवात्मक और गतिविधि आधारित शिक्षा के साथ मिश्रित नहीं किया जाता, तब तक यह सीखने के सामाजिक, भावात्मक और साइकोमीटर आयामों पर सीमित फोकस वाली एक स्क्रीन आधारित शिक्षा मात्र बन जाएगी।"
- वर्तमान में भारत में डिजिटल संसाधनों तक पहुँच के दृष्टिगत एक बड़ा अंतर मौजूद है। आर्थिक कारण तो प्रमुख रूप से है ही, इसके अलावा दुर्गम क्षेत्रों तक निर्बाध संचार माध्यमों की उपलब्धता नहीं हो पाई है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) के एक

© NCERT not to be republished

हालिया सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत में लगभग 25 प्रतिशत घरों में इंटरनेट कनेक्शन हैं, 5 से 24 आयुवर्ग के केवल आठ प्रतिशत विद्यार्थियों के पास अपना व्यक्तिगत डिजिटल डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन है। विद्युत की उपलब्धता और जहाँ बिजली पहुँची भी है वहाँ पर विद्युत की निर्बाध आपूर्ति एक चुनौती है। भारत के सभी गांवों के विद्युतीकरण के दावों के बावजूद आधे से अधिक गांवों में प्रतिदिन 12 घंटे से भी कम विद्युत आपूर्ति होती है। इसी के मद्देनज़र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सटीक ढंग से इंगित करती है, "ऑनलाइन/डिजिटल शिक्षा का लाभ तब तक नहीं उठाया जा सकता, जब तक डिजिटल इंडिया अभियान और किफ़ायती उपकरणों की उपलब्धता जैसे ठोस प्रयासों के माध्यम से डिजिटल अंतर को समाप्त नहीं किया जाता। यह ज़रूरी है कि ऑनलाइन/डिजिटल शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके समानता के सरोकारों को पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाए।"

- 'ऑनलाइन-शिक्षण' द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दो स्तरों पर साथ-साथ प्रयास करने की ज़रूरत है।
  पहला—विद्यार्थियों को लगातार सीखने की स्थिति (लर्निंग मोड) में बनाए रखना। इसके लिए विद्यार्थियों की सीखने की ज़रूरतों को संबोधित करना और उसके अनुरूप कंटेंट तैयार करना, उपयुक्त समय पर उन तक पहुँचाना। और दूसरा—इस कंटेंट तक विद्यार्थियों की पहुँच सुनिश्चित करना।
- इंटरनेट कनेक्टिविटी के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, प्रथम आर्थिक पक्ष—इंटरनेट हेतु डाटा की उपलब्धता, यह परिवार की आर्थिकी से निर्धारित होता है और दूसरा है तकनीकी पक्ष— यह इंटरनेट की उपलब्धता से संबंधित है, इसके लिए सक्षम पक्ष (जो प्रायः सरकार ही होती है,) के निर्णय लेने की ज़रूरत है कि किस तरह से अधिक से अधिक जनसंख्या इंटरनेट कनेक्टिविटी के दायरे में आ सके।
- 'ऑनलाइन शिक्षण' के क्रम में विद्यालय प्रमुख एवं शिक्षकों से अंतःक्रिया के दौरान यह सुनने को मिला कि विद्यार्थी अपने घर पर परिवेश के अनुभव, परिवार के अनुभवों से सीखने में सफल हो जाएँगे, इस मान्यता पर पूर्णतः विश्वास करना उचित नहीं है। इन सभी की भूमिका ज़रूर हो सकती है, सिर्फ़ इससे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकेगी, इसमें संदेह होता है। इन अनुभवों के आलोक में विद्यालयी पाठ्यचर्या के दौरान इसमें बहुत कुछ जोड़ने-घटाने की ज़रूरत होती है। विद्यालय में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की भाव-भंगिमा, व्यवहार, प्रदर्शन एवं प्रस्तुतीकरण के आधार पर उनके सीखने के स्तर, चुनौतियों का आकलन करते रहते हैं और उपयुक्त समय पर फ़ीडबैक देकर सीखने में मदद करते हैं। अकादमिक जगत में इसे 'फ़ॉर्मेटिव असेसमेंट' कहा जाता है। 'ऑनलाइन-शिक्षण' में 'फ़ॉर्मेटिव असेसमेंट' की अति सीमित गुंजाइश होती है, विद्यार्थी सीख रहे हैं या नहीं इसका फ़ीडबैक नहीं मिल पाता है। इसके समाधान के लिए एक पहल अध्ययनकर्ता द्वारा अपने विद्यालय में की गई। उत्तराखंड के कुमायूँ क्षेत्र में गाँवों से घरों के समूह को 'बाखली' कहा जाता है। यह शहरी क्षेत्रों में मोहल्ले के समानुरूप ही है। एक बाखली में रहने वाले विद्यार्थियों के 'बाखली समूह' बनाए गए, इसमें विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थी होते हैं।

© NCERT not to be republished

इस बाखली में समुदाय के किसी ऐसे व्यक्ति को 'बाखली समूह' का मेंटर बनाया जाता है, जो इन विद्यार्थियों की सीखने की समस्याओं का तात्कालिक रूप से समाधान करने की कोशिश करता है। यदि अपने स्तर से समाधान करने में समर्थ नहीं है तो इसको 'मेंटर शिक्षक' तक पहुँचाता है। विद्यालय के सेवित क्षेत्र के गाँवों के लिए प्रत्येक विषय के अध्यापक मेंटर शिक्षक की भूमिका में रहते हैं, जो नियमित रूप से व्हाट्सएप के माध्यम से कक्षावार व्हाट्सएप समूहों को कंटेंट भेजते हैं, समय-समय पर 'बाखली-समूहों' से व्यक्तिगत संपर्क करते हैं और स्थल (ऑनसाइट) पर ही विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करते हैं। कोरोना के कारण वापस गाँव लौटे उच्च कक्षाओं में अध्ययन कर रहे युवा 'बाखली समूह' स्थानीय मेंटर की भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। 'पीयर लर्निंग' उपागम पर आधारित इस तरह की दूर शिक्षा प्रणाली बहुत कारगर प्रतीत होती है। यद्यपि यह विशुद्ध रूप से 'ऑनलाइन शिक्षण' के स्थान पर डिजिटल माध्यम और व्यक्तिगत संपर्क का सम्मिश्रण है। हमें यह तथ्य स्वीकारना होगा कि समुदाय की सहभागिता के बिना 'ऑनलाइन शिक्षण' बहुत कारगर नहीं है, विशेषकर ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ परिवार में माता-पिता अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि की सीमा के कारण अपने विद्यार्थियों की सीखने की ज़रूरतों में मदद कर पाने में असमर्थ हैं।

- समाज में मौजूद गैर-बराबरी को संबोधित करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण हथियार है। सामाजिक न्याय के लिए शैक्षिक न्याय एक मज़बूत आधार भूमिका निर्मित करता है। 'ऑनलाइन शिक्षण' यदि इस गैर-बराबरी को कम नहीं करता, अपितु एक तरह से बढ़ाता ही है, तो इस पहलू पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इस मुद्दे को संजीदा ढंग से स्वीकार करते हुए कहती है कि, "वर्तमान महामारी ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑनलाइन कक्षाओं के आयोजन के लिए दो-तरफ़ा वीडियो और दो-तरफ़ा ऑडियो इंटरफ़ेस एक वास्तविक आवश्यकता है। अभी भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, जिसकी डिजिटल पहुँच अत्यधिक सीमित है। मौजूदा संचार माध्यम, जैसे— टेलीविज़न, रेडियो और सामुदायिक रेडियो का उपयोग टेलीकास्ट और प्रसार के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। जहाँ तक संभव हो; शिक्षकों और छात्रों तक डिजिटल सामग्री उनकी सीखने की भाषा में पहुँचे।" दरअसल डिजिटल माध्यम एक साधन मात्र है, साध्य तो विद्यार्थियों को सीखने हैं, शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। अतः शिक्षा में प्रौद्योगीकी गंतव्य न होकर एक साधन मात्र है, इसे इसी रूप में व्यवहृत करने की ज़रूरत है। किसी भी समाज में चाहे वह संपन्न ही क्यों न हो, शत-प्रतिशत अथवा पूर्णतः तकनीकी आधारित शिक्षा को स्वीकार नहीं किया गया है। वस्तुतः तकनीकी साध्य नहीं वरन् साधन है, कई अन्य साधनों के साथ यह प्रभावी हो सकती है।
- इधर उत्तराखंड में चर्चा है कि बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। इसके पीछे विचार यह है कि विद्यार्थियों को वर्तमान शिक्षा-सत्र में विद्यालय में पढ़ने के अवसर

© NCERT not to be republished

नहीं मिले हैं, अतः समता के दृष्टिकोण से यह विचार सही प्रतीत होता है। दूसरा यह कि विद्यार्थियों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के कारण किसी भी बच्चे को एक कक्षा में एक वर्ष से अधिक रोका नहीं जाना है। इस निर्णय में कोई दोष भी नहीं है, परंतु स्कूल के खुलने पर इस निर्णय के कारण शिक्षकों के सामने विशेष चुनौतियाँ सामने आने वाली हैं, जो विद्यार्थी इस निर्णय के कारण अगली कक्षा में नामांकित हुआ है, दरअसल सीखने के स्तर पर वह बच्चा अपनी पिछली कक्षा के समकक्ष है अर्थात् कक्षा 6 में नामांकित होने वाला बच्चा कक्षा 5 के स्तर के आस-पास ही है, जिस स्तर पर वह विद्यालय बंद होने के समय था। अतः विद्यालयों के पुनः खुलने पर शिक्षकों को इस तथ्य का संज्ञान लेने की ज़रूरत है। कक्षा-कक्ष में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को शुरुआत में स्तर के अनुरूप सीखने की क्षति के परिप्रेक्ष्य में काम करना होगा, इसके बाद ही मौजूदा कक्षा स्तर के अनुरूप अधिगम प्रक्रिया करनी होगी।

- 'ऑनलाइन शिक्षण' शिक्षकों के लिए एकदम नया अनुभव है। जनपद बागेश्वर में जहाँ विद्यालयों में आई.सी.टी. की आधारभूत सुविधाओं का नितांत अभाव है, अधिकांश विद्यालयों और उनके सेवित क्षेत्र में नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है। शिक्षक, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को शिक्षण-अधिगम के लिए उपयोग करने के लिए न तो प्रशिक्षित हैं और न ही इसके अभ्यस्त हैं। दैनिक जीवन में संदेशों, फ़ोटो, वीडियो के आदान-प्रदान करने के लिए भले ही शिक्षक अपने स्मार्ट फ़ोन का उपयोग कर रहे हों, परंतु इसे शिक्षण-अधिगम के माध्यम के रूप में बरतने के लिए कुछ प्रक्रियाओं को अपनाने की ज़रूरत होती है। अतः 'ऑनलाइन शिक्षण' की प्रक्रिया के लिए विधिवत प्रशिक्षण की आवश्यकता है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने डिजिटल एजुकेशन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश-प्रज्ञाता जारी किए हैं। 'ऑनलाइन शिक्षण' प्रक्रिया के लिए इसका अनुपालन करने की नितांत आवश्यक है, जिससे विद्यार्थियों के सीखने के अंतर को कम से कम किया जा सके।

संदर्भ

अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी. 2020. *मिथ्स ऑफ़ एजुकेशन*. फ़ील्ड स्टडी इन एजुकेशन. सितंबर 2020. पृष्ठ संख्या 7. बेंगलुरू.

कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी. 2018–19. *जनपद एक दृष्टि में— जनपद बागेश्वर*. पृष्ठ संख्या 6.

कुह्फ़ेल्ड, मेगन, जेम्स सोलंड, बेथ तरसावा, एंजेला जॉनसन, एरिक रूज़ेक, और जिंग लिउ. 2020. प्रोजेक्टिंग दि पोटेंशियल इंपैक्टस ऑफ़ कोविड-19 स्कूल क्लोजर ऑन एकेडमिक अचीवमेंट (एडिटेड वर्किंग पेपर 20–226). 14 दिसंबर, 2020 को https://doi.org/10.26300/cdrv-yw05 से प्राप्त किया गया.

गाइडेंस नोट — रिमोट लर्निंग एंड कोविड-19. 2020. द वर्ल्ड बैंक एजुकेशन ग्लोबल प्रैक्टिस, अपडेटेड 7 अप्रैल, 2020. 12 दिसंबर, 2020 को डॉक्यूमेंट 1. Worldbank.org/Curated/en/531681585957264427/Guidance-Note-on-Remote-Learning-and-COVID-19. से प्राप्त किया गया.

© NCERT not to be republished

डिपार्टमेंट ऑफ़ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी. 2020. *प्रज्ञाता-गाइडलाइंस फ़ॉर डिजिटल एजुकेशन.* मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली.

मक्किसे. 2020. *अचीवमेंट गैप एंड कोरोना वायरस.* 12 दिसंबर 2020 को https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-student-learning-in-the-united-states-the-hurt-could-last-a-lifetime# से प्राप्त किया गया.

रोहित धनकर. 2020. लड़कियों की शिक्षा पर भारी कोरोना 2020. *अमर उजाला.* नैनीताल, 26 नवंबर, 2020, पृष्ठ 8.

शिक्षा मंत्रालय, 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* पृष्ठ संख्या 95–96. भारत सरकार.

© NCERT not to be republished

कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन गणित शिक्षण पर शिक्षकों का दृष्टिकोण, बाधाएँ तथा समाधान

अंजुली सुहाने*

कोविड-19 महामारी के कारण देश के सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों को अगले आदेश तक सरकार ने बंद कर दिया, फलस्वरूप शिक्षण प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन करना पड़ा। इस अचानक हुए बदलाव के लिए शिक्षक तैयार नहीं थे, लेकिन ऐसे समय में शिक्षार्थियों से जुड़ना आवश्यक था। इसलिए शिक्षकों ने इस समस्या को एक अवसर मानते हुए ऑनलाइन शिक्षा को अपना लिया। कोविड-19 महामारी के पहले हुए शोध अध्ययनों में पाया गया है कि सामान्यतः शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों को ही गणित विषय के सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तब निश्चित ही इन बदली हुई परिस्थितियों में ऑनलाइन गणित शिक्षण की प्रभावशीलता पर भी कुछ प्रश्न चिह्न लग जाता है। अतः यह शोध पत्र, एक शोध अध्ययन को बताता है, जिसमें शोधार्थी द्वारा यह ज्ञात करने की कोशिश की गई है कि कोविड-19 महामारी के दौरान गणित के ऑनलाइन शिक्षण में शिक्षकों ने कौन-कौन से डिजिटल संसाधनों का उपयोग किया? कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन गणित शिक्षण के प्रति शिक्षकों का क्या दृष्टिकोण है? तथा कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन गणित शिक्षण के कार्यान्वयन में आई बाधाएँ कौन-कौन सी हैं?

शोध में पाया गया कि खुले मुक्त संसाधनों का प्रयोग सिर्फ़ 1 प्रतिशत शिक्षकों ने किया, 79 प्रतिशत शिक्षक गणित को रोचक ढंग से सीखने के लिए कोई भी ऑनलाइन टूल का उपयोग नहीं कर रहे हैं, शिक्षकों ने ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया का प्रशिक्षण न होना; गणित की भाषा में संकेत, चिह्न, सूत्र आदि के कारण विषय-वस्तु को डिजिटल बनाना, तकनीकी ज्ञान की कमी को ऑनलाइन गणित शिक्षण के लिए मुख्य रुकावट माना।

कोविड-19 के पहले से ही सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) के एकीकरण द्वारा ऑनलाइन तथा पारंपरिक शिक्षण पद्धति दोनों को तर्क सम्मत तरीके से जोड़कर मिश्रित उपागम का प्रयोग गणित तथा अन्य विषयों के शिक्षण में हो रहा था। कोविड-19 महामारी के कारण शिक्षण प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन हो गई। भारत में कोविड-19 की रोकथाम के लिए देश भर में लॉकडाउन से पहले ही 15 मार्च, 2020 से देश के लगभग सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों को

**असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, शिक्षा विद्यापीठ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली 110068

© NCERT not to be republished

अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। इससे देश में पहली से बारहवीं तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले करीब 25 करोड़ बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई। शैक्षणिक संस्थानों में पारंपरिक पद्धति की जगह तकनीक पर आधारित पूर्णतः ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था लागू की गई। इस अचानक हुए बदलाव के लिए शिक्षक तैयार नहीं थे, क्योंकि न तो इसके पहले उन्होंने ऑनलाइन शिक्षण किया था और न ही उन्हें इस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया का कोई प्रशिक्षण प्राप्त था, लेकिन ऐसे समय में शिक्षार्थियों से जुड़ना समय की ज़रूरत थी, इसलिए शिक्षकों ने इसे एक अवसर मानते हुए ऑनलाइन शिक्षा को अपना लिया। इस ऑनलाइन शिक्षा को आपातकालीन ऑनलाइन रिमोट शिक्षण भी कहा जा रहा है। ऑनलाइन शिक्षण और आपातकालीन ऑनलाइन रिमोट शिक्षण में बहुत फ़र्क़ है। ऑनलाइन शिक्षा अच्छी तरह से अनुसंधान के बाद तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण के पश्चात् अभ्यास में लाई जाती है, जबकि आपातकालीन ऑनलाइन रिमोट शिक्षण शिक्षकों को बिना प्रशिक्षण के समय की माँग को देखते हुए अभ्यास में लाया गया।

गणित सिखाने के लिए रोचक तरीकों के बारे में बहस हमेशा से ही चल रही है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो तर्क देते हैं कि गणित शिक्षण में मुख्य रूप से समस्याओं को हल करने के तरीके को बताते हुए, अभ्यास और सुधार को शामिल करना चाहिए। ऑनलाइन परिवेश इस तरह से शिक्षण के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल हैं। इस बहस के दूसरी तरफ वे लोग हैं जो तर्क देते हैं कि गणित सीखना तब सबसे अच्छा है जब शिक्षार्थी स्वयं गणित की समस्याओं को हल करते हैं। शिक्षक सिर्फ़ अधिगम के लिए वातावरण प्रदान करते हैं, इस परिस्थिति में शिक्षार्थी के पास अपने तर्क को समझाने और उचित ठहराने के अवसर होते हैं। ऑनलाइन परिवेश इस तरह से शिक्षण के लिए अपेक्षाकृत अधिक कठिन है। गणित सिखाने के लिए रोचक तरीकों के बारे में बहस पर अपना तर्क देने के लिए गणित की प्रकृति को समझाना बहुत आवश्यक है।

गणित की प्रकृति तथा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया

गणित विषय की प्रकृति में अवधारणाओं की अमूर्तता, सर्पिलाकार क्रमबद्धता तथा सार्वभौमिकता शामिल हैं। गणितीय ज्ञान का निर्माण स्वयंसिद्ध मान्यताओं, परिभाषाओं, नियमों और पहले से सिद्ध की गई बातों की सहायता से तर्क करते हुए किया जाता है।

जीवन की विभिन्न समस्याओं को हल करने में गणितीय ज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बावजूद भी बच्चों को यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कैसे अंक, समीकरण या ज्यामितीय आकार, उन्हें रोज़मर्रा की जिंदगी में मदद कर सकते हैं। वे इसके अमूर्त होने के कारण इसे एक कठिन विषय के रूप में मानते हैं। गणित की अमूर्त अवधारणाओं को बच्चों के लिए अर्थपूर्ण बनाना होता है तथा इन अवधारणाओं को समझाने के लिए मूर्त उदाहरण देने होते हैं, जिसके कारण शिक्षकों के लिए भी कक्षा में गणित विषय को पढ़ाना हमेशा से एक चुनौती रहा।

पहले गणित को पारंपरिक तरीकों से प्रत्यक्ष निर्देश और तथ्यों और प्रक्रियाओं को रट कर याद कराके पढ़ाया जाता था, लेकिन आजकल गणित सीखने में शिक्षार्थियों के सक्रिय जुड़ाव के लिए मूर्त

© NCERT not to be republished

तत्वों या पदों के साथ सक्रिय हस्तकौशल से बच्चे की गणितीय सोच विकसित करने पर ज़ोर दिया जा रहा है। दूसरे शब्दों में गणित के शिक्षण-अधिगम में व्यवहारवादी दृष्टिकोण से रचनावादी दृष्टिकोण की ओर बदलाव शुरू हुआ है। रचनावाद मानता है कि ज्ञान, शिक्षार्थी को प्रेषित नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका निर्माण बच्चों के द्वारा स्वयं किया जा सकता है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का आग्रह करती है। पोज़िशन पेपर ऑन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, एन.सी.ई.आर.टी., 2006 गणित शिक्षण के परिप्रेक्ष्य में तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करता है। पहला, गणित शिक्षण का मूल उद्देश्य बच्चे की विचार प्रक्रियाओं का गणितीयकरण करना है; दूसरा, कक्षा में ऐसे अनुभव देना है, जिससे सभी बच्चे गणित में आनंद का भाव ले सकें; और तीसरा गणितीय प्रक्रियाओं, जैसे— समस्या समाधान, दृश्यता, तार्किक सोच, गणितीय मॉडलिंग इत्यादि के विकास को बढ़ावा देना। गणित शिक्षण के इन्हीं तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ऑनलाइन शिक्षण से जोड़ते हुए ड्रॉजर्स, बून तथा रीव्विजक (2010) ने कहा है कि गणित शिक्षण में डिजिटल तकनीकी के लिए तीन मुख्य कार्य हैं—(क) गणित करने के लिए उपकरण, जो आउटसोर्सिंग कार्य को संदर्भित करता है जो हाथ से भी किया जा सकता है; (ख) कौशल अभ्यास के लिए सीखने के माहौल; और (ग) गणितीय संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देने के लिए माहौल। इस तरह के गणित शिक्षण के माहौल को रचनावादी ऑनलाइन शिक्षण-अधिगम वातावरण कह सकते हैं। अब यह जानने की आवश्यकता है कि क्या कोविड-19 महामारी के समय में शिक्षक, गणित शिक्षण के यह माहौल बच्चों को दे पा रहे हैं या नहीं? यदि नहीं तो ऐसा ऑनलाइन शिक्षण-अधिगम वातावरण प्रदान करने में गणित के शिक्षकों को किन कठिनाइयों का सामना पड़ रहा है?

संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन

हालाँकि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान देश मे ऑनलाइन गणित शिक्षण पर बहुत कम साहित्य उपलब्ध हैं, फिर भी यहाँ ऑनलाइन गणित शिक्षण पर उपलब्ध पूर्व साहित्य के आधार पर इस अध्ययन की पृष्ठभूमि दी गई है।

असरारे और बिदोखत (2011) ने ई-लर्निंग बाधाओं को चार क्षेत्रों यथा—शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम और स्कूल के आधार पर वर्गीकृत किया है। शिक्षार्थियों से संबंधित ई-लर्निंग बाधाओं में वित्तीय समस्याएँ, प्रेरणा, मूल्यांकन, साथियों से अलगाव, अपर्याप्त ई-लर्निंग कौशल और अनुभव, स्नेह और सामाजिक क्षेत्र शामिल हैं। शिक्षक से संबंधित ई-लर्निंग बाधाओं में विभिन्न पहलुओं, जैसे— ज्ञान की सीमाएँ और मूल्यांकन चुनौतियाँ शामिल हैं। ई-लर्निंग पाठ्यक्रम बाधाओं के बारे में, वे अस्पष्टता, गुणवत्ता, संसाधन, शिक्षण प्रक्रिया और मूल्यांकन को शामिल करते हैं। अंत में, स्कूलों के सामने आने वाली बाधाओं में संगठनात्मक और संरचनात्मक कारक शामिल हैं।

ओईसीडी (2016) के अनुसार गणित कक्षा में डिजिटल तकनीकी का उपयोग गुणवत्ता, मात्रा और प्रभावशीलता की दृष्टि से ठीक नहीं है। थॉमसन और अन्य (2017) का मानना है कि तकनीक का उपयोग संभावित रूप से गणित शिक्षण में व्यवधान पैदा कर

© NCERT not to be republished

सकता है। टेंगे और ब्रे (2013) सुझाव देते हैं कि हालाँकि डिजिटल मोबाइल प्रौद्योगिकी की सार्थकता एक सामाजिक रचनावादी शिक्षण-अधिगम के साथ संरेखित होती है, जो सहयोग, संचार, रचनात्मकता और समस्या को हल करने को बढ़ावा देती है। अटार्ड (2015); फ्रीमेन और अन्य (2017) के अनुसार गणित शिक्षण-अधिगम में डिजिटल तकनीकों को प्रभावी ढंग से एकीकृत करना एक जटिल कार्य है, जिसमें शिक्षणशास्त्र, विषय-वस्तु और शिक्षार्थी अधिगम सहित कई तत्वों के विचार की आवश्यकता होती है। गणित में डिजिटल तकनीकों का उपयोग अर्थपूर्ण तरीके से सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत न होने पर, अप्रभावी व बच्चों को विचलित करने वाला या नुकसानदेह भी हो सकता है।

दूबे एवं सिंह (2020) ने भारत में कोविड-19 के दौरान उच्च शिक्षा में ऑनलाइन शिक्षकों के व्यवहार पर अध्ययन में पाया कि शिक्षकों का मानना है कि ऑनलाइन शिक्षा वास्तव में शिक्षकों के ज्ञान में विविधता ला रही है और उनका तकनीकी ज्ञान बढ़ा रही है, लेकिन इससे शिक्षकों के काम के घंटे भी बढ़ रहे हैं, कोविड-19 लॉकडाउन में शिक्षक ऑनलाइन शिक्षा को सकारात्मक रूप से ले रहे हैं और वे शिक्षार्थियों के भविष्य को आकार देने में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। गौर और अन्य (2020) ने भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान स्नातक नर्सिंग शिक्षार्थियों के बीच ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान आने वाली बाधाओं पर अध्ययन में पाया कि ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान प्रतिभागियों की भागीदारी, समूह पर नियंत्रण की कमी, इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ा। हालाँकि, प्रतिभागियों की इस बात पर सहमति थी कि इस परिस्थिति में ऑनलाइन कक्षाएँ ही सबसे अच्छा विकल्प हैं।

मेलिज़र और अन्य (2020) ने कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षण के कार्यान्वयन में आई बाधाओं पर इंडोनेशिया के माध्यमिक विद्यालय के गणित शिक्षकों के विचारों पर किए गए अध्ययन में पाया कि ई-लर्निंग के उपयोग पर शिक्षार्थी स्तर की बाधा का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। इसके अलावा शिक्षार्थी स्तर की बाधा का स्कूल स्तर की बाधा और पाठ्यक्रम स्तर की बाधा के साथ मज़बूत सकारात्मक संबंध पाया गया। अटार्ड एवं होम्स (2020) ने चार माध्यमिक गणित कक्षाओं में मिश्रित उपागम पर शिक्षक और शिक्षार्थी की सोच पर अध्ययन में पाया कि तकनीकी के उपयोग से शिक्षार्थी को गणित को कई तरीके से सीखने का अवसर मिलता है। मिश्रित कक्षा शिक्षण रणनीतियाँ व्यक्तिगत सीखने में तथा गणित की अवधारणाओं का प्रत्यक्षीकरण करने में मदद करती हैं।

अध्ययन की आवश्यकता

गणित के ऑनलाइन या ई-शिक्षण-अधिगम के प्रति दृष्टिकोण और कार्यान्वयन बाधाओं पर बहुत से शोध हुए, परंतु अधिकांश अध्ययन सामान्य स्थितियों में किए गए, जहाँ ऑनलाइन या ई-लर्निंग का उपयोग शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक है। महामारी के दौरान गणित ऑनलाइन शिक्षण-अधिगम के संबंध में अध्ययन कम हुए हैं। हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने लॉकडाउन में ऑनलाइन शिक्षा पर एक सर्वेक्षण किया। 18 हज़ार से अधिक स्कूलों पर किए

© NCERT not to be republished

गए सर्वेक्षण में कुल 35,000 शिक्षार्थियों, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और अभिभावकों को शामिल किया गया था। इस सर्वेक्षण के अनुसार तीन में से केवल एक शिक्षार्थी ही ऑनलाइन कक्षा से संतुष्ट है। इसमें से लगभग 33 फीसदी बच्चों ने कहा कि ऑनलाइन लर्निंग कठिन है, साथ ही गणित, विज्ञान और भाषा, साहित्य के विषयों को समझने में अधिकांश बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से कठिनाई हो रही है। 39.5 प्रतिशत बच्चों को गणित, 14.5 प्रतिशत बच्चों को भाषा और 25 प्रतिशत बच्चों को विज्ञान के विषय समझने में परेशानी हो रही है। इस सर्वेक्षण के परिणाम तथा शिक्षक एवं शिक्षार्थी की गणित विषय के सीखने-सिखाने की कठिनाइयों को देखते हुए जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जैसे— गणित विषय की अवधारणाएँ बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से किस स्तर तक समझ में आती हैं? ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से गणित विषय के उद्देश्यों को किस स्तर तक प्राप्त किया जा सकता है? क्या ऑनलाइन शिक्षण में गणित विषय में शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन ठीक ढंग से होता है? ऑनलाइन गणित शिक्षण के प्रति शिक्षक तथा शिक्षार्थियों का दृष्टिकोण क्या है? ऑनलाइन गणित शिक्षण करते समय शिक्षकों को कौन-कौन सी बाधाएँ आती हैं? अतः इस शोध अध्ययन के माध्यम से इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास किया गया है।

समस्या कथन

कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन गणित शिक्षण पर शिक्षकों का दृष्टिकोण तथा बाधाओं का अध्ययन।

उद्देश्य

शोध अध्ययन के उद्देश्य थे—

1. कोविड-19 महामारी के दौरान गणित के ऑनलाइन शिक्षण में शिक्षकों द्वारा प्रयोग किए गए डिजिटल संसाधनों के बारे में ज्ञात करना।
2. कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन गणित शिक्षण के प्रति शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
3. कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षकों के ऑनलाइन गणित शिक्षण को प्रभावित करने वाली बाधाओं का अध्ययन करना।

कार्यात्मक परिभाषाएँ दृष्टिकोण

दृष्टिकोण

दृष्टिकोण किसी घटना अथवा अवधारणा या वस्तु आदि के बारे में सोचने या उनके वास्तविक संबंधों अथवा सापेक्ष महत्व में देखने का एक विशेष तरीका है। इस शोध अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में दृष्टिकोण से तात्पर्य ऑनलाइन अधिगम वातावरण में गणित के शिक्षण, अधिगम तथा मूल्यांकन के बारे में शिक्षकों के विचारों से है।

बाधाएँ

बाधाएँ वे परिस्थितियाँ या कारण होती हैं जो किसी कार्य को ठीक ढंग से परिचालित नहीं होने देती। इस शोध अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में बाधाओं से तात्पर्य वे परिस्थितियाँ या कारण हैं जो एक शिक्षक को ऑनलाइन अधिगम वातावरण में गणित का शिक्षण करने में रुकावट डालते हैं।

शोध प्रविधि

अनुसंधान प्रारूप

यह शोध अध्ययन एक वर्णनात्मक सर्वेक्षण है। यह एक मात्रात्मक सह-गुणात्मक शोध अध्ययन है।

© NCERT not to be republished

यह सर्वेक्षण गूगल फ़ॉर्म के माध्यम से कोविड-19 महामारी के दौरान किया गया था।

न्यादर्श

शोध अध्ययन के लिए जनसंख्या के तौर पर मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर के सी.बी.एस.ई. से संबद्ध विद्यालयों में कार्यरत उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर गणित विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों को शामिल किया गया था। सुविधाजनक न्यादर्श प्रक्रिया का उपयोग करते हुए 160 उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के गणित के शिक्षकों का चयन 10 निजी और चार सरकारी विद्यालयों से किया गया था। इस चयनित न्यादर्श को ऑनलाइन गणित शिक्षण पर आधारित ऑनलाइन प्रश्नावली दी गई, जिनमें से केवल 121 शिक्षकों ने उत्तर दिए। इन 121 शिक्षकों में से 75 निजी तथा 46 सरकारी विद्यालयों के शिक्षक थे।

अध्ययन के लिए उपकरण

शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन हेतु प्रदत्त संकलन करने के लिए एक प्रश्नावली विकसित की गई। इस प्रश्नावली में तीन खंड क, ख, तथा ग थे। खंड 'क' में गणित के ऑनलाइन शिक्षण में डिजिटल संसाधनों के प्रयोग से संबंधित पाँच प्रश्न थे। खंड 'ख' में ऑनलाइन अधिगम वातावरण में गणित के शिक्षण, अधिगम तथा मूल्यांकन के बारे में 15 कथन थे, जिसमें कुछ कथन सकारात्मक तथा कुछ कथन नकारात्मक रूप से दिए गए थे। इन कथनों पर शिक्षकों को तीन स्तरों—सहमत, उदासीन तथा असहमत पर अपनी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त करनी थीं। खंड 'ग' में गणित के ऑनलाइन शिक्षण के समय सामान्यतः आने वाली रुकावटों या बाधाओं से संबंधित एक सूची थी, शिक्षकों को इस सूची में दी गई प्रत्येक बाधा को तीन स्तरों (मुख्य बाधा, निम्न बाधा तथा बाधा नहीं) में से किसी एक को चुनकर उसके सामने ✓ सही का चिह्न लगाना था।

आँकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या

ऑनलाइन प्रश्नावली के प्रत्येक खंड के विभिन्न प्रश्नों या कथनों पर प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं की आवृत्ति को प्रतिशत में बदलकर शोध के उद्देश्यों के आधार पर विभिन्न तालिकाओं में प्रस्तुत किया गया है।

उद्देश्य 1

अध्ययन का प्रथम उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान गणित के ऑनलाइन शिक्षण में शिक्षकों द्वारा प्रयोग किए गए डिजिटल संसाधनों के बारे में ज्ञात करना था। अतः तालिका 1 इस उद्देश्य के लिए शिक्षकों से पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर आँकड़ों का वितरण प्रस्तुत करती है।

शिक्षकों की प्रतिक्रिया के आधार पर यह पाया गया कि प्रतिदिन ऑनलाइन कक्षाएँ लेने के लिए शिक्षक 63 प्रतिशत माइक्रोसॉफ्ट टीम, 20 प्रतिशत गूगल मीट एप, 13 प्रतिशत ज़ूम एप का प्रयोग कर रहे हैं। शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए, शैक्षिक सामग्री और आवश्यक निर्देशों को साझा करने के लिए 92 प्रतिशत शिक्षक गूगल क्लासरूम एप का प्रयोग कर रहे हैं, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट टीम, कैनवास, ब्लैकबोर्ड तथा मूड्ल का मिलाकर प्रयोग सिर्फ़ आठ प्रतिशत पाया गया। शिक्षार्थियों को संदेश देने के लिए 92 प्रतिशत शिक्षक वॉट्सएप माध्यम

© NCERT not to be republished

तालिका 1— शिक्षकों द्वारा प्रयोग किए गए डिजिटल संसाधनों का विवरण

क्र.सं.	डिजिटल संसाधनों पर प्रश्न	प्रतिभागियों के उत्तर या प्रतिक्रिया	
		उत्तर	*प्रतिशत में*
1.	आप प्रति-दिन ऑनलाइन कक्षाएँ लेने के लिए संचार का कौन-सा तरीका (वेब कोन्फ्रेंसिग एप) उपयोग कर रहे हैं?	माइक्रोसॉफ्ट टीम (Microsoft Team	63
		गूगल मीट (Google Meet)	20
		जूम एप (Zoom)	13
		स्काइप (Skype)	2
		वेबएक्स (WebEx)	1
		अन्य	1
2.	शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए, शैक्षिक सामग्री और आवश्यक निर्देशों को साझा करने के लिए आप किस ऑनलाइन शिक्षण-अधिगम प्रबंधन प्रणाली (ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम) का उपयोग कर रहे हैं?	गूगल क्लासरूम (Google Classroom)	92
		माइक्रोसॉफ्ट टीम (Microsoft Team)	4
		मूडल (Moodle)	2
		कैनवास (Canvas)	1
		ब्लैकबोर्ड (Black board)	1
3.	शिक्षार्थियों को संदेश देने के लिए किस माध्यम उपयोग कर रहे हैं?	वॉट्सएप (Whats'App)	92
		टेलीग्राम (Telegram)	3
		मैसेंजर (Messenger)	5
4.	शिक्षार्थियों को डिजिटल विषय-वस्तु (ई-कंटेंट) किस तरह से प्रदान करते हैं?	खुले मुक्त संसाधन (ओईआर)	1
		पीपीटी (PPT)	5
		स्वयं वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर लिंक साझा किया	10
		इंटरनेट से विषय-वस्तु से संबंधित वीडियो खोज कर लिंक साझा किया	84
5.	शिक्षार्थियों को रोचक ढंग से गणित सिखाने के लिए कौन से ऑनलाइन टूल्स उपयोग कर रहे हैं?	जियोजेब्रा (Geogebra)	18
		डीस्मोस (Desmos)	1
		मैक्सिमा (Maxima)	1
		अन्य	1
		कोई नहीं	79

का उपयोग कर रहे हैं। शिक्षार्थियों को डिजिटल विषय-वस्तु (ई-कंटेंट) प्रदान करने के लिए 84 प्रतिशत शिक्षक इंटरनेट से विषय-वस्तु संबंधित वीडियो खोज कर लिंक साझा करते हैं। खुले मुक्त संसाधनों का प्रयोग सिर्फ़ एक प्रतिशत शिक्षकों ने किया। इसका तात्पर्य यह हो सकता है कि शिक्षकों को खुले मुक्त संसाधनों के प्रयोग से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। अधिकतर (79 प्रतिशत) शिक्षक गणित को रोचक ढंग से सिखाने के लिए कोई भी ऑनलाइन टूल्स का उपयोग नहीं कर रहे

© NCERT not to be republished

हैं, सिर्फ 18 प्रतिशत शिक्षक ज्यामिति को रोचक ढंग से सिखाने के लिए जियोजेब्रा उपयोग कर रहे हैं। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शायद उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त न होने के कारण शिक्षक शिक्षण में खुले मुक्त संसाधनों तथा ऑनलाइन टूल्स का प्रयोग नहीं कर रहे हैं।

तालिका 2—शिक्षकों की ऑनलाइन गणित शिक्षण के प्रति प्रतिक्रियाएँ प्रतिशत (%) में

क्र. सं.	कथन	सहमत	उदासीन	असहमत
1.	ऑनलाइन शिक्षण द्वारा गणित के शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है।	23	12	65
2.	ऑनलाइन शिक्षण द्वारा गणित की समस्याओं को आसानी से समझाया जा सकता है।	28	10	62
3.	कक्षा शिक्षण पद्धति के समान ही ऑनलाइन शिक्षण में शिक्षार्थी शिक्षक के साथ परस्पर अंतःक्रिया करते हैं।	13	17	70
4.	ऑनलाइन शिक्षण में शिक्षार्थी गणित विषय के प्रश्नों को कैसे हल कर रहे हैं, यह पता करना शिक्षक के लिए कठिन होता है।**	75	8	17
5.	शिक्षार्थी कक्षा शिक्षण पद्धति की तुलना में ऑनलाइन शिक्षण में गणित सीखने के लिए कम प्रयास करते हैं।**	80	6	14
6.	कक्षा शिक्षण पद्धति के समान ही ऑनलाइन शिक्षण में शिक्षार्थी गणित की समस्याओं को हल करने में कठिनाई आने पर शिक्षक से चर्चा करते हैं।	20	11	69
7.	ऑनलाइन शिक्षण द्वारा गणित को पढ़ाना अन्य विषयों की अपेक्षा कठिन है।**	89	6	5
8.	गणित के ऑनलाइन शिक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामग्री बनाना एक समय लेने वाली प्रक्रिया है।**	89	4	7
9.	ऑनलाइन शिक्षण में गणित विषय में शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन ठीक ढंग से किया जा सकता है।	10	7	83
10.	ऑनलाइन शिक्षण में गणित विषय के प्रक्रिया कौशलों का आकलन ठीक ढंग से किया जा सकता है।	4	5	91
11.	कक्षा शिक्षण पद्धति के समान ही ऑनलाइन शिक्षण पद्धति से गणित पढ़ाने में संतुष्टि मिलती है।	15	3	82
12.	गणित का ऑनलाइन शिक्षण शिक्षार्थी को स्व-निर्देशित रूप से सीखने के लिए प्रेरणा देता है।	11	65	24
13.	ऑनलाइन शिक्षण में शिक्षार्थियों का पर्यवेक्षण कठिन है।**	22	5	73
14.	गणित के ऑनलाइन डिजिटल टूल्स का उपयोग शिक्षार्थियों को पाठ में अधिक सक्रिय और तत्पर बनाए रखता है।	25	63	12
15.	ऑनलाइन गणित टूल्स का उपयोग शिक्षार्थियों को अधिक रचनात्मक और कल्पनाशील बनाने में मदद करते हैं।	12	65	23

** नकारात्मक कथनों को दर्शाता है।

© NCERT not to be republished

उद्देश्य 2

कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन गणित शिक्षण के प्रति शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना था। तालिका 2 में इस उद्देश्य के अंतर्गत ऑनलाइन गणित शिक्षण के विभिन्न पहलुओं के प्रति शिक्षकों की प्रतिक्रियाओं को प्रतिशत में प्रस्तुत किया गया है।

ऑनलाइन गणित शिक्षण के प्रति शिक्षकों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने से पता चलता है कि 91 प्रतिशत शिक्षक मानते हैं कि ऑनलाइन शिक्षण में गणित विषय के प्रक्रिया कौशलों का आकलन ठीक ढंग से नहीं किया जा सकता है तथा 83 प्रतिशत शिक्षक मानते हैं कि ऑनलाइन शिक्षण में गणित विषय में शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन भी ठीक ढंग से नहीं किया जा सकता। ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि गणित के प्रक्रिया कौशल, जैसे— समस्या-समाधान, तर्क आदि का आकलन शिक्षक तथा शिक्षार्थी के आमने-सामने होने पर ठीक ढंग से होता है। 75 प्रतिशत शिक्षकों का मत है कि ऑनलाइन शिक्षण के दौरान शिक्षक के लिए यह पता करना कठिन होता है कि शिक्षार्थी गणित विषय के प्रश्नों को कैसे हल कर रहे हैं। 91 प्रतिशत शिक्षक मानते हैं कि ऑनलाइन शिक्षण द्वारा गणित को पढ़ाना अन्य विषय की अपेक्षा कठिन है तथा 62 प्रतिशत शिक्षकों का मत है कि ऑनलाइन शिक्षण द्वारा गणित की समस्याओं का हल निकालना, आसानी से नहीं समझाया जा सकता है। ऐसा शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि शिक्षक को अमूर्त अवधारणाओं को समझाने के लिए मूर्त उदाहरण देने होते हैं जो ऑनलाइन कक्षा में आसान नहीं होते होंगे। गणित के ऑनलाइन डिजिटल टूल्स की उपयोगिता के बारे में करीब 65 प्रतिशत शिक्षकों का अपना कोई मत नहीं है। इस प्रकार की उदासीन प्रतिक्रिया का सीधा संबंध तालिका 1 में दिए गए आँकड़ों से है, जिसके अनुसार अधिकतर (79 प्रतिशत) शिक्षकों ने गणित को रोचक ढंग से सीखने के लिए कोई भी ऑनलाइन टूल्स का उपयोग ही नहीं किया है।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अधिकतर शिक्षकों की ऑनलाइन गणित शिक्षण-अधिगम तथा आकलन के संबंध में सकारात्मक सोच नहीं है तथा वे ऑनलाइन शिक्षण पद्धति से गणित पढ़ाने में संतुष्ट भी नहीं है।

उद्देश्य 3

शोध अध्ययन का तीसरा उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षण-अधिगम वातावरण में शिक्षकों के गणित शिक्षण को प्रभावित करने वाली बाधाओं का अध्ययन करना था। तालिका 3 गणित के ऑनलाइन शिक्षण में शिक्षकों के सामने आई बाधाओं को तीन स्तरों पर प्रस्तुत करती है।

तालिका 3 को देखने से स्पष्ट है कि सभी शिक्षकों (100 प्रतिशत) के लिए गणित की ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया का प्रशिक्षण न होना, प्रभावी शिक्षण के लिए मुख्य रुकावट है। ज़्यादातर समस्याएँ तकनीकी के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी थीं, जैसे— 90 प्रतिशत शिक्षकों के लिए तकनीकी ज्ञान की कमी, 82 प्रतिशत शिक्षकों के लिए तकनीकी का गणित की शिक्षण प्रक्रिया तथा विषय-वस्तु के साथ एकीकरण की जानकारी न होना, 78 प्रतिशत शिक्षकों के लिए गणित के आई.सी.टी. टूल्स,

© NCERT not to be republished

तालिका 3—गणित के ऑनलाइन शिक्षण को प्रभावित करने वाली बाधाएँ

बाधाएँ	मुख्य बाधा	सूक्ष्म बाधा	बाधा नहीं
समय की कमी	10%	20%	70%
गणित की भाषा में संकेत, चिह्न, सूत्र आदि के कारण विषय-वस्तु को डिजिटल बनाना	87%	7%	6%
गणित के आई.सी.टी. टूल्स, सॉफ्टवेयर एप्लिकेशंस और डिजिटल संसाधनों की जानकारी की कमी	78%	11%	11%
तकनीकी का गणित की शिक्षण प्रक्रिया तथा विषय-वस्तु के साथ एकीकरण न कर पाना	82%	6%	12%
खुले शैक्षिक संसाधन (ओईआर) के बारे में जानकारी न होना	23%	34%	43%
आई.सी.टी. उपकरणों के प्रयोग के लिए संस्था की ओर से तकनीकी सहायता का अभाव	21%	12%	67%
तकनीकी ज्ञान की कमी	90%	3%	7%
आई.सी.टी. के उपयोग के सुरक्षित, नैतिक और कानूनी तरीके के ज्ञान की कमी	6	34	60
ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया का प्रशिक्षण न होना	100%	—	—
शिक्षार्थियों की सहभागिता की कमी	45%	34%	21%
अभिभावकों का हस्तक्षेप	73%	12%	15%

सॉफ्टवेयर एप्लिकेशंस और डिजिटल संसाधनों की जानकारी की कमी मुख्य रुकावट है। गणित की भाषा में संकेत, चिह्न, सूत्र आदि के कारण विषय-वस्तु को डिजिटल बनाने में भी 87 प्रतिशत शिक्षकों को कठिनाई महसूस हुई। वहीं शिक्षार्थी के घर पर रह कर पढ़ने से अभिभावकों के हस्तक्षेप को भी 73 प्रतिशत शिक्षकों ने रुकावट माना है, जबकि समय की कमी को अधिकतर शिक्षकों ने रुकावट नहीं माना है। हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया का प्रशिक्षण न होना मुख्य रुकावट रही। संक्षेप में हम कह सकते हैं यदि शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया का प्रशिक्षण होता तो शायद तकनीकी के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी कुछ समस्याएँ स्वतः ही समाप्त हो जाती।

निष्कर्ष तथा सुझाव

इस शोध के परिणामों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोविड-19 महामारी के दौरान अचानक हुई शिक्षण प्रक्रिया में बदलाव के कारण अधिकतर शिक्षक गणित शिक्षण में खुले मुक्त संसाधनों तथा गणित के ऑनलाइन टूल्स का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि गणित शिक्षण को प्रभावी तथा रोचक बनाने के लिए बहुत से खुले मुक्त संसाधनों तथा नि:शुल्क ऑनलाइन टूल्स उपलब्ध हैं, परंतु उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। अतः शिक्षण संस्थाओं को विशेषत: गणित शिक्षकों के लिए खुले मुक्त संसाधनों तथा नि:शुल्क ऑनलाइन टूल्स की उपयोगिता पर ऑनलाइन कार्यशालाएँ आयोजित करानी चाहिए। शिक्षकों को शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई

© NCERT not to be republished

डिजिटल पहल शगुन (SHAGUN) ऑनलाइन जंक्शन का प्रयोग भी करना चाहिए। शगुन जंक्शन तीन ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म—एन.आर.ओ.ई.आर. (NROER), दीक्षा (DIKSHA) तथा ई-पाठशाला (e-Pathshala) से जुड़ा है। इन तीनों प्लेटफ़ॉर्म पर बहुत से वीडियो खुले मुक्त संसाधनों के रूप में उपलब्ध हैं, जिनका प्रयोग शिक्षकों को ऑनलाइन गणित शिक्षण को रोचक तथा प्रभावी बनाने के लिए करना चाहिए।

शोध के परिणाम के अनुसार 80 प्रतिशत से अधिक शिक्षक मानते हैं कि ऑनलाइन शिक्षण में गणित विषय के प्रक्रिया कौशलों का तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन ठीक ढंग से नहीं किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि गणित के शिक्षक ऑनलाइन आकलन को विश्वसनीय नहीं मानते हैं। साथ ही साथ 82 प्रतिशत शिक्षक ऑनलाइन शिक्षण पद्धति से गणित पढ़ाने में संतुष्ट भी नहीं है तथा 75 प्रतिशत शिक्षकों का मत है कि ऑनलाइन शिक्षण के दौरान शिक्षक के लिए यह पता करना कठिन होता है कि शिक्षार्थी गणित विषय के प्रश्नों को कैसे हल कर रहे हैं। अंततः हम कह सकते हैं कि अधिकतर शिक्षक गणित की ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया से खुश नहीं हैं।

शोध के परिणाम यह भी बताते हैं कि शिक्षकों में तकनीकी ज्ञान कम होना, तकनीकी का गणित की शिक्षण प्रक्रिया तथा विषय-वस्तु के साथ एकीकरण की जानकारी न होना, ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया का प्रशिक्षण न होना आदि को ऑनलाइन गणित शिक्षण के लिए मुख्य रुकावट माना है।

गणित के शिक्षकों की ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया के संबंध में नकारात्मक सोच तथा उक्त समस्याओं का मुख्य कारण ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया का प्रशिक्षण न होना प्रतीत होता है। अतः सभी गणित के शिक्षकों को अति शीघ्र ऑनलाइन वातावरण में गणित की ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया के बारे में निम्न बिंदुओं पर प्रशिक्षण दिया जा सकता है—

- शिक्षार्थियों की सहभागिता को सुनिश्चित करना।
- विश्वसनीय तथा वैध आकलन प्रक्रिया।
- गणित के डिजिटल टूल्स का प्रयोग।
- लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम।
- मुक्त शैक्षिक संसाधन (ओ.ई.आर.)।
- तकनीकी शिक्षाशास्त्र विषय-वस्तु ज्ञान फ्रेमवर्क की उपयोगिता।
- तकनीकी का गणित की शिक्षण प्रक्रिया तथा विषय-वस्तु के साथ एकीकरण।

इसके अलावा शिक्षकों को पेशेवर विकास के लिए स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध कम समयावधि के ऑनलाइन शिक्षण से संबंधित मूक कोर्स भी करना चाहिए।

अब जब कोविड-19 महामारी का प्रकोप धीरे-धीरे कम हो रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ महीनों में विद्यालयों में फिर से रौनक वापस आएगी। जब बच्चे पुनः कक्षाओं मे वापिस आएँ तो शिक्षक बच्चों को सिर्फ़ आमने-सामने बैठाकर न पढ़ाएँ, बल्कि ऑनलाइन तथा पारंपरिक शिक्षण पद्धति को तर्कसंगत तरीके से जोड़कर फ्लिप्ड क्लासरूम अनुदेशात्मक रणनीति तथा मिश्रित शिक्षण-अधिगम उपागम (ब्लेंडिड टीचिंग लर्निंग एप्रोच) का प्रयोग कर गणित शिक्षण करें। तब हम निश्चित ही गणित शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएँगे।

© NCERT not to be republished

संदर्भ

अटार्ड, सी. 2015. इंट्रोडयूसिंग आईपैडस इनटू प्राइमरी मैथमेटिक्स क्लासरूम— टीचर्स एक्सपीरिएंसेस एंड पैडागॉजीस. *एन इंटीग्रेटिंग टच इनेब्लड एंड मोबाइल डिवाइसिस इंटू कंटेम्पररी एजुकेशन.* पृष्ठ संख्या 193–213. https://doi.org/10.4018/978-1-4666-8714-1.ch009.

असरारे,ए. और सी. बिदोखत. 2011. बैरियर्स टू ई-टीचिंग-लर्निंग. *प्रोसीडीया कंप्यूटर साइंस.* 3, पृष्ठ संख्या 791–795. https://doi.org/10.1016/j.procs.2010. 12.129

आटर्ड, सी. और के. होम्स. 2020. एन एक्सप्लोरेशन ऑफ़ टीचर एंड स्टूडेंट परसेशन ऑफ़ ब्लेंडेड लर्निंग इन सेकंडरी मैथमेटिक्स क्लासरूम. *मैथमेटिक्स एजुकेशन रिसर्च जर्नल.* https://doi.org/10.1007/s13394-020-00359-2

ओईसीडी.2016. *स्टुडेंट, कंप्यूटर एंड लर्निंग— मेकिंग द कनेक्शन.* पीसा, पेरिस.

गौर, आर. 2020. बैरियर एनकाउंटेर्ड डयुरिंग नार्सेग स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस, कोविड-19. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ रिसर्च इन मेडिकल साइंस.* 8(10), पृष्ठ संख्या 3687–3693. http://dx.doi.org/10.18203/2320-6012.ijrms20204252

टेंगे, बी. और ब्रे, ए. 2013. मोबाइल टेक्नोलॉजी, मैथ्स एजूकेशन एंड 21C लर्निंग इन प्रोसीडिंग ऑफ़ द 12 वर्ल्ड कोन्फ्रेंस ऑन मोबाइल और कोंटेक्चुयल लर्निंग. *एमलर्न 2013.* पृष्ठ संख्या 20–27. https://doi.रे%org/10.5339/qproc.2013.mlearn.7

डॉजर्स, पी., बून, पी और रीव्विजक, एम. वैन. 2010. एलजेब्रा एंड टेक्नालॉजी, इन सेकंडरी एलजेब्रा एजुकेशन. *रीविज़िटिंग टॉपिक्स एंड थीम्स एंड एक्सप्लोरिंग द अननोन (सेंस, रॉटरडैम द नीदरलैंड, 2010).* पृष्ठ संख्या 179–202

थॉमसन, एस., बोरटोली, एल. डी. और सी. अंडरवुड. 2017. *पीसा 2015— रिपोर्टिंग ऑस्ट्रेलिया ओईसीडी प्रोग्राम फ़ॉर स्टूडेंट एसेसमेंट.* पीसा, ऑस्ट्रेलिया. https://research.acer.edu.au/ozpisa/22

दूबे, बी, और एस. सिंह. 2020. कोविड-19 के दौरान उच्च शिक्षा में ऑनलाइन शिक्षकों की धारणा. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स.* 8 (5), पृष्ठ संख्या 1017–1025.

मेलिज़ार, ए., अलमंथरी, ए., मौलिना, एस. और ब्रूस, एस. 2020. सेकंडरी स्कूल मैथमेटिक्स टीचर्स व्यू ऑन ई-लर्निंग इमप्लिमेंशन बैरियर्स. *यूरेशिया जर्नल ऑफ़ मैथेमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन.* 16 (7), पृष्ठ संख्या 1860–1867. https://doi.org/10.29333/ejmste/8240

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005.* रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

———. 2006. *पोज़िशन पेपर ऑन टीचिंग ऑफ़ मैथमेटिक्स.* रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

© NCERT not to be republished

डिजिटल साक्षरता कौशल उपलिब्ध परीक्षण का निर्माण एवं मानकीकरण

रविंद्र कुमार ठाकुर*
एम. टी. वी. नागाराजू**

किसी भी शोध में उपकरणों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उपकरणों की सहायता से ही एक शोधार्थी अपनी परिकल्पनाओं के परीक्षण के लिए प्रदत्तों का संकलन करता है और प्राप्त प्रदत्तों के आधार पर ही शोध के निष्कर्ष निकालता है। उपलब्धि परीक्षण भी एक प्रकार का शोध उपकरण है, जिसके द्वारा किसी भी विद्यार्थी की किसी विषय विशेष में अधिगम तथा उसकी प्रगति का आकलन किया जाता है। इस शोध पत्र में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का डिजिटल उपकरणों के प्रयोग के विषय में ज्ञान तथा प्रगति के मूल्यांकन के लिए डिजिटल साक्षरता कौशल उपलब्धि परीक्षण का निर्माण एवं मानकीकरण करना दिया गया है। परीक्षण निर्माण के लिए शोधार्थी ने 113 एकांशों का निर्माण किया, 180 विद्यार्थियों वाले न्यादर्श पर उसे प्रशासित कर आँकड़े संकलित किए गए। प्राप्त प्रदत्तों का विश्लेषण करने पर 82 एकांशों वाले उपलब्धि परीक्षण का अंतिम प्रारूप बना, जिसकी विश्वसनीयता का मान 0.84 है तथा परीक्षण की वैधता विषय विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों के आधार पर निर्धारित की गई है।

व्यक्ति के विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज ज्ञान-विज्ञान के नित नए आविष्कारों ने मनुष्य के सोचने-समझने के तरीकों को प्रभावित किया है, शिक्षा भी इससे अछूती नहीं रही है। वर्तमान में संचार और प्रौद्योगिकी क्रांति ने शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया है। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का लाभ उठाने में तकनीक भी धीरे-धीरे गति पकड़ रही है। सरकारी और निजी विद्यालय समान रूप से ज्ञान प्रदान करने के लिए विद्यालयों में विश्वस्तरीय आधारभूत सुविधाओं के लिए प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना और संचार तकनीक को अपनाते हुए कुछ प्रचलनों को देखना चाहिए, जैसे—क्लाउड कंप्यूटिंग, व्यक्तिगत कप्यूटिंग, गेमिंग, मोबाइल अधिगम, सार्वभौमिक शिक्षा, शिक्षक द्वारा तैयार की गई सामग्री, डिजिटल साक्षरता, डिजिटल पाठ्यपुस्तक आदि। पूर्व में शिक्षार्थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुस्तकों का सहारा लेता था, किंतु आज तकनीक के विकास ने उन्हें डिजिटल उपकरणों की ओर मोड़ दिया है। भारत सरकार ने भी शिक्षण-अधिगम को

**शोधार्थी*, शिक्षा विभाग, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश 484886
***एसोसिएट प्रोफ़ेसर*, शिक्षा विभाग, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश 484886

© NCERT not to be republished

सुगम बनाने के लिए अनेक आई.सी.टी. आधारित शिक्षा योजनाओं की शुरुआत की है। इन शिक्षण योजनाओं के क्रियान्वयन से पहले विद्यार्थियों की डिजिटल उपकरण संबंधित दक्षता अर्थात् डिजिटल साक्षरता की जानकारी आवश्यक है। डिजिटल साक्षरता जानकारी को समझने, सूचनाओं का पता लगाने और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कई स्वरूपों में जानकारी का मूल्यांकन और एकीकृत करने की क्षमता है अर्थात् डिजिटल साक्षरता जो कंप्यूटर प्रदान कर सकता है (पॉल गिल्स्टर, 1997)।

शिक्षण और अधिगम वह प्रक्रिया है, जिसमें सूचनाओं का पता लगाना, मूल्यांकन करना, संप्रेषण करना तथा संज्ञानात्मक और तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से शिक्षा के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी, स्थान और सामाजिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा किए बिना डिजिटल सेवाओं या प्रौद्योगिकियों का उपयोग और लाभ उठाने के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। डिजिटल साक्षरता की मूल अवधारणा यह है कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और साइबर सुरक्षा आदि का प्रत्यक्ष एवं सक्रिय अनुभव लेने में समर्थ बनाता है।

कोविड-19 महामारी की स्थिति के दौरान पूरी दुनिया ऑनलाइन शिक्षा पर निर्भर हो गई। भारत में सभी शैक्षणिक संस्थानों को मार्च 2020 से बंद कर दिया गया और विद्यार्थियों को ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने के लिए निर्देशित किया गया, जिन विद्यार्थियों के माता-पिता के पास तकनीकी उपकरण और तकनीकी जानकारी थी, उन्होंने अपने बच्चे को सरलतापूर्वक ऐसी स्थिति में ढाल दिया, किंतु जिन अभिभावकों में तकनीकी जानकारी का अभाव था उनके बच्चे ऑनलाइन शिक्षा को नहीं अपना सके हैं। यहाँ तक कि कुछ अभिभावकों ने डिजिटल उपकरण खरीद लिए, किंतु तकनीकी अज्ञानता के कारण अच्छी तरह से संचालित करने में असमर्थ थे। कोरोना काल के दौरान, भारत सरकार ने मूक, स्वयं, ई-पाठशाला, ई-ग्रंथालय (MOOC, SWAYAM, e-Pathshala, e-Granthalaya) और वीडियो अध्याय आदि के माध्यम से विद्यार्थियों की चुनौतियों को पूरा करने के लिए कई रणनीतिक कदम उठाए, जो सीखने को लचीला और सुविधाजनक बनाकर स्व-शिक्षण का मंच प्रदान करते हैं। शोधार्थी ने 2020 के दौरान माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के बीच डिजिटल साक्षरता कौशल को बढ़ाने के लिए एक मॉड्यूल विकसित किया जो निम्नलिखित आयामों पर आधारित है—

- डिजिटल उपकरणों का परिचय और संचालन (कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल संघटक, कार्य और अनुप्रयोग);
- इंटरनेट का परिचय और प्रयोग (सर्च इंजन, यूट्यूब, संचार- ईमेल, व्हाट्सएप, फ़ेसबुक);
- विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाओं तक पहुँच; और
- डिजिटल प्रौद्योगिकी में बचाव और सुरक्षा।

विद्यालयों में अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए विभिन्न विषयों में कोई भी विद्यार्थी कितना सीखा? इसका मापन करने के लिए एक अध्यापक कई मनोवैज्ञानिक विधियाँ एवं परीक्षणों का प्रयोग करता है, जिनमें से उपलब्धि परीक्षण एक ऐसा ही मनोवैज्ञानिक परीक्षण है (सिंह, 2015)। उपलब्धि परीक्षण में विद्यार्थियों द्वारा किसी निश्चित कार्यक्षेत्र

© NCERT not to be republished

में अर्जित किए गए ज्ञान एवं कौशल को मापा जाता है (गे, 1980)। अतः कहा जा सकता है कि 'उपलब्धि परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है, जो व्यक्ति द्वारा एक निर्धारित समयावधि में दिए गए किसी विशेष कार्य या ज्ञान के क्षेत्र में स्वामित्व या निपुणता का मापन करता है। इसके द्वारा अध्यापक शिक्षण में और विद्यार्थी अधिगम में कितना सफल हुए, इसका पता लगाने में सहायता मिलती है। अतः किसी भी उपलब्धि परीक्षण की वस्तुनिष्ठता, वैधता तथा विश्वसनीयता का होना आवश्यक है।

यह शोध पत्र मध्य प्रदेश राज्य में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की डिजिटल साक्षरता में उपलब्धि का आकलन करने के लिए शोधार्थी द्वारा विकसित डिजिटल साक्षरता कौशल उपलब्धि परीक्षण के निर्माण की प्रक्रिया पर आधारित है। इस उपकरण के निर्माण हेतु शोधार्थी द्वारा उपलब्ध संबंधित शोध साहित्य का अध्ययन करके डिजिटल साक्षरता कौशल उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्यों, विषय-वस्तु तथा मूल्यांकन संबंधी आयामों को निर्धारित किया गया। शोध पर्यवेक्षक, भाषा विशेषज्ञ तथा विषय-विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर कुछ एकांशों को हटाया गया तथा साथ ही साथ कुछ नवीन एकांशों को जोड़कर परीक्षण में आवश्यक सुधार किया गया। इस प्रकार उपलब्धि परीक्षण में अंतिम रूप से कुल 82 एकांशों का चयन किया गया।

परीक्षण निर्माण तथा मानकीकरण के चरण

शोधार्थी द्वारा कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों में डिजिटल साक्षरता उपलब्धि का आकलन करने के लिए स्वनिर्मित डिजिटल साक्षरता कौशल उपलब्धि परीक्षण (DLSAT) का निर्माण तथा मानकीकरण किया गया। यह प्रक्रिया चार चरणों में पूरी की गई—

1. प्रथम चरण — नियोजन;
2. द्वितीय चरण — निर्माण — परीक्षण के एकांशों का लेखन;
3. तृतीय चरण — परीक्षण के एकांशों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक मूल्यांकन;
4. चतुर्थ चरण — परीक्षण की विश्वसनीयता तथा वैधता का निर्धारण।

प्रथम चरण — नियोजन

किसी भी परीक्षण को मूर्त रूप देने के लिए उसके प्रथम चरण में योजना तैयार की जाती है, जिसमें शोधार्थी किसका, क्या, कब और कैसे आकलन करना है? इत्यादि पहलुओं पर विचार करता है। इसके अंतर्गत शोधार्थी परीक्षण की विषय-वस्तु, उद्देश्यों, प्रश्नों के प्रकार व उनकी संख्या, समयावधि, अंकन विधि और परीक्षण के प्रारूप आदि बातों का निर्धारण करता है। परीक्षण के प्रथम चरण में निम्नलिखित उपचरण शामिल हैं—

- परीक्षण समष्टि तथा परीक्षण उद्देश्य का परिभाषीकरण
- मापन में सम्मिलित बौद्धिक स्तरों का परिभाषीकरण
- उपलब्धि परीक्षण का मूल पत्र तैयार करना।

परीक्षण समष्टि तथा परीक्षण उद्देश्य का परिभाषीकरण

इस परीक्षण में समष्टि (जनसंख्या) के रूप में 2020 में मध्य प्रदेश के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का चयन किया गया था। इस शोध का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में डिजिटल साक्षरता कौशल उपलब्धि को ज्ञात करना था।

© NCERT not to be republished

मापन में सम्मिलित बौद्धिक स्तरों का परिभाषीकरण —

शोधार्थी द्वारा परीक्षण के एकांश का निर्माण करने के लिए उपलब्धि परीक्षण निर्माण के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ज्ञान के ज्ञानात्मक, बोधात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का चयन किया गया।

उपलब्धि परीक्षण का मूल पत्र (ब्लू प्रिंट) तैयार करना

मूल पत्र किसी भी परीक्षण को विस्तृत रूपरेखा के साथ-साथ उद्देश्यों, ज्ञान के स्तरों तथा एकांशों के वितरण को आसानी से समझाने वाला प्रारूप होता है। इस शोध कार्य में शोधार्थी द्वारा परीक्षण में शामिल पाठ्यवस्तु का विस्तृत अध्ययन किया गया तथा ज्ञान के प्रत्येक स्तर के अनुरूप उसका वितरण तालिका 1 में दर्शाया गया है।

द्वितीय चरण — निर्माण — परीक्षण के एकांशों का लेखन

इस शोध में वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय एवं सत्य-असत्य) प्रकार के प्रश्नों का निर्माण किया गया है। ऐसे प्रश्नों का निर्माण आसानी से किया जा सकता है तथा ये विद्यार्थियों को परीक्षण में दिए गए एकांशों के आधार पर विभेद करने में सक्षम भी होते हैं। इस परीक्षण में कुल 113 वस्तुनिष्ठ पदों को तैयार कर विषय विशेषज्ञों को समीक्षा, अवलोकन तथा सुझावों के लिए दिया गया तथा उनके द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखकर आवश्यक सुधार किया गया है।

तालिका 1 — डिजिटल साक्षरता कौशल उपलब्धि परीक्षण का ब्लू प्रिंट (प्रथम प्रारूप)

क्र. सं.	विषय-वस्तु	ज्ञानात्मक	बोधात्मक	क्रियात्मक	योग
1.	डिजिटल उपकरणों का परिचय और संचालन (कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल-संघटक, कार्य और अनुप्रयोग)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 25, 26, 32, 43, 56, 57, 59, 60, 61, 62	11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 46, 51, 58	20, 34, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 63, 64, 65	65 (57.52 %)
		22 (33.84 %)	26 (40.00 %)	17 (26.15 %)	
2.	इंटरनेट का परिचय और प्रयोग (सर्च इंजन, यूट्यूब, संचार– ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक)	66, 71, 72, 78, 83, 84, 86, 90	69, 70, 77, 79, 80, 81, 82, 85, 88, 89, 91	67, 68, 73, 74, 75, 76, 87	26 (23.01 %)
		08 (30.77 %)	11 (42.30 %)	07 (26.92 %)	
3.	विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाओं तक पहुँच	92, 94, 95, 98, 101	93, 96, 100	97, 99	10 (8.85 %)
		05 (50.00 %)	03 (30.00 %)	02 (20.00 %)	
4.	डिजिटल प्रौद्योगिकी में बचाव और सुरक्षा	110, 111, 112	102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109	113	12 (10.62 %)
		03 (25.00 %)	08 (66.66 %)	01 (8.34 %)	
5.	सकल योग	38 (33.63 %)	48 (42.47 %)	27 (23.90 %)	113 (100%)

© NCERT not to be republished

तत्पश्चात् मार्गदर्शी अध्ययन (पायलट स्टडी) के लिए परीक्षण का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया।

तृतीय चरण—परीक्षण के एकांशों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक मूल्यांकन

परीक्षण के एकांशों का विषय विशेषज्ञों के द्वारा गुणात्मक मूल्यांकन

परीक्षण में शामिल सभी एकांश उद्देश्यों को पूरा करते हैं या नहीं, इसके लिए शोधार्थी द्वारा तैयार परीक्षण के निर्माण के प्रथम प्रारूप को शोध पर्यवेक्षक तथा अन्य संबंधित विशेषज्ञों (शिक्षा मनोवैज्ञानिक, भाषा विशेषज्ञ, कंप्यूटर विषय विशेषज्ञ और माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक) को मूल्यांकन के लिए दिया गया। विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए सुझावों के आधार पर इस उपलब्धि परीक्षण में आवश्यक सुधार तथा संशोधन किया गया। इसके साथ ही साथ विशेषज्ञों द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि परीक्षण में शामिल सभी पद संबंधित क्षेत्र से हैं तथा उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस प्रकार इस परीक्षण में कुल 113 बहुविकल्पीय प्रकार के पदों को यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित किया गया।

परीक्षण के एकांशों का मात्रात्मक मूल्यांकन—प्रारंभिक या मार्गदर्शी परीक्षण

परीक्षण के एकांशों के मात्रात्मक मूल्यांकन हेतु मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर और शहडोल जनपद से 10वीं कक्षा के दो-दो विद्यालय, जिसमें एक-एक प्राइवेट व एक-एक सरकारी विद्यालयों को मार्गदर्शी अध्ययन के लिए शामिल किया गया, जिसमें कुल 180 ऐसे विद्यार्थियों को न्यादर्श में शामिल किया गया जो परीक्षण संबंधी विषय-वस्तु की जानकारी तथा समझ रखते थे। इस परीक्षण में कुल 113 एकांशों (89 बहुविकल्पीय तथा 24 अन्य सत्य-असत्य पदों) को शामिल किया गया। बहुविकल्पीय एकांशों के लिए क, ख, ग, घ चार विकल्पों में से किसी एक पर तथा सत्य-असत्य एकांशों के लिए सत्य या असत्य में से किन्हीं एक पर सही का चिह्न लगाना था। इस परीक्षण के लिए सभी विद्यार्थियों को 2 घंटे का समय दिया गया था। परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षण का फलांकन, उत्तर कुंजी की सहायता से किया गया और विद्यार्थियों के प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक तथा गलत उत्तर के लिए शून्य अंक प्रदान किया गया।

एकांश विश्लेषण

किसी भी परीक्षण के प्रश्नों की मनोमितीय (साइकोमेट्रिक) विशेषताओं को आंकिक दृष्टि से विश्लेषण करने की प्रक्रिया को पद या एकांश विश्लेषण कहते हैं। शोधार्थी एकांशों को लिखने, विशेषज्ञों के सुझाव तथा विद्यार्थियों पर मार्गदर्शी अध्ययन आदि के बाद एकांशों में संशोधन कर उन एकांशों का विश्लेषण करता है। (पटेल एवं सिंह, 2018) गे (1980) के अनुसार, "एकांश विश्लेषण मूल रूप से एकांशों की प्रभावशीलता की माप करने के खयाल से प्रत्येक एकांश के प्रति की गई अनुक्रियाओं के प्रारूप का एक परीक्षण है।" अर्थात् पद विश्लेषण के द्वारा प्रत्येक एकांश की प्रभावशीलता अथवा अप्रभावशीलता आदि की जानकारी होती है, जिससे किसी एकांश में परिमार्जन की आवश्यकता है या वह एकांश व्यर्थ है इत्यादि बातों की जानकारी हो जाती है। इन्हीं के आधार पर एकांशों को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। इसके द्वारा समय, धन, शक्ति की बचत कर अपने कार्य को सरलता से सफल बना सकते हैं।

© NCERT not to be republished

एकांश विश्लेषण की गणना—

- कठिनाई स्तर तथा सूचकांक
- विभेदन क्षमता तथा सूचकांक

एकांश का कठिनाई सूचकांक

कठिनाई सूचकांक विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए किसी भी एकांश का सही उत्तर देने वाला अनुपात या प्रतिशत होता है। किसी भी एकांश की कठिनाई स्तर को DV (डिफ़िकल्टी वैल्यू) या P अक्षर से व्यक्त किया जाता है। किसी भी एकांश का प्रतिशत यह दर्शाता है कि वह एकांश कितना कठिन या आसान है अर्थात् प्रतिशत जितना अधिक होगा, एकांश उतना ही आसान तथा प्रतिशत जितना कम होगा कठिनाई स्तर उतना ही उच्च होता है। किसी भी एकांश का कठिनाई सूचकांक का मान 0.00 से +1.00 के बीच हो सकता है। नन्नली (1972) के अनुसार, किसी भी एकांश हेतु निर्मित बहुविकल्पीय परीक्षण का मान 0.20 से 0.80 के बीच होने पर उस एकांश का चयन करना चाहिए। किसी भी परीक्षण में बहुत आसान या बहुत कठिन एकांशों को शामिल नहीं करना चाहिए। इस शोध में डिजिटल साक्षरता कौशल उपलब्धि परीक्षण के एकांशों की कठिनाई सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र निम्नलिखित है—

$$DV(P) = R/N$$

यहाँ,

DV(P) = एकांश का कठिनाई स्तर
R = सही उत्तर देने वाले व्यक्तियों या प्रयोज्यों की संख्या
N = विद्यार्थियों या प्रयोज्यों की कुल संख्या

तालिका 2 — हेनिंग्स गाइडलाइंस (कठिनाई मान)

उच्च कठिनाई स्तर	मध्यम	निम्न (सरल)
≤0.33	0.34-0.66	≥0.67

एकांश की विभेदन शक्ति या सूचकांक

एकांश की वह शक्ति जिसके द्वारा एकांश उत्तरदाताओं के बीच व्यक्तिगत विभेद करता है, उसे एकांश की विभेदन शक्ति या एकांश सूचकांक कहा जाता है। गे (1980) के अनुसार, "विभेदन शक्ति से तात्पर्य उस क्षमता से होता है, जिसमें एकांश किसी परीक्षण पर उच्च उपलब्धि तथा निम्न उपलब्धि प्राप्तकर्ता के बीच अंतर करता है।" इस शोध में शोधार्थी द्वारा डिजिटल साक्षरता कौशल उपलब्धि परीक्षण के एकांशों की विभेदन सूचकांक की गणना निम्नलिखित सूत्र की सहायता से की गई थी—

$$DP = RH-RL/N$$

यहाँ, DP = एकांश की विभेदन शक्ति
RH= उच्च समूह में सही उत्तर देने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या
RL = निम्न समूह में सही उत्तर देने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या
N = किसी एक समूह के व्यक्तियों की कुल संख्या

शोधार्थी द्वारा 113 एकांश वाले डिजिटल साक्षरता कौशल उपलब्धि उपकरण को मध्य प्रदेश के दो जनपदों अनूपपुर और शहडोल से कुल 180 विद्यार्थियों के प्रतिनिधि न्यादर्श पर प्रशासित किया गया। प्रत्येक एकांश का सही उत्तर देने पर एक अंक

© NCERT not to be republished

तथा गलत उत्तर देने पर शून्य अंक प्रदान किया गया। तत्पश्चात् सभी उत्तरदाताओं के प्राप्तांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। प्राप्तांकों के व्यवस्थित क्रम से दो समूह, एक उच्च समूह और दूसरा निम्न समूह बनाया गया। उच्च समूह के 27 प्रतिशत (48) विद्यार्थियों तथा निम्न समूह के 27 प्रतिशत (48) विद्यार्थियों को एकांश की विभेदन शक्ति की गणना के लिए उपयोग किया गया। इस प्रकार दोनों समूहों में विद्यार्थियों की संख्या (48) समान थी। इस प्रकार प्रत्येक एकांश के प्राप्तांकों में जितना अधिक अंतर होता है, वह एकांश उतना ही अधिक अच्छा माना जाता है।

डिजिटल साक्षरता कौशल उपलब्धि परीक्षण का अंतिम प्रारूप तैयार करना

इस परीक्षण के प्रथम प्रारूप में कुल 113 पद शामिल किए गए तथा जिस एकांश का कठिनाई मान (DV) और विभेदन सूचकांक (DP) का मान 0.20 से कम तथा 0.80 से अधिक था, उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रकार अंतिम शोधार्थी द्वारा निर्मित परीक्षण

तालिका 3 — विभेदन सूचकांक सूची

प्रसार	श्रेणी	संस्तुति
> 0.39	उत्कृष्ट	परीक्षण में एकांश को सम्मिलित कर सकते हैं।
0.30 – 0.39	उत्तम	एकांश में सुधार अपेक्षित है।
0.20 – 0.29	औसत	एकांश की पुनः समीक्षा की आवश्यकता है।
0.00 – 0.19	खराब	एकांश को अस्वीकृत या गहन समीक्षा की आवश्यकता है।
< 0.01	सबसे खराब	एकांश को पूर्णत: हटा दिया जाए।

तालिका 4 — डिजिटल उपलब्धि परीक्षण के प्रथम 10 पदों का उदाहरणस्वरूप एकांश विश्लेषण

क्रम संख्या	प्राप्तांक	कठिनाई स्तर	उच्च समूह में सही उत्तरों की संख्या	निम्न समूह में सही उत्तरों की संख्या	अंतर	विभेदन सूचकांक	टिप्पणी
1.	75	0.41	31	13	18	0.37	स्वीकृत
2.	79	0.43	33	8	25	0.52	स्वीकृत
3.	65	0.36	25	11	14	0.29	स्वीकृत
4.	129	0.71	42	29	13	0.27	स्वीकृत
5.	46	0.25	14	11	3	0.06	अस्वीकृत
6.	59	0.32	21	10	11	0.22	स्वीकृत
7.	61	0.33	27	9	18	0.37	स्वीकृत
8.	129	0.71	45	24	21	0.43	स्वीकृत
9.	93	0.51	46	9	37	0.77	स्वीकृत
10.	38	0.21	15	9	6	0.12	अस्वीकृत

© NCERT not to be republished

तालिका 5 —डिजिटल साक्षरता कौशल उपलब्धि परीक्षण का अंतिम प्रारूप

क्र. सं.	विषय वस्तु	ज्ञानात्मक	बोधात्मक	क्रियात्मक	योग
1.	डिजिटल उपकरणों का परिचय और संचालन (कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल-संघटक, कार्य और अनुप्रयोग)	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 26, 32, 56, 60, 61, 62	13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 46, 51, 58	34, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 63, 64,65	48 (58.54%)
		14 (29.17 %)	20 (41.66 %)	14 (29.17 %)	
2.	इंटरनेट का परिचय और प्रयोग (सर्च इंजन, यूट्यूब, संचार— ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक)	66, 71, 72, 83, 84, 90	69, 70, 77, 79, 80, 81, 82	73, 74, 75, 76, 87	18 (21.95 %)
		06 (33.34 %)	07 (38.89 %)	05 (27.77 %)	
3.	विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाओं तक पहुँच	92, 95, 98,	93, 100	97	06 (07.32 %)
		03 (50.00 %)	02 (33.34 %)	01 (16.66 %)	
4.	डिजिटल प्रौद्योगिकी में बचाव और सुरक्षा	110, 111, 112	102, 103, 104, 105, 106, 107, 109	0 0	10 (12.19 %)
		03 (30.00 %)	07 (70.00 %)		
5.	सकल योग	26 (31.70 %)	36 (43.90 %)	20 (24.40 %)	82 (100%)

के अंतिम प्रारूप में कुल 82 पद चयनित हुए, जिनके वितरण को तालिका 5 में दर्शाया गया है।

चतुर्थ चरण — डिजिटल साक्षरता कौशल उपलब्धि परीक्षण की विश्वसनीयता तथा वैधता का निर्धारण

उपलब्धि परीक्षण की विश्वसनीयता

विश्वसनीयता किसी भी परीक्षण प्राप्तांक का एक प्रमुख गुण होता है। सरल अर्थों में विश्वसनीयता से तात्पर्य प्राप्तांकों की परिशुद्धता से होता है। वैज्ञानिक अर्थ में विश्वसनीयता से तात्पर्य प्राप्तांकों की संगति से होता है, जो उनकी पुनरुत्पादकता के रूप में दिखाई देती है (सिंह, 2014)। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी, उसे भविष्य में पुनः प्रशासित करके संगत आँकड़ों को प्राप्त किया जा सकता है (गंगवार और सिंह, 2019)। अर्थात् जब कोई भी परीक्षण कुछ दिनों के अंतराल पर प्रशासित करने पर वह परीक्षण सभी परिणामों में स्थिरता दर्शाता है, तो ऐसे प्राप्त अंकों की स्थिरता को विश्वसनीयता कहते हैं। विश्वसनीयता का एक प्रचलित शाब्दिक अर्थ होता है— विश्वास करने की सीमा अर्थात् एक ऐसा परीक्षण, जिस पर विश्वास किया जा सके, उसे विश्वसनीय परीक्षण कहते हैं। स्टोडोला और स्टोर्डल (1972) के अनुसार, "विश्वसनीयता को किसी समूह के व्यक्तियों के लिए समतुल्य परीक्षणों पर प्राप्तांकों के दो या दो से अधिक विन्यासों के बीच सह-संबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।" शोधार्थी द्वारा परीक्षण की आंतरिक संगति विश्वसनीयता (इंटरनल

© NCERT not to be republished

कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी ऑफ़ अचीवमेंट टेस्ट) ज्ञात करने के लिए अर्द्धविच्छेद या विभक्तार्द्ध विश्वसनीयता विधि तथा क्रोनबैक अल्फा सूत्र का उपयोग किया गया है।।

अर्द्धविच्छेद विश्वसनीयता विधि (स्पलिट हाफ़ रिलायबिलिटी मेथड)

किसी भी परीक्षण की आंतरिक संगति विश्वसनीयता (इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी) ज्ञात करने की सबसे प्रचलित विधि अर्द्धविच्छेद विश्वसनीयता विधि है। इस विधि में परीक्षण को पहले किसी एक न्यादर्श पर प्रशासित किया जाता है। इसके बाद परीक्षण को दो बराबर भागों में विभाजित करने के लिए दो विधियों — सम-विषम विधि तथा प्रथम अर्द्धांश भाग तथा द्वितीय अर्द्धांश भाग विधि की सहायता लेते हैं। इस शोध में परीक्षण की विश्वसनीयता गुणांक की गणना करने के लिए सम-विषम विधि का उपयोग किया गया है। इसमें कुल 82 एकांशों वाले परीक्षण के पहले 41 एकांश को प्रथम अर्द्धांश में तथा शेष 41 एकांश को द्वितीय अर्द्धांश में रखा गया, इस प्रकार कुल 180 प्रयोज्यों के दो-दो स्कोर प्राप्त हुए तत्पश्चात् (एस.पी.एस.एस.) की सहायता से अर्द्ध परीक्षण विश्वसनीयता (हाफ़ टेस्ट रिलायबिलिटी) बताने वाले पियर्सन (r) की गणना की गई। परीक्षण की विश्वसनीयता सह-संबंध के आधार पर स्पियरमैन ब्राउन प्रोफ़ेसी के सूत्र द्वारा ज्ञात किया गया, जिसका मान 0.78 प्राप्त हुआ। जबकि गटमैन सूत्र द्वारा परीक्षण की विश्वसनीयता का मान 0.78 प्राप्त हुआ तथा क्रोनबैक अल्फा सूत्र द्वारा परीक्षण की विश्वसनीयता का मान 0.84 प्राप्त हुआ, जो कि उच्च धनात्मक श्रेणी में है।

उपलब्धि परीक्षण की वैधता

जब कोई परीक्षण निर्धारित चर एवं उसके उद्देश्यों को पूरा करने की क्षमता रखता है, उसे उस चर का वैध परीक्षण कहते हैं। एनास्टेसी एवं उर्विना (2002) के अनुसार, "परीक्षण वैधता से तात्पर्य इस बात से होता है कि परीक्षण क्या मापता है और कितनी बारीकी से मापता है।" किसी भी परीक्षण की वैधता ज्ञात करने की दो विधियाँ हैं, पहली तार्किक विधि, जिसके अंतर्गत आंतरिक कसौटी पर आधारित विधियाँ शामिल हैं तथा दूसरी सांख्यिकी विधि, जिसके अंतर्गत वाह्य कसौटी पर आधारित विधियाँ शामिल हैं। इस शोध में वैधता का निर्धारण करने के लिए तार्किक विधियों की सहायता ली गई। डिजिटल साक्षरता कौशल उपलब्धि परीक्षण की प्रत्यक्ष वैधता (फ़ेस वेलिडिटी) तथा अंतर्विषय वैधता (कंटेंट वेलिडिटी) का निर्धारण करने के लिए एकांशों तथा ब्लू प्रिंट के निर्माण के समय परीक्षण के उद्देश्यों, पाठ्यवस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखा गया है। इस शोध में शोधार्थी द्वारा विकसित परीक्षण कंप्यूटर विषय के विशेषज्ञों, शिक्षक-प्रशिक्षकों, भाषा विषय के विशेषज्ञों तथा माध्यमिक स्तर पर अध्यापन करने वाले शिक्षकों को देकर उनसे एकांशों से संबंधित तथ्यों तथा विषय-वस्तु के सभी क्षेत्रों से संबंधित बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया। तत्पश्चात् उनके द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखकर परीक्षण के एकांशों की भाषा-शैली, शब्द-संरचना, वाक्य-विन्यास तथा एकांशों के कठिनाई स्तर में आवश्यक संशोधन किया गया।

© NCERT not to be republished

डिजिटल साक्षरता कौशल उपलब्धि परीक्षण का शैक्षिक निहितार्थ

इस शोध कार्य में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे डिजिटल इंडिया, डिजिटल साक्षरता अभियान की पाठ्यचर्या को आधार मानकर शोधार्थी द्वारा तैयार किए गए डिजिटल साक्षरता से संबंधित मॉड्यूल विषय की शैक्षिक उपलब्धि के मापन के लिए 'डिजिटल साक्षरता कौशल उपलब्धि परीक्षण' का निर्माण एवं मानकीकरण किया गया। यह शोध माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश से संबंधित विद्यालयों के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों पर प्रशासित किया गया। अतः 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा डिजिटल उपकरणों से संबंधित विषय में उनके द्वारा अर्जित निपुणता को जानने के लिए इस 'परीक्षण' का उपयोग किया जा सकता है। इस परीक्षण की सहायता से अध्यापक आसानी से कक्षा में विद्यार्थियों की डिजिटल उपकरणों से संबंधित विषय की 'उपलब्धि' की तुलना कर किसी विशेष निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं, साथ ही परोक्ष रूप से विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के बारे में एक स्थूल अनुमान लगा सकते हैं। इस उपलब्धि परीक्षण के परिणामों के आलोक में शिक्षक, विभिन्न विषयों के अध्यापन हेतु प्रयोग में लाई जा रही अपनी शिक्षण नीतियों में उचित एवं सकारात्मक संशोधन भी कर सकते हैं। इस शोध कार्य में निर्मित तथा मानकीकृत 'डिजिटल साक्षरता कौशल उपलब्धि परीक्षण' अन्य शोध कार्यों के लिए उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में एक आधार होगा, साथ ही वे इसका उपयोग भी अपने शोध कार्य में कर सकेंगे।

संदर्भ

एनास्टेसी. ए और एस. उर्विना. 2002. *साइकॉलॉजिकल टेस्टिंग.* (सातवाँ संस्करण). पियसर्न एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नयी दिल्ली.

गंगवार, एस. और एस. पी. सिंह. 2019. विज्ञान उपलब्धि परीक्षण निर्माण तथा मानकीकरण. *भारतीय आधुनिक शिक्षा.* 39(4), पृष्ठ संख्या 46–55. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

गे, एल. आर. 1980. *एजुकेशनल इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट— कम्पीटेंसीज़ फ़ॉर एनालिसिस एंड एप्लीकेशन.* कोलंबस, ओ.एच. चार्ल्स ई. मैरिल पब्लिशिंग को., लंदन.

नन्नली, जे.सी. 1972. *एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन* (द्वितीय संस्करण). मैकग्रा-हिल, न्यूयार्क.

पटेल, आर.के. और एस.पी. सिंह. 2018. संस्कृत उपलब्धि परीक्षण का निर्माण तथा मानकीकरण. *परिप्रेक्ष्य.* 25(2), पृष्ठ संख्या 89–104.

स्टोडोला, क्यू. और के. स्टोर्डल. 1972. *बेसिक एजुकेशनल टेस्ट्स एंड मेजरमेंट.* थॉमसन (इण्डिया), नयी दिल्ली.

सिंह, ए. के. 2014. *मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ.* मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली.

———. 2015. *शिक्षा मनोविज्ञान.* भारती भवन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, पटना.

© NCERT not to be republished

महात्मा गांधी की शिक्षा दृष्टि और उसकी प्रासंगिकता

गिरीश्वर मिश्र*

स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही शिक्षा के माध्यम से देश के सामाजिक विकास और उत्थान का स्वप्न देखा जाने लगा था। विशेष रूप से देश की विविधता को ध्यान में रखकर इस पर बल दिया गया। एक देश के रूप में प्रत्येक भारतवासी एक ऐसा समाज चाहता है, जिसमें सबके लिए न्याय, समता और समान अवसर हों। शिक्षा का सामाजिक गतिशीलता के साथ गहरा संबंध है। अत: शिक्षित होकर लोगों के आर्थिक-सामाजिक स्तर में सुधार तो स्वाभाविक है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति के पास ज्ञान और कौशल अधिक होता है, जिससे उन्हें कम पढ़े-लिखे लोगों पर तरजीह मिलती है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती है, व्यक्ति अपने ज्ञान और कौशल का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्ट तरीके अपनाने लगता है। ताकि थोड़े श्रम से या बिना श्रम के ही अधिक से अधिक धन-संपत्ति प्राप्त कर सके। ऐसे लोग अपनी बुद्धि का उपयोग नियम, कानून आदि को धोखा देते हुए देश-विदेश में धन संपत्ति को बढ़ाने में करते हैं, इसलिए महात्मा गांधी की शिक्षा दृष्टि वर्तमान समय में बहुत प्रासंगिक है। यह व्यक्तियों के चरित्र निर्माण के साथ-साथ उनमें नैतिकता की वृद्धि भी करती है। इस प्रकार, यह लेख गाँधी जी की शिक्षा दृष्टि और उसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करता है।

आज समाज में हर तरह की लिप्सा बढ़ रही है। दूसरी ओर शारीरिक कार्य को हीन दृष्टि से देखा जाने लगा है। सबसे खतरनाक बात तो यह है कि आपराधिक काम में रसूखदार लोग भी शामिल हो रहे हैं और कानून द्वारा पकड़े जाने के अंदेशे में जब कोई मार्ग नहीं बचता है तो आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लेते हैं। सुशिक्षित लोगों में स्वार्थ साधते रहने और स्वार्थपरता की प्रवृत्ति तीव्रता से बढ़ती जा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के स्वरूप पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत प्रकट होती है। आज की औपचारिक शिक्षा में व्यक्तिगत उन्नति ही लक्ष्य माना जा रहा है और शिक्षा पाने के क्रम में विद्यार्थी समाज से नहीं जुड़ पाता है, यह ज़रूर है कि वह समाज, समूह और सामाजिक संस्थाओं को अपने लिए साधन मानने लगता है। इस स्थिति के घातक परिणाम दुर्घटनाओं और विभिन्न तरह की सामाजिक हानि के रूप में दिख रहे हैं। इस अवस्था में महात्मा गांधी के विचार सोचने को मजबूर करते हैं, जो आज से एक सदी पहले प्रतिपादित किए गए थे, जिसमें एक सामाजिक व्यक्ति की और चरित्र-प्रधान शिक्षा की व्यवस्था थी। गांधी जी की नैतिक दृष्टि का आधार ईशावास्योपनिषद का विचार था, जिसमें सारी सृष्टि को ईश्वर से व्याप्त कहा गया है तथा मनुष्य को

** पूर्व कुलपति, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, 307 टावर -1, पार्श्व मैजेस्टिक फ्लोर्स, वैभव खंड, इंदिरापुरम, गाज़ियाबाद 201014*

ईश्वर के प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। चूँकि ईश्वर सर्वत्र ही है, इसलिए अधिकार जताने की बात ही नहीं है, दूसरे का धन तो दूसरे का है, उस पर कब्जा नहीं जमाना चाहिए।

ईशा वास्यमिदम् सर्वूम् यतिकिंम् जगत्याम् जगत्।
तेन त्यक्तेन भुंजीथा: मा गृध: कस्यस्विद्धनम्।

महात्मा गांधी की शिक्षा-दृष्टि

'शिक्षा द्वारा व्यक्ति का निर्माण होता है' यह मानते हुए भी गांधी जी एक सामाजिक व्यक्ति की परिकल्पना करते थे और शिक्षा को उसका माध्यम या अवसर बनाना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। व्यवहार को नैतिकता और आचार का उपाय बताते हुए उन्होंने शिक्षा को हर तरह से समाज केंद्रित बनाने का प्रस्ताव किया और 'नई तालीम' की व्यवस्था को इसी विचार के इर्द-गिर्द बुना। वे इनके बिना शिक्षा को अधूरा और एक हद तक अस्वस्थ पाते थे, इनका समावेश होने पर ही बच्चे समाज की ओर उन्मुख होकर उसकी सेवा की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि प्रसिद्ध है, गांधी जी आधुनिक मशीन के उपयोग के विरुद्ध थे, उनके विचार में इनके आने से समाज में गुलामी और असंतोष की प्रवृत्तियाँ ही बढ़ेंगी। इसलिए, वह चरखा चलाने और अन्य हस्त कौशलों को सीखने पर बल देते थे। उनकी कल्पना की शिक्षा उद्देश्यपूर्ण, सर्जनात्मक और उपयोगी थी। शिक्षा की व्यवस्था से व्यक्ति में स्वावलंबन आना चाहिए। शिक्षा का सामाजिक चरित्र गांधी जी के लिए सबसे अधिक महत्व का था, उनके विचार में शिक्षा का उद्देश्य समाज के लिए युवा वर्ग को तैयार करना था और इस प्रक्रिया में मूल्यों का केंद्रीय महत्व था।

महात्मा गांधी 'पूर्ण मनुष्य' के निर्माण के लिए समर्पित शिक्षा के पक्षधर थे। वह यह भी सोचते थे कि नैतिकता और सामाजिकता के विकास के लिए विभिन्न धर्मों की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। भारत की विविधता को देखते हुए विभिन्न धर्मावलंबियों के साथ सहिष्णुता और पारस्परिक आदर का भाव विकसित करने के लिए बच्चों को दूसरे धर्मों की आधारभूत जानकारी आवश्यक रूप से मिलनी चाहिए। गांधी जी की दृष्टि में चरित्र के अभाव में शिक्षा और ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता है, अत: नैतिक और आचार शास्त्र का ज्ञान बहुत आवश्यक है। उनका विश्वास था कि हस्त-कौशल के उत्पाद की बिक्री से विद्यालय स्वावलंबी हो सकेगा, इस तरह की व्यवस्था के अनुसार विद्यालय स्वतंत्र और स्वायत्त हो सकेंगे। अच्छी तरह से शिक्षित व्यक्ति वह होता है, जिसकी इंद्रियाँ उसके वश में हों, बुद्धि निर्मल हो और प्रकृति के आधारभूत सिद्धांतों का ज्ञान हो।

गांधी जी आदर्शवादी, प्रयोजनमूलक और दूरदर्शी व्यक्ति थे, वे मानते थे कि सत्य को विश्वास और विचार दोनों में ही उपस्थित होना चाहिए। उनके लिए व्यक्ति और समाज अविभाज्य थे, अत: एक व्यक्ति द्वारा की जाने वाली मानवीय क्रिया का प्रभाव सिर्फ़ अकेले व्यक्ति तक ही नहीं रहता, बल्कि सारी मानवता को प्रभावित करता है। सतत प्रश्न और स्वस्थ उत्सुकता तो हर तरह के सीखने का आधार होता है, परंतु सूचना अर्जित करना और प्रशिक्षण मानव समाज के हित में होने चाहिए। महात्मा गांधी ने स्वाभिमानी, उदार और परिश्रमशील लोगों के समाज की परिकल्पना की थी, गांधी जी द्वारा हस्त कौशल की शिक्षा पर बल देना इसी परियोजना का

© NCERT not to be republished

हिस्सा था। बुनियादी शिक्षा में समाज के निचले वर्ग को भी जगह मिली हुई थी। चूँकि सीखना दैनंदिन जीवन में घटित होता है, जिसमें व्यक्ति को स्वयं पहल करनी होती है और एक-दूसरे के साथ सहकार भी अपेक्षित होता है, इसलिए स्वायत्तता और सहयोग दोनों का विकास शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है।

महात्मा गांधी की समाज-दृष्टि और शिक्षा का आयोजन

गांधी जी के विचार में सरकार या नौकरशाही का अध्यापक के कार्य में किसी तरह से बाहरी दखल नहीं होना चाहिए। अध्यापक को पाठ्यक्रम बनाने की भी छूट मिलनी चाहिए, उनके विचार में सुनिश्चित पुस्तक की जगह यदि अध्यापक अपनी रुचि से पढ़ाए तो मौलिकता आएगी। पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक आदि की दृष्टि से राज्य या सरकार का अधिकार सीमित होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य तो एक ही है कि बच्चे के शरीर, मन और आत्मा से श्रेष्ठतम उद्घाटित कर उसका विकास किया जाए। सर्वांगीण विकास के लिए शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास साथ-साथ होना चाहिए। आध्यात्मिक और शारीरिक विकास मिल कर समग्र बनाते हैं। शिक्षा सामाजिक पुनर्निर्माण की एक विधि है, जिसमें बच्चे को एक प्रतिभागी के रूप में शामिल कर सहयोग और समूह दायित्व का भाव तथा वैयक्तिकता की प्रवृत्ति को रोका जा सकता था। गांधी जी की दृष्टि में विद्यालय एक लघु समाज था, यदि सभी प्रतिभागी अपने अधिकार और दायित्व के साथ सीखने-सिखाने के काम में भाग लें तो वर्ग भेद और असुरक्षा भी कम होगी। आधुनिक सभ्यता की मुश्किलों को उन्होंने पहचाना था। उसमें प्रचारित सामाजिक प्रगति के खोखलेपन को भी देखा था। आज शिक्षा के गिरते स्तर और समाज में मूल्यों के प्रति बदलते रुझान को देखते हुए भारतीय शिक्षा में सामाजिक सरोकारों की प्रतिष्ठा के लिए स्थान बनाना ज़रूरी है।

महात्मा गांधी का अनुभव और शिक्षा के विविध प्रयोग

महात्मा गांधी भारतीय समाज और संस्कृति की दशा और दिशा पर निरंतर विचार करते रहे। इस दृष्टि से शिक्षा भी उनके सरोकारों में प्रमुख प्रश्न के रूप में उपस्थित थी। औपनिवेशिक गुलामी से मुक्ति के लिए शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण अस्त्र था, उन्होंने स्वयं भारत और इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त की थी, परंतु बाद के जीवन में उन्होंने शिक्षा में औपचारिक प्रयोग भी किए। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने फ़ीनिक्स फार्म में बच्चों को शिक्षा देने का आयोजन किया था। बिहार के चंपारण में रहते हुए गांधी जी ने प्राथमिक विद्यालय भी आरंभ किए थे। वर्धा जनपद के सेवाग्राम में रहते हुए उन्होंने नई तालीम नाम से शिक्षा की पद्धति भी विकसित की, जिसके अंतर्गत प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाते हुए बच्चे में विद्यमान प्रतिभा को प्रकट करने का लक्ष्य रखा गया। सेवाग्राम के परिसर में आनंद निकेतन विद्यालय अभी भी शिक्षण की इस परंपरा में आगे बढ़ रहा है। गुजरात विद्यापीठ और बनारस में काशी विद्यापीठ में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी गांधी जी के विचार को आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर गांधी जी द्वारा शिक्षा को लेकर जो विचार व्यक्त किए गए हैं, उनके आधार पर शिक्षा की उनकी दृष्टि और अवधारणा के आधारभूत पक्षों को प्रस्तुत किया गया है।

© NCERT not to be republished

शिक्षा का उद्देश्य समग्र मनुष्य का निर्माण करना है

गांधी जी की दृष्टि में शिक्षा प्राप्त कर मनुष्य अपने जीवन में उदात्त रूप प्राप्त करता है। उनके शब्दों में, "शिक्षा का मूल उद्देश्य मनुष्य को सच्चे अर्थ में मनुष्य बनाना है, जो शिक्षा मानवीय सद्गुणों के विकास में योग नहीं देती और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का मार्ग नहीं प्रशस्त करती वह शिक्षा अनुपयोगी है। मेरे विचार से मानव बनना अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है" (*नवजीवन,* 10.10.1920)। इस तरह शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व-परिष्कार द्वारा मनुष्य में नई संभावनाओं को उजागर करती है। साथ ही इस प्रक्रिया में सद्गुणों के विकास की केंद्रीय भूमिका होती है, दूसरे शब्दों में सात्विक गुणों का स्थापन करना ही शिक्षा का उद्देश्य है।

गांधी जी, शिक्षा को उस व्यापक भारतीय परंपरा में स्थापित करते हैं, जिसमें आत्म-ज्ञान ही विद्यार्जन के परम ध्येय के रूप में स्थापित और स्वीकार किया गया है—'ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि—"भारतीय संस्कृति में शिक्षा को केवल जीविकोपार्जन का साधन मात्र नहीं माना गया है, वह तो आध्यात्मिक जीवन की दीक्षा है, जिसे हम सत्य और सद्गुण के अवगाहन में आत्मा की एक खोज भी कह सकते हैं। यह वस्तुत: हमारा द्वितीय जन्म है, वह शिक्षा सचमुच शिक्षा नहीं, जो हमें सेवा और त्याग की प्रेरणा प्रदान नहीं कर सकती है। शिक्षा का महत्व तो तभी प्रकट होगा, जब वह अपने वातावरण को प्रभावित करेगी" (*यंग इंडिया,* 14.11.1929)।

शिक्षा की व्यापकता

गांधी जी शिक्षा से व्यापक अपेक्षा रखते थे। उनके अनुसार, "बालक की आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के पूर्ण विकास का दायित्व शिक्षा पर है" (*हरिजन,* 11.9.37)। इसे स्पष्ट करते हुए गांधी जी यह स्थापना करते हैं कि जब तक शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का विकास एक साथ नहीं हो जाता तब तक मात्र बौद्धिक विकास एकांगी ही बना रहेगा। शिक्षा स्वयं में कोई लक्ष्य न होकर आत्मा के विकास का माध्यम है। गांधी जी मानते हैं कि "शिक्षा कोई साध्य वस्तु नहीं, बल्कि साधन है, और जिस शिक्षा से हम चरित्रवान बन सकें वही सच्ची शिक्षा मानी जा सकती है" (*शिक्षा की समस्या,* पृष्ठ संख्या 4)।

प्रतिभा का उन्मूलन

शिक्षा को लेकर गांधी जी का सबसे मुखर और प्रसिद्ध विचार इन शब्दों में व्यक्त हुआ है, "शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बालक के शरीर, मन तथा आत्मा की उत्तम क्षमताओं को उद्घाटित किया जाए और बाहर प्रकाश में लाया जाए" (*हरिजन,* 31.7.1937)। वह यह स्पष्ट करते हैं कि बच्चे में विद्यमान प्रतिभा और क्षमता अर्थात् उसके स्वभाव को आधार बनाकर उसका उद्घाटन करना ही शिक्षा का प्रयोजन है। गांधी जी व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर विद्यार्थी के लिए विकल्प के पक्षधर थे, वे आँख मूँद कर शिक्षा को आरोपित नहीं करना चाहते हैं। वे शिक्षा की व्यापकता में विश्वास रखते हैं। वे मानते हैं कि, "शिक्षा जीवन का एक अंग नहीं है, बल्कि शिक्षा में जीवन का

© NCERT not to be republished

सर्वांग आ जाता है और आना चाहिए। इस जीवन दर्शन का जिसे साक्षात्कार हुआ है, वही शिक्षा का ऋषि है, वही शिक्षा पथ को प्रदीप्त करेगा" *(हिंदी नवजीवन,* 23.01.1930)। शिक्षा में आध्यात्मिक और शारीरिक विकास पर आरंभ से ही समान रूप से बल देना चाहिए न कि किसी एक पर अधिक और दूसरे पर कम। गांधी जी दृढ़ता से कहते हैं कि, "बुद्धि के विकास के लिए आत्मा और शरीर का विकास साथ-साथ तथा एक-सी गति से होना चाहिए" (*हरिजन,* 13.7.1937)।

शिक्षा में आध्यात्मिकता की उपस्थिति

आज की दुनिया में हो रही भौतिक प्रगति से सभी आश्चर्यचकित हैं और आर्थिक मूल्यों की उपलब्धि को ही सब कुछ मान बैठते हैं, परंतु गांधी जी की नज़र में, जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया गया है, शिक्षा का वास्तविक प्रयोजन आत्मिक उन्नति के मार्ग पर चलना है, वह इस बात को सब तक पहुँचाना चाहते थे। "सच्चा विद्याभ्यास यह है, जिसके द्वारा हम आत्मा को, अपने आपको, ईश्वर को, सत्य को पहचानें। शिक्षा मात्र आत्मोन्नति के लिए होती है, इसलिए, इस प्रकार की शिक्षा लेनी चाहिए, जिससे यह उन्नति हो। सदाचार और निर्विकार जीवन ही सच्ची शिक्षा का आधार स्तंभ है, इस विचार का गंभीरता से प्रचार करना चाहिए" (*हरिजन सेवक,* 23.5.1935)।

उल्लेखनीय है कि मनुष्य की सत्ता बहुस्तरीय और बहुआयामी है। तैत्तिरीयोपनिषद् में वर्णित पंचकोश की अवधारणा इसे स्पष्ट करती है। संभवत: गांधी जी पंचकोश जैसी अवधारणा को ध्यान में रखते थे, तभी वह कहते हैं कि, "मनुष्य न तो बुद्धि है, न स्थूल पशु शरीर, न ही हृदय अथवा आत्मा मात्र है। पूर्ण मनुष्य बनने में इन तीनों का सस्वरित व अचल संयोग होना अपेक्षित है" (*हरिजन,* 8.5.1937)। यह अवश्य है कि आत्मिक ज्ञान की राह पर चलना सरल नहीं है, पर ज़रूरी अवश्य है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अपने अनुभव साझा करते हुए बताते हैं कि, "आत्म शिक्षण शिक्षा का एक स्वतंत्र विषय है। यह बात मैंने टाल्स्टाय आश्रम के बालकों की शिक्षा आरंभ करने के पहले ही समझ ली थी। आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का गठन और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना, आत्म ज्ञान प्राप्त करना, यह ज्ञान प्राप्त करने में बालकों को बड़ी मदद की ज़रूरत है और यह मैं मानता था कि उसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है और हानिकारक भी हो सकता है" (*सत्य के प्रयोग,* पृष्ठ संख्या 318)।

गांधी जी यह स्पष्ट मंतव्य व्यक्त करते हैं कि यदि समग्र शिक्षा की अवधारणा को व्यवहार में लाया गया तो "व्यक्ति शरीर, मन और हृदय से सुशिक्षित होकर मानवता को अधिकाधिक सुख व आनंद प्राप्ति की ओर अग्रसरित कर सकेगा, उनके लिए नैतिकता के नियमों के पालन और प्रयोग की आवश्यकता बताई है, जिससे आदर्श राज्य स्थापित हो सके" (*हरिजन,* 8.5.1935)।

शिक्षा और रोज़गार

यह विचार कि गांधी जी शिक्षा को रोज़गार और व्यावहारिक जीवन से नहीं जोड़ना चाहते थे, पूरी तरह से भ्रामक होगा। वस्तुत: वे आरंभ से ही शिक्षा को कौशल विकास से जोड़कर रखना चाहते थे। इस दृष्टि से वह हस्त-कौशल की प्राथमिकता पर बल देते थे, वे कहते हैं कि, "अक्षर ज्ञान हाथ की

© NCERT not to be republished

शिक्षा के बाद आना चाहिए, हाथ से काम करने की क्षमता। हस्त कौशल ही वह चीज़ है, जो मनुष्य को पशु से अलग करती है। लिखना-पढ़ना जाने बिना मनुष्य का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता, ऐसा मानना एक वहम ही है। इसमें कोई शक नहीं कि अक्षर ज्ञान से जीवन का सौंदर्य बढ़ जाता है, लेकिन यह बात गलत है कि उसके बिना मनुष्य का नैतिक, शारीरिक और आर्थिक विकास नहीं हो सकता" (*हरिजन सेवक,* 13.3.1935)। गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा किताबी ही न रहे, उसे जीवन संघर्ष के लिए हर तरह से तैयार करना चाहिए। उनके शब्दों में, "सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योग के द्वारा दी जाए, प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, स्वास्थ्य, भोजनशास्त्र, अपना काम आप करने और घर पर माता-पिता को सहायता देने इत्यादि के मूल सिद्धांत शामिल होंगे। वर्तमान पीढ़ी के बालकों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता और वे शरीर से कमज़ोर होते हैं, इसलिए मैं संगीतमय कवायद के द्वारा उनको अनिवार्य शारीरिक शिक्षा दिलवाऊंगा" (*हरिजन,* 30.10.1937)। गांधी जी बच्चों की शिक्षा का प्रारंभ उपयोगी दस्तकारी सिखाते हुए करने के पक्ष में थे। वह चाहते थे कि जिस क्षण से बच्चा अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण से उसे उत्पादन का काम करने लायक बना दिया जाए।

शिक्षा कार्य में अधिगम की केंद्रीयता

गांधी जी अध्ययन कार्य की गंभीरता और जटिलता को स्वीकार करते थे। वे कहते थे कि, "तुमने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका लाभ तुम्हें उसी हद तक मिलेगा, जिस हद तक तुमने उसे हृदयंगम किया होगा। ज्ञान का बोझ छात्र पर नहीं लादना चाहिए। जितनी शिक्षा विद्यार्थी स्वभावत: आत्मसात कर सके उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए" (*इंडियन ओपिनियन,* 15.7.1914)। इस दृष्टि से शिक्षा को अधिगम केंद्रित होना चाहिए। उनके शब्दों में, "सच्ची शिक्षा वह है, जिसमें बालक स्वयं पढ़ना सीखे, अर्थात् उसमें ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो। ज्ञान तो बहुत तरह का होता है कुछ ज्ञान हानिकर भी होता है, तब यदि बालकों के चरित्र का निर्माण न हो तो वे अंधा ज्ञान सीखने लगते हैं। हम देखते हैं कि शिक्षा मनमाने ढंग से दी जाने के कारण ही कुछ लोग नास्तिक हो जाते हैं और बहुत कुछ पढ़-लिख जाने पर भी बुराइयों में फंस जाते हैं। इसलिए बालकों के चरित्र को दृढ़ करने में सहायता देना इस पाठशाला (फिनिक्स आश्रम की पाठशाला) का मुख्य हेतु है" (*संपूर्ण गांधी वाङ्मय,* पृष्ठ संख्या 140)।

शिक्षा की सांस्कृतिक संवेदना

गांधी जी औपनिवेशिक अंग्रेज़ी शिक्षा को भारत के लिए उपयुक्त नहीं मानते थे। उनके अनुसार, "वही शिक्षा सच्ची शिक्षा है, जो स्वतंत्रता का मार्गदर्शन करती है। केवल वही उच्च शिक्षा है, जो हमें अपने धर्म का संरक्षण करने के लिए समर्थ बनाती है। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के अंधानुकरण के कारण भारतीय शिक्षा में विदेशीपन की झलक स्पष्ट दीख पड़ती है, इसलिए भारत का उत्थान संभव नहीं है। मां, बाप, आचार्य, सबने प्राचीन आदर्शों और मूल्यों का परित्याग कर दिया, जिसके कारण विद्यार्थी में भी मूल्यबोध का ह्रास हो गया" (*नवजीवन,* 18.11.1920)।

वर्तमान भारतीय शिक्षा की विडंबनाएँ

महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित स्वाभाविक गुणों और क्षमताओं की सहज परंतु

© NCERT not to be republished

समर्थ अभिव्यक्ति का माध्यम है। वह एक प्रकार की व्यवस्था है, जो विद्यार्थी को उसके परिवेश में स्थापित करती है और उसके मन, बुद्धि और शरीर सबको उनकी ज़रूरत के मुताबिक खुराक देती है। गांधी जी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए कई प्रयोग भी शुरू हुए जिनमें से कुछ अभी भी चल रहे हैं। पर उनमें से अधिकांशतः खस्ताहाल हैं। हाल ही में हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा बिहार में जहाँ गांधी जी के ये प्रयोग (1918 में उनकी प्रसिद्ध चंपारण यात्रा के दौरान) आरंभ किए गए थे, उनका सर्वेक्षण किया गया। इन स्कूलों की स्थिति दयनीय है और अब उनका गांधी जी के विचारों और अभ्यासों से कोई विशेष सरोकार नहीं है। सरकार द्वारा अपनाई गई शिक्षा नीति की सामान्य रूपरेखा का दार्शनिक आधार कुछ और है और व्यवहार में स्थिति कुछ और ही दिखाई दे रही है।

वस्तुतः आम आदमी के लिए शिक्षा की दुरावस्था सर्वविदित है और उससे सभी क्षुब्ध हो रहे हैं। भौतिक आधार संरचना हो, अध्यापकों की उपलब्धता और उनका प्रशिक्षण हो, पाठ्यसामग्री की उपयुक्तता और गुणवत्ता हो या विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन, सब के प्रति समाज और सरकार दोनों के कमज़ोर दृष्टिकोण से स्थिति और भी जटिल होती जा रही है। इसका दुखद पक्ष यह है कि पूरी शिक्षा प्रक्रिया की साख या प्रामाणिकता ही संदिग्ध हो चली है। दूसरी ओर देश की जनसंख्या की दृष्टि से शिक्षा का विस्तार तथा प्रसार भी आवश्यक है। शिक्षा की प्रक्रिया में अधिकाधिक लोगों को शामिल करने की ज़रूरत है, उन्हें न केवल शिक्षित किया जाए, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। मात्रा और गुण के सामंजस्य को बैठाया जाना चाहिए। यह सामंजस्य कैसे स्थापित करें? जब विद्यार्थी और अध्यापक निरंतर एक-दूसरे के सान्निध्य में रहें, पढ़ें, सीखें और ज्ञान प्राप्त करें, तो जिस तरह व्यक्ति का निर्माण होगा उसमें हम ज्ञान, कौशल और चरित्र तीनों के विकास का लक्ष्य पाने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इस स्थिति में अध्यापक विद्यार्थी से हर तरह से जुड़ा हुआ रहता है। शिक्षा की विषय-वस्तु को विद्यार्थी की आयु या परिपक्वता के अनुसार सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

शैक्षिक मूल्यांकन और उसकी साख की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है और उनके मूल्यांकन को सुविधाजनक बनाने के लिए सारी परीक्षाएँ वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव टेस्ट) में तब्दील हो रही हैं। इसमें चार विकल्प होते हैं, जिनमें एक सही होता है। आँख मूँद कर भी करिए तो कुछ न कुछ सही हो जाएगा। इसमें सोचने-समझने की क्षमता, सृजनात्मकता, मौलिकता आदि गुणों का मूल्यांकन करने का अवसर लगभग समाप्त होता जा रहा है, जैसे— नेशनल ऐलिजबिलिटी टेस्ट (नेट) में सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो चुके हैं, यह परीक्षा भावी अध्यापक देती है। अब अध्यापक को लिखना भी आता है कि नहीं, उसकी अभिरुचि क्या है? इत्यादि जानने का कोई सवाल नहीं होता है। लगभग ऐसी ही स्थिति अन्य परीक्षाओं की भी है, परीक्षा एक हादसे का रूप लेती जा रही है। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के कितने केंद्र हैं और अगुणवत्तापूर्वक डिग्री बाँटने वाले संस्थान कितनी भयानक गति से बढ़ रहे हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। सुविधा, संख्या और साख इन तीनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, यह जटिल चुनौती बनती जा रही है। कभी-कभी लगता है कि शिक्षा को नष्ट करने का षडयंत्र

© NCERT not to be republished

हो रहा है कि वह पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए। आज न पर्याप्त विद्यालय हैं न अपेक्षित मात्रा में अध्यापक हैं, न विषय के लिए हम सामग्री तैयार कर पा रहे हैं। समाज में शिक्षा के सामाजिक वितरण में विभेदीकरण और विशिष्टीकरण की विलक्षण प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। आज कुछ ही अच्छे विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के विभाग बचे हैं, परंतु अधिकांश अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी अस्पष्ट नीतियाँ और उनका अधूरा कार्यान्वयन शिक्षा संस्थाओं की बलि ले रहा है। आधार संरचना की दृष्टि से अध्यापकों की कमी का दूरगामी असर पड़ रहा है। यदि सरकार का शीघ्र हस्तक्षेप नहीं हुआ तो सरकारी विश्वविद्यालय बंद होने लगेंगे और प्राइवेट संस्थान जो धन उगाही के यंत्र सरीखे हैं, आगे बढ़ेंगे, यद्यपि उन पर गुणवत्ता का कमज़ोर नियंत्रण होता है।

आज भारतीय समाज बदल रहा है। उसकी ज़रूरतें बदल रही हैं और महत्वाकांक्षाएँ नए आयामों को छू रही हैं। इसे ध्यान में रखकर शिक्षा की समाज के साथ लय स्थापित करने पर विचार करने की ज़रूरत है। इस संतुलन को स्थापित करने के लिए बापू की समग्र मनुष्य के निर्माण वाली शिक्षा की दृष्टि को सामने रखना होगा। साथ ही स्वावलंबन के लिए कौशलों की शिक्षा को आरंभ से ही स्थान देना होगा। शिक्षा अस्त-व्यस्त स्थिति में विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में उनकी संस्थागत आवश्यकता पर विचार कर अच्छे शिक्षा केंद्र निर्मित करने होंगे, जहाँ शिक्षा को मानवीय मूल्यों से आलोकित किया जा सके। साथ ही इस प्रश्न पर भी गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है कि हम किस तरह शिक्षा के विविध अवसर पैदा करें तथा कुशलताओं का विकास करें। गांधी जी ने कहा था कि सीखने में शरीर की सभी ज्ञानेन्द्रियों का उपयोग हो, श्रम का महत्व हो और स्थानीय संसाधनों का भी महत्व हो। एक ही तरह की शिक्षा विभिन्न प्रकार की क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के अनुसार उपयुक्त नहीं हो सकती है, उदाहरण के लिए, कोई विद्यार्थी बागबानी या खेती पसंद करता है, कोई खेलकूद में रुचि रखता है, कोई गाता है, कोई बाजा बजाता है इत्यादि। वह किसी भी क्षेत्र में विशिष्टता पा सकता है। अतः शिक्षा के अंतर्गत हमें विविध प्रकार की योग्यताओं के लिए अवसर पैदा करने होंगे।

महात्मा गांधी ने बड़ी वेदना के साथ यह महसूस किया था कि भारत की शिक्षा तरु को अंग्रेज़ों ने उखाड़ दिया। दुर्भाग्य से अंग्रेज़ों ने जो पौधा रोपा और जिस राह को पकड़ कर देश स्वतंत्र भारत में आगे बढ़ा वह आज बाज़ार की दुनिया के सफल उपभोक्ता बनाने की ओर अग्रसर है। ऐसे में नई पीढ़ी में जो तनाव, कुंठा और असंतुष्टि बढ़ रही है वह स्वाभाविक है। भारतीय शिक्षा में न तो सर्वोदय के लक्ष्य ध्यान में रहे और न ही समाज का सर्वांगीण विकास हो सका। इसके अलावा टिकाऊ विकास के लक्ष्य की दिशा में भी बहुत कारगर कदम नहीं उठाया जा सका। सांस्कृतिक धरोहर के साथ लगाव की दृष्टि से भी जिस पथ पर भारतीय शिक्षा आगे बढ़ी वह सहिष्णुता, बंधुत्व और समावेशी जीवन दृष्टि को प्रतिष्ठापित करने में भी अपेक्षित सफलता नहीं पा सकी। साधना और सृजन के बीज बोकर आत्मोन्नति की बात भी नव उदारवादी दौर में बेमानी सी हो गई। प्रौद्योगिकी की प्रधानता और प्रकृति को संसाधन में बदलने की बुद्धि ने एक नई दुनिया का खाका तैयार

© NCERT not to be republished

किया है, परंतु इस राह में बढ़ती हिंसा, कलह और वैमनस्य की बहुलता तथा जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ती प्राकृतिक आपदाएँ यह प्रश्न उपस्थित कर रही हैं कि शिक्षा किस हद तक समग्र और जीवनदायिनी है। परीक्षा और प्रमाणपत्र की प्रधानता, बढ़ती औपचारिकता और मातृभाषा की उपेक्षा जैसे प्रश्नों के बीच उलझ कर भारतीय शिक्षा की वर्तमान स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। इस स्थिति में महात्मा गांधी की शिक्षा दृष्टि की प्रासंगिकता कई दृष्टियों से विचारणीय है। उसे मानवीय मूल्यों के धरातल पर भी देखा जा सकता है कि गांधी जी के विचार किस तरह के मनुष्य का निर्माण करने की संभावना बनाते हैं। दूसरा स्तर यह है कि हम जिस परिस्थिति में मौजूद हैं, वहाँ पर गांधी जी की क्या प्रासंगिकता है? तीसरा अधिक तात्कालिक प्रसंग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का है। ये तीनों संदर्भ एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रकट रूप से भारत केंद्रित और ज्ञान केंद्रित शिक्षा के प्रति प्रतिश्रुत है। इसमें मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने और भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ने की व्यवस्था की गई है। साथ ही रोज़गार की संभावना को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक कौशल के अर्जन पर भी बल दिया गया है। विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी प्रस्ताव महात्मा गांधी की अवधारणा के अनुरूप और उससे अनुप्राणित हैं। एक तरह से महात्मा गांधी के विचारों का पुनराविष्कार और पुनर्प्रतिष्ठा के प्रयास हो रहे हैं। इनके अतिरिक्त निम्नांकित बिंदु गांधी जी की शैक्षिक दृष्टि की प्रासंगिकता को व्यक्त करते हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए —

- बाल-केंद्रित शिक्षण की परिकल्पना में विद्यार्थी के अनुभव और उसकी गतिविधियों को केंद्र में रखा जाता है। गांधी जी की शिक्षा दृष्टि में बच्चे और वयस्क के बीच विच्छिन्नता (डिस्कंटीन्यूटी) के स्थान पर सातत्य का रिश्ता है। बच्चा केवल गतिविधि या खेल के द्वारा आनंद ही नहीं लेता है, वह उत्पादक कार्य द्वारा सृजन का भी सुख पाते हुए सीखता है। याद रहे उत्पादक कार्य का अर्थ पैसा कमाने की क्षमता नहीं है, बल्कि सर्जनात्मक तनाव से गुज़रते हुए विद्यार्थी अपने समाज और उद्यम के बीच 'मूल्य' अथवा उपयोगिता का निर्माण करता है।
- गांधी जी की शिक्षा प्रणाली में समग्र विकास के लिए विषय और अन्य (गैर अकादमिक) गतिविधियों में अंतर के स्थान पर एकीकृत तरीके से वास्तविक दुनिया का ज्ञान दिया जाता है। इस तरह विद्यालयी ज्ञान और सूचना के स्थान पर स्वाभाविक परिवेश में अन्वेषण का मौका दिया जाता है।
- उत्पादक कार्यों के अंतर्गत जिन गतिविधियों का चुनाव किया जाता है, वे देशज और स्थानीय ज्ञान और संस्कृति की परंपराओं का महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं।
- यह भी गौरतलब है कि यदि भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना को ध्यान में रखें तो नई तालीम की पद्धति उपेक्षित वर्गों या समुदायों को जानने-समझने का अवसर उपलब्ध कराती है।
- गांधी जी की योजना से बच्चों में संग्रह करने की संस्कृति के स्थान पर सर्वोदयी चेतना का

© NCERT not to be republished

बीजारोपण होता है। जब हम नई तालीम को शिक्षण पद्धति के रूप में ग्रहण करते हैं तो यह एक सीमित (बचकानी) लगती है, परंतु शाश्वत विकास की संभावना इसी में है, जहाँ सह अस्तित्व, शांति और समानता जैसे मूल्य पनप सकते हैं।

- गांधी जी कि दृष्टि में एक अध्यापक सिर्फ़ पूर्वनिर्धारित पाठ्यसामग्री को पढ़ाने वाला यंत्र मात्र नहीं है, बल्कि वह अपने विषय और स्थानीय परिवेश में लगातार अन्वेषण करता रहता है और उनके समावेश के द्वारा शिक्षण को सृजनात्मक बनाता रहता है।
- गांधी जी विद्यालय और सामुदायिक जीवन के बीच संबंध की गहनता को महसूस करते थे और उसे मज़बूत बनाने के आधार के रूप में विद्यालय रूपी संस्था गाँव या समुदाय के लिए कोई 'बाह्य' तत्व नहीं रह जाता, बल्कि उनके बीच की संस्था हो जाता है जो वैज्ञानिक दृष्टि से उस स्थान विशेष की समस्याओं का समाधान करने और पुनर्निमाण करने का कार्य भी संपादित करता है।
- नई तालीम में स्वाभाविक रूप से आर्थिक अवसरों के लिए एक राह बनती है। स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के तत्व इसमें जुड़े हैं।
- आज जब रोज़गार के लिए तैयारी, व्यवसायपरक प्रशिक्षण और मानवीय मूल्यों को आत्मसात करने के लिए जो अवसर ढूँढ़े जा रहे हैं वहाँ पर महात्मा गांधी का शिक्षा विषयक चिंतन एक ऐसे मार्गदर्शक का कार्य करता है, जो विद्यार्थी के समग्र विकास को समाज के कल्याण के साथ संयोजित करता है।

© NCERT not to be republished

ग्रामीण किशोरियों के लिए किशोरावस्था शिक्षा
समस्याएँ एवं समाधान

नेहा जानी*
लोकेश जैन**

मानव संसाधन विकास की दृष्टि से किशोरावस्था उम्र का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो जीवन को भावी दिशा देती है। इस उम्र में उलझनें, अनकही व्यथाएँ तथा समझ में न आ सकने वाली स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। कई प्रकार की समस्याएँ किशोरावस्था जीवन की वास्तविक मुश्किलों से परे सुखद कल्पनाओं की उड़ान की सुंदर अनुभूति की स्वाभाविक दशा हैं किंतु वर्तमान वातावरण, दुनियादारी की समझ के अभाव में किशोरियाँ अपनी नासमझी या नादानी में भूलों व समस्याओं के जाल में फँस जाती हैं और कई बार इस मकड़जाल में इस प्रकार उलझती चली जाती हैं कि उनका भावी विकास क्षत-विक्षत होने लगता है। ग्रामीण परिवेश में किशोरियों में इन समस्याओं की गंभीरता अधिक दिखाई देती है। चूँकि भारत गाँवों का देश है, इसलिए राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास की दिशा में ग्रामीण किशोरियों की समस्याओं को समझना तथा उसके लोक मंतव्य आधारित उपाय पर शोध करना प्रासंगिक हो जाता है। सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा किशोरावस्था की समस्याओं का समाधान करने हेतु किशोरावस्था शिक्षण के द्वारा बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने भी विद्यालयी पाठ्यक्रम के ज़रिए किशोरावस्था की समस्याओं को समझने तथा उनका समुचित समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से इसे सैद्धांतिक व प्रायोगिक रूप से समावेशित किया है। फिर भी, ग्रामीण विस्तार में जो स्थिति दिखाई देती है, वह संतोषजनक नहीं है। इसी लक्षित वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर किए गए शोध अध्ययन को यह शोध पत्र प्रस्तुत करता है। इस शोध अध्ययन में इन्हीं प्रश्नों का समाधान खोजने तथा इन समस्याओं के मूल कारणों को ज्ञात करने हेतु गुजरात राज्य के गांधीनगर ज़िले के मोतीपुरा गाँव में एक पायलट शोध अध्ययन किया गया, ताकि लोक सम्मत व्यावहारिक समाधानों की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया जा सके।

मानव संसाधन विकास की दृष्टि से मानव जीवन के विकास में किशोरावस्था एक अहम और प्राथमिक पड़ाव है, जहाँ से विकास और भटकाव दोनों का बीजारोपण होता है। यदि किशोरों को सही परिवेश एवं मार्गदर्शन मिले तो उनके जीवन की गाड़ी विकास की पटरी पर चढ़ जाती है और इसके अभाव में दुविधाओं व नासमझ भूलों के भँवर में फँसकर विकास की मंज़िल से कोसों दूर चली जाती है, जिससे वे तनाव और कुंठाग्रस्त हो जाते हैं, जिसके दूरगामी दुष्परिणाम उन्हें शारीरिक एवं मानसिक विकास के क्षेत्र में भुगतने पड़ते हैं।

*शोधार्थी, ग्रामीण प्रबंध अध्ययन केंद्र, गुजरात विद्यापीठ, रांधेजा, गांधीनगर 382620
**प्रोफ़ेसर, ग्रामीण प्रबंध अध्ययन केंद्र, गुजरात विद्यापीठ, रांधेजा, गांधीनगर 382620

© NCERT not to be republished

किशोरावस्था भावनात्मक, संज्ञानात्मक व संवेगात्मक विकास का वह आरंभिक चरण है, जहाँ व्यक्ति के जीवन में भली-भाँति शारीरिक-मानसिक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है। किशोरावस्था को मुग्धावस्था भी कहा जाता है, जहाँ उनके साथ शारीरिक-मानसिक रूप से जो कुछ घटित हो रहा है, कौतूहलवश वे उसके पात्र भी हैं और दर्शक भी। इन परिवर्तनों को समझने की किशोरियों की अपनी सीमाएँ हैं, जो सांस्कृतिक, सामाजिक व पारिवारिक परिवेश से निर्मित होती हैं।

किशोर मानव संसाधन अभी अपनी बाल्यावस्था को छोड़कर आगे बढ़ा ही होता है, किंतु परिपक्वता एवं अपूर्ण, आधी-अधूरी जानकारी के कारण न तो शारीरिक परिवर्तनों का समय पर प्रत्युत्तर दे पाता है और न ही मानसिक दुविधाओं से उबर पाता है तथा सभी के बीच रहते हुए भी स्वयं को अकेला सा महसूस करने लगता है। वे सही मार्गदर्शन के अभाव में बहुधा भटक जाता है तथा जाने-अनजाने में गलत रास्ते अख्तियार कर लेता है।

किशोरावस्था शिक्षण— किशोरावस्था की दुविधाओं के हल में एक सकारात्मक पहल

किशोरावस्था शिक्षण को एक सकारात्मक पहल के रूप में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.) ने किशोरावस्था शिक्षण को शैक्षणिक पाठ्यक्रम का अंग बनाया है, जो सैद्धांतिक व व्यावहारिक प्रशिक्षण की ज़रूरत को पूर्ण करता है। हमारे नीति नियामक यह मानते हैं कि किशोरावस्था किशोरों के जीवन का एक निर्णायक मोड़ होती है, जहाँ वह स्वयं को, अपने आस-पास के वातावरण को तथा अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभावों को समझते हैं। इस पाठ्यक्रम को क्रमबद्ध रूप से संयोजित किया गया है ताकि किशोर या किशोरियाँ ये समझ सकें कि वे स्वयं को कैसे समझ सकते हैं? यह वस्तुतः किशोरों को व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर स्वयं की पहचान, पोषण एवं आरोग्य संबंधी प्रश्नों से जोड़ने की कोशिश करता है, यथा– मुझे 'मैं' कौन बनाता है? के व्यक्तित्व गठन की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया व घटकों को समझाता है। वह इस किशोरावस्था में पहली बार मान्यता, मूल्यों, पसंद-नापसंद में बदलाव, पहचान की आंतरिक अनुभूति तथा व्यावसायिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश से रूबरू होता है।

किशोरावस्था शिक्षण किशोरों को एक नूतन अवबोधन से परिचित कराता है, जिसके आधार पर वह शैशव व बाल्यावस्था के बाद आने वाले इन परिवर्तनों, समस्यामूलक घटकों को एक अर्थ प्रदान करता है। यदि यह अवबोधन सही रूप में हो जाए तो समस्याएँ काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं।

किशोरावस्था में वह जैविक एवं शारीरिक परिवर्तन, भावनात्मक परिवर्तन, संज्ञानात्मक परिवर्तन, पारिवारिक-सामाजिक-मित्र, वातावरण आदि विविध परिवर्तनों से गुज़रता है। किशोरावस्था के समय उसकी स्वयं की समझ अत्यंत जटिल हो जाती है। स्वयं की पहचान के विकास की दृष्टि से इस अवस्था को नाजुक कहा जाता है, क्योंकि वह पहली बार स्वयं को जानने के लिए इतना चिंतित और उत्सुक होता है। मन में दुविधा और बढ़ती है, जब परिवार के लोग उसे किन्हीं मुद्दों को लेकर बड़ा तथा किन्हीं मुद्दों को लेकर छोटा मानते हैं। यहीं से उसके मानस पटल पर उसकी भूमिका के प्रदर्शन को लेकर उलझनें शुरू

© NCERT not to be republished

होती हैं और वह विरोधाभासी व्यक्तित्व को जीने का प्रयास करने लगता है।

किशोरियों के समुचित विकास के संदर्भ में किशोरावस्था शिक्षा को अधिक अनिवार्य एवं संवेदनशील माना जा सकता है, क्योंकि भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश में बालिकाओं को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। किशोरियों का भावनात्मक स्तर भी पृथक होता है। किशोरियों में इन परिवर्तनों का स्वरूप स्तनों के आकार में आरंभिक वृद्धि, बगलों व जांघों में बालों का आना तथा मासिक धर्म का आरंभ होना आदि है। संकुचित सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण में ग्रामीण किशोरियों के पास इनसे संबंधित दुविधाओं एवं जिज्ञासाओं का समुचित समाधान पाने के बहुत ही मर्यादित विकल्प उपलब्ध होते हैं। उस पर विकट स्थिति यह है कि जो भी सुविधाएँ उपलब्ध हैं उनका लक्षित समूह को ठीक तरह से लाभ नहीं मिल पाता है।

किशोरावस्था की समस्याओं को विवाह, प्यार, शारीरिक आकर्षण आदि सामाजिक-सास्कृतिक संदर्भ के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। किशोर या किशोरियाँ पुराने विकल्पों के प्रति विद्रोह, नए विकल्पों का सृजन, संबंधों की अपने तरीके से व्याख्या का जतन करते दिखते हैं, जहाँ उन्हें परिवार व समाज के साथ संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए, किशोरावस्था को वह अवधि कहा जाता है, जिसमें मित्रमंडली के सहयोग की स्वीकार्यता बढ़ती है। इसका असर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हो सकता है। भावनात्मक एवं संवेदनात्मक परिवर्तनों के कारण ये किशोरियाँ तर्कोत्तर व्यवहार पसंद करती हैं।

किशोरियों की शिक्षा एवं जागरूकता हेतु सरकारी प्रयास

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा वैश्विक स्तर पर यू.एन.डी.पी., यूनिसेफ, फ़ोर्ड फ़ाउंडेशन तथा ऑक्सफ़ॉम जैसी गैर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ कार्यरत हैं। मंत्रालय द्वारा किशोरियों को न्याय दिलाने, अनुचित व्यवहारों के प्रति संरक्षण प्रदान करने हेतु किशोर न्याय अधिनियम, 2000; अनैतिक कार्य अधिनियम, 1956; घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनयम, 2005 जैसे संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। बालिका सुधार गृह, सुरक्षा गृह, विशेष बालगृह, आशियाना बालगृह आदि आवासीय परियोजनाओं के अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 2 अक्तूबर, 1975 से समेकित बाल विकास परियोजना (आई.सी.डी.एस.) का संचालन कर रहा है। इसमें किशोरावस्था शिक्षा हेतु किशोरी शक्ति योजना भी संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य किशोरावस्था के बच्चों का मानसिक, भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक विकास करना तथा आरोग्य की दृष्टि से भावी युवावस्था के लिए तैयार करना है ताकि वे किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों को समझ सकें तथा उनका सही प्रतिउत्तर देते हुए अपनी भावी युवावस्था के लिए तैयार हो सकें। किशोरियों के सर्वांगीण विकास हेतु यह योजना विस्तृत रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों को समाहित करती है—

- 11–18 वर्ष की किशोरियों को किशोर वय में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी देना तथा उन्हें मानसिक रूप से इसके लिए तैयार करना।

© NCERT not to be republished

- किशोरियों को स्वास्थ्य, व्यक्तिगत तथा पर्यावरणीय स्वच्छता, पोषण, सुरक्षित मातृत्व, किशोरी प्रजनन तथा यौन स्वास्थ्य (ए.आर.एस.एच.), परिवार व बच्चों की देखभाल के संदर्भ में जानकारी देना, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना।
- स्कूल न जाने वाली किशोरियों को अनौपचारिक शिक्षण प्रदान करना तथा उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा में लाना।
- किशोरियों को आँगनवाड़ी की सुविधाओं से मुखातिब कराकर जागरूक माता के रूप में निर्माण की भूमिका की आवश्यकता को पूरा करना।
- लघु व्यावसायिक गतिविधियों का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना।
- किशोरियों को विविध सार्वजनिक संस्थाओं— पुलिस, डाकघर, बैंक, पंचायत, स्वास्थ्य केंद्र, उचित मूल्य की दुकान आदि की जानकारी देना। किशोरी दिवस का आयोजन करना।
- किशोरियों के समूह गठन करना तथा आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, नर्स आदि के सहयोग से उन्हें सशक्त बनाने हेतु कार्य करना।
- बाल विवाह की रोकथाम करना।

शोध समस्या

भारत की 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अभी भी गाँवों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्र में मानव संसाधन विकास की दृष्टि से महिला मानव संसाधन विकास प्राथमिकता की अग्रिम पंक्ति में आता है। मानव संसाधन विकास के संदर्भ में उम्र के आधार पर संपूर्ण जीवन को बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था के रूप में विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक चरण में समस्याओं का स्वरूप तथा कारण अलग-अलग होते हैं एवं इसी प्रकार उस अवस्था विशेष में समुचित विकास करने के लिए विशेष प्रकार के प्रयासों की आवश्यकता होती है। हर अवस्था में ज्ञान, अनुभव तथा समस्याओं का सामना करने की योग्यता अथवा शक्ति का प्रमाण अलग होता है। इस दृष्टि से किशोरावस्था जीवन का सबसे नाजुक दौर माना जा सकता है। सामाजिक-सांस्कृतिक संबंधों के मद्देनज़र लड़कियों के संदर्भ में उम्र का यह पायदान और अधिक संवेदनशील हो जाता है।

अवधारणात्मक पहलू पर दृष्टिपात करने पर ज्ञात होता है कि किशोरियों का यह वर्ग अपने जीवन में पहली बार बिना किसी अनुभव और पर्याप्त ज्ञान के अपने आस-पास के वातावरण और शारीरिक मानसिक परिवर्तनों से पहली बार मुखातिब होता है तथा मुग्धावस्था के प्रभाव में ऐसे लोगों के बहकावे में आ जाता है, जिनके पास पर्याप्त वैज्ञानिक ज्ञान नहीं होता है। ऐसी परिस्थितियाँ उनके भावी जीवन की स्वाभाविक गति व गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डालती हैं।

स्वतंत्रता के बाद भी सामाजिक रुढ़िगत मानदंडों, कुरीतियों और बाधाओं के कारण देश के विकास पटल पर आज भी महिलाएँ वंचित और पिछड़ी हुई हैं। लगभग ढाई दशक पहले उनकी सक्रिय भागीदारी के बारे में दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ कुछ कदम उठाए गए, इन कदमों से महिला सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, लेकिन इस शोध के माध्यम से शोधार्थी सभी विद्वानों का ध्यान महिला मानव

© NCERT not to be republished

संसाधन की किशोरावस्था की ओर आकर्षित करना चाहता है, जो महिला विकास की आधारशिला है।

किशोरावस्था शिक्षा के सैद्धांतिक व प्रायोगिक प्रयास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंर्तगत संचालित योजनाओं के बावजूद यह वर्ग निरंतर समस्याओं से जूझ रहा है, इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता है।

किशोरावस्था जीवन का वह शुरुआती मोड़ है, जिस पर अधिकांश किशोरियों को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन का प्रतिउत्तर देने के लिए योग्य मार्गदर्शन नहीं मिल पाता तथा असमंजस, तनाव अवसाद के अकारण ही उनका सारा वजूद घिर जाता है, अपनों के बीच पारस्परिक विश्वास का पुल नहीं बँध पाता और ऊपर से बाहरी लोग उन्हें स्वार्थवश वस्तुस्थिति का सही साक्षात्कार नहीं करने देते। यहीं से संघर्ष व तनाव की शुरुआत होती है, जो उनके विकास के लिए दुखदायी बन जाती है। एक स्थानीय कहावत है कि यदि जड़ पर ही अंगार रख दी जाए तो वह पौधा कभी वृक्ष का रूप नहीं ले सकता, कभी फल फूल नहीं सकता। एकीकृत बाल विकास परियोजना में किशोरियों के मार्गदर्शन का औपचारिक प्रावधान किया गया है। यह नेटवर्क समग्र भारत में ग्रामीण परिवेश को समाहित करता है तथापि स्थिति संतोषजनक नहीं दिखाई देती है। आज भी किशोरियों में इन परिवर्तनों को लेकर झिझक, असमंजस की स्थिति स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे में ये समझना व ज्ञात करना ज़रूरी हो जाता है कि यह वर्ग वर्तमान में किन समस्याओं से एवं किन कारणों से, दुविधा से रूबरू हो रहा है तथा इन दुविधाओं का उनके विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तथा औपचारिक वातावरण के साथ-साथ इस वर्ग की समस्याओं के समुचित समाधान के लिए और क्या संभावित विकल्प हो सकते हैं? यह शोध अध्ययन इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजने की दिशा में एक आरंभिक प्रयास है।

शोध अध्ययन का औचित्य

यह शोध अध्ययन ग्रामीण मानव संसाधन विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चूँकि किशोरावस्था मानव की स्व के अवबोधन व स्वानुभूति की आरंभिक अवस्था है, जो भावी जीवन की दिशा निर्धारित करती है। यह शोध अध्ययन उन पहलुओं पर प्रकाश डालने में सक्षम होगा, जिनसे ग्रामीण किशोरियों की मानसिकता, मान्यता और सोच को समझा जा सकता है तथा समस्या समाधान हेतु तदनुसार नीतिगत कदम उठाए जा सकते हैं।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य थे —

- हार्मोनल परिवर्तनों के द्वारा शारीरिक बदलावों को लेकर ग्रामीण किशोरियों में जानकारी का स्तर एवं स्रोत की विश्वसनीयता कैसी है तथा इसके कारण उन्हें किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है?
- क्या वे किशोरावस्था शिक्षा के सरकारी या गैर सरकारी प्रयासों से परिचित हैं तथा क्या वे इस लक्षित समूह की पहुँच में हैं?
- स्वयं को इन शारीरिक मानसिक बदलावों के अनुकूल ढालने के लिए किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और उसके लिए कौन-से कारक ज़िम्मेदार हैं?

© NCERT not to be republished

- यह ज्ञात करना कि किशोरावस्था के कारण उनके जीवन में किस तरह के बदलाव आए हैं, किस तरह की कठिनाइयाँ उनके द्वारा महसूस की जा रही हैं, इसमें परिवार के सदस्यों की भूमिका सकारात्मक रही है या नकारात्मक तथा इस स्थिति का (संघर्ष, तनाव, सहकार आदि) का उनके सर्वांगीण विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है?
- लोकमतों के आधार पर यह ज्ञात करना कि इन परिवर्तनों का प्रबंध करने के लिए ग्रामीण परिवेश में किशोरियों का सर्वांगीण विकास करने के लिए क्या करना चाहिए?

उपकल्पनाएँ

इस शोध अध्ययन की निम्नलिखित उपकल्पनाएँ थीं—

- ग्रामीण परिवेश में किशोरियों के पास पर्याप्त जानकारी नहीं है।
- जिस स्रोत से उन्हें जानकारी मिलती है वह पूरी तरह से प्रामाणिक नहीं है और वे स्रोत सही जानकारी प्रदान नहीं करते हैं।
- ग्रामीण किशोरियाँ सरकारी प्रयासों से पूर्णत: परिचित नहीं हैं तथा उनका लाभ नहीं ले पा रही हैं।
- किशोरियों में शारीरिक परिवर्तनों के अनुकूल होने की जल्दी है अर्थात् स्वयं को बड़ा महसूस करने की उत्सुकता है।
- भावनात्मक परिवर्तन के अनुकूल ढलने में किशोरियों को परिवार के सदस्यों का आवश्यक विश्वास और सहयोग प्राप्त नहीं होता है।
- किशोरियों को अकसर धोखा, विश्वासघात वहीं से मिलता है, जहाँ से उन्हें भावनात्मक मदद मिलने की अपेक्षा रहती है।
- किशोरियों व परिवार के सदस्यों के मध्य पारस्परिक अविश्वास, भावनात्मक मदद की कमी और बाहरी लोगों के धोखे किशोरियों के भावी जीवन की दशा और दिशा बदल देते हैं।

शोध प्रविधि

इस शोध अध्ययन के लिए गांधीनगर जनपद में साबरमती नदी के किनारे बसे एक छोटे से गाँव मोतीपुरा का चयन किया गया था। जिसकी जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1,076 है तथा स्त्री-पुरुष लिंगानुपात 52:48 है। गाँव में सामान्य (पटेल) व अनुसूचित जाति (ठाकोर एवं भंगी) के परिवार निवास करते हैं। जहाँ माध्यमिक स्कूल और आँगनवाड़ी है। किशोरावस्था की प्रचलित अवधारणा के अनुरूप प्रतिदर्श का चयन करने के लिए जाति एवं किशोरावस्था के तीनों चरणों (मानकों) को ध्यान में रखते हुए 12–16 वर्ष की उम्र वाली कुल 50 किशोरियों का चयन उपलब्धता तथा उत्तर देने की तैयारी के आधार पर किया गया, जो समष्टि का लगभग 30 प्रतिशत है।

चूँकि अध्ययन प्राथमिक समंक विश्लेषण पर आधारित है, इसलिए समंक संग्रहण हेतु अनुसूची, साक्षात्कार, समूह चर्चा, निरीक्षण आदि का यथायोग्य यथासमय उपयोग किया गया तथा आँकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सामान्य गणितीय-सांख्यिकी पद्धतियों का उपयोग किया गया।

© NCERT not to be republished

जाति एवं किशोरावस्था के उपचरण के अनुसार समष्टि एवं प्रतिदर्श की स्थिति

जाति	कक्षा 8 और 9 में पढ़ने वाली किशोरियाँ	कक्षा 10 में पढ़ने वाली किशोरियाँ	कक्षा 11 और 12 में पढ़ने वाली किशोरियाँ	कुल समष्टि	प्रतिदर्श (समष्टि का 30%)
पटेल	30	22	26	78	23
ठाकोर	23	15	18	56	17
भंगी	11	11	12	34	10
कुल	**64**	**48**	**56**	**168**	**50**

प्राथमिक समंक विश्लेषण

तालिका 1— किशोरियों में शारीरिक परिवर्तन की शुरुआत किस उम्र में हुई?

शारीरिक परिवर्तन के समय उम्र (वर्ष में)	आवृत्ति	प्रतिशत
12	22	44
13	19	38
14	9	18
कुल	**50**	**100**

तालिका 1 से स्पष्ट है कि सामान्य रूप से 12 वर्ष की उम्र में शीरीरिक परिवर्तनों की शुरुआत वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक अर्थात् 44 है। संयुक्त रूप से देखें तो 82 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं, जिनमें शारीरिक परिवर्तनों की शुरुआत 12 और 13 वर्ष की उम्र में हुई है। अतः आरंभिक लक्षित समूह के रूप में इस उम्र की किशोरियों पर ध्यान केंद्रित करना श्रेयस्कर होगा।

तालिका 2— शारीरिक परिवर्तनों के कारण किसी प्रकार की शारीरिक-मानसिक दुविधा का सामना करना पड़ा?

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	38	76
नहीं	12	24
कुल	**50**	**100**

तालिका 2 के अनुसार अधिकतम उत्तरदाताओं अर्थात् 76 प्रतिशत का कहना है कि उन्हें इन शारीरिक परिवर्तनों के कारण अनकही, अबूझ उलझनों व मानसिक दुविधाओं का सामना करना पड़ा। माना जा सकता है कि इस उम्र में किशोरियों को इन परिवर्तनों के बारे में सही जानकारी की आवश्यकता होती है।

तालिका 3— यदि हाँ तो किस तरह की दुविधा मन में थी?

दुविधा का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
ऐसा बदलाव क्यों हो रहा है?	12	31.57
किन-किन अंगों में बदलाव होता होगा?	16	42.10
लड़कियों में ही क्यों परिवर्तन होते हैं?	6	15.78
इन शारीरिक परिवर्तनों से भविष्य में क्या होगा और कैसे होगा?	4	10.52
कुल	**38**	**100**

तालिका 3 दर्शाती है कि शारीरिक परिवर्तनों के कारण किशोरियों के मन में उत्पन्न होने वाली दुविधाओं में सर्वाधिक यह प्रश्न परेशान करता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका क्या परिणाम होगा? यदि इस स्वाभाविक स्थिति से वे सही रूप से परिचित हो जाएँ तो उसे वे आनंद में परिवर्तित कर सकती हैं तथा अनावश्यक चिंताओं के जाल से बाहर निकल सकती हैं।

© NCERT not to be republished

तालिका 4 — क्या उत्तरदाताओं को शारीरिक दुविधाओं से संबंधित जानकारी के संदर्भ में सूचना स्रोत उपलब्ध थे?

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	42	84
नहीं	8	16
कुल	**50**	**100**

तालिका 5— यदि हाँ, तो वे आरंभिक सूचना स्रोत क्या थे?

सूचना स्रोत	आवृत्ति	प्रतिशत
माता	0	0
दादी	3	7.14
चाची	9	21.42
बुआ	4	9.52
मामी	6	14.28
आँगनवाड़ी वाली बहनजी	4	9.52
शिक्षिका	5	11.90
पड़ोस में रहने वाली काकी	2	4.76
आरोग्य कार्यकर्ता	9	21.42
कुल	**42**	**100**

तालिका 4 और 5 से स्पष्ट है कि परिवर्तनों का प्रत्युत्तर प्राप्त करने हेतु अधिकांश उत्तदाताओं के पास सूचना के स्रोत उपलब्ध थे, किंतु तालिका 5 का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि किशोरियाँ माता के अलावा घर, परिवार तथा नज़दीक के रिश्तेदारों से अपनी इन दुविधाओं को बाँटती हैं। संगठित संस्थागत स्रोतों की स्थिति देखें तो ज्ञात होता है कि ग्रामीण विस्तार में आरोग्य कार्यकर्ता सबसे अधिक विश्वसनीय स्रोत के रूप में उपयोग किया गया है, तत्पश्चात् शिक्षिका एवं आँगनवाड़ी कार्यकर्ता आते हैं।

तालिका 6 व 7 से स्पष्ट है कि 50 प्रतिशत से भी कम ग्रामीण किशोरियाँ ऐसी हैं, जो अपनी

तालिका 6 — अपनी सहेली के साथ इन दुविधाओं से संबंधित सूचना का आदान-प्रदान करती हैं?

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	24	48
नहीं	26	52
कुल	**50**	**100**

तालिका 7 — यदि हाँ, तो क्या जानकारी प्राप्त हुई?

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
इस स्थिति में घर से दूर रहना पड़ता है।	1	4.7
परिवर्तन से घबराना नहीं, घर के सदस्यों से बात करो।	12	50
शरीर में परिवर्तन आए, यह स्वाभाविक है।	4	33.3
सैनेटरी पैड संबंधी जानकारी मिली।	6	25
बुआ और दीदी के साथ बात करना।	1	4.7
कुल	**24**	**100**

दुविधाओं को अपनी सहेलियों के साथ बाँटती हैं। स्पष्ट है कि शर्म व हिचकिचाहट का वातावरण अभी है, जिसे किशोरावस्था की शिक्षा के माध्यम से दूर किया जा सकता है। तालिका 6 से स्पष्ट है कि जो जानकारी उन्हें मिली है वह विस्तृत एवं पर्याप्त नहीं है। हाँ, सैनेटरी पैड संबंधी जानकारी उन्हें वर्तमान परिवर्तित परिवेश के साथ अवश्य जोड़ देती है।

तालिका 8 से स्पष्ट है कि आधे से अधिक उत्तरदाता स्कूल में इस विषय से सही रूप से प्रचलित नहीं हो पाए हैं। अभी भी ऐसा माहौल है कि किशोरियाँ सबके सामने पूँछने की इच्छा व साहस नहीं जुटा पाती हैं। इस वातावरण में सुधार लाने के लिए समन्वित प्रयास करने होंगे।

© NCERT not to be republished

तालिका 8 — क्या तुमने किशोरावस्था शिक्षा के बारे में स्कूल में कुछ पढ़ा-सुना या जाना है?

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	6	12
सुना तो है, पर ध्यान से नहीं	12	24
सुना, पर समझ में नहीं आया।	4	8
सबके सामने जानने की हिम्मत नहीं हुई।	6	12
नहीं	22	44
कुल	**50**	**100**

तालिका 9 — क्या किशोरियों को आँगनवाड़ी से किशोरावस्था शिक्षा के बारे में कुछ मदद मिल सकी है?

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	4	8
नहीं	12	24
आँगनवाड़ी वाली बहनजी आती तो हैं, लेकिन इन परिवर्तनों को लेकर खुलकर बात नहीं करती हैं।	34	68
कुल	**50**	**100**

तालिका 9 से स्पष्ट है कि अधिकांश किशोरियों को आँगनवाड़ी वाली बहन से किशोरावस्था शिक्षा को लेकर आत्मीय मदद नहीं मिलती है। किशोरी दिवस पर इकठ्ठा होना, पोस्टर व रीडिंग मैटेरिल पाने तक सिमटा है। इस पर खुलकर चर्चा नहीं होती।

तालिका 10 से स्पष्ट होता है कि लगभग आधे उत्तरदाता आरोग्य कार्यकर्ता की भूमिका को लेकर

तालिका 10 — क्या आरोग्य संबंधी शिक्षण को लेकर किशोरियों को नर्स से कुछ मदद मिलती है?

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	24	48
नहीं	26	52
कुल	**50**	**100**

सकारात्मक भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जब भी हमें दवा आदि को लेकर उनके पास जाना होता है तब उन्हें जातीय समस्याओं से संबंधित सीख मिल जाती है, लेकिन नकारात्मक उत्तरदाताओं की स्थिति देखते हुए ज्ञात हुआ कि नियमित रूप से पूर्ण संवेदना व अपनेपन के साथ कार्यक्रमों को इन लक्षित समूह के उत्तरदाताओं तक नहीं ले जाया जा रहा है।

तालिका 11 से स्पष्ट है कि उम्र के इस पड़ाव में अधिकांश किशोरियों को मोबाइल पर लव सांग सुनना, डांस मौज-मस्ती करना, युवा साहित्य को छिपाकर पढ़ना, विजातीय दोस्ती तथा दोस्तों के साथ घूमना-फिरना पसंद आता है।

तालिका 12 से स्पष्ट है कि इस उम्र में किशोरियों को बड़ों की शंका, दखलंदाज़ी, रोक-टोक बिलकुल पंसद नहीं आती है। ज़रा-ज़रा सी बात मन पर लेने की स्वाभाविक वृत्ति बन जाती है। वे अंजाम की परवाह किए बिना बड़ों के समकक्ष व्यवहार करना चाहते हैं। अधिकांश उत्तरदाताओं को नागवार लगा कि जब उनके अभिभावक परिवार की इज़्ज़त की दुहाई देकर उनका दिल तोड़ने का छद्म प्रयास करते हैं।

तालिका 13 — तनाव अथवा संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए निम्नलिखित सुझावों को उत्तरदाता कितने अंक देना चाहते हैं? (बिलकुल योग्य न हो तो 0, एकदम बराबर हो तो 4, ठीक-ठीक लगता हो तो 2, ठीक-ठीक से कम लगता हो तो 1, ठीक-ठीक से कुछ बेहतर लगता हो तो 3)

तालिका 14 दर्शाती है कि इस परिस्थिति से उबरने के लिए क्या व्यावहारिक प्रयास उपेक्षित हैं, के संदर्भ में उत्तरदाता कहते हैं कि किशोरावस्था की शिक्षा उन तक सही रूप से सही समय पर शिक्षिका,

© NCERT not to be republished

तालिका 11 — उम्र के इस पड़ाव पर आपको क्या करना अच्छा लगता है?

प्रवृत्ति	पसंदगी का स्तर				
	बिलकुल अच्छा नहीं लगता	*अच्छा नहीं लगता*	*ठीक-ठीक लगता है*	*अच्छा लगता है*	*बहुत अच्छा लगता है*
फ़ैशन करना	0	2 (4%)	12 (24%)	20 (40%)	16 (32%)
स्वयं के शारीरिक विकास का प्रदर्शन करना	15 (30%)	6 (12%)	12 (24%)	14 (28%)	3 (6%)
विजातीय के साथ दोस्ती करना	3 (6%)	0	9 (18%)	21 (42%)	17 (34%)
दोस्तों के साथ बाहर घूमना	2 (4%)	5 (10%)	7 (14%)	22 (44%)	14 (28%)
बड़ों से स्वतंत्र रूप से प्रेम करना	1 (2%)	4 (8%)	15 (30%)	20 (40%)	10 (20%)
घरवालों की दखलंदाज़ी से दूर अपनी कल्पनाओं में मस्त रहना	1 (2%)	0	11 (22%)	19 (38%)	19 (38%)
प्यार का मीठा अहसास कराने वाले गीतों पर मस्ती से डांस करना	9 (18%)	0	11 (22%)	14 (28%)	16 (32%)
मोबाइल पर लव सांग सुनना	4 (8%)	6 (12%)	15 (30%)	25 (50%)	0
ऐसा साहित्य छिपाकर पढ़ना जो युवा पढ़ते हैं	7 (14%)	3 (6%)	6 (12%)	22 (44%)	12 (24%)
मोबाइल पर दोस्तों के साथ चैटिंग करना	5 (10%)	10 (20%)	1 (2%)	19 (38%)	15 (30%)
घर पर बहाना करके दोस्तों के साथ बाहर जाकर समय बिताना	6 (12%)	6 (12%)	13 (26%)	15 (30%)	10 (20%)
दोस्त के साथ खुली छूट के साथ मौज-मस्ती करना	3 (6%)	4 (8%)	8 (16%)	17 (34%)	18 (36%)
स्कूल में पढ़ने की बजाय दोस्त के खयालों में रहना	3 (6%)	4 (8%)	4 (8%)	17 (34%)	22 (44%)

© NCERT not to be republished

तालिका 12 — इस उम्र में तुम्हें क्या करना अच्छा नहीं लगता?

पसंद न आने वाली प्रवृत्ति	पसंद न आने का स्तर				
	बिलकुल नहीं	*अच्छा नहीं*	*ठीक-ठीक*	*अच्छा*	*बहुत अच्छा*
बड़ों का प्रत्येक शारीरिक या निजी वृति को शंका की नज़र से देखना	26 (52%)	20 (40%)	0	4 (8%)	0
तुम्हें छूट देकर छिपा नियंत्रण रखना, जासूसी करना या कराना	12 (24%)	35 (70%)	0	3 (6%)	0
तुम्हारा मनभेद लेकर किसी भी तरीके से दोस्तों का साथ छुड़वाना अथवा उसमें अवरोध उत्पन्न करना	30 (60%)	17 (34%)	0	3 (6%)	0
हमेशा तुम्हारी दोस्ती, दोस्त और दोस्तों के साथ, उनके साथ बातचीत को खराब नज़र से देखना	15 (30%)	29 (58%)	0	6 (12%)	0
आपके हिसाब से बाहर आने-जाने और बातचीत करने पर रोक-टोक करना और ताने कसना	26 (52%)	18 (36%)	0	6 (12%)	0
अब तुम बड़ी हो गई हो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो आदि सलाह चाहे जब देते रहना	20 (40%)	20 (40%)	0	10 (20%)	0
तुम्हारे प्रेम में पड़ने से किस प्रकार घर की आबरू इज़्ज़त मिट्टी में मिल जाएगी इसको लेकर भावनाओं को समझने के बजाय तर्क-कुतर्क करना	17 (34%)	28 (58%)	0	5 (10%)	0
बड़ों के द्वारा सामाजिक कायदा-कानून व प्रथाओं का भय दिखाना तथा दबाव बनाना	16 (32%)	28 (54%)	0	6 (12%)	0
तुम्हारे इस कदम का घर-परिवार के अन्य छोटे सदस्यों तथा भावी सामाजिक संबंधों पर खराब प्रभाव पड़ेगा, इन तर्कों के द्वारा डराना व धमकाना	20 (40%)	24 (48%)	0	6 (12%)	0
दोस्तों के साथ वाले कार्यक्रम को अटकाने के लिए उसी समय कोई काम बता देना और सच्चा-झूठा बहाना करके वहाँ से दूर कर देना	22 (44%)	25 (50%)	0	3 (6%)	0

© NCERT not to be republished

तालिका 13— तनाव अथवा संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न होने की दशा में उत्तरदाताओं के सुझाव

सुझाव	उत्तरदाताओं द्वारा दिया गया गुणभार				
	0	**1**	**2**	**3**	**4**
हार्मोन्सजनित शारीरिक बदलाव के संदर्भ में वैज्ञानिक जानकारी परिवार के सदस्य एवं शिक्षिकाओं के द्वारा दी जानी चाहिए। बेटी के साथ परिवार के सदस्यों को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए इसका शिक्षण कुटुंब और समाज को मिलना चाहिए।	2 (4%)	4 (8%)	7 (14%)	18 (36%)	19 (38%)
शंकाशील व्यवहार के स्थान पर खुले मन से स्वाभाविक शारीरिक-भावनात्मक परिवर्तनजनित व्यवहार को स्वीकारना चाहिए।	4(8%)	5 (10%)	6 (12%)	21 (42%)	14 (28%)
कुटुंब के पारस्परिक विश्वास के नाते की प्रगाढ़ता बाहरी दगाबाजी और अविश्वास के सामने रक्षण प्रदान कर सकती है।	5 (10%)	0	10 (20%)	20 (40%)	15 (30%)
प्यार और दोस्ती को हमेशा गलत नज़रों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सभी को प्यार करने का हक है, ऐसा समझना चाहिए।	4 (8%)	1 (2%)	14 (28%)	15 (30%)	16 (32%)
बड़ों को अनावश्यक व अनुचित दबाव नहीं बनाना चाहिए।	4 (8%)	1 (2%)	17 (34%)	12 (24%)	16 (32%)
घर के सदस्यों को हम पर बाहर के लोगों अथवा रिश्तेदारों से अधिक विश्वास करना चाहिए।	1 (2%)	1 (2%)	13 (26%)	16 (32%)	19 (38%)
हमारा भेद जानकर हमारे साथ दगा करने की बजाय सहायता करनी चाहिए तथा बाहरी दगाबाजी से हमारा रक्षण करने हेतु सहायता करनी चाहिए। इससे हमारे प्रति समाज के व्यवहार, मनोवृत्ति और मूल्यों में बदलाव आएगा तथा कोई भी व्यक्ति हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठाने से पहले एक बार अवश्य सोचेगा।	6(12%)	0	14 (28%)	16 (32%)	14 (28%)
हमें भी परिवार के साथ सहकार की ज़रूरत है ताकि हम भी अपनी नज़र से इस नई दुनिया को देख सकें। यह मानवीय हक हमें मिलना ही चाहिए।	3 (6%)	7 (14%)	17 (34%)	13 (26%)	10 (20%)
संघर्ष नहीं, किंतु सलाह-मार्गदर्शन, अहं का टकराव नहीं, अपितु प्रेमपूर्ण व्यवहार और यथोचित सहकार ही किशोरावस्था के स्वाभाविक परिवर्तनों को समझने में तथा उसका योग्य संरक्षित प्रत्युत्तर देने में मददगार हो सकता है और विकास की राह को सुगम और बाधारहित बना सकता है।	2 (4%)	1 (2%)	11 (22%)	12 (24%)	24 (48%)

© NCERT not to be republished

आरोग्य कार्यकर्ता आदि के द्वारा नियमित रूप से पहुँचे तथा आने वाली समस्याओं पर चर्चा हो। कुछ उत्तरदाताओं का मानना है कि इस अवस्था के तनाव व संघर्ष से बचने के लिए घर परिवार का भावनात्मक सहकार तथा उनके प्रति सकारात्मक सोच अनिवार्य है, ताकि पारस्परिक विश्वास की कड़ी मज़बूत हो। एक मानव होने के नाते उन्हें अपने तरीके से जीने का अधिकार मिले। वे स्वयं को समझें तथा समझ के साथ अपने व्यवहार को नियोजित कर सकें। इस दिशा में शैक्षिक प्रयास अहम भूमिका निभा सकते हैं।

तालिका 14 से स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकारी कार्यक्रमों से जुड़े जो लोग हैं, वे अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी के साथ, लगाव व अपनेपन के साथ किशोरावस्था के प्रभावों के संदर्भ में सही रूप से मार्गदर्शन एवं सहयोग का आश्वासन प्रदान कर सकें तो स्थिति काफ़ी हद तक बदल सकती है तथा सामाजिक परिवेश को भी परिवर्तित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

शोध अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं —

1. किशोरियों में अधिकांशतः शारीरिक परिवर्तनों की शुरुआत 12 वर्ष की उम्र से हो जाती है। ये शारीरिक परिवर्तन उनकी दुविधा एवं परेशानी का कारण बनते हैं। समस्या उस समय उनके लिए गंभीर लगने लगती है, जब शर्म की वजह से तथा उसे सही-सही न समझ पाने की वजह से अपनों के सामने नहीं रख पाती हैं।
2. शारीरिक परिवर्तनों को लेकर क्या करना है? इसकी आधी-अधूरी जानकारी जैसे-तैसे उन्हें अपने परिवार के सदस्यों व नज़दीकी रिश्तेदारों

तालिका 14 — उत्तरदाताओं की राय में किशोरावस्था शिक्षा व्यवस्था को असरदार बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
आँगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारे साथ सखी मंडल बनाकर एकांत में खुलकर बात करने का अवसर दें तथा किसी के साथ उनकी गोपनीयता उजागर न करें।	34	68
आँगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारे साथ-साथ हमारे परिवारजनों को भी इन किशोरावस्था के परिवर्तनों तथा उसके परिणामस्वरूप होने वाले हमारे स्वाभाविक व्यवहारों के बारे में समझाएँ तथा हमारे साथ संयमित व्यवहार करने की सीख दें, प्यार से हमारी समस्याओं को सुनने व समझने हेतु प्रेरित करें।	26	52
स्कूल में पुरुष अध्यापक इसके बारे में सही तरह से नहीं बता पाते हैं। उनकी नज़र कहीं और रहती है।	20	40
नर्स हमारी सखी बनकर यदि हमें सही मार्गदर्शन दे तो हमें इन परिवर्तनों को वैज्ञानिक रूप से समझने में मदद मिलेगी और हम इन परिवर्तनों का सही प्रत्युत्तर दे पाएँगे।	23	46

नोट — उत्तरदाताओं से एक से अधिक उत्तर प्राप्त हुए हैं।

© NCERT not to be republished

से मिल जाती है, किंतु इसके चलते उनकी इच्छा, भावनाओं में जो उठा-पटक शुरू होती है उसका प्रत्युत्तर उन्हें कहीं से भी नहीं मिल पाता।

3. इन परिवर्तनों के फलस्वरूप उनका जो व्यवहार हो रहा है, उसके परिणामों की समझ किशोरावस्था की आरंभिक स्थिति में तो अधिकांश किशोरियों को नहीं हो पाती है, किंतु उनका ऐसा बदला-बदला व्यवहार क्यों हो रहा है, इसे उनकी नज़र से, भावनात्मक दृष्टिकोण से, किशोरावस्था की अल्हड़ता के नज़रिए से न तो उनके आस-पास के लोग और न ही परिवार व समाज देखना चाहता है। ऐसे में जो उनकी भावनाओं को हवा दे देता है, वही उन्हें अपना लगने लगता है। बहुधा ये अपना लगने वाले बाहरी लोग उनका अनुचित फ़ायदा भी उठा लेते हैं। इनमें ऐसी किशोरियों का प्रतिशत बहुत कम हैं, जो इनके सामने मज़बूती से खड़े होने का साहस कर पाईं हो तथा उन उत्तरदाताओं का भी प्रतिशत काफी कम है, जिन्हें इस तरह के गलत कदम उठ जाने पर घर-परिवार या अपनों का भावनात्मक सहारा या खुला सहकार मिला हो। ऐसे में वे समझौतावादी नज़रिया अपनाकर खुद को परिस्थितियों के हवाले कर देती हैं।
4. अध्ययन में यह ज्ञात हुआ कि किशोरियों के लिए इन बदलावों के संदर्भ में जानने का स्रोत मुख्यतः दादी, चाची, चाचा, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता रहे हैं, किंतु किशोरियाँ अपनी दुविधाएँ इनके साथ खुले मन से नहीं बाँट पाती हैं।
5. किशोरावस्था शिक्षा से जुड़े विविध सरकारी प्रयास वर्तमान में व्यावहारिक पटल पर संवेदना की दृष्टि से इन किशोरियों की पहुँच से दूर बने हुए हैं।
6. शोध अध्ययन से पता चला है कि अधिकांश किशोरियाँ शुरुआत में अपने बड़ों के साथ अपने बदलावों को बताने, मन में आ रही मुश्किलों को साझा करने अथवा उनके साथ इस विषय पर संवाद करने के बजाय "वे क्या करते हैं?", इससे सीखते हैं अथवा सामान्यत: या उसे ही अपना लेते हैं।
7. बहुधा इन किशोरियों की सहेलियाँ आपस में घबराने या अनजाने भय से बचने के लिए स्वयं को तैयार करती हैं, परिवर्तनों को भी बाँटती हैं तथा बड़ों के द्वारा उनके तत्संबंधी वार्तालाप के ज़रिए इसके आगे जानने का प्रयास करती हैं।
8. स्वाभाविक तौर पर अधिकांश किशोरियों को अपने शारीरिक परिवर्तनों का प्रदर्शन करना अच्छा लगता है। यही वजह है कि वे शीघ्रातिशीघ्र इन शारीरिक परिवर्तनों के अनुकूल होने की उत्सुकता को प्रकट व प्रदर्शित कर देती हैं।
9. अधिकांश उत्तरदाताओं को उनके बड़ों की किसी भी प्रकार की दखलंदाज़ी एवं दोस्तों के साथ न मिलने में डाली जा रही अनचाही बाधाएँ, बहानेबाज़ी अथवा अन्य किसी प्रकार की कृत्रिमता पसंद नहीं आती।
10. किशोरावस्था में विजातीय आकर्षण की तरफ किशोरियों का रुझान बढ़ता है और वे आगे-पीछे का कुछ भी विचार किए बिना अपनी ही धुन में निश्चिंतता के साथ आगे बढ़ते जाने की मानसिकता बना लेती हैं तथा इसके लिए छद्म व प्रकट रूप से परिवार के सामने आने

© NCERT not to be republished

एवं विरोध का रास्ता अपनाती हैं। इसीलिए, मानसिक तनाव या आंतरिक अवसाद से ग्रसित होने वाली किशोरियों का प्रतिशत बढ़ा है। लगभग 20 प्रतिशत किशोरियाँ समय के साथ अपनी पुरानी गलतियों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ जाने में ही अपना भला समझती हैं।

11. उत्तरदाताओं की दृष्टि में उनके परिवार द्वारा उनके दोस्तों के साथ प्रत्येक व्यवहार को शंका की दृष्टि से देखा जाता है। उनके राज़ का पर्दाफाश करने के लिए उन्हें एक तरफ तो छूट दी जाती है ताकि वे कोई गलती करें, जिससे उनकी भावी योजना को जानकर उनकी भावनाओं को सुनियोजित तरीके से येन-केन प्रकारेण दबाया जा सके, किंतु किशोरियों को बड़ों या परिजनों का यह दोहरा चरित्र रास नहीं आता और वे विद्रोह पर उतर आती हैं।
12. ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली किशोरियों के पास इन परिवर्तनों को लेकर न सिर्फ़ पूर्ण जानकारी की कमी है, अपितु ऐसा वातावरण भी दिखाई नहीं देता जहाँ वे अपने मन की बात अपनों से कर सकें। संभवतः वे अपनी समस्या को सही रूप से परिभाषित करने में समर्थ नहीं दिखाई देती। जिन स्रोतों से उन्हें जानकारी प्राप्त होती है उन्हें वैज्ञानिकता की कसौटी पर विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है, क्योंकि सुनी-सुनाई बातें ही ऐसे वातावरण में आगे बढ़ती जाती हैं और मानसिक-भावनात्मक समस्याओं का तनाव ज्यों का त्यों बना रहता है।
13. शोध अध्ययन में यह पाया गया कि अधिकांश किशोरियों में शारीरिक परिवर्तनों के अनुकूल होने की शीघ्रता अथवा उत्सुकता दिखाई देती है, किंतु वे यह अनुकूलन सहजता से नहीं बिठा पाती हैं। उन्हें कई अनबूझे प्रश्नों के भ्रम जाल से गुज़रना होता है। ऊपर से परिवार के लोगों का वास्तविक सहयोग नहीं मिल पाता है।
14. किशोरियाँ बताती हैं कि किशोरावस्था की उम्र में आते ही उन पर तरह-तरह के बंधन एवं रोक-टोक शुरू हो जाती है, जबकि हम उम्र भाइयों पर कोई अंकुश नहीं होता। हम भी इनसान हैं, हमारी भी समान भावनाएँ हैं, इस दुनिया को अपनी तरह से देखने की, किंतु हमारी इस भावना को जाने किस डर से परिवार-समाज समझकर भी समझना नहीं चाहता है।
15. किशोरावस्था पर कुछ (27 प्रतिशत) किशोरियों ने छेड़-छाड़ को लेकर शोषण का अनुभव किया है, जिसे पहचान गुप्त रखने की शर्त पर बहुत ही विश्वास के बाद बताया, किंतु इसके पीछे परिवार के सदस्यों का रूढ़िगत रवैया तथा इज़्ज़त की दुहाई ज़िम्मेदार है, जहाँ सब कुछ हो जाने पर भी उसे प्रकट करने में वे अपनी भलाई देखती हैं। उन्होंने बताया कि घटनाओं को बताने पर तो मुश्किल बढ़ती है, लेकिन कोई सहानुभूति नहीं मिलती है।
16. भावनात्मक सहारा खोजने की दिशा में अधिकांश किशोरियों को संतोषजनक परिणाम नहीं मिल सके तथा वे उम्र का स्वाभाविक अनुभव पाने की दिशा में इस अनुभव को एकदम खराब या गलत नहीं मानतीं और कहती हैं कि हम भी बड़ों की तरह इसे भी सीख लेंगे।
17. किशोरियों की इस तरह की भावनात्मक भूल सामने आने पर उनका आगे पढ़ना-लिखना

© NCERT not to be republished

बंद हो गया। ऐसा 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया जबकि 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी भूल प्रकट ही नहीं हुई तथा शेष ने स्वयं को परिस्थितियों के भरोसे छोड़कर कोई अन्य प्रयत्न नहीं किया तथा स्वाभाविक रूप से जीवनयापन करती रहीं।

उपसंहार

स्त्रियों से दुनिया चलती है, इसीलिए इसे जगत जननी, अन्नपूर्णा, शक्ति स्वरूपा आदि संज्ञाओं से विभूषित किया जाता है। बच्ची से स्त्री होने की शुरुआत किशोरावस्था से होती है, इसलिए, इस अवस्था का महिला विकास की संपूर्ण जीवन प्रक्रिया में अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह अवस्था उनके सर्वांगीण विकास की आधारशिला है, इसलिए, इसकी वर्तमान दशा-दिशा तथा उसके भावी परिणामों पर गंभीर चिंतन स्वयं किशोरियों के विकास की दृष्टि से, परिवार-समाज और राष्ट्र की बुनियाद को मज़बूत बनाने की दृष्टि से अनिवार्य है इसे समय परिस्थिति या भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, न ही रूढ़ियों और परंपराओं के नाम पर इन्हें अलग-अलग तरीके से प्रताड़ित करके अपने अहं की तुष्टि की जा सकती है और न ही इस अवस्था को तुच्छ मानकर उपेक्षित रखा जा सकता है। इस अवस्था में उत्पन्न कुंठाओं का प्रभाव किशोरियों के भावी विकास की बुनियाद को हिला देता है। यदि हमें सुंदर राष्ट्र की तसवीर का मज़बूत खाका तैयार करना है तो इस किशोरी मानव संसाधन व इनकी समस्याओं के समाधान पर सुव्यवस्थित रूप से ध्यान देना होगा। उनमें लोक जाग्रति के द्वारा विश्वास पैदा करना होगा, उम्मीदों को जगाए रखना होगा ताकि वे सपनों को साकार करने का साहस हिम्मत अपने में बनाए रख सकें। अनावश्यक रूप से तनाव व संघर्षों की शिकार बनकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा व्यय न करें।

किशोरावस्था की समस्याओं के समाधान हेतु किशोरावस्था शिक्षा से जुड़े सरकारी तंत्र, परिवार, समाज, शिक्षण जगत सभी को समन्वित रूप से योग्य संवेदनशील चिंतन व चिंता के साथ इस दिशा में गंभीर प्रयास करने होंगे। इस मानव संसाधन को समुचित मार्गदर्शन प्रदान करना होगा, उत्साह को बनाए रखना होगा, छद्म जासूसी, छिपा अंकुश और दोहरा चरित्र नहीं अपितु पारदर्शिता और विश्वास के नीर से इनकी जड़ों का सिंचन कर उनके आस-पास के पारिवारिक-सामाजिक तंत्र में पुनः नवीन ऊर्जा व विश्वास का संचार करना होगा। इस दिशा में निम्नलिखित सुझाव उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं—

- ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरियों को स्कूल एवं आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा उचित स्पर्श (गुडटच), और अनुचित स्पर्श (बैडटच) का स्वरूप एवं परिणामों से चार्ट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जागरूक कराना चाहिए ताकि उनमें भावानात्मक वेग में अपने अच्छे-बुरे की समझ पैदा हो सके।
- किशोरियों का विश्वास हासिल कर उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए, इसमें माता और बड़ी बहन की भूमिका अधिक कारगर सिद्ध हो सकती है।
- घर के ज़िम्मेदार सदस्यों को चाहिए कि वे उनकी भावनाओं को समझें, छोटा समझकर ही उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करें, बाहरी धोखों का वे निडरता से सामना कर सकें, इसके लिए उन्हें संपूर्ण सहकार का आश्वासन प्रदान करें, क्योंकि वह आपके ही परिवार का एक

© NCERT not to be republished

सम्मानित सदस्य है यदि अहं, रीति-रिवाजों के भय से उसको कोई क्षति पहुँचती है अथवा उसका कोई अनुचित फ़ायदा उठा लेता है तो एक तरह से आपकी (बड़ों की) अपनी हार है, जिसकी भरपाई किसी अन्य तरीके से संभव नहीं है। इस दृष्टिकोण से उन बच्चियों को कल्पना की उड़ान भरने का, भविष्य की सुंदरता के बाने बुनने का खुला आकाश मिलेगा।

- लोक जाग्रति की विस्तारण पद्धतियों, नाटक, कार्टून तथा सोशल मीडिया के द्वारा उनमें अच्छे-बुरे की समझ पैदा की जा सकती है तथा अभिवावकों को भी किशोरियों एवं उनके किशोरावस्था के स्वाभाविक शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक बदलावों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सकता है तथा किशोरियों को दुविधाओं के जाल से बाहर लाया जा सकता है।
- किशोरियों के प्रति अहं की जगह स्वाभाविक प्रेम एवं भावनात्मक सहयोग तनाव, संघर्ष व शोषण की स्थिति पर लगाम लगाई जा सकती है।

अंत में यह कहा जा सकता है कि किशोरावस्था की समस्याओं के समाधान की दिशा में परिवार के स्नेहपूर्ण वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। किशोरियों को मासिक स्राव तथा अन्य शारीरिक एवं भावनात्मक परिवर्तनों व उनकी समस्याओं के बारे में आँगनवाड़ी कार्यकर्ता के अलावा स्थानीय आरोग्य कार्यकर्ता व महिला शिक्षिका के द्वारा भी जाग्रत किया जा सकता है। यहाँ पर ज़िम्मेदार तंत्र को लक्षित समूह तक पहुँचना है। हालाँकि हिंदी में कहावत तो यह है कि प्यासा कुँए के पास जाता है, परंतु यहाँ पर कुँए को प्यासे के पास आने की आवश्यकता है, क्योंकि लक्षित समूह अबोधता और किशोरावस्था के प्रभाव में अपना भला-बुरा विचारने की स्थिति में नहीं होता है। इससे इस मानव संसाधन को सुदृढ़ बनाने, उसे भावी भूमिका अर्थात् सशक्त महिला मानवशक्ति के रूप में तैयार करने के लिए इस किशोरावस्था शिक्षा रूपी कुँए को प्यासे अर्थात् लक्षित समूह की किशोरियों के पास स्नेह व प्रतिबद्धता के साथ आना पड़ेगा।

संदर्भ

ग्राम पंचायत कार्यालय मोतीपुरा. 2011. ग्राम पंचायत मोतीपुरा के रिकॉर्ड. गांधीनगर, गुजरात.

जानी, नेहा. 2020. *ग्रामीण विस्तार में किशोरियों की प्रमुख समस्याएँ तथा उनके विकास पर प्रभाव* (अप्रकाशित शोध). ग्रामीण प्रबंध अध्ययन केंद्र, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद.

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. *किशोरी शक्ति योजना, 2012–13.* रायपुर, छत्तीसगढ़.

———. 2018. *समेकित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम सामग्री,* 2018. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्. प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल शिक्षा, कक्षा 8, 9–10, 11–12 के प्रवेश के आँकड़े (वर्ष 2019–20). रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

———. 2012. *कक्षा 11 की किशोरावस्था पाठ्यक्रम सामग्री (पुनः मुद्रित).* रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

© NCERT not to be republished

शिक्षा और गाँव का बदलता परिदृश्य

विजय कुमार यादव*
ऋषभ कुमार मिश्र**

इस लेख में भारतीय गाँवों से संबंधित स्वातंत्र्योत्तर शोध कार्यों का सर्वेक्षण करते हुए उनकी अध्ययन दृष्टियों को प्रस्तुत किया गया है। यह लेख बताता है कि भारत के गाँव भौगोलिक इकाई होने के साथ-साथ सामाजिक-सांस्कृतिक इकाई भी हैं। इस इकाई का नगर के विलोम रूप में अध्ययन करना हमारे शोध अध्ययन की सीमा है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में भारतीय गाँवों में हुए बदलावों को समझना और तदनुरूप शिक्षा से संबंधित प्रश्नों का विश्लेषण करना हमारे अध्ययनों का उद्देश्य होना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में यह लेख भारतीय गाँवों के सामाजिक-आर्थिक बदलावों को रेखांकित करते हुए शिक्षा से उनकी पारस्परिकता को प्रस्तुत करता है।

सामाजिक विज्ञान के शोध कार्यों में इस बात पर बल दिया गया है कि गाँव भारत की वास्तविक छवि प्रस्तुत करते हैं। भारतीय गाँवों को 'देशज' जीवन का प्रतीक माना गया है। गाँवों को भारतीय संस्कृति के बुनियादी मूल्यों को प्रदर्शित करने वाली इकाई के रूप में देखा गया है (बेते, 1980, पृष्ठ संख्या 108)। औपनिवेशिक शासन के दौरान गाँवों को 'गाँव गणराज्य की भूमिका' के रूप में स्वीकार्यता मिली और गाँव को एक स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर सामूहिक इकाई माना गया। इस संदर्भ में चार्ल्स मेटकाफ के विचार को उदाहरणस्वरूप देख सकते हैं, "…भारत के गाँव समुदाय छोटे गणराज्य थे, उनके पास अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएँ थीं और वे विदेशी मामलों में तकरीबन स्वतंत्र थे" (कोहेन, 1987, पृष्ठ संख्या 213 से उद्धृत)। अंग्रेजी शासकों के विपरीत, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के नेताओं के लिए गाँव पहले से मौजूद एक सांस्कृतिक संरचना न होकर राजनीतिक सक्रियता और बदलाव का स्थान था। इसी में वे भारत की वास्तविक छवि को देखते थे। इस तथ्य के समर्थन में जोधका (2019) और कुमार (2018) के कार्यों से प्रमाण मिलता है। इनके अनुसार गांधी का यह मानना था कि भारतीय सभ्यता का असली रूप गाँव की जीवनशैली में विद्यमान है। भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। वे चाहते थे कि आधुनिक भारत के निर्माण में गाँवों की महत्वपूर्ण भूमिका हो तथा भारत का विकास आम आदमी तथा गरीबों की ज़रूरतों के हिसाब से हो। इसके लिए उन्होंने पश्चिमी ज्ञान, सूचना और परीक्षा आधारित आधुनिक अंग्रेज़ी शिक्षा से अलग कौशल युक्त शिक्षा पर अधिक ज़ोर दिया

**शोधार्थी*, शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र 442001
***असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र 442001

© NCERT not to be republished

और नई तालीम की स्थापना की, जहाँ गाँधी भारत को पश्चिमी आधुनिकता और अति विकास की तकनीक के दुष्परिणामों से बचाना चाहते थे। गांधी से इतर अंबेडकर ने गाँव को एक ऐसे स्थान के रूप में देखा, जहाँ हिन्दू साम्राज्यवाद का बोलबाला था, असमानता व्याप्त थी और जहाँ दलितों का शोषण होता था। उन्होंने गाँव को अज्ञानता का महाकुंभ और संकीर्ण मानसिकता का गढ़ कहा था।

वहीं, नेहरू आधुनिकता के पक्ष में थे। उनका मानना था कि गाँव अत्यधिक पिछड़े हुए हैं, जिन्हें शिक्षित कर आधुनिक समाज के करीब लाया जा सकता है। नेहरू से इतर नानाजी देशमुख गाँव को भारतीय समाज एवं संस्कृति का परिचायक मानते थे। यद्यपि वे भी नेहरू की भाँति ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव के समर्थक थे, किंतु गाँव को पश्चिमी आधुनिकता और मशीनीकरण की बलि नहीं चढ़ाना चाहते थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण कृषि का विकास हो, सामाजिक रूढ़ियाँ समाप्त हों, किंतु गाँव की संस्कृति और सभ्यता के वास्तविक मूल्यों में क्षरण न हो। देशमुख जी का मानना था कि गाँव का सामाजिक एवं आर्थिक विकास अवश्य होना चाहिए, किंतु संस्कृति और सभ्यता के वास्तविक मूल्यों का संरक्षण और विकास भी किया जाना चाहिए। वे राष्ट्र के निर्माण में गाँवों की महत्वपूर्ण भूमिका मानते थे।[1]

चूँकि नेहरू आधुनिक ज्ञान-विज्ञान और तकनीकी से काफी प्रभावित थे, अतः वे चाहते थे कि गाँव भी उस आधुनिक ज्ञान-विज्ञान और तकनीकी से परिचित हों। वे गाँव को शिक्षित और विकसित कर भारत का विकास करना चाहते थे। उनका विचार था कि भारतीय किसान आधुनिक तकनीकों से परिचित हों, जिससे वे इन तकनीकों का उपयोग कर अपने उत्पादन में वृद्धि कर सकें। इसके लिए उन्होंने योजना आयोग द्वारा बनाए गए प्रथम पंचवर्षीय योजना में 'हैराड-डोमार मॉडल' पर आधारित अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया में ग्रामीण विकास और कृषि को उच्च प्राथमिकता दी (योजना आयोग की रिपोर्ट, 1951)। परिणामस्वरूप गाँवों तक सरकारी योजनाएँ पहुँचीं, जिससे गाँव की तसवीर भी बदली, किंतु गाँव का उस तरह से विकास न हो सका जैसा नेहरू चाहते थे। गाँव औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने वाले एजेंट बन गए।

राजनीतिक और अकादमिक जगत के विचारकों ने यह मान लिया कि उद्योगों और शहरों का विकास होने से खेती-बाड़ी खत्म हो जाएगी। गाँव या तो खत्म हो जाएँगे अथवा धीरे-धीरे शहरों में विलीन हो जाएँगे तथा देश विकसित हो जाएगा, किंतु वास्तविकता भिन्न रही है। 'उद्योग भी लगे, शहर भी बढ़े, गरीबी भी घटी, पर गाँव खत्म नहीं हुए (कुमार, 2018)। भारतीय गाँव देश में सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ सूचना और कंप्यूटर क्रांति का हिस्सा बन गए। शोध अध्ययनों (कुमार, 2018) से पता चलता है कि कुछ गाँव शहरों में विलीन हो गए, कुछ नगर निगम का हिस्सा बन गए और अच्छी नौकरी, अच्छे वेतन तथा भव्य जीवन की तलाश में ग्रामीण मज़दूरों का शहरों की ओर पलायन हुआ है, जिसके कारण गाँव का एक बड़ा भाग शहरों तथा कस्बों के अंदर तथा उनके मुहाने पर फैल गया है। भारतीय गाँव देखते ही देखते बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों और समाज विज्ञानियों के अनुमानों के विपरीत वैश्विक

[1] इस संदर्भ में विस्तृत चर्चा के लिए जोधका (2019) व कुमार (2018) के शोध पत्र का अध्ययन किया जा सकता है।

© NCERT not to be republished

अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गए। शिक्षा के व्यापक प्रचार-प्रसार, सूचना और कंप्यूटर क्रांति ने गाँवों को और अधिक समृद्ध किया है।

पिछले चार दशकों में ग्रामीण भारत की कुल जनसंख्या के आकार और अनुपात, इसकी आर्थिक स्थिति और शिक्षा में बड़ा बदलाव आया है। भारत की जनगणना रिपोर्ट बताती है कि पिछले चार दशकों में भारत के गाँवों और गाँव की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है। यह केवल जननांकिकीय वृद्धि नहीं है। भारत में नई आर्थिक नीति के बाद उदारीकरण के दौरान भी गाँवों का स्वरूप बदला है, किंतु इससे गाँवों के आकार एवं अनुपात में कमी नहीं हुई है (कुमार, 2018)। इस दौरान गाँव की सामाजिक और आर्थिक संरचना में पर्याप्त बदलाव हुआ है। उदाहरण के लिए, श्रीवास्तव एवं अन्य (2017) के अनुसार आधुनिक उद्योगों की स्थापना एवं विकास से श्रमिकों की माँग में वृद्धि हुई है, जिसने ग्रामीण श्रमिकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। परिणामस्वरूप कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर गाँवों में बाह्य आय स्रोतों का प्रसार हुआ और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की निर्भरता कम हुई। इन बदलावों ने आधुनिक औद्योगिक एवं शहरी समाज तथा ग्रामीण समाजों के बीच पारस्परिक जुड़ाव को बढ़ावा दिया है, किंतु इन समाजों के सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों में विषमता इनके आपसी संबंधों को चुनौती देती है। इन विषमताओं को दूर करने और शहरों तथा उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ग्रामीण शिक्षा में बदलावों को परिकल्पित किया गया है।

ग्रामीण समाज को शहरी और आधुनिक औद्योगिक समाज से जोड़ने और गाँव के लोगों को उसके अनुरूप ढालने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में प्रसार और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का प्रयास किया गया है। स्वतंत्र भारत की प्रत्येक शिक्षा नीति में ग्रामीण भारत की शिक्षा को विशेष स्थान दिया गया है, जैसे— विद्यालयों में संसाधन सुधार, अध्यापकों की नियुक्ति, शिक्षण पद्धति में सुधार, कृषि और व्यावसायिक शिक्षा जैसे पाठ्यक्रमों को शुरू करना इत्यादि। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986* और उसकी क्रियान्वयन योजना 1992 के बाद, मध्याह्न भोजन योजना, सर्व शिक्षा अभियान 2001 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 जैसी नीतियों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया है, किंतु शिक्षा की गुणवत्ता के आधार के रूप में विद्यार्थियों के नामांकन एवं उपलब्धि को ज़्यादा महत्व दिया गया है (सारंगपानी, 2010) और इसकी प्राप्ति को ही शिक्षा व्यवस्था की सफलता का पैमाना माना जाने लगा है (मिश्र, 2018)।

पर क्या केवल इन घटकों को ही शिक्षा की गुणवत्ता का आधार बनाया जा सकता है? इस संबंध में ये घटक शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में आंशिक निष्कर्ष ही प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, असर रिपोर्ट, 2019 में गाँव में स्कूली शिक्षा को आधुनिक नगरीय स्कूलों की तुलना में पिछड़ा बताया गया है। इस रिपोर्ट में भी बच्चे की उपलब्धि को ही शिक्षा की गुणवत्ता का आधार मानकर शिक्षा की दिशा तय करने की कोशिश की गई है। इसमें शिक्षक-शिक्षार्थी संबंध, कक्षागत एवं कक्षा के बाहर होने वाली गतिविधियों, विद्यार्थियों की भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण कारकों की कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसमें गाँव के स्कूलों को ऐसी जनसंख्या माना गया है जो अपेक्षित उपलब्धि की प्राप्ति के अभाव में गुणवत्ता के पैमाने पर पीछे होते जा रहे हैं। यद्यपि औद्योगिकीकरण,

© NCERT not to be republished

सूचना और संचार क्रांति, तकनीकी विकास और शिक्षा के व्यापक प्रचार-प्रसार ने ग्रामीण जीवन को काफी प्रभावित किया है (मंजुनाथ, 2014)। किंतु इस शिक्षा प्रणाली में औद्योगिक एवं शहरीकृत समाज तथा ग्रामीण समाज की संस्कृतियों, मानकों तथा मूल्यों जैसी विषमताओं को दूर करने का लक्ष्य उपेक्षित दिखता है। इस पृष्ठभूमि में हमें विचार करना चाहिए कि इक्कीसवीं सदी के गाँव के सामाजिक और आर्थिक ढाँचे में किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं? और उन परिवर्तनों में शिक्षा की क्या भूमिका रही है? तथा ग्रामीण परिवेश में हो रहे ये परिवर्तन और आधुनिक शिक्षा ग्रामीण युवाओं का भविष्य कैसे गढ़ रही है?

सामाजिक संरचना का पुनर्गठन

मानवशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों ने गाँव की सामाजिक संरचना को समझने के लिए अपने अध्ययनों में समाज की जिन बुनियादी विशेषताओं का उपयोग किया है, उसमें जातिगत समूहों, पारिवारिक इकाई, जजमानी व्यवस्था, ज़मींदारी व्यवस्था, मालिक-नौकर के बीच के संबंधों इत्यादि का सहारा लिया है (श्रीनिवास, 1950; दुबे, 1954; जोधका, 2014)। श्रीनिवास के कार्य इस दिशा में प्राथमिक और महत्वपूर्ण प्रतिमान हैं। 1950 के दशक में श्रीनिवास द्वारा गाँव की सामाजिक संरचना को समझने के लिए जाति आधारित ऊर्ध्वाधर श्रेणी को आधार माना गया, उन्होंने जाति के संदर्भ में लिखा है कि ग्रामीण सत्ता प्रभुत्वशाली जातियों के हाथों में केंद्रित रही है और ये प्रभुत्वशाली जातियाँ विभिन्न रूपों में निम्न और पिछड़ी जातियों की सहायक थीं। भू-स्वामित्व और ज़मींदारी ज़्यादातर इन्हीं जातियों के हाथों में थी (शर्मा, 1953; दुबे, 1954)। निम्न जातियों का व्यक्ति उच्च जाति का जोतदार होता था, उनके खेत में मज़दूरी करता था, पशुओं आदि की देखभाल करता था और उनके घर के काम-काज में योगदान करता था। बदले में उन्हें कुछ अनाज, धन या अन्य ज़रूरत की वस्तुएँ दे दी जाती थीं। यद्यपि निम्न जातियों के लोग उच्च और ज़मींदार जातियों के घरों का कार्य करते थे, किंतु उच्च जाति के लोग निम्न जातियों को अछूत मानते थे।

बेते (1962) एवं शर्मा (1953), लिखते हैं कि, "हिंदू धर्म की कर्मकाण्डीय अवधारणाओं के अनुसार निम्न जातियों के खान-पान की आदतों और प्रथाओं को पूरी तरह अशुद्ध माना जाता था, किंतु विभिन्न अवसरों पर उच्च जाति और निम्न जाति की औरतें एक ही पूजा स्थल पर पूजा-अनुष्ठान के कार्य करती थीं। जातियों के भीतर भी उप-जातियाँ थीं। गाँव के भीतर जातीय, आर्थिक और पारिवारिक स्तर पर भिन्नता थी। उच्च और प्रभु-जमींदार जातियों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण था। पिछड़ी और निम्न जातियाँ विभिन्न अवसरों पर खुलकर अपनी भावनाएँ भी व्यक्त नहीं कर सकती थीं।" अध्ययनों (शर्मा, 1953; दुबे, 1954; बेते, 1962) से यह भी स्पष्ट होता है कि अनेक भिन्नताओं के बावजूद गाँव में रहने वाले विभिन्न जातियों और समुदायों के लोग गाँव की परंपराओं, सामाजिक एवं आर्थिक और कर्मकाण्डीय आवश्यकताओं से पारस्परिक रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए थे। लोगों की दैनिक जीवन की आवश्यकताएँ उन्हें एक-दूसरे से बाँधे रखती थीं।

सत्तर के दशक में हुई हरित क्रांति ने कृषकों को आर्थिक रूप से सशक्त किया है। यद्यपि इस क्रांति में भागीदार बड़े भू-पतियों को तो अधिक लाभ हुआ,

© NCERT not to be republished

किंतु नई खेती में ज़्यादा पूँजी की माँग के कारण छोटे किसानों को अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेना पड़ा। परिणामस्वरूप बड़े भू-पतियों और लघु कृषकों के बीच एक आर्थिक खाई-सी बन गई (धनाग्रे, 1987)। हरित क्रांति के बाद खेती में प्रयुक्त होने वाली अधिकांश वस्तुओं के लिए किसानों को बाज़ार पर निर्भर होना पड़ा। ऐसे में उनके आपसी सामाजिक संबंधों में भी कमी आई। हरित क्रांति से जिन कृषकों ने अधिशेष प्राप्त किया था, वे अपने अधिशेष का अधिकांश भाग शहरी व्यापार, शिक्षा एवं गैर-खेतिहर गतिविधियों में करने लगे (जोधका, 2019 से उद्धृत)। इससे उनकी सामाजिक छवि में भी बदलाव आया।

इसके बाद भारत में औद्योगिक क्रांति, नई प्रौद्योगिकी और बाज़ार व्यवस्था के बढ़ते प्रभावों ने पुराने ग्राहक-मालिक संबंध को कमज़ोर किया। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने भूमिहीन गरीब श्रमिकों को गैर-खेतिहर रोज़गार की ओर आकर्षित किया है। ग्रामीण भूमिहीन निम्न और पिछड़ी जातियों के मजदूरों को गैर-खेतिहर रोज़गार मिलाने से उनकी उच्च और ज़मींदार जातियों पर आर्थिक निर्भरता कम हुई है। परिणामस्वरूप श्रमिकों को अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त होने लगा और जाति की पुरानी विचारधारा का क्षरण हुआ (जोधका, 2014; कुमार, 2018)। आर्थिक सुधारों और शिक्षा के प्रचार-प्रसार ने अछूत और निम्न समझी जाने वाली जातियों की सामाजिक और बौद्धिक दशा में सुधार किया है। पारंपरिक पद-सोपानीय संरचना के टूटने से निम्न और पिछड़ी जातियों में एक स्वतंत्र नागरिकता का बोध विकसित हुआ है। शिक्षा ने उन्हें अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया है।

औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और शिक्षा के प्रचार-प्रसार ने ग्रामीण सामाजिक संरचना में जातिगत समूहों, जजमानी व्यवस्था, ज़मींदारी व्यवस्था, मालिक-नौकर संबंधों में परिवर्तन के साथ ही गाँव के पारिवारिक और सामाजिक समूहों में महिलाओं एवं लड़कियों की स्थिति और उनके सोचने-समझने के दृष्टिकोण में भी बड़े बदलाव किए हैं। चौधरी (2014) के अनुसार गाँव न केवल पुरुषवादी सत्ता में जकड़ा हुआ है, बल्कि आधुनिकता द्वारा मर्दाना पहचान के कुछ निश्चित आयामों को मज़बूती भी मिली है। हरियाणा के गाँव का उदाहरण लेते हुए उन्होंने लिखा है कि, स्कूल, चौपाल, मनोरंजन की गतिविधियों, शराब पीने, खेल या सबसे शक्तिशाली पंचायत आदि प्रत्येक स्थान पर पुरुषों का वर्चस्व है। इस प्रकार के मर्दाना स्थान महिलाओं पर नियंत्रण स्थापित करते हैं तथा समाज के अन्य लोगों के साथ उनके संबंधों को सीमित करते हैं।

वहीं कलपागम (2008), सिद्दीकी और अन्य (2017), जोधका और कुमार (2017) के अनुसार मानवशास्त्रियों का यह मानना है कि ग्रामीण महिलाएँ आधुनिकता को अपने निजी जीवन में चुनाव करने की आज़ादी के संदर्भ में देखती हैं। वे इस आज़ादी से अपने निजी जीवन के रहन सहन, पसंद-नापसंद, पहनावे-ओढ़ावे तथा घर से बाहर निकलकर अपनी सामाजिक पहचान बनाने में पितृसत्तात्मक पाबंदी को समाप्त करना चाहती हैं। आर्थिक सुधारों एवं शिक्षा के प्रचार-प्रसार ने ग्रामीण महिलाओं को इस आज़ादी के सपने तथा उनकी सामाजिक दशा को और मज़बूत किया है। आज ग्रामीण महिलाएँ खुलकर राजनीति में भाग ले रही हैं तथा कृषि में

© NCERT not to be republished

उनकी भागीदारी बढ़ी है। ग्रामीण लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने, अपना भविष्य निर्मित करने, घर से बाहर काम करने, अपना जीवनसाथी चुनने इत्यादि का अवसर प्राप्त हुआ है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बदलता ढाँचा

गाँव की अर्थव्यवस्था का मूल आधार खेती-बाड़ी रहा है, किंतु पिछले चार दशकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। विभिन्न शोध कार्यों में इसका उल्लेख भी किया गया है। उदाहरण के लिए, कुमार (2018) ने अपने शोध में पाया है कि किसान अब प्रकृति के साथ समन्वय बनाकर रखने वाली संस्कृति का वाहक नहीं रह गया है। आज का किसान प्रकृति का दोहन करने वाला उद्यमी बन गया है। आय बढ़ाने के लिए किसान भूमि की गुणवत्ता के क्षरण को नज़रअंदाज करते हुए रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग करने लगा है। इसी तरह जोधका (2014) का मानना है कि हरित क्रांति के प्रभाव में नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ा है, किंतु बाज़ारीकरण और महँगी प्रौद्योगिकी से कृषि लागतों में वृद्धि हुई है। उत्पादन में अपेक्षाकृत वृद्धि न होने से मध्यम एवं लघु कृषकों को अत्यधिक नुकसान सहना पड़ा है। स्थिति यह है कि हरित क्रांति के बाद की तीसरी पीढ़ी का किसान अब खेती नहीं करना चाहता है (जोधका, 2014)।

इसी को विस्तार देते हुए याकन्ना (2017) और जोशी (2018) के शोध में यह पाया गया है कि किसान श्रमिकों में अधिकांश पुरुषों का पलायन शहरों की ओर होने से कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण की चकाचौंध ने नई पीढ़ी के किसानों को तेज़ी से अपनी ओर आकर्षित किया है। किसान के बेटा-बेटी और बहू न तो अब दूध निकालना चाहते हैं और न गोबर में काम करना चाहते हैं। खाने-पीने की वस्तुओं तथा दैनिक जीवन की अन्य ज़रूरतों से लेकर खेती के सामान के लिए भी अब किसान बाज़ारों पर निर्भर हो गया है। कहा जाए तो किसान लगभग पूरी तरह से बाज़ार और मुनाफ़े की अर्थव्यवस्था पर निर्भर हो चुका है। सवाल यह है कि इस प्रकार का बदलाव क्यों हुआ है? इसके लिए कई कारकों को ज़िम्मेदार माना जा सकता है, जिसमें महँगी तकनीकी, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और बाज़ारीकरण इत्यादि शामिल हैं, किंतु इसका एक महत्वपूर्ण कारण आधुनिक शिक्षा में भी खोजा जा सकता है। ध्यातव्य है कि शिक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बीच बदलाव केवल शिक्षा से अपेक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से प्रत्येक शैक्षिक फ़ैसले का हिस्सा है।

लंबी और सफल शिक्षा हासिल करने के बाद लोगों के पास वैकल्पिक पेशा अपनाने और ज़्यादा आय हासिल करने की योग्यता आ जाती है। साथ ही यह लोगों में स्वयं जागरूकता भी पैदा करती है। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखकर देश में शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार भी किया गया। विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी प्रयासों से शिक्षा की पहुँच दूर-दराज़ के गाँवों तक भी पहुँची है, जिससे ग्रामीण विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। शिक्षा के प्रचार-प्रसार ने ग्रामीण युवाओं को परंपरागत नज़रिये से इतर अधुनातन जीवन के अनुरूप सोचने और सपने बुनने के लिए प्रेरित किया है। आज ग्रामीण युवा शिक्षा के माध्यम से अपने भविष्य का निर्माण, आर्थिक जीवन में सुधार और अच्छे जीवनसाथी की तलाश

© NCERT not to be republished

करने की चाह रखते हैं। लड़के और लड़कियाँ दोनों ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर अपनी आर्थिक और सामाजिक दशा में सुधार करना चाहते हैं। सतेन्द्र कुमार (2018) ने यह रेखांकित किया है कि एक तरफ जहाँ आधुनिक शिक्षा ने ग्रामीण युवाओं के सपनों को नए पंख दिए हैं, वहीं ग्रामीण जीवनशैली की आवश्यकताओं से परे दिशाहीन और गुणवत्ता रहित शिक्षा व्यवस्था ने गाँव का अस्तित्व और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मूल आधार 'कृषि' के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। आज एक छोटे किसान या भूमिहीन मज़दूर का शिक्षित पुत्र अमूमन शहर जाना चाहता है। वह कृषि और पशुपालन से इतर सरकारी एवं प्राइवेट नौकरियों तथा अन्य गैर-कृषि व्यवसायों में अपना आर्थिक भविष्य देखता है।

इसे कुमार (2018) ने ग्रामीण जीवन के लिए अप्रासंगिक शिक्षा का विस्थापनकारी प्रभाव बताया है। ग्रामीण युवाओं के मस्तिष्क पर आधुनिक शिक्षा के नकारात्मक प्रभाव का आमतौर पर प्रचलित उदाहरण यह है कि किसान का शिक्षित पुत्र अब खेती का काम नहीं करना चाहता है, वह बाहर नौकरी या अन्य औद्योगिक कार्यों को अपने आर्थिक जीवन का आधार बना रहा है। (कुमार, कृष्ण 2018) जोधका (2014) ने अपने अध्ययन में इस बात का उल्लेख किया है कि हरित क्रांति के बाद से बड़े भू-स्वामियों ने अपने अधिशेष का अधिकांश भाग शिक्षा पर खर्च किया और अपने बच्चों को बाहर शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा है। शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद उन्होंने वहीं पर नौकरी कर ली। इनमें से अधिकांश लोगों के पास अभी भी अपनी ज़मीन का स्वामित्व था, किंतु अब न इनके पास खेती करने का समय रहता और न ही खेतीबाड़ी के प्रति इनका रुझान रहा था। गाँव के भूमिहीन मज़दूर के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर शहर जाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं तथा अन्य कृषिगत व्यवसाय करना चाहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, देश की 68.8 प्रतिशत जनसंख्या और 72.4 प्रतिशत कार्य बल ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। इसके बावजूद आज कृषि एक अंतिम एवं प्रमुख आर्थिक साधन है। गाँव में उभरती यह गैर-खेतिहर अर्थव्यवस्था घटते जोत के आकार, भूमि के स्वामित्व और जातीय संरचना में होने वाले बदलावों के साथ-साथ ग्रामीण जीवनशैली की आवश्यकताओं से परे गुणवत्ता रहित आधुनिक शिक्षा का परिणाम है।

आज गाँव कोई आदिम इकाई नहीं रह गया है। गाँव में भी जटिलताएँ बढ़ी हैं और ग्रामीण समाज के आपसी रिश्ते बदल रहे हैं। जाति आधारित पद-सोपानिक व्यवस्था का क्षरण हुआ है, अब प्रत्येक जाति एक-दूसरे के साथ खाने-पीने, उठने-बैठने और विभिन्न अवसरों और त्यौहारों पर सामूहिक रूप से मिलने-जुलने को अपने सामाजिक व्यवस्था का अंग स्वीकार करती हैं। ग्रामीण परिवार में महिलाओं की स्थिति मज़बूत हुई है और भूमि के स्वामित्व में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। जाति और समुदाय का लड़कियों और उनकी स्वतंत्रता को लेकर दृष्टिकोण भी बदला है, किंतु अभी भी पुरुषवादी सत्ता का प्रभाव गहरा है। गाँव पहले की तुलना में आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और वैश्वीकरण ने गैर-खेतिहर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। नगरीकरण, मशीनीकरण और अधिक उत्पादक प्रवृत्ति के कारण किसानों और प्रकृति के पारस्परिक

© NCERT not to be republished

संबंध भी बदले हैं। आज का किसान प्रकृति का संरक्षक नहीं रह गया है, वह प्रकृति का दोहन करने वाला उद्यमी बन गया है। गाँव में गैर-खेतिहार व्यवसायों के प्रति अधिक आकर्षण और गाँव की आवश्यकता से परे शिक्षा ने कृषि के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। आज गाँव नगरीकरण, औद्योगिकीकरण एवं वैश्वीकरण के प्रभाव में हैं। इन सब के बीच गाँव में जो शिक्षा की उपस्थिति है, उसने ग्रामीण समाज की चेतना को प्रभावित किया है। इन बदलावों के आलोक में ही शिक्षा की व्यक्तिगत विकास में भूमिका, शिक्षा की संस्थागत उपस्थिति और शिक्षा की स्वयं इन दबावों से प्रभावित होने की प्रक्रिया को समझाने की आवश्यकता है। जटिल से जटिलतर होते जा रहे ग्रामीण परिवेश में शिक्षा को सरलीकृत आदिम इकाई मानकर अध्ययन करना हमारे विश्लेषण के दायरे को सीमित कर देता है। भारतीय ग्रामीण परिवेश से जुड़े शिक्षा के अध्ययनों की सीमा यही दृष्टि है। हम भारतीय गाँव के विद्यालयों को पिछड़ा हुआ, अधिगम की दृष्टि से कमज़ोर, संसाधनों की दृष्टि से न्यून और शिक्षकों की दृष्टि से उपेक्षित मान लेते हैं, जबकि गाँव की सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक संरचना में हुए बदलाव सम्मिलित रूप से कैसे कार्य कर रहे हैं? हमें यह ध्यान रखना चाहिए। इन बदलावों का प्रभाव केवल विद्यार्थियों की उपलब्धि में परिलक्षित नहीं होता, बल्कि विद्यालय की संस्थागत उपस्थिति, अध्यापक-विद्यार्थी अंत:क्रिया, समुदाय और विद्यालय के संबंध को भी निर्धारित करता है। हमें इन संदर्भों को ध्यान में रखते हुए भारत के ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षा को समझना होगा।

संदर्भ

एनुअल स्टेटस ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट. 2019. *अर्ली इयर्स*. असर सेंटर, नयी दिल्ली. 12 दिसंबर, 2020 को http://img.asercentre.org/docs/ASER%202019/ASER2019%20report%20/aserreport2019earlyyearsfinal.pdf से प्राप्त किया गया.

———. 2018. *यंग चिल्ड्रन*. असर सेंटर, नयी दिल्ली. 12 दिसंबर, 2020 को http://img.asercentre.org/docs/ASER%202019/aser%202018%20young%20children/aser2018yo ungchildren.pdf से प्राप्त किया गया.

कलपागम, यू. 2008. मैरिज नॉर्म्स, चॉइस एंड एस्पिरेशन ऑफ़ रूरल वीमेन. *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*. 43(21), पृष्ठ संख्या 53–63.

कुमार, के. 2018. रूअरैलिटी, मॉडर्निटी एंड एजुकेशन. *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*. 49 (22), पृष्ठ संख्या 38–43.

कोहेन, बी.एस. 1987. *एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट अमंग हिस्टॉरियंस एंड अदर एसेज*. ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली.

कुमार, सत्येंद्र. 2018. *बदलता गाँव बदलता देहात— नई सामाजिकता का उदय*. ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नयी दिल्ली.

गवर्मेंट ऑफ़ इंडिया. 1951. *द फ़र्स्ट फाइव ईयर प्लान— ए ड्राफ्ट आउटलाइन*. प्लानिंग कमीशन. 12 दिसंबर, 2020 को https://niti.gov.in/planningcommission.gov.in/docs/plans/planrel/fiveyr/index1.html से प्राप्त किया गया.

© NCERT not to be republished

चौधरी, पी. 2014. मस्क्युलाइन स्पेसेस— रूरल मेल कल्चर इन नार्थ इंडिया. *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*. 49(47), पृष्ठ संख्या 41–49.

जोधका, एस.एस. 2014. इमर्जेंट रुअरैलिटी-रिविज़िटिंग विलेज लाइफ़ एंड अग्ररियन चेंज इन हरियाणा. *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*. 49 (26 और 27), पृष्ठ संख्या 5–7.

जोधका एस.एस., और ए., कुमार. 2019. नॉन-फ़ॉर्म इकोनॉमी इन मधुबनी, बिहार— सोशल डाइनेमिक्स एंड एक्सक्लूशनरी रूरल ट्रांसफ़ॉर्मेशन. *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*. 52(25 और 26), पृष्ठ संख्या 14–24.

जोधका, एस.एस., और के. एन., चौबे. 2019. *ग्रामीण क्षेत्रों में मानवशास्त्रीय अध्ययन— भारतीय ग्राम शृंखला I*. वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली.

———. 2019. *ग्रामीण विकास— परिप्रेक्ष्य, नीतियाँ और कार्यक्रम— भारतीय ग्राम शृंखला II*. वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली.

———. 2019. *ग्रामीण परिवेश का बदलता जीवन— सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य— भारतीय ग्राम शृंखला III*. वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली.

जोशी, बी. 2018. रिसेंट ट्रेंड ऑफ़ रूरल आउट-माईग्रेशन एंड इट्स सोशियो-इकोनोमिक एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इन उत्तराखंड हिमालय. *जर्नल ऑफ़ अर्बन एंड रीजनल स्टडी ऑन कंटेंपरेरी इंडिया*. 4(2), पृष्ठ संख्या 1–14.

दुबे, एस.सी. 1954. ए डेक्कन विलेज. *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*. 6(20), पृष्ठ संख्या 553–544.

धनाग्रे, डी.एन. 1987. ग्रीन रेवॉलूशन एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ इन रूरल इंडिया. *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*. 22(19, 20 और 21), पृष्ठ संख्या 137–144.

बेते, ए. 1962. श्रीपुरम— तंजौर ज़िले का एक गाँव. *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*. 14(8), पृष्ठ संख्या 141–146.

मंजुनाथ, के. 2014. इम्पैक्ट ऑफ़ ग्लोबलाइज़ेशन ऑन इंडियन रूरल एंड अर्बन लाइफ़. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंस*. 5(4), पृष्ठ संख्या 274–276.

मिश्र, आर.के. 2018. उपलब्धि सर्वेक्षणों का भूगोल और गाँवों के स्कूल. *शिक्षा विमर्श*. 20(6), पृष्ठ संख्या 24–30.

शर्मा, जे. 1953. ए बंगाल विलेज. *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*. 5(32, 33 और 34), पृष्ठ संख्या 901–910.

श्रीवास्तव, आर., एस.के. चंद, और जे., सिंह. 2017. चेंज इन रूरल इकॉनामी ऑफ़ इंडिया, 1971 टू 2012— लेसंस फ़ॉर जॉब-लेड ग्रोथ. *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*. 52(52), पृष्ठ संख्या 54–71.

सारंगपानी, पी. 2010. क्वालिटी कंसर्न— नेशनल एंड एक्स्ट्रा नेशनल डाइमेंशंस. *कंटेंपरेरी एजुकेशनल डाइलाग*. 7(1), पृष्ठ संख्या 4–51.

सिद्दीकी, एम.जेड., के.एल. दत्त, और बी., प्रिचर्ड. 2017. कंसिडरिंग वूमेंस वर्क इन रूरल इंडिया एनालिसिस ऑफ़ एन.एस.एस.ओ. डेटा-2004–05 एंड 2011–12. *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*. 52(1), पृष्ठ संख्या 45–52.

© NCERT not to be republished

देह-व्यापार से जुड़ी महिलाओं के बच्चों की शिक्षा का अध्ययन

श्यामदास गोंड*
शिरीष पाल सिंह**

यह शोध पत्र, शोध अध्ययन "देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता के पूर्वानुमान में विभिन्न कारकों की भूमिका के अध्ययन पर आधारित है, जो वर्ष 2020 में किया गया था। इस शोध अध्ययन का उद्देश्य देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता पर उनकी पूर्व कक्षा की उपलब्धि के योगदान का अध्ययन करना था। प्रतिदर्श चयन हेतु उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन विधि का उपयोग करते हुए न्यादर्श के रूप में नागपुर जनपद के देह-व्यापार में संलिप्त 40 महिलाओं एवं अनुग्रह बाल विकास केंद्र (गैर-सरकारी संगठन) में अध्ययनरत उनके माध्यमिक स्तर के 40 बच्चों का चयन किया गया था। इस शोध में वर्णनात्मक शोध के सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया था। शोध में आँकड़ों के संकलन के लिए अभिवृत्ति मापनी का निर्माण किया गया था। प्रतिगमन सांख्यिकी गणना द्वारा परिणाम प्राप्त किए गए तथा ज्ञात हुआ कि देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता का स्तर उच्च है अर्थात् ये बच्चे अकादमिक लक्ष्य हासिल करने की ऊँची आकांक्षा रखते हैं तथा इनकी अकादमिक प्रभावशीलता पर इनकी पूर्व कक्षा की उपलब्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

शिक्षा वह जल है जो बंजर भूमि को भी उपजाऊ बनाने की क्षमता रखता है। यही शिक्षा मानव को पशु समाज से भिन्न करती हुई उसके व्यक्तित्व को आलोकित करती है, जिसके औपचारिक और अनौपचारिक रूपी परिधि में रहकर बालक का सर्वांगीण विकास होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा ने हमेशा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण किया है। शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य नये ज्ञान को सीखने के साथ-साथ अपने स्वयं के अनुभव में वृद्धि करना होता है।

प्राचीन भारत में शास्त्रों के अनुसार नारी पूजनीय है एवं इसमें ईश्वरीय वास होता है। जिस परिवार में इसका तिरस्कार किया जाता है, वहाँ पर ईश्वरीय वास नहीं होता है। साथ ही उस परिवार में किए गए शुभ कार्य सफल नहीं होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19–22

* *शोधार्थी,* शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र 442001
** *एसोसिएट प्रोफ़ेसर,* शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र 442001

© NCERT not to be republished

के अंतर्गत स्वतंत्रता संबंधी अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें 19(ब) के अनुसार उन्हें स्वेच्छा से कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है, तो भारतीय महिलाओं (देह-व्यापार में संलिप्त महिलाएँ) को अपनी इच्छानुसार व्यवसाय अपनाने मात्र से घृणित कैसे समझा जा सकता है? साथ ही साथ इनके बच्चे समाज की मुख्यधारा के विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के अवसर की समानता से अभी तक क्यों वंचित हैं?

वर्तमान समय में देह-व्यापार देश के प्रत्येक राज्य में किसी न किसी इलाके में अपना पैर पसारे हुए है। जहाँ लाखों महिलाएँ दुनिया से कटकर बेबस ज़िंदगी जी रही हैं। ऐसी बहुत ही कम महिलाएँ होती हैं जो अपनी इच्छा से देह-व्यापार के धंधे में आती हैं। ज़्यादातर महिलाएँ ऐसी होती हैं, जिनके सामने या तो कोई मजबूरी होती है या अनजाने में इन्हें बदनाम बाज़ारों में बेच दिया जाता है। भारत में देह-व्यापार का चलन आज से नहीं, बल्कि सदियों से चला आ रहा है। प्रजापति (2013) ने अपने लेख 'वेश्यावृत्ति और कानून' में बताया है कि वेश्यावृत्ति सभी सभ्य देशों में आदिकाल से विद्यमान है। देह-व्यापार क्या है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके जवाब के संदर्भ में लोगों का कयास (अनुमान) एक जैसा ही होता है, लेकिन यह एक ऐसा प्रश्न है जो अपने अंदर कई प्रश्नों को समेटे हुए है। इस संदर्भ में गाथिया, जे. (2002) ने अपनी पुस्तक, *एशिया में देह-व्यापार दासता का आधुनिक मायाजाल* में इन प्रश्नों को जलकुम्भी के समान बताया है। उनका मानना है कि ये प्रश्न जितने आसान लगते हैं, उतने हैं नहीं, क्योंकि इस जलकुम्भी की जड़ें हमारे समाज की रचना में धंसी हुई हैं और संस्कृति की शुरुआत के साथ ही इसके अंकुर फूटे हैं। विजय श्री,पी. (2010) ने *देवदासी या धार्मिक वेश्या* नामक अपनी कृति में बताया है कि धार्मिक वेश्यावृत्ति का सांस्कृतिक वर्चस्व और जाति आधारित सामंती अर्थव्यवस्था से गहरा संबंध है। स्थानीय पुजारियों के धार्मिक स्वीकृति एवं दबंग सामंती तबके के कारण तात्कालीन युवतियाँ देह-व्यापार करने के लिए मजबूर थीं।

देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों से संबंधित साहित्य, लेख, शोध पुस्तकों तथा समाचार पत्रों की समीक्षा करने पर शोधार्थी ने पाया कि देह-व्यापार से जुड़े विभिन्न तथ्य या घटनाएँ ऐसे प्राप्त हुए जो नारकीय जीवन को प्रदर्शित करते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण की यदि बात की जाए तो ज्ञात होता है कि समाज में लोग इन्हें और इनके बच्चों को घृणा के भाव से देखते हैं। इनका समाज में कोई अस्तित्व नहीं है। राउत (2009) ने अपने शोध अध्ययन "देह-व्यापार करने वाली महिलाओं की वास्तविक स्थिति के एक अध्ययन" में पाया कि इन महिलाओं के अपने बच्चों के प्रति भी कुछ सपने होते हैं। इनके भी अरमान होते हैं कि मेरे बच्चे भी पढ़-लिखकर स्वयं की उन्नति करें। शेट्टी तथा अन्य (2017) अपने लेख "महिला यौन कर्मियों के बच्चों की स्थिति और कमजोरियों की रूपरेखा पर एक अध्ययन रिपोर्ट" में बताते हैं कि यौनकर्मियों के बच्चे उन परिस्थितियों में रहते हैं जो अत्यधिक शोषण युक्त और असुरक्षित होती हैं। गाथिया, जे. (2002) ने अपनी पुस्तक *एशिया में देह-व्यापार दासता का आधुनिक मायाजाल* में बताया है कि आंध्र प्रदेश के कुछ ज़िलों में जोगिन

© NCERT not to be republished

प्रथा के अंतर्गत वहाँ की लड़कियों एवं महिलाओं का शारीरिक शोषण होता है जिससे उनका एवं उनके बच्चों का जीवन नारकीय हो गया है।

अध्ययन का औचित्य

देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं को यह वृत्ति किसी मजबूरी वश करनी पड़ती है, जिसमें परिवार की आर्थिक तंगी प्रमुख मजबूरी है। इन महिलाओं को समाज में घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। इनके बच्चों को समाज में अवैध माना जाता है। इन बच्चों को पिता का नाम न मिल पाने के कारण समाज में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इस कारणवश भारतीय विद्यालयों में इनके बच्चों को प्रवेश पाने में कठिनाई होती है, जिसके कारण यह शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और ये बच्चे समाज में सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं।

भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के अंतर्गत 21(क) के अनुसार 6–14 वर्ष के सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की जो व्यवस्था की गई है, उसका कोई भी प्रत्यक्ष प्रभाव इन क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रहा है। नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार केवल सभ्य सामाजिक वर्गों और प्रतिष्ठावान लोगों के बच्चों तक ही सीमित हुआ प्रतीत होता है। शोधार्थी द्वारा अपने शोध विषय से संबंधित साहित्यिक समीक्षा में पाया गया कि अधिकांशतः शोध देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के स्वास्थ्य, शोषण, रहन-सहन, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, शारीरिक स्थिति, बाल-पोषण से संबंधित है। कुछ शोध इनके बच्चों की शैक्षिक चुनौतियों, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित प्राप्त हुए हैं। लेकिन शोधार्थी के संज्ञान के अनुसार कोई भी शोध भारतीय परिस्थिति में प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसमें देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता का अध्ययन किया गया हो। अतः उपरोक्त चर्चा को संज्ञान में रखते हुए शोधार्थी ने यह शोध अध्ययन करने का निर्णय लिया।

शोध उद्देश्य

इस शोध अध्ययन के निम्न उद्देश्य थे—

1. देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता का अध्ययन करना।
2. देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता के पूर्वानुमान में उनकी पूर्व कक्षा की उपलब्धि के योगदान का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना

इस शोध अध्ययन की निम्न परिकल्पनाएँ थीं—

1. देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता का स्तर उच्च है।
2. देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता के पूर्वानुमान में उनकी पूर्व कक्षा की उपलब्धि का सार्थक योगदान नहीं है।

शोध का परिसीमन

1. इस शोध में शोधार्थी द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नागपुर ज़िले के केवल इतवारी क्षेत्र को सम्मिलित किया गया था।
2. इस शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नागपुर ज़िले के केवल इतवारी क्षेत्र में देह-व्यापार में संलिप्त 40 महिलाओं एवं उनके 40 बच्चों को न्यादर्श के रूप में सम्मिलित किया गया था।

© NCERT not to be republished

शोध विधि

यह शोध अध्ययन मात्रात्मक शोध विधि पर आधारित है जिसके लिए वर्णनात्मक शोध की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया था।

जनसंख्या एवं प्रतिदर्श

इस शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा जनसंख्या के रूप में महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जनपद की देह-व्यापार में संलिप्त समस्त महिलाओं एवं उनके बच्चों को सम्मिलित किया गया तथा प्रतिदर्श चयन हेतु उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन विधि का उपयोग किया गया प्रतिदर्श के रूप में नागपुर जनपद के इतवारी क्षेत्र में रहने वाली देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं को अभिभावक के रूप में एवं अनुग्रह बाल विकास केंद्र (गैर-सरकारी संगठन) में अध्ययनरत देह-व्यापार में संलिप्त इन्हीं महिलाओं के कक्षा 9 के 40 बच्चों (विद्यार्थियों) का चयन किया गया था।

शोध उपकरण

इस शोध अध्ययन में शोध उपकरण के रूप में शोधार्थी द्वारा पूर्वनिर्मित अकादमिक प्रभावशीलता मापनी का उपयोग किया गया था।

प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु सांख्यिकी प्रविधि

इस शोध कार्य में आँकड़ों के विश्लेषण इस शोध अध्ययन हेतु सांख्यिकी प्रविधि के रूप में शोधार्थी द्वारा मध्यमान, मानक विचलन, प्रतिशत सांख्यिकी प्रविधि तथा प्रतिगमन विश्लेषण सांख्यिकी प्रविधि का उपयोग किया गया था।

संक्रियात्मक परिभाषाएँ

1. **अकादमिक प्रभावशीलता**— अकादमिक प्रभावशीलता से तात्पर्य अकादमिक क्षेत्र में बच्चों की रुचि एवं उसके आधार पर भविष्य में अकादमिक उन्नति के संबंध में उनके विचारों से है।
2. **अकादमिक प्रभावशीलता का पूर्वानुमान**— पूर्वानुमान का तात्पर्य किसी भी व्यक्ति अथवा कार्य के वर्तमान अध्ययन के आधार पर उसके भविष्य के संबंध में विचार प्रकट करने या कथन करने से है। इस अध्ययन में देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता के पूर्वानुमान में पूर्व कक्षा की उपलब्धि का क्या योगदान है, इसका अध्ययन किया गया है।
3. **पूर्व कक्षा की उपलब्धि**— इस अध्ययन में पूर्व कक्षा की शैक्षिक उपलब्धि का तात्पर्य माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 अध्ययन सत्र (2018–19) के विद्यार्थियों की पूर्व कक्षा 8 के वार्षिक परीक्षा के परीक्षाफल से है।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या उद्देश्यों के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से की गई है—

1. देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता का अध्ययन करना

इस शोध का प्रथम उद्देश्य देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता का अध्ययन करना था। देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता संबंधी प्रदत्तों के संकलन के लिए पूर्वनिर्मित अकादमिक प्रभावशीलता मापनी का उपयोग किया गया। जिसके लिए शोधार्थी द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति

© NCERT not to be republished

हेतु संकलित आँकड़ों को एस.पी.एस.एस. में प्रविष्ट कर मध्यमान, मानक विचलन तथा विचरणशीलता गुणांक का मान ज्ञात किया गया। इसे तालिका 1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1— वर्णनात्मक सांख्यिकी (Descriptive Statistics)

	अकादमिक प्रभावशीलता
संख्या	40
मध्यमान	2.7216
मानक विचलन	0.41575
विचरणशीलता गुणांक	15.27%

तालिका 1 का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता के मध्यमान का मान 2.7216, मानक विचलन का मान 0.41575 तथा विचरणशीलता गुणांक का मान 15.27 प्रतिशत है, जो तुलनात्मक रूप से कम है। मध्यमान अंक 2.72 प्रदर्शित करते हैं कि देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता का मान उच्च है, क्योंकि इस अध्ययन में एक कथन पर अधिकतम तीन अंक की संभावना है। साथ ही विचरणशीलता गुणांक का मान 15.27 प्रतिशत है जो कि कम है। यह इस तथ्य का द्योतक है कि देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता के मानों में अंतर काफी कम है। अतःपरिकल्पना "देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता का स्तर उच्च है" स्वीकृत होती है। अतः स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चे भी शिक्षा के प्रति जागरूक हैं तथा वह भी शिक्षा प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं अर्थात् उनमें अकादमिक प्रभावशीलता का स्तर उच्च है। देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों का यह दृढ़ विश्वास है कि यदि उन्हें भी समाज की मुख्यधारा में संलग्न कर शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर प्रदान किया जाए तो वे भी अकादमिक लक्ष्य को प्राप्त कर अपने भविष्य को बेहतर बना सकेंगे।

2. देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता के पूर्व कथन में उनकी पूर्व कक्षा की उपलब्धि के योगदान का अध्ययन करना

इस शोध का द्वितीय उद्देश्य देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता के पूर्वानुमान में उनकी पूर्व कक्षा की उपलब्धि के योगदान का अध्ययन करना था। देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता के पूर्वानुमान में उनकी पूर्व कक्षा की उपलब्धि संबंधी प्रदत्तों के संकलन के लिए शोधार्थी द्वारा इन बच्चों के पूर्व की कक्षाओं के अंकपत्र में प्राप्त प्रतिशत का उपयोग किया गया। इन बच्चों के अंकपत्र

तालिका 2— अवशिष्ट सांख्यिकी[1] (Residuals Statistics)

	महालनोबिस डिस्टेंस	कुक्स डिस्टेंस
न्यूनतम	.001	.000
अधिकतम	3.528	.127
माध्य	.975	.022
मानक विचलन	.979	.029
संख्या	40	40

1. आश्रित चर—अकादमिक प्रभावशीलता

© NCERT not to be republished

के प्रतिशत से संबंधित आँकड़ों को एस.पी. एस.एस. में प्रविष्ट किया गया। आँकड़ों का विश्लेषण करने से पूर्व प्रतिगमन विश्लेषण की अवधारणाओं की जाँच की जाना आवश्यक है जो कि तालिका 2 में प्रदर्शित की गई है।

अवधारणा का परीक्षण

देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता का पूर्वानुमान उनकी पूर्व कक्षा की उपलब्धि द्वारा किया गया है, जिसके लिए प्रत्येक चर के संदर्भ में 40 विद्यार्थियों से आँकड़े प्राप्त किए गए। इन आँकड़ों को एस.पी.एस.एस. में प्रविष्ट कर प्राप्त परिणाम को तालिका 2 में दर्शाया गया है। अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि महालनोबिस डिस्टेंस का अधिकतम मान 3.528 है जो कि df = 1, χ^2 (chi-square/काई वर्ग) के 0.05 सार्थकता स्तर पर सारणी मान 3.841 से कम है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दिए गए वितरण में आउटलियर उपस्थित नहीं है।

इसी प्रकार तालिका 2 से कुक्स डिस्टेंस के अवलोकनोपरांत यह स्पष्ट होता है कि कुक्स डिस्टेंस का अधिकतम मान .127 है जो कि एक से कम है। इस परिप्रेक्ष्य में शून्य परिकल्पना दिए गए आँकड़े में आउटलियर अनुपस्थित है, निरस्त नहीं की जा सकती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दिए गए वितरण में आउटलियर उपस्थित नहीं है। इस प्रकार आँकड़े रेखीय प्रतिगमन की अवधारणा को संतुष्ट करते हैं। अतः शोधार्थी द्वारा रेखीय प्रतिगमन के द्वारा आँकड़ों का विश्लेषण किया गया। अन्य अवधारणाएँ जैसे न्यूनतम न्यादर्श आकार जो कि 20 होना चाहिए तथा अंतराल मापनी पर आँकड़े व्यवस्थित होने चाहिए, संतुष्ट होती है।

तालिका 3 के अवलोकनोपरांत यह ज्ञात होता है कि F का मान df (1,38) पर 0.017 है, जिसकी सार्थकता (p) का मान 0.896 है, जो कि 0.05 सार्थकता स्तर के मान से अधिक है। जो 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है। परिणामस्वरूप यह कहा जा सकता है कि यह प्रतिगमन मॉडल आश्रित चर देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता के पूर्वानुमान में उनकी पूर्व कक्षा की उपलब्धि को प्रभावित करने में सक्षम नहीं है। अतः देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता के पूर्व कथन में उनकी पूर्व कक्षा की उपलब्धि का सार्थक योगदान नहीं है, स्वीकृत होती है। अतएव इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि बच्चों की अकादमिक

तालिका 3— प्रसरण विश्लेषण (ANOVA)[a]

	वर्गों का योग (Sum of Squares)	स्वातंत्र्य स्तर (df)	माध्य वर्ग (Mean Square)	एफ़ (F)	सार्थकता (Sig.)
प्रतिगमन	2.141	1	2.141	.017	.896[b]
अवशिष्ट	4719.634	38	124.201		
योग	4721.775	39			

a. आश्रित चर—शैक्षणिक प्रभावशीलता, b. स्वतंत्र चर— (स्थिरांक), पूर्व उपलब्धि

© NCERT not to be republished

प्रभावशीलता उनकी पूर्व कक्षा की उपलब्धि से प्रभावित नहीं होती है। साथ ही साथ यह भी कहा जा सकता है कि किसी भी स्तर की उपलब्धि वाले बच्चे की अकादमिक प्रभावशीलता उच्च स्तर की हो सकती है।

तालिका 4 के अवलोकनोपरांत यह ज्ञात होता है कि बच्चों की पूर्व कक्षा की उपलब्धि (previous result) हेतु मानकीकृत बीटा (Beta) का संगत t-मान .131 है तथा p= 0.896 है जो कि 0.05 सार्थकता मान से अधिक है। जो कि 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः शून्य परिकल्पना देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता के पूर्व कथन में उनकी पूर्व कक्षा की उपलब्धि का सार्थक योगदान नहीं है, निरस्त नहीं की जा सकती अर्थात् स्वीकृत होती है। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता के पूर्व कथन में उनकी पूर्व कक्षा की उपलब्धि का सार्थक योगदान नहीं है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इनके बच्चों के उस दृढ़ आत्म-विश्वास जिसके द्वारा वह अकादमिक लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, उसमें उनकी पूर्व कक्षा की उपलब्धि अर्थात् शैक्षिक गतिविधियों, शैक्षिक मूल्यों एवं शैक्षिक परिवेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है।

तालिका 5 के अवलोकनोपरांत यह ज्ञात हुआ कि स्वतंत्र चर के रूप में देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की पूर्व कक्षा की उपलब्धि और आश्रित चर के रूप में बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता में सह-संबंध गुणांक 0.021 है। R^2 (आर वर्ग) का मान 0 है जो यह दर्शाता है कि शैक्षणिक (अकादमिक) प्रभावशीलता के पूर्वानुमान में देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की पूर्व कक्षा की उपलब्धि का योगदान नहीं है। अतः शून्य परिकल्पना देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता के पूर्वानुमान में उनकी पूर्व कक्षा की उपलब्धि का सार्थक योगदान नहीं है, निरस्त नहीं की जा सकती। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता के पूर्वानुमान में उनकी पूर्व कक्षा की उपलब्धि का सार्थक योगदान नहीं है। अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि देह-व्यापार में संलिप्त

तालिका 4—सहगुणांक (Coefficientsa)[a]

	अमानकीकृत गुणांक (Unstandardised Coefficients)		मानकीकृत गुणांक (Standardised Coefficients)	संगत टी-मान (Compatible t-value)	सार्थकता (Sig.)
	बी (B)	*मानक त्रुटि (Std. Error)*	*बीटा (Beta)*		
स्थिरांक	75.764	30.976	–	2.446	.019
पूर्व उपलब्धि	.082	.624	.021	.131	.896

a. आश्रित चर— शैक्षणिक प्रभावशीलता

© NCERT not to be republished

तालिका 5— प्रतिमान सारांश (Model Summary)[b]

प्रतिमान (Model)	1
आर (R)	.021[a]
आर वर्ग (R Square)	.000
समायोजित आर वर्ग (Adjusted R Square)	–.026
अनुमान की मानक त्रुटि (Std. Error of the Estimate)	11.145

a. स्वतंत्र चर— (स्थिरांक), पूर्व उपलब्धि

b. आश्रित चर— शैक्षणिक प्रभावशीलता

तालिका 6—वर्णनात्मक सांख्यिकी (Descriptive Statistics)

	माध्य (Mean)	मानक विचलन (Std. Deviation)	मानक विचलन (Std. Deviation)
अकादमिक प्रभावशीलता (Y)	79.83	11.003	40
पूर्व उपलब्धि (X)	49.5283	2.85799	40

महिलाओं के बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में उन्नति या प्रगति करने अथवा आकांक्षा अनुरूप शैक्षिक उपलब्धि हासिल करने के दृढ़ आत्मविश्वास पर इनके बच्चों द्वारा पूर्व कक्षा में सीखे गए अकादमिक ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

शोधार्थी द्वारा तालिका 5 से R और तालिका 6 से मानक विचलनों के मान प्राप्त किए गए। तालिका 6 में आश्रित चर बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता को Y तथा स्वतंत्र चर बच्चों की पूर्व कक्षा की उपलब्धि को X से प्रदर्शित किया गया है। तालिका 6 के अवलोकनोपरांत यह स्पष्ट होता है कि मानक विचलन Y का मान 11.003 तथा मानक विचलन X का मान 2.85799 है। तालिका 5 तथा तालिका 6 से प्राप्त मान प्रतिगमन गुणांक b के समीकरण .021(11.003÷2.85799) में रखने पर 0.08 मान प्राप्त हुआ। जिसका तात्पर्य देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता के पूर्व कथन में उनकी पूर्व कक्षा की उपलब्धि में एक इकाई की वृद्धि से देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता में 0.08 इकाई की वृद्धि से है। शोधार्थी द्वारा तालिका 6 से Y (79.83) और X (49.5283) मध्यमान के मान को a (स्थिरांक) के सूत्र में प्रतिस्थापित कर स्थिरांक का मान ज्ञात किया गया जो Y अक्ष पर कटान बिंदु दर्शाता है। इस प्रकार, प्रतिगमन रेखा का समीकरण है, $Y = 0.08X + 75.87$ होगा।

शोध निष्कर्ष

इस शोध अध्ययन में शोध निष्कर्ष के रूप में निम्नलिखित तथ्य प्राप्त हुए हैं—

1. देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता का स्तर उच्च है अर्थात् इन महिलाओं के बच्चों को यह दृढ़ विश्वास है कि वह एक अकादमिक लक्ष्य अर्जित कर सकते हैं।
2. देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता के पूर्वानुमान में उनकी पूर्व कक्षा की उपलब्धि का सार्थक योगदान नहीं है। इससे तात्पर्य है कि देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों द्वारा अकादमिक लक्ष्य प्राप्त करने अथवा इस संदर्भ में चिंतन करने में इनके द्वारा प्राप्त पूर्व कक्षा की

© NCERT not to be republished

उपलब्धि (ज्ञान और कौशल) अर्थात् शैक्षिक क्रियाओं का कोई सार्थक योगदान नहीं है।

विवेचना

उद्देश्य अनुसार प्राप्त निष्कर्षों की विवेचना निम्न प्रकार है—

- इस शोध का प्रथम उद्देश्य देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता का अध्ययन करना था। इस उद्देश्य से संबंधित आँकड़ों के सांख्यिकी विश्लेषण के उपरांत यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता का स्तर उच्च है अर्थात् इन महिलाओं के बच्चे शिक्षा के प्रति सजग एवं जागरूक हैं तथा अकादमिक लक्ष्य प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। साथ ही साथ इन्हें यह दृढ़ आत्मविश्वास है कि यदि इन्हें समाज की मुख्यधारा के अन्य बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर मिले तो वे अपने वर्तमान और भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं।
- इस शोध का द्वितीय उद्देश्य देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता के पूर्व कथन में उनकी पूर्व कक्षा की उपलब्धि के योगदान का अध्ययन करना था। इस उद्देश्य से संबंधित आँकड़ों के सांख्यिकी विश्लेषण के उपरांत यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता पर उनकी पूर्व कक्षा की उपलब्धि का सार्थक योगदान नहीं है अर्थात् देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता उनकी पूर्व कक्षा की उपलब्धि से प्रभावित नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चे पूर्व कक्षा की उपलब्धि से लाभान्वित एवं अभिप्रेरित नहीं होते हैं तथा इनके द्वारा अकादमिक लक्ष्य हासिल करने के दृढ़ विश्वास में उनकी पूर्व कक्षा के मूल्यांकन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

शैक्षिक निहितार्थ

इस शोध कार्य में देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की अकादमिक प्रभावशीलता के पूर्वानुमान में पूर्व कक्षा की उपलब्धि के योगदान का अध्ययन किया गया है। प्राप्त निष्कर्षों एवं परिणामों के आधार पर यह शोध कार्य शैक्षिक व सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है, जिसकी सहायता से शिक्षक, शिक्षार्थी, अभिभावक एवं नीति-निर्माता निश्चित तौर पर भविष्य में लाभान्वित हो सकेंगे। शिक्षकों के विशेष संदर्भ में शैक्षिक निहितार्थ का निरूपण करते हुए यह कहा जा सकता है कि यह शोध शिक्षकों को देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की मनःस्थिति को समझने, उन्हें सामाजिक एवं मानसिक दक्षता के गुणों को विकसित करने वाली गतिविधियों व कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने के लिए अभिप्रेरित करने, उनके अभिभावकों को शैक्षिक उपलब्धि में परिवार की भूमिका के महत्व को समझाने, पाठ्य-सहगामी क्रियाओं में अपेक्षाकृत सुधार करने तथा उन्हें भविष्य में उच्च शिक्षा प्राप्त करने एवं शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता कर सकेंगे। विद्यार्थियों के विशेष संदर्भ में शैक्षिक निहितार्थ का निरूपण करते हुए यह कहा जा सकता है कि इस शोध के द्वारा विद्यार्थी अपने पूर्व कक्षा की उपलब्धि के अवलोकन के आधार पर अमुक विषय की कमज़ोरियों को

पहचान कर उसका समाधान कर सकेंगे। साथ ही साथ विद्यार्थी पूर्व कक्षा के शिक्षण-अधिगम पर विशेष ध्यान दे सकेंगे। इस शोध अध्ययन के आलोक से वंचित वर्गों के अभिभावक अपने समुदाय के बच्चों के शैक्षिक हित के लिए तात्कालिक सरकार से शैक्षिक नीतियों को निर्मित कर उसे क्रियान्वित करने की माँग कर सकेंगे तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास में शिक्षा के महत्व एवं भूमिका से अवगत होकर, उनके अनुरूप पारिवारिक वातावरण निर्मित कर सकेंगे। इस शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष एवं परिणामों के आलोक में नीति-निर्माता देह-व्यापार में संलिप्त महिलाओं के बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से अवगत होकर, उसके निराकरण से संबंधित नीतियाँ निर्मित कर सकेंगे।

संदर्भ

गाथिया, जे. 2002. *एशिया में देह-व्यापार दासता का आधुनिक मायाजाल*. कंसेप्ट पब्लिशिंग कंपनी प्रा. लि.

प्रजापति, ए. आर. 2013. *सामुदायिक वेश्यावृत्ति एवं रेत*. महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र.

राउत, ए. आर. 2009. *देह-व्यापार करने वाली महिलाओं की वास्तविक स्थिति— एक अध्ययन*. महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र.

विजय, श्री.पी. 2010. *देवदासी या धार्मिक वेश्या— एक पुनर्विचार*. वाणी प्रकाशन, दिल्ली.

शेट्टी, बी. और वी. मालवे. 2017. *महिला यौनकर्मियों के बच्चों की स्थिति और कमज़ोरियाँ— एक अध्ययन रिपोर्ट*. के.एच. पी.टी. पब्लिशर्स, बेंगलुरू.

© NCERT not to be republished

रा.शै.अ.प्र.प. के कुछ अन्य प्रकाशन

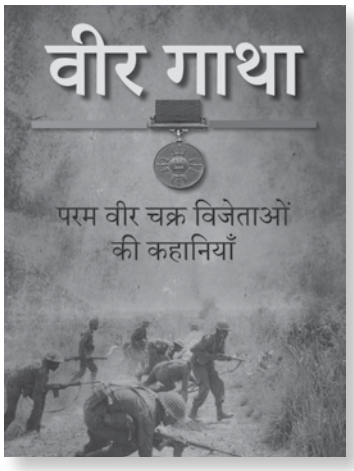

वीर गाथा
₹100.00 / पृष्ठ182
कोड—21139
ISBN—978-93-5292-153-9

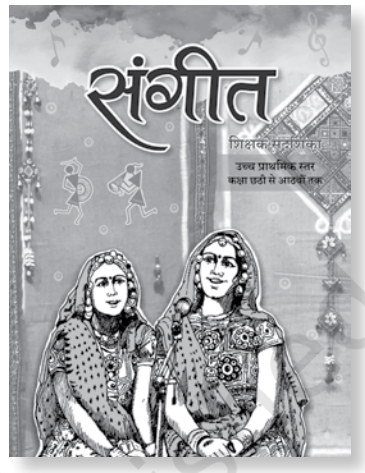

संगीत
₹180.00 / पृष्ठ148
कोड—13173
ISBN—978-93-5292-020-4

अम्मा
₹65.00 / पृष्ठ 60
कोड—21136
ISBN—978-93-5292-012-9

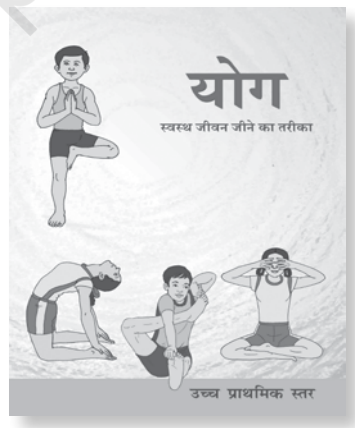

योग
₹65.00 / पृष्ठ 100
कोड—13140
ISBN—978-93-5007-766-5

© NCERT not to be republished

अधिक जानकारी के लिए कृपया www.ncert.nic.in देखिए अथवा कॉपीराइट पृष्ठ पर दिए गए पतों पर व्यापार प्रबंधक से संपर्क करें।

रा.शै.अ.प्र.प. के कुछ अन्य प्रकाशन

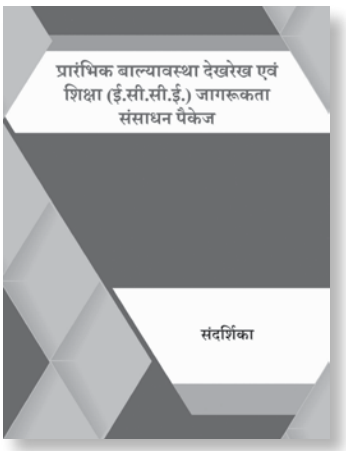

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) जागरूकता संसाधन पैकेज
₹ 70.00 / पृष्ठ 76
कोड — 13190
ISBN — 978-93-5292-139-3

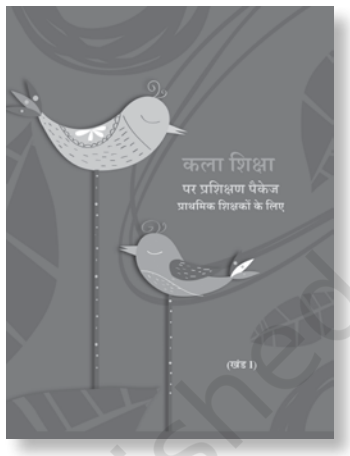

कला शिक्षा–I
₹ 475.00 / पृष्ठ 172
कोड — 13183
ISBN — 978-93-5292-105-8

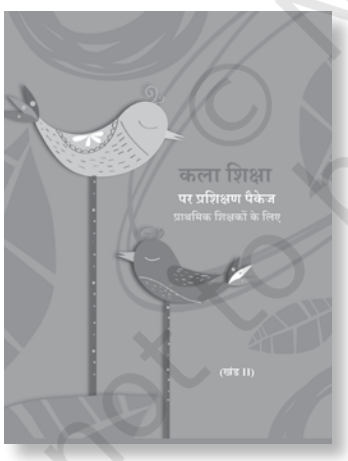

कला शिक्षा–II
₹ 475.00 / पृष्ठ 176
कोड — 13183A
ISBN — 978-93-5292-106-5

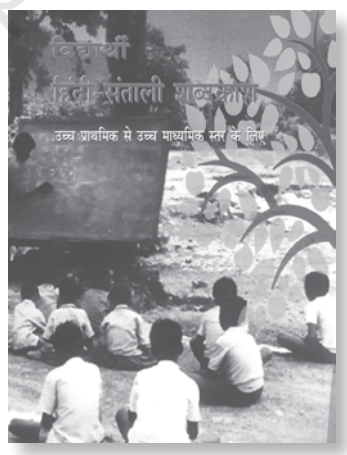

हिंदी — संताली शब्दकोश
₹ 11.00 / पृष्ठ 230
कोड — 32122
ISBN — 978-93-5295-108-9

© NCERT not to be republished

अधिक जानकारी के लिए कृपया www.ncert.nic.in देखिए अथवा कॉपीराइट पृष्ठ पर दिए गए पतों पर व्यापार प्रबंधक से संपर्क करें।

लेखकों के लिए दिशा निर्देश

लेखक अपने मौलिक लेख या शोध पत्र सॉफ्ट कॉपी (हिंदी यूनिकोड— कोकिला फ़ोंट में) के साथ निम्नलिखित पते या ई-मेल journals.ncert.dte@gmail.com पर भेजें—

अकादमिक संपादक
भारतीय आधुनिक शिक्षा
अध्यापक शिक्षा विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016

लेखक या शोधार्थी अपना लेख या शोध पत्र प्रकाशन हेतु भेजने से पूर्व सुनिश्चित करें कि—

1. लेख या शोध पत्र सरल एवं व्यावहारिक भाषा में हो, जहाँ तक संभव हो लेख या शोध पत्र में व्यावहारिक चर्चा एवं दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरणों का समावेश करें।
2. यदि आप अपने लेख या शोध पत्र को ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से हिंदी यूनिकोड फ़ोंट में बदलते हैं, तो बदले हुए लेख या शोध पत्र को अच्छी तरह से पढ़कर एवं संपादित कर भेजें।
3. लेख की वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर आधारित सार्थक प्रस्तावना लिखें, जो आपके लेख के शीर्षक से संबंधित हो।
4. शोध पत्र की वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर आधारित सार्थक प्रस्तावना एवं औचित्य लिखें, जो आपके शोध पत्र के शीर्षक या शोध समस्या से संबंधित हो।
5. लेख या शोध पत्र में वर्तमान में विद्यालयी शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा पर राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर जो नीतिगत परिवर्तन हुए हैं, उन नीतियों, योजनाओं, दस्तावेजों, रिपोर्टों, शोधों, नवाचारी प्रयोगों या अभ्यासों आदि को समावेशित करने का प्रयास करें।
6. लेख या शोध पत्र देश के किसी भी नागरिक की धर्म, प्रजाति, जाति, जेंडर, जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर विभेद न करे।
7. लेख या शोध पत्र देश के नागरिकों की धर्म, जाति, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शारीरिक विशेषताओं का बिना भेदभाव करते हुए न्यायसंगत सम्मान करे।
8. लेखक या शोधार्थी अपने लेख या शोध पत्र की मौलिकता प्रमाणित करते हुए अपना संक्षिप्त परिचय दें।
9. लेख या शोध पत्र की विषयवस्तु लगभग 2500 से 3000 शब्दों में हिंदी यूनिकोड—कोकिला फोंट में टंकित हो।
10. यदि लेख या शोध पत्र की विषयवस्तु में तालिका एवं ग्राफ़ हो, तो तालिका की व्याख्या में उन तथ्यों या प्रदत्तों एवं ग्राफ़ का उल्लेख करें। ग्राफ़ अलग से Excel File में भेजें।
11. लेख या शोध पत्र की विषयवस्तु में यदि चित्र हो, तो उनके स्थान पर खाली बॉक्स बनाकर चित्र संख्या लिखें। चित्र अलग से JPEG फ़ार्मेट में भेजें, जिसका आकार कम से कम 300 dots per inch (dpi) हो।
12. संदर्भ सूची में वही संदर्भ लिखें, जिनका उल्लेख लेख या शोध पत्र की विषयवस्तु में किया गया हो।
13. यदि लेख या शोध पत्र में ऑनलाइन अध्ययन सामग्री का उल्लेख किया गया है, तो संदर्भ सूची में वेबसाइट लिंक और पुन: प्राप्त (Retrieved date) करने की तिथि लिखें।
14. संदर्भ सूची में संदर्भ एन.सी.ई.आर.टी. के निम्न प्रारूप के अनुसार लिखें—
    पाल, हंसराज. 2006. *प्रगत शिक्षा मनोविज्ञान*. हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली.

© NCERT not to be republished

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 के द्वारा प्रकाशित तथा चार दिशाएँ प्रिंटर्स प्रा.लि., जी 40 - 41, सैक्टर - 3, नोएडा 201 301 द्वारा मुद्रित।

रजि. नं. 42912/84

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित शैक्षिक पत्रिकाओं के संशोधित मूल्य

Rates of National Council of Educational Research and Training Educational Journals

पत्रिका	प्रति कॉपी शुल्क	*वार्षिक सदस्यता* शुल्क
School Science (Quarterly) A Journal for Secondary Schools *स्कूल साइंस (त्रैमासिक)* *माध्यमिक विद्यालयों के लिए पत्रिका*	₹ 55.00	₹ 220.00
Indian Educational Review A Half-yearly Research Journal *इंडियन एजुकेशनल रिव्यू (अर्द्ध वार्षिक शोध पत्रिका)*	₹ 50.00	₹ 100.00
Journal of Indian Education (Quarterly) *जर्नल ऑफ़ इंडियन एजुकेशन (त्रैमासिक)*	₹ 45.00	₹ 180.00
भारतीय आधुनिक शिक्षा (त्रैमासिक) *Bharatiya Aadhunik Shiksha (Quarterly)*	₹ 50.00	₹ 200.00
Primary Teacher (Quarterly) *प्राइमरी टीचर (त्रैमासिक)*	₹ 65.00	₹ 260.00
प्राथमिक शिक्षक (त्रैमासिक) *Prathmik Shikshak (Quarterly)*	₹ 65.00	₹ 260.00

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पत्रिकाओं की सदस्यता लेने हेतु शिक्षाविदों, संस्थानों, शोधार्थियों, अध्यापकों और विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए पते पर संपर्क करें।

मुख्य प्रबंधक अधिकारी, प्रकाशन विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016

ई-मेल – gg_cbm@rediffmail.com, फ़ोन – 011-26562708, फ़ैक्स – 011-26851070

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 के द्वारा प्रकाशित तथा चार दिशाएँ प्रिंटर्स प्रा.लि., जी 40-41, सैक्टर - 3, नोएडा 201 301 द्वारा मुद्रित।

© NCERT not to be republished